एमएमटीसी लिमिटेड
MMTC LIMITED
भारत सरकार का उपक्रम
A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE
touching lives, adding value

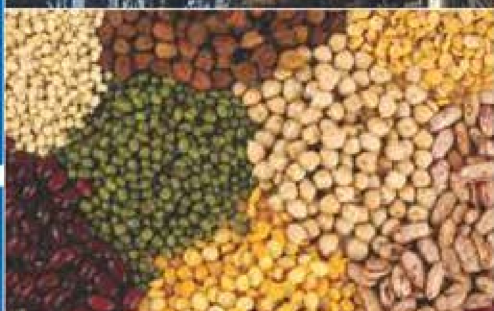

5वीं

वार्षिक रिपोर्ट 2012-13

सुनहरे क्षितिज से आगे

fo”k; lph

कारपोरेट मिशन/कारपोरेट उद्देश्य	2
एमएमटीसी वर्तमान में/रणनीतिक पहल	3
कार्यनिष्पादन एक नजर में	4
अध्यक्ष का वक्तव्य	5
निदेशक मंडल	10
निदेशकों की रिपोर्ट	12
प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट	21
कारपोरेट गवर्नेंस	26
व्यापार दायित्व रिपोर्ट	35
दशक पर एक नजर	48
निधियों के स्रोत एवं उनका उपयोग	50
वित्तीय स्थिति में परिवर्तनों के विवरण	51
मूल्यसंवर्धन विवरण	52
वस्तुवार कार्य–निष्पादन	53
देशवार निर्यात और आयात	55
राजकोष में अंशदान	58
लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	61
वार्षिक लेखा 2012–13	73
एमएमटीसी टांसनेशनल पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर	113
समेकित वित्तीय विवरण	131
एमएमटीसी लेखापरीक्षक	173
एमएमटीसी बैंकर्स	174
एमएमटीसी कार्यालय	175

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड

(सिंगापुर में निगमित पंजीकरण संख्या 199407265 एम)

वित्तीय विवरण

31 मार्च 2013 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड

निदेशकों की रिपोर्ट

31 मार्च 2013 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

निदेशकगण 31 मार्च 2013 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अंकेक्षित वित्तीय विवरण के साथ शेयरधारकों को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

निदेशकगण

रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तिथि को निम्नलिखित निदेशक कार्यरत हैं –

- देपिन्द्र सिंह ढेसी (8 अक्तूबर 2012 को नियुक्त)
- वेद प्रकाश
- राजीव जयदेव
- मदन गोपाल गुप्ता
- आनंद त्रिवेदी (25 जुलाई 2012 को नियुक्त)
- तपस कुमार सेनगुप्ता
- विजय कुमार गुप्ता

निदेशकों द्वारा शेयर और डिबेंचर अधिग्रहण करने हेतु व्यवस्था

कंपनी ने न तो वित्तीय वर्ष के अंत में और न ही वित्तीय वर्ष के दौरान ऐसी किसी भी व्यवस्था में हिस्सा लिया जिसका उद्देश्य कंपनी के निदेशकों को कंपनी या अन्य कारपोरेट संस्था के शेयर या डिबेंचर अर्जित करके लाभ पहुंचाया गया हो।

शेयर अथवा डिबेंचरों में निदेशकों का हित

निदेशकों की शेयर हिस्सेदारी रजिस्टर के अनुसार वित्तीय वर्ष के अंत में कार्यरत निदेशकों की कंपनी या कंपनी से संबंधित निगमों के शेयरों अथवा डिबेंचरों में कोई हिस्सेदारी नहीं थी :

निदेशकों को संविदात्मक लाभ

पूर्व वित्त वर्ष की समाप्ति की अवधि से किसी भी निदेशक ने कंपनी या संबंधित कारपोरेशन जिसका वह निदेशक है या फर्म जिसका सदस्य है या कंपनी जिसमें उसका विशेष वित्तीय हित शामिल है के साथ अनुबंध करने का कोई लाभ प्राप्त नहीं किया है सिवाय इस रिपोर्ट के साथ संलग्न वित्तीय विवरण में जैसा दर्शाया गया है या उसके लिए ग्राह्य है, सिवाय इसके कि कुछ निदेशकों के संबंधित निगमों के साथ रोजगार संबंध थे और उस हैसियत में उन्होंने पारिश्रमिक प्राप्त किया था।

शेयर विकल्प

वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी के जारी न किये गए शेयर लेने के लिए विकल्प नहीं दिया गया।

विकल्प व्यवस्था के तहत वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी के जारी न किये गए शेयर लेने के लिए कोई शेयर जारी नहीं किए गए।

वित्तीय वर्ष के अंत तक विकल्प के अंतर्गत जारी न किए गए शेयर उपलब्ध नहीं थे।

स्वतंत्र लेखापरीक्षक

स्वतंत्र लेखापरीक्षक, प्राइसवाटरहाउसकूपर्स एलएलपी, ने पुनः नियुक्ति के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की है।

निदेशकों की ओर से

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
तपस कुमार सेनगुप्ता	**विजय कुमार गुप्ता**
निदेशक	निदेशक

13 जुलाई, 2013

निदेशकों की राय में

31 मार्च 2013 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

निदेशकों के मतानुसार

(क) 31 मार्च 2012 को कंपनी के कार्यकलापों की वास्तविक व स्पष्ट तस्वीर दर्शाने के लिए पृष्ठ संख्या 5 से 24 तक वित्तीय विवरणों को इस प्रकार दिया गया है कि ये इसी तिथि को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के व्यापार, इक्विटी में परिवर्तन तथा रोकड़ प्रवाह के परिणामों को दर्शा सकें, तथा

(ख) इस विवरण की तिथि को यह विश्वास करने के लिए तर्कसंगत आधार है कि कंपनी अपनी देनदारियों की, उनके देय होने पर, अदायगी करने में समर्थ होगी।

निदेशकों की ओर से

हस्ता / –	हस्ता / –
तपस कुमार सेनगुप्ता	**विजय कुमार गुप्ता**
निदेशक	निदेशक

13 जुलाई, 2013

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड के शेयरधारकों की स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए हमने एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड के वित्तीय विवरणों, जो पृष्ठ संख्या 5 से 24 में दिए गए हैं, की लेखापरीक्षा की है जिनमें इसी तिथि को समाप्त वर्ष का तुलन–पत्र, कम्प्रीहेंसिव आय विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण एवं रोकड़ प्रवाह विवरण के साथ–साथ महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का संक्षिप्त रूप एवं अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणियां शामिल हैं।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधतंत्र का दायित्व

सिंगापुर कम्पनी अधिनियम ("अधिनियम") तथा सिंगापुर वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों के प्रावधानों के अनुसार इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने तथा सही रूप से प्रस्तुत करने के लिए प्रबधतंत्र उत्तरदायी है। इन दायित्वों में निम्नलिखित शामिल हैं कि इस प्रकार की आंतरिक लेखा नियंत्रण प्रणाली तैयार करना व बनाए रखना जो उचित आश्वासन प्रदान कर सके कि परिसंपत्तियों को अनधिकृत उपयोग अथवा विस्थापन क्षति से सुरक्षित रखा गया है और लेनदेन को उचित रूप से अधिकृत किया गया है और उन्हें आवश्यक रूप से दर्ज किया गया है ताकि लाभ व हानि खाते व तुलनपत्र और संपत्तियों के उत्तरदायित्व को बनाये रखने के लिए सत्य व सही स्थिति प्रकट हो सके।

लेखापरीक्षकों के दायित्व

लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय देना हमारा दायित्व है। लेखापरीक्षा के लिए सिंगापुर मानकों के अनुरूप हमने लेखापरीक्षा की है। इन मानकों के लिए आवश्यक है कि हम नीतिपरक आवश्यकताओं का अनुपालन करें तथा लेखापरीक्षा की योजना बनाने के साथ–साथ इस प्रकार लेखापरीक्षा करें कि समुचित आश्वासन मिल सके जिससे कि वित्तीय विवरणों में किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य को गलत रूप में प्रकट नहीं किया गया है।

लेखा परीक्षा में, वित्तीय विवरणों में दर्शाई गई राशियों तथा प्रकटनों से संबंधित साक्ष्य प्राप्त करने की प्रणाली शामिल है। चयनित प्रणाली लेखापरीक्षकों के निर्णय पर आधारित होती है जिसमें धोखेबाजी अथवा चूक के कारण वित्तीय विवरणों में भौतिक गलत तथ्यों के जोखिम का आकलन समाहित रहता है। इस प्रकार के जोखिमों का आकलन करते समय उचित लेखा परीक्षा प्रणाली अपनाने के लिए लेखापरीक्षक परिस्थितियों के अनुसार उचित तैयारी तथा उचित प्रस्तुतीकरण से संबंधित आंतरिक नियंत्रण पर विचार करते हैं। परन्तु इसका उद्देश्य लागू आंतरिक नियंत्रण के प्रभावीकरण पर अपनी राय देना नहीं होता है। प्रयुक्त लेखा नीतियों तथा प्रबंधतंत्र द्वारा बनाए गए लेखानुमानों की उपयुक्तता के आकलन के साथ–साथ वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का आकलन करना भी लेखापरीक्षा में शामिल है।

हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए पर्याप्त तथा उचित आधार हैं।

मत

हमारी राय में, कंपनी के संलग्न वित्तीय विवरण सिंगापुर कंपनी अधिनियम तथा सिंगापुर वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों के प्रावधानों के अनुरूप उचित रूप से तैयार किये गये हैं तथा 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के परिणामों, इक्विटी में परिवर्तनों एवं रोकड़ प्रवाह की इसी तिथि को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सत्य तथा सही स्थिति दर्शाते हैं।

अन्य विधिक तथा रेगुलेटरी आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

हमारे मतानुसार अधिनियम के अन्तर्गत आवश्यक लेखे व अन्य रिकार्ड को कंपनी ने अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप उचित रूप से रखा है।

हस्ताक्षर

प्राइसवाटरहाउसकूपर्स एलएलपी

पब्लिक एकाउंटेंट्स एण्ड सर्टिफाइड पब्लिक एकाउंटेंट्स

सिंगापुर,

13 जुलाई 2013

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड

समेकित आय विवरण

31 मार्च, 2013 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

	टिप्पणी	2013 अमेरिकी डालर	2012 अमेरिकी डालर
माल की बिक्री		**600,589,940**	708,647,874
अन्य आय –नेट	3	**5,211,006**	2,775,466
शुद्ध मुद्रा विनिमय क्षति		**(5,876)**	(16,269)
व्यय			
-पुनः बिक्री के लिए की गई खरीद		**(596,057,765)**	(703,280,272)
- कर्मचारी क्षतिपूर्ति	4	**(1,077,129)**	(948,844)
- मूल्यह्रास	12	**(42,697)**	(43,332)
- किराया व्यय–पट्टा प्रचालन		**(286,630)**	(280,783)
- बैंक प्रभार		**(266,571)**	(233,768)
- वित्तीय व्यय	5	**(2,749,157)**	(2,292,683)
- अन्य व्यय	6	**(2,815,425)**	(2,243,192)
कुल व्यय		**(603,295,374)**	(709,322,874)
आयकर पूर्व लाभ		**2,499,696**	2,084,197
आयकर व्यय	7	**(388,905)**	(212,078)
कर पश्चात लाभ तथा कुल समेकित (कम्प्रीहेंसिव) आय		**2,110,791**	1,872,119

संलग्न टिप्पणियाँ इन वित्तीय विवरणों का अभिन्न भाग हैं ।

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड

तुलन पत्र

31 मार्च, 2013 को

	टिप्पणी	2013 अमेरिकी डालर	2012 अमेरिकी डालर
परिसंपत्तियां			
चालू परिसंपत्तियां			
नकद एवं बैंक जमा	8	**16,361,538**	17,210,492
व्यापारिक एवं अन्य प्राप्य	9	**16,969,566**	32,191,796
अन्य चालू परिसंपत्तियां	10	**250,323**	137,766
इंवेट्रीज		**5,478**	5,478
		33,586,905	49,545,532
नॉन–करेंट परिसंपत्तियाँ			
सहायक कंपनी में निवेश	11	**–**	–
संपत्ति, संयंत्र व उपकरण	12	**20,679**	56,606
		20,679	56,606
कुल परिसंपत्तियां		**33,607,584**	49,602,138
देयताएं			
चालू देयताएं			
व्यापारिक एवं अन्य देयताएं	13	**6,165,694**	28,719,571
ऋण	14	**11,642,884**	5,444,217
चालू आयकर देयताएं	7	**350,277**	225,714
कुल देयताएं		**18,158,855**	34,389,502
निवल परिसंपत्तियां		**15,448,729**	15,212,636
इक्विटी			
शेयर पूंजी	16	**1,000,000**	1,000,000
रिटेंड लाभ		**14,448,729**	14,212,636
कुल शेयरधारक इक्विटी		**15,448,729**	15,212,636

संलग्न टिप्पणियॉं इन वित्तीय विवरणों का अभिन्न भाग हैं ।

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड

इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

31 मार्च 2013 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

	टिप्पणी	शेयर पूंजी यूएस डालर	रिटेंड लाभ यूएस डालर	योग यूएस डालर
वर्ष 2013				
वित्तीय वर्ष के आरंभ में		**1,000,000**	**14,212,636**	**15,212,636**
कुल कम्प्रीहेंसिव आय		-	2,110,791	2,110,791
लाभांश	17	-	(1,874,698)	(1,874,698)
वित्त वर्ष के अंत में		**1,000,000**	**14,448,729**	**15,448,729**
वर्ष 2012				
वित्तीय वर्ष के आरंभ में		1,000,000	17,228,792	18,228,792
कुल कम्प्रीहेंसिव आय		-	1,872,119	1,872,119
लाभांश	17	-	(4,888,275)	(4,888,275)
वित्त वर्ष के अंत में		**1,000,000**	**14,212,636**	**15,212,636**

संलग्न टिप्पणियॉं इन वित्तीय विवरणों का अभिन्न भाग हैं ।

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड

रोकड़ प्रवाह विवरण

31 मार्च 2013 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

	टिप्पणी	2013 अमेरिकी डालर	2012 अमेरिकी डालर
प्रचालन कार्यकलापों से रोकड़ प्रवाह			
कर पश्चात लाभ		**2,110,791**	1,872,118
के लिए समायोजन:			
आय कर व्यय		**388,905**	212,078
मूल्यह्रास		**42,697**	43,332
भू–संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर की बिक्री से क्षति		**-**	674
ब्याज आय		**(399,421)**	(403,746)
ब्याज व्यय		**2,749,157**	2,292,683
		4,892,129	4,017,140
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन:			
अन्य चालू परिसंपत्तियां		**15,313,763**	(1,443,279)
व्यापारिक एवं अन्य प्राप्य		**(112,557)**	(53,738)
व्यापारिक एवं अन्य देय		**(21,396,824)**	7,642,885
प्रचालन कार्यकलापों से प्राप्त/(प्रयोग की गई) शुद्ध रोकड़		**(1,303,489)**	10,163,008
प्रदत्त आयकर		**(264,342)**	(193,120)
प्रचालन कार्यकलापों से प्राप्त/ (प्रयोग की गई) शुद्ध रोकड़		**(1,567,831)**	9,969,888
निवेश कार्यकलापों से रोकड़ प्रवाह			
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों की खरीद		**(6,770)**	(9,973)
प्राप्त ब्याज		**307,888**	368,742
निवेश कार्यकलापों से प्राप्त शुद्ध रोकड़		**301,118**	358,769
वित्तीय कार्यकलापों से रोकड़ प्रवाह			
प्रदत्त लाभांश		**(3,031,751)**	(1,856,524)
प्रदत्त ब्याज		**(2,749,157)**	(2,292,683)
उधार से आमद		**11,642,884**	5,444,217
उधार की अदायगी		**(5,444,217)**	(12,382,858)
वित्तीय कार्यकलापों में उपलब्ध कराया गया/(प्रयोग किया गया) शुद्ध रोकड़		**417,759**	(11,087,848)
रोकड़ तथा बैंक शेष में शुद्ध कमी		**(848,954)**	(759,191)
वित्त वर्ष के आरंभ में रोकड़ एवं रोकड़ समकक्ष		**17,210,492**	17,969,683
वित्त वर्ष के अंत में रोकड़ एवं रोकड़ समकक्ष	8	**16,361,538**	17,210,492

संलग्न टिप्पणियॉं इन वित्तीय विवरणों का अभिन्न भाग हैं ।

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड
वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां
31 मार्च 2013 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

1. सामान्य सूचना

कंपनी सिंगापुर में निगमित तथा स्थापित है। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता हैः–

20, सेसिल स्ट्रीट रु14 – 020/03/04, इक्विटी प्लाजा, सिंगापुर – 049705

कंपनी मुख्यतः खनिजों, धातुओं, उर्वरकों, कृषि उत्पादों, कोल एवं हाइड्रोकार्बन उत्पादों, आभूषण तथा अन्य कमोडिटीज का व्यापार करती है।

2. महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

2.1 लेखे तैयार करने का आधार

वित्तीय विवरण सिंगापुर वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों ('एफआरएस') के अनुरूप तैयार किए गए हैं। वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत प्रथाओं के अंतर्गत तैयार किया गया है सिवाय ऐसे मामलों के जिनका नीचे लेखा नीतियों में उल्लेख किया गया है।

एफआरएस के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करते समय प्रबंध–तंत्र को कंपनी की लेखा नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया में अपना निर्णय लेना होता है। इसके अतिरिक्त कुछ विशेष लेखानुमानों तथा अवधारणाओं का प्रयोग भी करना होता है। प्रबंध–तंत्र ने मूल्यांकन किया है कि ऐसे किसी अनुमान अथवा निर्णय का प्रयोग नहीं किया गया है जिससे आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान परिसंपत्तियों और देयताओं की राशियों के समायोजन के कारण कोई महत्वपूर्ण जोखिम हो।

वर्ष 2012 में लागू प्रकाशित मानकों की व्याख्या व संशोधन

1 अप्रैल 2011 को कंपनी ने नया अथवा संशोधित एफआरएस अपनाया है तथा एफआरएस (''आईएनटी एफआरएस'') की व्याख्या के अनुसार इन्हें उसी दिनांक से लागू करना अनिवार्य है। कंपनी की लेखा नीतियों में यथानुसार परिवर्तन किये गये हैं जो संबंधित एफआरएस तथा आईएनटीएफआरएस प्रावधानों के अनुरूप हैं।

इन नए अथवा संशोधित एफआरएस और आईएनटी एफआरएस को अपनाने से कंपनी की लेखा नीतियों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं होता है और वर्तमान अथवा पूर्व वित्त वर्षों में रिपोर्ट की गई राशियों पर कोई विशेष प्रभाव नहीं डालते हैं।

समेकित वित्तीय विवरण तैयार नहीं किए गए हैं क्योंकि यह कंपनी, भारत में निगमित एमएमटीसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जो सार्वजनिक उपयोग हेतु समेकित वित्तीय विवरण तैयार करती है। एमएमटीसी लिमिटेड के पंजीकृत कार्यालय का पता निम्नवत हैः–

कोर – 1, स्कोप काम्पलेक्स, 7, इस्टीट्यूशनल एरिया, लोदी रोड नई दिल्ली भारत –110003

सहायक कम्पनी के लेखों का आधार नोट 2.7 में दिया गया है।

2.2 राजस्व पहचान

सामान्यतः निगम के कार्यकलापों में माल की बिक्री से प्राप्त अथवा प्राप्त होने योग्य प्रतिफल का उचित मूल्य राजस्व में शामिल है। राजस्व को माल व सेवा कर, छूट व डिस्कांउट को घटाकर दर्शाया जाता है।

राजस्व की पहचान निम्नलिखित रूप से की गई हैः

क) माल की बिक्री

माल की बिक्री से प्राप्त राजस्व की पहचान शिपमैंट शर्तों के अनुरूप उत्पादों की डिलीवरी करने के बाद की जाती है।

ख) ब्याज आय

ब्याज आय की पहचान प्रभावी ब्याज प्रणाली का प्रयोग करते हुए की जाती है।

2.3 मुद्रा परिवर्तन

इन वित्तीय विवरणों को यूएस डॉलर में प्रस्तुत किया गया हैं जो कि कंपनी के लेन देन की मुद्रा है।

युनाइटेड स्टेट्स डालर (''विदेशी मुद्रा'') के अतिरिक्त किसी अन्य मुद्रा में किए गए लेन–देन को लेन–देन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर का प्रयोग करते हुए यूएस डालर में परिवर्तित किया जाता है। इस प्रकार के लेन–देन के निपटान के लिए मुद्रा परिवर्तन के परिणामस्वरूप हुए अंतर को तथा विदेशी मुद्रा में दर्शाई गई मौद्रिक परिसम्पत्तियों एवं देयताओं को तुलन पत्र की तिथि को बंद हुई दर के अनुसार परिवर्तित करते हुए लाभ हानि खाते में दर्शाया जाता है।

2.4 बैंक शेष

व्यापार तथा अन्य प्राप्य

जमा

बैंक शेष तथा व्यापार व अन्य प्राप्यों और जमा की पहचान आरंभिक तौर पर उचित मूल्य पर की जाती है तथा इसके बाद प्रभावी ब्याज प्रणाली का इस्तेमाल करते हुए उक्त की पहचान अमोर्टाइज्ड लागत में से यदि कोई संचित हानि हो तो उसे घटाकर की जाती है।

कंपनी प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को यह निर्धारण करती है कि क्या इन वित्तीय परिसंपत्तियों में हुई कमी का कोई उपयुक्त प्रमाण है तथा उचित प्रमाण होने की स्थिति में ही इस प्रकार की हानि को मान्यता दी जाती है। देनदारों के बारे में विशेष वित्तीय कठिनाइयां यह होती हैं कि देनदार अपने को दिवालिया घोषित न कर दे तथा भुगतान में डिफाल्ट अथवा अधिक देरी न कर दे। इन सब कारकों को वित्तीय परिसंपत्तियों में हुई हानि के उपयुक्त साक्ष्यों के रूप में माना जाता है।

इन परिसंपत्तियों की कैरिंग राशि में मूल्यह्रास का जो तरीका अपनाया जाता है वह है क्षति राशि की गणना कैरिंग राशि तथा भावी कैश फलो के वर्तमान अनुमानित मूल्य की अंतर राशि निकाल कर फिर उसमें से मूल प्रभावी ब्याज दर को डिस्काउंट करके किया जाता है।

इन परिसंपत्तियों को चालू परिसंपत्तियों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है सिवाय उन परिसंपत्तियों के जो तुलन पत्र की तिथि से 12 महीनों के बाद मैच्युर हो रही हैं। इन परिसंपत्तियों को गैर चालू परिसंपत्तियों के रूप में दर्शाया जाता है।

2.5 आयकर

चालू आयकर की पहचान कर प्राधिकरणों को संभावित देय या प्राप्य राशियों के आधार पर की जाती है।

किसी लेन–देन, जो व्यापारिक संयोजन नहीं है तथा जो न तो लेखों को और न ही लेन–देन के समय करयोग्य लाभ व हानि को प्रभावित करता है, में किसी परिसंपत्ति अथवा देयता की आरंभिक पहचान के कारण देय आस्थगित आयकर के अतिरिक्त आस्थगित आयकर की पहचान सभी अस्थायी अंतर की राशियों से की जाती है।

चालू तथा आस्थगित आयकर की पहचान तुलन पत्र की तिथि को अधिनियमित अथवा बाद में अधिनियमित कर कानूनों के अधीन कर दरों पर की जाती है और आय विवरण में आय या व्यय के रूप में पहचान की जाती है। यह ऐसे व्यापार संयोजन अथवा कारोबार जिसकी पहचान सीधे इक्विटी में की जाती है को छोड़कर आने वाले कर सीमा तक की जाती है। व्यापार संयोजन से होने वाले आस्थगित कर का गुडविल अधिग्रहण करने के बावत समयोजित किया जाता है।

2.6 इन्वेंट्रीज

इंवेंट्रीज, जिसमें रीसेल के लिए रखा माल शामिल होता है, को न्यून लागत तथा नेट प्राप्त होने योग्य मूल्य पर दर्शाया जाता है। लागत का निर्धारण विशिष्ट पहचान विधि के अनुसार किया जाता है। नेट वसूली योग्य मूल्य वह अनुमानित बिक्री मूल्य होता है जिसे सामान्यतः बिजनेस के दौरान माना जाता है तथा इस अनुमानित बिक्री मूल्य में से परिवर्तनीय बिक्री खर्चो को घटाया जाता है।

2.7 सहायक कंपनी में निवेश

सहायक कंपनियां ऐसी संस्थाएं हैं जिनकी वित्तीय एवं प्रचालन नीतियों का संचालन करने की शक्ति मूल कंपनी के पास होती है जिससे गतिविधियों से प्राप्त लाभ मिले तथा सहायक कंपनी की शेयरहोल्डिंग में मूल कंपनी के पास सामान्यतः आधे से ज्यादा का वोटिंग अधिकार होते हैं। अंतःनिहित वोटिंग अधिकारों की शक्ति एवं प्रभाव वे होते हैं जिनका वर्तमान में प्रयोग किया जा सके अथवा जो कन्वर्टिबल हो जिनका मूल्यांकन इस उद्देश्य से किया जाता है कि क्या कंपनी का किसी अन्य संस्था पर नियंत्रण है।

सहायक कम्पनी में निवेश को लागत में से संचित मूल्यह्रास को घटाकर कम्पनी के तुलन पत्र में दर्शाया जाता है। यदि हानि होने के संकेत हों तो निवेश की कैरिंग राशि का मूल्यांकन करके तुरंत इसे वसूली योग्य राशि में दर्ज कर दिया जाता है।

जब किसी निवेश का निपटान किया जाता है तो निपटान से प्राप्त निवल निपटान राशि तथा निवेश की कैरिंग राशि में अंतर को आय विवरण में ले लिया जाता है।

2.8 संपत्ति, प्लांट तथा उपकरण

संपत्ति, प्लांट तथा उपकरण की आरंभिक पहचान लागत के आधार पर की जाती है तथा इसके बाद कैरिंग कॉस्ट तथा संचित मूल्यह्रास व संचित हानि को घटाकर की जाती है।

संपत्ति, प्लांट तथा उपकरण से संबंधित बाद के खर्च जिसकी पहले ही पहचान कर ली गई है को परिसंपत्ति की कैरिंग राशि में केवल तब ही जोड़ा जाता है जब तक यह

संभावना हो कि आइटम से जुड़े भावी आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे तथा आइटम की लागत की गणना विश्वसनीय तौर पर की जाती है।

संपत्ति, प्लाट तथा उपकरण के मूल्यह्रास की गणना स्ट्रेट लाइन पद्धति के आधार पर की जाती है ताकि संपत्ति, प्लांट व उपकरण की लागत को उसके उपयोग के संभावित 3 वर्षों के अंदर राइट आफ किया जा सके।

संपत्ति, प्लांट तथा उपकरण के शेष मूल्य तथा उपयोग अवधि तरीके के अनुसार उपयुक्त समायोजन द्वारा प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख को की जाती है। जब परिवर्तन आता है तो किसी संशोधन के प्रभाव को लाभ अथवा हानि के रूप में पहचान की जाती है।

संपत्ति, प्लांट व उपकरण के आइटम की बिक्री करने पर नेट बिक्री राशि तथा आइटम की कैरिंग राशि की अंतर राशि को लाभ अथवा हानि के रूप में दर्शाया जाता है।

2.9 गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों में हानि

संपत्ति, प्लांट तथा उपकरण और सहायक कंपनियों में निवेश में हानि की समीक्षा उस स्थिति में की जाती है जब यदि ऐसा कोई संकेत हो कि इन परिसंपत्तियों में हानि हो सकती है।

यदि परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि इसकी कैरिंग राशि से कम आंकी जाती है तो परिसंपत्ति की कैरिंग राशि को घटाकर इसकी वसूली योग्य राशि तक लाया जाता है। कैरिंग राशि तथा प्राप्ति योग्य राशि में अंतर की हानि को लाभ अथवा हानि के रूप में दर्शाया जाता है।

किसी परिसंपत्ति की हानि को केवल उस स्थिति में रिवर्स किया जाता है यदि पिछले समय निर्धारित की गई हानि के समय से पसिंपत्ति की वसूली योग्य राशि का निर्धारण करने के लिए आकलन में परिवर्तन किया गया हो । परिसंपत्ति की कैरिंग राशि को इसकी संशोधित वसूली योग्य राशि तक बढ़ाया जाता है बशर्ते कि यह राशि कैरिंग राशि से अधिक न हो। यदि गत वर्षों में परिसंपत्तियों में किसी हानि का निर्धारण नहीं किया गया है उस स्थिति में कैरिंग राशि का (संचित मूल्यह्रास को घटाकर) निर्धारण किया जाता है। परिसंपत्ति में हुई हानि का रिर्वसल लाभ अथवा हानि में दर्शाया जाता है।

2.10 व्यापार तथा अन्य देय

व्यापार तथा अन्य देयों की प्रारंभिक गणना उचित मूल्य पर की जाती है तथा इसके बाद प्रभावी ब्याज प्रणाली का प्रयोग करते हुए अमोर्टाइज्ड लागत पर गणना की जाती है।

2.11 प्रचालन पट्टा भुगतान

प्रचालन पट्टे (पट्टाकर्ता से प्राप्त प्रोत्साहन का समायोजन कर) के अंतर्गत जो भुगतान किया जाता है उसे स्ट्रेट–लाइन के आधार पर पट्टे की अवधि तक लाभ अथवा हानि में लिया जाता है।

2.12 कर्मचारी मुआवजा

(क) परिभाषित अंशदान योजनाएं

परिभाषित अंशदान योजनाओं में कंपनी के अंशदान को उनके देय होने पर कर्मचारी मुआवजा खर्च के रूप में दर्शाया जाता है जब तक परिसंपत्ति के रूप में उनका पूंजीकरण नहीं किया जा सकता।

(ख कर्मचारी छुट्टी पात्रता

कर्मचारी की वार्षिक छुट्टी की पात्रता की पहचान कार्मिकों द्वारा इसे अर्जित कर लेने पर की जाती है। तुलन–पत्र की तारीख को कार्मिक द्वारा की गई सेवा के परिणामस्वरूप जो वार्षिक छुट्टी अर्जित की जाती है उसके लिए अनुमानित देयता का प्रावधान किया जाता है।

2.13 रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य

रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य में बैंक तथा कंपनी के पास उपलब्ध रोकड़, वित्तीय संस्थानों के पास सावधि जमा तथा बैंक ओवरड्राफ्ट शामिल हैं। तुलन पत्र में बैंक ओवरड्राफ्ट को चालू देयताओं के रूप में दर्शाया जाता है।

2.14 उधार लागत :

उधार लागत की पहचान प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करते हुए लाभ अथवा हानि के रूप में की जाती है।

2.15 वित्तीय परिसंपत्तियों व देयताओं का उचित मूल्य अनुमान:

परिशोधित लागत पर चालू वित्तीय परिसंपत्तियों तथा देयताओं का उचित मूल्य उनके कैरिंग राशि के लगभग होता है।

2.16 उधार

उधार की पहचान प्रारंभ में उचित मूल्य(लेन–देन लागत समायोजन के बाद) पर की जाती है और बाद में परिशोधित लागत पर की जाती है। यदि लेनदेन से प्राप्त राशि (लेनदेन लागत का समायोजन करके) तथा उनके रिडेमशन मूल्य में कोई अंतर रहता है तो इस उधार अवधि के लिए प्रभावी ब्याज प्रणाली का प्रयोग करते हुए उसे लाभ व हानि विवरण में दर्शाया जाता है।

2.17 लाभांश

कंपनी के शेयरहोल्डर को दिए जाने वाले लाभांश की पहचान उस समय की जाती है जब लाभांश को भुगतान के लिए अनुमोदित किया जाता है

3. अन्य आय–निवल

	2013 अमेरिकी डालर	2012 अमेरिकी डालर
ब्याज आय		
- अल्प–अवधि बैंक जमा	**399,421**	403,746
- ग्राहक	**2,502,946**	431,692
	2,902,367	835,438
विविध आय	**77,732**	38,914
डेमरेज एवं डिस्पैच	**2,230,907**	1,901,114
	5,211,006	2,775,466

4. कार्मिक मुआवजा

	2013 यूएस डालर	2012 यूएस डालर
वेतन तथा भत्ते	**839,904**	724,639
परिभाषित अंशदायी योजनाएं जैसे केन्द्रीय भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान	**72,219**	67,203
अन्य लाभ	**165,006**	157,002
	1,077,129	948,844

अन्य लाभों में कर्मचारियों को प्रदान किये गये आवासीय परिसर के लिए किराया व्यय राशि शामिल है, जिसकी राशि यूएस डालर 102314 (2012 यूएस डॉलर 91,364)

5. वित्त व्यय

	2013 यूएस डालर	2012 यूएस डालर
ब्याज व्यय:		
- ट्रस्ट प्राप्तियां तथा बीजक वित्त प्रबंध	**171,386**	206,446
- डिस्काउंट किये गये बिल	**2,577,771**	2,086,237
	2,749,157	2,292,683

6. अन्य आय

	2013 यूएस डालर	2012 यूएस डालर
डेमरेज व डिस्पैच	**2,491,891**	1,930,425
अन्य व्यय	**323,534**	312,767
	2,815,425	2,243,192

7. आयकर

(क) आयकर व्यय

	2013 यूएस डालर	2012 यूएस डालर
लाभ पर देय कर व्यय का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है:		
वर्तमान आयकर	**238,907**	225,714
पूर्व वित्तीय वर्षों में किए गए कम/(अधिक)प्रावधान चालू आयकर	**149,998**	(13,636)
	388,905	212,078

दिनांक 1 अप्रैल 2000 से कम्पनी को ग्लोबल ट्रेडर प्रोग्राम ("जीटीपी") का गौरव (स्टेट्स) प्राप्त था जिसे आगे 1 अप्रैल 2010 से बढ़ाकर 31 मार्च 2015 तक नवीकरण कर दिया गया। जीटीपी स्टेट्स से प्राप्त आय पर 10 प्र की रियायत दर से कर लगाया जाता है। इसके अंतर्गत न आने वाली आय पर 17 प्र (2012:17 प्र) की मानक दर पर कर लगाया जाता है। वित्तीय वर्ष के लाभ पर आयकर व्यय, कर–पूर्व लाभ पर सिंगापुर स्टेंडर्ड आयकर की दर से निर्धारित आयकर से भिन्न रहता है। इसके निम्नलिखित कारण हैं :

	2013 यूएस डालर	2012 यूएस डालर
आयकर पूर्व लाभ	**2,499,696**	2,084,197
17 प्र की दर से निर्धारित किया गया कर (2012:17 प्र)	**424,948**	354,313
उसका प्रभाव:		
सिंगापुर कानून से आय छूट में वृद्धि	**(20,874)**	(19,433)
निम्न कर दर के अधीन आय	**(146,948)**	(109,143)
कर के लिए न घटाने योग्य व्यय	**17,622**	11,824
कर मुक्त आय	**(35,841)**	(11,847)
	238,907	225,714

(b) चालू आयकर देयताओं में उतार चढ़ाव

	2013 यूएस डालर	2012 यूएस डालर
वित्तीय वर्ष के आरंभ में	**225,714**	206,756
प्रदत्त आयकर	**(264,342)**	(193,120)
चालू वित्तीय वर्ष के लिए लाभ पर देय कर	**238,907**	225,714
पूर्व वित्तीय वर्षों में किए गए कम/(अधिक) प्रावधान	**149,998**	(13,636)
वित्त वर्ष के अंत में	**350,277**	225,714

8. रोकड़ एवं बैंक जमा

	2013 US$	2012 US$
रोकड़ और बैंक शेष	**204,584**	198,262
बैंकों में सावधि जमा	**16,156,954**	17,012,230
	16,361,538	17,210,492

रोकड़ एवं बैंक जमा निम्नलिखित मुद्रा में वगीकृत किये जाते हैं::

	2013 US$	2012 US$
अमेरिकी डालर	**16,339,441**	17,168,865
सिंगापुर डालर	**22,097**	41,627
	16,361,538	17,210,492

तुलनपत्र की तिथि को सावधि जमा पर ब्याज दर 0.35 प्र से 3.20 प्र (2012: 0.55 प्र से 3.26 प्र) वार्षिक है जिनकी मैच्युटी तारीखें 0.5 महीने से 12 महीने (2012: 0.5 महीने से 11 महीने) है।

9. व्यापार एवं अन्य प्राप्य

	2013 US$	2012 US$
व्यापारिक प्राप्य:		
- थर्ड पार्टी	**703,605**	11,772,701
- होल्डिंग कारपोरेशन (नोट 15)	**16,061,667**	20,308,512
प्राप्य ब्याज	**195,186**	103,653
अन्य प्राप्य	**9,108**	6,930
	16,969,566	32,191,796

व्यापार एवं अन्य प्राप्यों के लिए निम्नलिखित मुद्राओं में मूल्यांकन किया गया है :

	2013 US$	2012 US$
अमेरिकी डालर	**16,960,458**	32,184,866
सिंगापुर डालर	**9,108**	6,930
	16,969,566	32,191,796

10. अन्य चालू परिसंपत्तियां

	2013 US$	2012 US$
जमा	**100,000**	98,048
पूर्व भुगतान	**150,323**	39,718
	250,323	137,766

जमाओं का मूल्यांकन मुख्यतः सिंगापुर डालर में किया जाता है।

11. सहायक कंपनी में निवेश

	2013 US$	2012 US$
उद्धृत न किये गये इक्विटी शेयर, लागत पर	**7,632**	7,632
घटाऐं :– मूल्य में कमी के लिए अनुमति	**(7,632)**	(7,632)
	–	–

सहायक कंपनी का ब्यौरा इस प्रकार है :

सहायक कंपनी का नाम	प्रमुख कार्यकलाप	कंपनी के निगमन तथा व्यापार का देश	शेयरधारिता	
			2013	2012
			%	%
प्रप्रएमएमटीसी ट्रांसनेशनल(मास्को) पीटीई लिमिटेड	निष्क्रिय	रूस	**100**	100

12. संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

	लीजहोल्ड सुधार अमेरिकी डालर	फर्नीचर तथा फिटिंग्स अमेरिकी डालर	कम्प्यूटर उपकरण अमेरिकी डालर	कार्यालय उपकरण अमेरिकी डालर	कुल अमेरिकी डालर
2013					
लागत					
वित्त वर्ष के आरंभ में	71,910	39,657	39,644	21,503	172,714
परिवर्धन	-	880	5,890	-	6770
वित्त वर्ष के अंत में	71,910	40,537	45,534	21,503	179,484
संचित मूल्यह्रास					
वित्त वर्ष के आरंभ में	35,952	32,781	30,571	16,804	116,108
मूल्यह्रास प्रभार	23,968	7,169	8,884	2,676	42,697
वित्त वर्ष के अंत में	59,920	39,950	39,455	19,480	158,805
निवल बुक वैल्यू					
वित्त वर्ष के अंत में	**11,990**	**587**	**6,079**	**2,023**	**20,679**
2012					
लागत					
वित्त वर्ष के आरंभ में	71,910	39,657	35,006	19,700	166,273
परिवर्धन	-	-	6,450	3,523	9,973
निपटान	-	-	(1,812)	(1,720)	(3,532)
वित्त वर्ष के अंत में	71,910	39,657	39,644	21,503	172,714
संचित मूल्यह्रास					
वित्त वर्ष के आरंभ में	11,984	25,269	23,843	14,538	75,634
मूल्यह्रास प्रभार	23,968	7,512	8,540	3,313	43,332
निपटान	-	-	(1,812)	(1,046)	(2,858)
वित्त वर्ष के अंत में	35,952	32,781	30,571	16,804	116,108
नेट बुक वैल्यू					
वित्तीय वर्ष के अंत में	**35,958**	**6,876**	**9,073**	**4,699**	**56,606**

13. व्यापार एवं अन्य देय

	2013 अमेरिकी डालर	2012 अमेरिकी डालर
व्यापारिक देय:		
- थर्ड पार्टी	**3,895,986**	25,296,465
- होल्डिंग कारपोरेशन	**156,229**	249,985
अक्रूड प्रचालन व्यय	**238,781**	141,370
देय लाभांश	**1,874,698**	3,031,751
	6,165,694	28,719,571

व्यापार एवं अन्य देय राशियों के लिए निम्नलिखित मुद्राओं में मूल्यांकन किया गया है :–

	2013 अमेरिकी डालर	2012 अमेरिकी डालर
अमेरिकी डालर	**5,543,185**	28,538,332
सिंगापुर डालर	**590,076**	158,668
अन्य	**32,433**	22,571
	6,165,694	28,719,571

14. उधार

	2013 यूएस डालर	2012 यूएस डालर
अल्पावधि ऋण	**11,642,884**	5,444,217

उधार की औसत परिपक्वता तुलन पत्र की तिथि से 21 दिन (2012–27 दिन) है।

तुलन–पत्र की तिथि को उधार की ब्याज दर 1.10 प्र (2012–1.09प्र) है।

15. इमीडिएट तथा अल्टीमेट होल्डिंग कारपोरेशन

कंपनी की इमीडिएट तथा अल्टीमेट होल्डिंग कारपोरेशन एमएमटीसी लिमिटेड है, जो भारत में निगमित है।

16. शेयर पूंजी

कंपनी की शेयर पूंजी में पूर्णप्रदत्त, 1,461,502 (2011:1,461,502) साधारण शेयर, जिसकी राशि अमेरिकी डालर 1,000,000(2011: अमेरिकी डालर 1,000,000) है।.

17. लाभांश

	2013 अमेरिकी डालर	2012 अमेरिकीडालर
प्रदत्त/देय साधारण लाभांश		
विगत वित्तीय वर्ष के लिए शून्य अमेरिकी डालर (2012–1.27 अमेरिकी डालर) लाभांश पर प्रति शेयर दी गई अंतरिम छूट (एक टियर)-		1,856,524
चालू वित्तीय वर्ष के लिए 1.28 अमेरिकी डालर (2012–2.07 अमेरिकी डालर) लाभांश पर प्रति शेयर दी गई अंतरिम छूट	**1,874,698**	3,031,751
	1,874,698	4,888,275

18. वचनबद्धताएं

(क) क्रय व विक्रय वचनबद्धताएं

तुलनपत्र की तिथि को माल के क्रय तथा विक्रय संबंधी संविदाओं के अधीन जिन बकाया वचनबद्धताओं को वित्तीय विवरणों में शामिल नहीं किया गया है, उनका विवरण नीचे दिया गया है

	2013 US$	2012 US$
क्रय वचनबद्धता	**12,267,004**	27,503,948
विक्रय वचनबद्धता	**12,270,504**	27,515,948

(ख)आपरेटिंग लीज़ वचनबद्धता

कंपनी निरस्त न करने योग्य आपरेटिंग लीज़ करार के अंतर्गत आवासीय एवं कार्यालय परिसर लीज पर लेती है। लीज में भिन्न–भिन्न शर्तें एवं नवीकरण के अधिकार होते हैं।

तुलन पत्र की तिथि को निरस्त न करने योग्य प्रचालन लीज के अंतर्गत भविष्य का न्यूनतम लीज भुगतान जिसे देयता नहीं माना गया है, निम्नलिखित रूप से होगा :–

	2013 US$	2012 US$
एक वर्ष तक	**391,769**	342,196
एक वर्ष से ऊपर परंतु 5 वर्ष से अधिक नहीं	**85,081**	308,045
	476,850	650,241

19. संबंधित पार्टियों के साथ लेन–देन

वित्तीय विवरणों में अन्यत्र दी गई सूचना के अतिरिक्त कंपनी और संबंधित पार्टियों के बीच वित्तीय वर्ष के दौरान सहमत शर्तों पर निम्नलिखित संबंधित पार्टियों से लेन–देन किए गए :–

(क) माल एवं सेवाओं की बिक्री एवं खरीद

	2013 US$	2012 US$
होल्डिंग कारपोरेशन को बिक्री	**373,522,408**	451,694,916
होल्डिंग कारपोरेशन से खरीद	**24,390,774**	108,073,286

(ख) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक मुआवजे निम्नानुसार हैं :

	2013 US$	2012 US$
वेतन एवं अन्य अल्पावधि कर्मचारी लाभ	**356,843**	309,672
नियुक्ति के बाद लाभ - परिभाषित अंशदायी योजनाओं में अंशदान	**9,923**	4,467
	366,766	314,139

दर्शाई गई उपरोक्त राशि वित्तीय वर्ष के दौरान निदेशकों को भुगतान की गई राशि है।

20. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

वित्तीय जोखिम कारक

कंपनी के कार्यकलापों को बाजार जोखिम (मुद्रा जोखिम, ब्याज दर जोखिम तथा मूल्य जोखिम सहित), क्रेडिट जोखिम तथा लिक्विडिटी जोखिम का खतरा बना रहता है। कंपनी का कुल जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम वित्तीय बाजार की अनिश्चितता पर केन्द्रित रहता है ताकि कंपनी के वित्तीय निष्पादन पर कम से कम प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत नीतियों के अंतर्गत जोखिम प्रबंधन को कार्यान्वित किया जाता है। निदेशक मंडल और होल्डिंग निगम संपूर्ण जोखिम प्रबंधन के साथ–साथ विशिष्ट क्षेत्रों की नीतियों के बारे में भी दिशानिर्देश देते हैं।

(क) बाजार जोखिम

(i) विदेशी मुद्रा विनिमय दर जोखिम

कंपनी को विदेशी मुद्रा विनिमय दर जोखिम से किसी प्रकार का खतरा नहीं है क्योंकि मुख्य व्यापारिक लेन–देन विदेशी मुद्रा में नहीं किया जाता है।

(ii) ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम मुख्य रूप से आयात व निर्यात के वित्त पोषण के अंतर्गत लघुकालीन ऋणों के संबंध में होता है। कंपनी बाजार ब्याज दरों को ध्यानपूर्वक मॉनीटर करती है ताकि अनुकूल ब्याज अर्जन सुनिश्चित किया जा सके। तुलनपत्र की तिथि को कंपनी को ब्याज दर जोखिम न्यूनतम है।

(iii) मूल्य जोखिम

कंपनी का वस्तु मूल्य जोखिम नगण्य है क्योंकि इसके पास

कोई महत्वपूर्ण वस्तु वित्तीय इन्स्ट्रयूमेंट नहीं है।

(ख) उधार जोखिम

बैंक जमा राशियां न ही पूर्व से देय हैं और न ही उनमें कमी आई है बल्कि मुख्यतः ऐसी जमा राशिंयां हैं जो बैंकों के पास हैं तथा उनकी क्रेडिट रेटिंग्स उच्चतर होती हैं चूंकि इसका निर्धारण इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा किया जाता है।

कंपनी का उधार जोखिम पर होल्डिंग कारपोरेशन से बकाया राशि को छोड़कर जिसका कंपनी के साथ निरंतर अच्छा रिकार्ड रहता है। कोई महत्वपूर्ण बल नहीं रहता है। कंपनी की नीतियॉ इस प्रकार की हैं कि वे ये सुनिश्चित करें कि माल की बिक्री उन ग्राहकों को ही की जाये जो आर्थिक रूप से सुदृढ हों तथा उनका उपयुक्त क्रेडिट इतिहास हो। तुलनपत्र की तारीख को ऐसी कोई संपत्तियां नहीं हैं जो पूर्व से देय हों अथवा उनमें कोई क्षति हुई हो।

(ग) द्रव्यता जोखिम

कंपनी नकदी तथा उपलब्ध फंडिंग के द्वारा द्रव्यता जोखिम का प्रबंध करती हैं जिसके लिए पर्याप्त धन राशि क्रेडिट सुविधा के लिए रखी जाती है जो परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होती है।

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देयताओं में व्यापार तथा अन्य देय एवं उधार और उनकी संविदात्मक परिपक्वताएं एक वर्ष से कम हैं।

(घ) पूंजीगत जोखिम

पूंजी का प्रबंधन करते समय कंपनी का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि कंपनी के पास उसकी पर्याप्त पूंजी उपलब्ध हो तथा आवश्यकतानुसार अतिरिक्त इक्विटी कैश एवं डेट इंस्ट्रयूमेंट्स जारी करके अधिकतम कैपिटल स्ट्रक्चर कायम रखा जा सके।

जैसाकि तुलनपत्र में दर्शाया गया है कंपनी शेयरहोल्डर की कुल इक्विटी के आधार पर पूंजी को मानीटर करती है।

कंपनी को किसी प्रकार की बाहरी पूंजी की आवश्यकता नहीं है।

21. नए अथवा संशोधित लेखा मानक और व्याख्या

दिनांक 1 अप्रैल 2013 से आरंभ कंपनी की लेखा अवधि के लिए कंपनी ने अनिवार्य नए लेखा मानकों, संशोधनों व व्याख्याओं को प्रकाशित किया है। कंपनी के अनुमान के अनुसार इन लेखा मानकों, संशोधनों अथवा व्याख्याओं को अपनाने से कंपनी के वित्तीय परिणाम विवरणों पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा।

22. वित्तीय विवरणों का अथोराइजेशन

दिनांक 13 जुलाई 2013 को एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड निदेशक मंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुरूप इन वित्तीय विवरणों को जारी किए जाने के लिए प्राधिकृत किया गया था।

एमएमटीसी लिमिटेड
MMTC LIMITED
भारत सरकार का उपक्रम
A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE
touching lives, adding value

समेकित वित्तीय विवरण 2012–2013

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

एमएमटीसी सदस्यगण

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए एमएमटीसी लिमिटेड ;कंपनीद्ध के संलग्न तुलन–पत्र तथा उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लाभ व हानि लेखे एवं नगदी प्रवाह विवरण की तथा महत्वपूर्ण लेखा नीतियों व अन्य विवरणात्मक सूचना का सारांश देते हुए लेखा परीक्षा की है, जिसमें हमारे द्वारा आडिटिड कारपोरेट कार्यालय, माइका प्रभाग, झण्डेवालान क्षेत्रीय कार्यालय तथा झण्डेवालान क्षेत्रीय कार्यालयके अधीन उप क्षेत्रीय कार्यालयों के लेखे शामिल हैं जबकि अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों तथा उप क्षेत्रीय कार्यालयों की लेखा परीक्षा अन्य लेखा परीक्षों द्वारा की गई हैं ।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंध–तंत्र का दायित्व

प्रबंध तंत्र इन वित्तीय विवरणों को जो कि वित्तीय तिथि को, कंपनी की वित्तीय परफारमेंस तथा कैश फ्लो को कंपनी अधिनियम 1956 (एक्ट) की धारा 211 (3 सी) में दिए गए अकाउंटिक स्टैंडर्ड तथा भारत के सामन्यतः स्वीकृत लेखा नीतियों के अनुसार सही–सही तथा वास्तविक रूप में दर्शाते हैं, तैयार करने के लिए उत्तरदायी हैं। प्रबंध तंत्र के इस दायित्व में वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए व पाए गए डिजाइन, वित्तीय विवरणों को तैयार करने तथा प्रस्तुत करने के लिए आंतरिक नियंत्रण को लागू करना तथा बनाए रखना जो कि वित्तीय विवरणों सही व वास्तविक रूप में प्रस्तुत करते हुए कपटपूर्ण अथवा गलती से दी गई किसी भी आवांछित सामग्री से दूर रखना है, शामिल है !

लेखा परीक्षक का दायित्व

हमारा दायित्व है कि हम अपने द्वारा किए गए आडिटि के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर विचार व्यक्त करें ! हमने अपना आडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंस्टीच्यूट ऑफ इंडिया द्वारा जारी मानक के अनुसार किया है । इन मानकों की यह आवश्यकता है कि हम नीतिपरक आवश्यकताओं को पूरा करते हुए योजना बनाकर आडिट का काम पूरा करें जिससे कि हम वित्तीय विवरणों में किसी भी प्रकार के असंगत विवरण का न होने का यथोचित आश्वासन दे सकें ।

आडिट की मुख्य भूमिका वित्तीय विवरणों में राशि तथा डिस्क्लोजर के बारे में आडिट साक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक प्रक्रियाओं का पालन करना है । अपनाई गई प्रक्रियाओं का चयन आडिटरों के विवेक से जिसमें कपटपूर्वक अथवा गलती से वित्तीय विवरणों में मैटीरियल मिसस्टेटमेंट के जोखिम का मूल्यांकन भी शामिल है, के आधार पर किया जाता है। इस प्रकार के जोखिमों के मूल्यांकन में आडिट कंपनी द्वारा वित्तीय विवरणों को तैयार कर उसे सही सही प्रस्तुत करने के लिए बनाए गए आंतरिक नियंत्रण को ध्यान में रखकर, परिस्थिति अनुसार आडिट प्रक्रिया को डिजाइन करते हैं जिसमें आडिटरों का उद्देश्य कंपनी के आंतरिक नियंत्राण के प्रभावशाली होने पर मत देना बिल्कुल नहीं होता। आडिट का उद्देश्य प्रयोग की गई आडिट नीतियों की उपयुक्तता तथा प्रबंधतंत्र द्वारा बनाए गए अकाउंटिंग आंकलन की सार्थकता का मूल्यांकन करते हुए वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतिकरण का समग्र मूल्यांकन होता है ।

हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा लिए गए आडिट साक्ष्य हमारे सीमित आडिट मत के आधार के लिए पर्याप्त तथा उपयुक्त है!

सीमित मत का आधार मुख्य रिपोर्ट के अनुलग्नक के अनुच्छेद (iv) में उल्लिखित आंतरिक नियंत्राण व्यवस्था में अपर्याप्ताओं के बारे में, जो कि वर्ष के लेखों पर अनुवर्ती प्रभाव डाल सकते हैं, हमारी टिप्पणी है (प्रभाव सुनिश्चित नहीं किया जा सकता)

सीमित मत

हमारे विचार से, हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, समिति मत आधार के अनुच्छेद में उल्लिखित मामले के प्रभाव के अतिरिक्त, उपर्युक्त वित्तीय विवरणों में अधिनियम के तहत आवश्यक तथा अपेक्षित ढंग से सूचना दी गई है जो कि भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा नीतियों के अनुसार एक वास्तविक तथा सही अवलोकन प्रस्तुत करती है।

अ बैलेंस शीट के मामले में कंपनी के क्रियाकलाप दिनांक 31 मार्च, 2013 तक हैं :–

ब लाभ तथा हानि के विवरण के लिए कंपनी को हुई हानि उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए है तथा

स कैश–फ्लो–स्टेटमैंट के लिए उस तिथि के लिए उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी का कैश–फ्लो लिया गया है

विषय का महत्व

ए यह देखने में आया है कि हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय में पार्टी/ग्रुप द्वारा देय वास्तविक सकल देनदारों को दबाने के लिए लेखा बहियों में जान बूझकर कई गलत/अव्याखित प्रविष्टियां की गई हैं। इसके लिए प्रबंधतंत्र ने वसूल की जाने वाली वास्तविक राशि को जानने के लिए का विशेष लेखा परीक्षक को निर्देश दिया है । इस रिपोर्ट के आधार पर भारतीय रू0 2288.20 मिलियन पीवीआईएनआर निल मिलियन का उक्त संडरी डेब्टर से गैर वसूली खाते में प्रोविजन किया गया है । कृपया नोट 17 (ii) का संदर्भ लें!

ब विशेष लेखा परीक्षक की अंतिम रिपोर्ट आ जाने के उपरांत भारतीय रू0 155.44 मिलियिन पी वा आई एन आर 1002.50 मिलियन क्षेत्रीय कार्यालय चेन्नई में देनदारों से वसूली के संबंध में हुई भूल चूक के लिए प्रोविजन किया गया है कृपया नोट17 (i) का संदर्भ लें ।

स कई मामलों में संडरी डेब्टर्स/वसूले जाने वाले दावे ऋण व अग्रिम /संडरी क्रेडिटर्स/अन्य देयताओं की पुष्टि नहीं हो पाई है तथा ऐसी पुष्टि हो जाने पर मिलान/एडजस्टमेंट, यदि कुछ है तो, का निर्धारण किया जा सकता है ।

द पैकेज में दिक्कत के चलते आर एम एस सॉफ्टवेयर सांची आइटमों की सही इंवेंटरी नहीं बता पा रही है । सांची इंवेंटरी को हाथ से लिख कर रिकार्ड में नहीं रखा गया है ।

ध नॉन प्रोविजन ऑफ लाइबल्टी, यदि है तो, समय सीमा बढाने पर /वेवर/जीआर–1 फार्म के बट्टे खाते में डालने पर (कृपया नोट सं0 23 का संदर्भ लें)

अन्य कानूनी तथा वैधानिक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. जैसा कि केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 277 (4ए) की शर्तों में जारी (लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश 2013 के अनुसार आवश्यक है, हम आदेश के पैराग्राफ 4 तथा 5 में विनिर्दिष्ट स्टेटमैंट ऑफ मैटर्स को अनुलग्नक द्वारा दर्शा रहे हैं ।

2. जैसा कि अधिनियम की धारा 227 (3) के अनुसार आवश्यक है, हम रिपोर्ट करते हैं कि :

ए हमारे विवेक तथा विश्वास के अनुसार आवश्यक सभी सूचना तथा स्पष्टीकरण हमें लेखा परीक्षा के लिए उपलब्ध किए गए।

बी क्वालिफाइड आपीनियन अनुच्छेद के तत्वों में वर्णित इफैक्टस ऑफ द मैटर को छोडकर कंपनी हमारे विचार से वैधानिक आवश्यकतानुसार, जहां तक हमारी जांच द्वारा पाया गया है, सही सही बुक आफ अकाउंट्स रखती है तथा उन शाखाओं से जहां हम नहीं जा पाए पर्याप्त रिटर्न, जो कि लेखा परीक्षा के लिए आश्यक है, हमें प्राप्त हुए हैं ।

सी इस रिपोर्ट मे विश्लेषित बैलेंस शीट लाभ तथा हानि की स्टेटमैंट तथा कैश–फ्लो स्टेटमैंट बुक आफ अकाउंट्स से मेल खाती है ।

डी क्वालिफाइड ओपिनियन अनुच्छेद के तत्वों में वर्णित इफैक्ट्स ऑफ द मैटर्स हमारे विचार से बैलेंस शीट, लाभ तथा हानि की स्टेटमेंट तथा कैश–फ्लो स्टेमेंट अधिनियम के अनुच्छेद 211 (3 सी) उल्लिखित अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अनुसार है।

ई निदेशकों से दिनांक 31 मार्च 2013 के लिए प्राप्त लिखित निवेदन के अनुसार, जो कि निदेशक मण्डल द्वारा रिकार्ड में लिया गया है, कोई भी निदेशक अधिनियम की धारा 274(1) (जी) की शर्तों में दिनांक 31 मार्च, 2013 को निदेशक नियुक्त किए जाने के लिए आयोग्य नहीं है ।

कृते **जैन कपिला एसोसिएट**
चार्टड अकाउंटेंट्स
फर्म रजिस्ट्रेशन नं0 000287एन

डी के कपिला
पार्टनर
सदस्यता सं0 016905

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30 मई, 2013,

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए तुलन पत्र

(रुपये मिलियन में)

	अनुसूची सं.	31-03-2013		31-03-2012	
इक्विटी व देयताएं					
शेयर धारकों की निधियां	3				
शेयर पूंजी	3.1	**1,000.00**		1,000.00	
रिजर्व एवं अधिषेश	3.2	**13,919.90**	**14,919.90**	15,964.81	16,964.81
गैर चालू देयताएं	4				
दीर्घ कालिक ऋण	4.1	**968.91**		992.14	
अन्य दीर्घ अवधि देयताएं	4.2	**301.82**		105.94	
दीर्घ अवधि प्रावधान	4.3	**1,705.40**	**2,976.13**	1,374.43	2,472.51
चालू देयताएं	5				
अल्प अवधि ऋण	5.1	**15,825.41**		34,589.72	
व्यापारिक देय	5.2	**24,573.94**		33,487.62	
अन्य चालू देयताएं	5.3	**9,343.28**		18,541.60	
अल्प अवधि प्रावधान	5.4	**1,333.95**	**51,076.58**	2,295.61	88,914.55
योग :		**68,972.61**		**108,351.87**	
परिसंपत्तियां					
गैर चालू परिसंपत्तियां	6				
मूर्त परिसंपत्तियां	6.1				
अमूर्त परिसंपत्तियां	6.1.1	**1,498.42**		1491.65	
अमूर्त परिसंपत्तियां	6.1.2	**140.77**		17.01	
पूंजीगत कार्य प्रगति पर	6.1.3	**1,257.18**		1181.09	
गैर चालू निवेश	6.2	**4,579.62**		6075.40	
आस्थगित कर परिसंपत्तियां(निवल)	6.3	**1,458.17**		713.29	
दीर्घावधि ऋण व अग्रिम	6.4	**1,100.92**		1,074.54	
अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां	6.5	**22.08**	**10,057.16**	91.84	10,644.82
चालू परिसंपत्तियां	7				
चालू निवेश	7.1	**150.87**		-	
इन्वैंट्रीज	7.2	**9,013.61**		9,502.15	
व्यापारिक प्राप्य	7.3	**19,352.31**		28,271.49	
रोकड़ व बैंक शेष	7.4	**17,055.42**		29,480.91	
अल्पावधि ऋण व अग्रिम	7.5	**11,588.07**		20,175.74	
अन्य चालू परिसंपत्तियां	7.6	**1,755.17**	**58,915.45**	10,276.76	97,707.05
योग :		**68,972.61**		**108,351.87**	
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	2				
संलग्न टिप्पणियां वित्तीय विवरण का अभिन्न अंग है।					

हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते जैन कपिला एसोसिएट्स
(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)
एफ आर सं 000287 एन

कृते निदेशक मंडल की ओर से

(सीए डी के कपिला)
पार्टनर
एम नं0 016905

(जी आनंदनारायणन)
सहायक कंपनी सचिव

(विजय पाल)
मु.म.प्र.(वि.व ले.)

(एम जी गुप्ता)
निदेशक(वित्त)

(वेद प्रकाश)
निदेशक

(डी एस ढेसी)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

दिनांक 30.05.2013
स्थान : नई दिल्ली

31 मार्च 2013 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लाभ व हानि लेखा

(रुपये मिलियन में)

	अनुसूची सं.	31.03.2013 को समाप्त वर्ष		31.03.2012 को समाप्त वर्ष	
आय					
प्रचालनों से राजस्व	8	**328,856.15**		670,224.07	
अन्य आय	9	**3,337.06**	**332,193.21**	7,079.49	677,303.56
कुल राजस्व			**332,193.21**		**677,303.56**
व्यय					
उपभोग की गई सामग्री की लागत	10	**2,677.61**		5,810.18	
स्टॉक इन ट्रेड का क्रय	11	**307,030.16**		652,429.18	
तैयार माल, प्रगतिषील कार्य तथा स्टाक इन ट्रेड की इन्वेंट्रीज में परिवर्तन	12	**242.07**		(2,943.40)	
कार्मिक लाभों पर व्यय	13	**2,137.50**		1,923.36	
वित लागत	14	**2,503.17**		5,902.56	
मूल्यह्रास तथा परिषोधन व्यय		**165.53**		144.33	
अन्य व्यय	15	**16,024.79**	**330,780.83**	12,545.69	675,811.90
कुल व्यय			**330,780.83**		**675,811.90**
विशिष्ट व असाधारण मदें व कर पूर्व लाभ			**1,412.38**		**1,491.66**
विशिष्ट मदें	16		**127.28**		(1.26)**असाधारण**
मदें व कर पूर्व लाभ			**1,285.10**		**1492.92**
असाधारण मदें	17		**2,443.64**		1,002.05
कर पूर्व लाभ			**(1,158.54)**		**490.87**
कर व्यय:					
- चालू कर					
कराधान के लिए प्रावधान		**270.22**		544.27	
पूर्व वर्षो में		**(81.94)**		(101.74)	
- आस्थगित कर		**(739.28)**		(379.47)	
संयुक्त उद्यमों में हित का भाग		**17.34**	**(533.66)**	1.38	**64.44**
अवधि के लिए लाभ			**(624.88)**		**426.43**
एसोसिएट से प्राप्त लाभ में हित का भाग					
एसोसिएट से लाभ का भाग		**(393.99)**		146.57	
घटाएं : शाख परिशोधन		**87.67**	**(481.66)**	0.03	146.54
अवधि के लिए लाभ			**(1,106.54)**		**572.97**
प्रत्येक 1 रुपया नाम मात्र मूल्य प्रति शेयर के अंकित मूल्य पर आय					
मूल (रुपये में)			**(1.11)**		**0.57**
डाइल्यूटिड (रुपये में)			**(1.11)**		**0.57**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	2				
संलग्न टिप्पणियां वित्तीय विवरण का अभिन्न अंग है।					

हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते जैन कपिला एसोसिएट्स
(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)
एफ आर सं 000287 एन

कृते निदेशक मंडल की ओर से

(सीए डी के कपिला)
पार्टनर
एम नं0 016905

(जी आनंदनारायणन)
सहायक कंपनी सचिव

(विजय पाल)
मु.म.प्र.(वि.व ले.)

(एम जी गुप्ता)
निदेशक(वित्त)

(वेद प्रकाश)
निदेषक

(डी एस ढेसी)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

दिनांक 30.05.2013
स्थान : नई दिल्ली

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष का रोकड़ प्रवाह का समेकित विवरण

(रुपये मिलियन में)

	31.03.2013 को समाप्त वर्ष		31.03.2012 को समाप्त वर्ष	
क. प्रचालन गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह				
कर व असाधरण मदों पूर्व लाभ के लिए समायोजन		**1,285.10**		**1,492.92**
असाधारण मदें	**(2,443.64)**		(1,002.05)	
इंवेंट्रीज के मूल्यांकन पर हानि	**7.39**		12.06	
मूल्यहरास व परिषोधन व्यय	**251.69**		144.80	
निवल विदेषी मुद्रा (लाभ)/हानि	**(194.14)**		(73.38)	
मूर्त परिसंपत्तियों की बिक्री पर (लाभ)/हानि	**(0.46)**		(0.06)	
ब्याज आय	**(2,954.19)**		(6,632.85)	
लाभांष लागत	**(12.75)**		-	
वित लागत	**2,503.17**		5,908.43	
बट्टे खाते में डाले गये ऋण/दावे	**0.00**		0.00	
संदिग्ध ऋण/कर्ज व अग्रिमों के लिए प्रावधान	**0.70**		1 .35	
निवेष के मूल्य में हरास	**62.53**		133.11	
निवेष संपत्ति के मूल्य में हरास	**(1.25)**		1.25	
प्रावधान जिसकी अव आवष्यकता नहीं	**(24.42)**		(14.51)	
देयताएं जिसकी अब आवष्यकता नहीं है	**(150.74)**		(295.22)	
		(2,956.11)		(1,817.07)
		(1,671.01)		**(324.15)**
परिसंपत्तियों व देयताओं में परिवर्तन				
इंवेंट्रीज	**481.15**		(2,952.52)	
व्यापारिक प्राप्य	**8,954.84**		(2,445.07)	
ऋण व अग्रिम	**8,561.29**		20,530.39	
अन्य चालू व गैर चालू परिसंपत्तियां	**8,521.59**		12,141.85	
व्यापारिक देय	**(8,719.54)**		(1,629.72)	
अन्य देयताएं	**(8,851.70)**		(37,957.99)	
प्रावधान	**120.08**	**9,067.71**	534.21	(11,778.85)
		7,396.70		(12,103.00)
प्रदत्त कर		**(586.11)**		(315.18)
प्रचालन गतिविधियों से निवल रोकड़ प्रवाह		**6,810.59**		**(12,418.18)**
ख. निवेश गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह				
मूर्त परिसंपत्तियों का क्रय	**(245.89)**		(220.46)	
मूर्त परिसंपत्तियों का विक्रय	**4.26**		0.33	
निवेषों का क्रय	**(10.83)**		2.96	
प्राप्त लाभांष	**12.75**		-	
प्राप्त किया गया ब्याज	**2,954.19**		6,632.85	
शेयरों की खरीद के लिए अग्रिम	**(219.26)**	**2,495.22**	(0.15)	6,415.53
निवेश गतिविधियों से निवल रोकड़ प्रवाह		**2,495.22**		**6,415.53**
ग. वित पोषण गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह				
लिये गये उधार	**(18,787.54)**		(26,663.33)	
वित लागत	**(2,503.17)**		(5,908.43)	
प्रदत्त लाभांष (कर सहित)	**(290.56)**	**(21,581.27)**	(290.56)	(32,862.32)
वित पोषण गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह		**(21,581.27)**		**(32,862.32)**
रोकड़ व रोकड़ समतुल्य में शुद्ध वृद्धि/कमी		**(12,275.46)**		**(38,864.97)**
रोकड़ तथा रोकड़ के समतुल्य का अंतिम शेष	**29,480.91**		**68,345.88**	
रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य का अंत शेष	**17,205.45**		**29,480.91**	

टिप्पणी :

1. जहां भी आवश्यक समझा गया, पूर्व वर्ष के आंकड़ों को पुनः समुहित किया गया है।
2. शाखा कार्यालयों से प्राप्त सूचना के आधार पर कुल अर्जित/आस्थगित राशि के लिए समायोजन कारपोरेट कार्यालय में किया गया।
3. रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य में बैंकों के पास रोकड़ एवं बैंक शेष तथा तीन माह से कम अवधि की परिपक्वता वाले अल्पावधि निवेश शामिल हैं।

	की समाप्ति पर	
	2012–13	**2011–12**
क. रोकड़ व रोकड़ समतुल्य		
(क) उपलब्ध चैक व ड्राफ्ट	**563.73**	9.12
(ख) उपलब्ध रोकड़	**0.07**	0.07
(ग) बैंकों में उपलब्ध शेष		
– चालू खाते में	**247.14**	2,493.17
– कैश क्रेडिट खाते में (डेबिट शेष)	**427.53**	174.29
– 3 माह तक की मूल परिपक्वता वाले आवधिक जमा	**2,838.40**	2,408.75
– 3 माह से कम अवधि की परिपक्वता वाले अल्पावधि निवेश	**150.03**	
ख. बैंकों के पास अन्य शेष		
– मार्जिन राशि/लीयन के अंतर्गत राशि के रूप में	**3.00**	2,392.80
– 3 माह से अधिक एवं 12 माह तक की मूल परिपक्वता वाले आवधिक जमा	**11,409.42**	21,759.13
– 12 माह से अधिक अवधि की मूल परिपक्वता वाले आवधिक जमा	**1.13**	173.62
ग. संयुक्त उद्यमों में हित का भाग	**1,565.00**	69.96
कुल	**17,205.45**	29,480.91

हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते जैन कपिला एसोसिएट्स
(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)
एफ आर सं 000287 एन

कृते निदेशक मंडल की ओर से

(सीए डी के कपिला)
पार्टनर
एम नं0 016905

(जी आनंदनारायणन)
सहायक कंपनी सचिव

(विजय पाल)
मु.म.प्र.(वि.व ले.)

(एम जी गुप्ता)
निदेशक(वित्त)

(वेद प्रकाश)
निदेषक

(डी एस ढेसी)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

दिनांक : 14.08.2013
स्थान : नई दिल्ली

31.3.2013 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की समेकित लेखा नीतियां व टिप्पणियां

ये टिप्पणियां इसका अभिन्न अंग है और संलग्न वित्तीय विवरणों के साथ पठित होनी चाहिए।

1. सामान्य सूचना

कंपनी भारत में निगमित व स्थित है और वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में एक मिनी रत्न सार्वजनिक उपक्रम है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय कोर–1, स्कोप काम्पलेक्स, 7 इंस्टीटयूशनल एरिया, लोदी रोड, नई दिल्ली – 110003 भारत में स्थित है। कंपनी के भारत में विभिन्न स्थानों पर स्थित 13 क्षेत्रीय कार्यालय है और इसकी एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड (एमटीपीएल) सिंगापुर है।

कंपनी की प्रमुख गतिविधियां खनिजों का निर्यात और बहुमूल्य धातुओं, अलौह धातुओं, उर्वरकों, कृषि उत्पादों, कोयला तथा हाईड्रोकार्बन इत्यादि का आयात करना है।

कंपनी की व्यापारिक गतिविधियां एशिया, यूरोप, अफ्रीका, मध्यपूर्व, लेटिन अमेरिका तथा उत्तरी अमेरिका के विभिन्न देशों में है।

2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

2.1 वित्तीय विवरण को तैयार करने का आधार

वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत प्रथाओं के गोईंग कंसर्न के रूप में तथा कम्पनीज (लेखा मानक) नियम 2006 एवं कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुसार अधिसूचित अनिवार्य लेखा मानकों के अनुरूप तैयार किया गया है।

2.2 क्रय तथा विक्रय

विक्रेता/क्रेता के साथ की गई संविदा/करार के निष्पादन अथवा सरकार से प्राप्त आबंटन पत्रा पर क्रय तथा विक्रय को बुक किया जाता है।

क. जहां उक्त संविदा/करार/आबंटन का आंशिक निष्पादन हुआ है तो पूरे किए गए कार्य को क्रय/विक्रय के रूप में बुक किया जाता है।

ख. विशेष मदों के मामले में जिनका आयात निगम द्वारा सरणीकृत है, तथा भारत सरकार द्वारा जारी अनुज्ञप्ति पत्रा के प्रति 'सरकारी खाते मे'' किए गए उनके आयात को निगम के खातों में क्रय/विक्रय में बुक किया गया है।

ग. डिपोजिट के तहत प्राप्त सोना/चांदी

(i) एक नामित एजेंसी के रूप में कंपनी द्वारा संचालित एग्ज़िम नीति की योजना के अनुसार, निर्यातकों को विक्रय के लिए आउटराइट क्रय आधार पर, खेप स्टॉक से लिया गया सोना/चांदी क्रय में सम्मिलित हैं।

(ii) घरेलू बिक्री के लिए सोने की खरीद को लेखों में शामिल करते समय संबंधित मात्रा को डिपोजिट से लिया गया तथा अपूर्तिकर्त्ता के साथ हुए मूल्य निर्धारण पर लिया जाता है। वर्ष के अंत में कंपनी में उपलब्ध सोना/चांदी का डिपोजिट के तहत स्टॉक को चालू परिसंपत्तियों में बिना बिल के क्रय किये गये स्टाक के रूप में लिया जाता है और उपलब्ध देयताओं को बिना बिल के क्रयों के लिए देय राशि के रूप में वर्ष के अंत में बुलियन के चालू मूल्य पर लाया जाता है। यद्यपि डिपोजिट में शेष माल के लिए प्रदत्त सीमा शुल्क को पूर्ण प्रदत्त व्ययों के रूप में दर्शाया जाता है।

(iii) डिपोजिट के अंतर्गत सोने/चांदी से ऋण आधार पर निकाले गए स्वर्ण/चांदी को पार्टियों को दिए गए ऋण के रूप में तथा इसे ऋण व अग्रिम खाते में दर्शाया गया है। विदेशी आपूर्तिकर्त्ताओं से प्राप्त स्टॉक के लिए समानुरूप देयता को विविध क्रेडिटर्स के अन्तर्गत दर्शाया गया है। ऋण/विदेशी क्रेडिटर्स का समायोजन क्रय तथा विक्रय बुक करने के समय किया जाता है।

(iv) रिप्लेनिशमेंट आधार के मामले में मार्जिन राशि अदा करते हुए निर्यातक द्वारा बुक किये गये सोना/चांदी के लिए विदेशी आपूर्तिकारों के साथ मूल्य का निर्धारण करके खरीद बुक की जाती है तथापि निर्यात पूरा हो जाने के बाद माल की वास्तविक डिलीवरी होने पर सेल को बुक किया जाता है।

घ. अधिकार के दस्तावेजों के हस्तांतरण (ट्रांसफर आफ डाक्यूमेंटस आफ टाईटल) अर्थात हाईसीज़ बिक्री द्वारा किए गए आयात के दौरान माल के भारतीय कस्टम सीमा में आने से पहले क्रेता के पक्ष में माल के अधिकार के दस्तावेजों के हस्तांतरण किए जाने पर ही बिक्री को बुक किया गया है।

ड. नेशनल स्पॉट एक्सचेंज, जहां माल की वास्तविक डिलीवरी की जाती है, जैसे कमोडिटी एक्सचेंज द्वारा किए गए लेन देन के संबंध में क्रय/विक्रय को बुक किया गया है।

च. लौह अयस्क/मैंगनीज अयस्क के निर्यात के संबंध में गंतव्य भार व विश्लेषण परिणामों के आधार पर अंतिम विक्रय मूल्य निर्धारित किया जाता हैं जहां ऐसे परिणाम प्रतीक्षित हैं, अनंतिम विक्रय मूल्य पर औसतन आधार 1प्र की दर पर डीडब्ल्यूए जोखिम के लिए प्रावधान किया गया है।

एफओबीटी आपूर्ति की स्थिति में, जहां खरीद मूल्य पर डीडब्ल्यूए जोखिम, आपूर्तिकर्ता के खाते में है, विक्रय एवं क्रय मूल्य के बीच के अंतर के लिए 1 प्र की दर से प्रावधान किया गया है।

घ. निपटान के मामले लंबित होने की स्थिति में जैसे अर्जित/डिस्पैच/देय डैमरेज इत्यादि कतिपय व्यय/लाभ/हानि को अनंतिम आधार पर खाते में लिया जाता है।

2.3 राजस्व पहचान

क. राजस्व की पहचान अक्रूअल बेसिस पर की जाती है सिवाय निम्नलिखित मदों के जिनको लेखों में वास्तविक वसूली के आधार पर शामिल किया जाता है। चूंकि, आईसीएआई द्वारा जारी एएस–9 के प्रावधानों के अनुसार, ऐसी मदों की वसूली, अनिश्चित है :

(i) टारगेट प्लस योजना,आरईपी/एडवांस लाइसेंस, सर्विस टैक्स रिफंड इत्यादि के अंतर्गत टैक्स क्रेडिट,ड्यूटी क्रेडिट का अथॉराईजेशन ।

(ii) निष्पादन के लिए लंबित डिक्रियां/विवादित देय तथा उन पर ब्याज, यदि कोई हो तो,

(iii) प्राप्त की जाने वाली विलम्बित राशि पर ब्याज जिसकी प्राप्ति अनिश्चित है।

(iv) आपूर्तिकर्ताओं/अंडरराइटर्स पर निर्धारित की गई क्षति/सर्वेक्षण में पाई गई कमी के कारण कस्टम ड्यूटी की वापसी, तथा आयकर/बिक्री–कर/वैट एवम् इन पर ब्याज की वापसी।

ख. बीमा कम्पनी द्वारा स्वीकृत होने पर बीमा क्लेम्स को लेखों में लिया जाता हैं।

ग. लाभ व हानि लेखों में क्लेम्स की पहचान अक्रूअल बेसिस पर की जाती है जिसमें सरकार की ओर से सब्सिडी के रूप में प्राप्त होने वाली ऐसी राशियां, नकद प्रोत्साहन, हानि की प्रतिपूर्ति शामिल है जिनके प्राप्त होने में कोई संदेह नहीं है। चिन्हित दावे जो बाद में संदिग्ध हो गए हैं उनके लिए लाभ व हानि खाते में प्रावधान किया गया है।

2.4 पूर्व प्रदत्त व्यय

प्रत्येक मामले में 10,000/– रुपये के पूर्व प्रदत्त भुगतान खर्चों को राजस्व खाते में दर्शाया जाता है। सरकारी विभागों, सांविधिक निगमों, विद्युत बोर्डों तथा स्थानीय निकायों में 5000/– रुपये की जमा राशि को भी राजस्व खाते में दर्शाया जाता है।

2.5 अचल परिसंपत्तियॉं

(क) सभी स्थिर परिसंपत्तियों को ऐतिहासिक मूल्य में से संचित मूल्यहरास को घटाकर दर्शाया जाता है।

(ख) सरकारी/अर्ध सरकारी प्राधिकरणों के स्वामित्व वाली भूमि में निर्माण/विकास कार्य पर कंपनी द्वारा किये गये खर्च को 'भूमि पर बनाई गई अचल परिसंपत्तियां शीर्ष दिया जाता है और न तो अचल परिसंपत्तियॉं और न ही भूमि कंपनी की है' के शीर्ष में कैपिटलाईज किया जाता है।

2.6 मूल्यह्रास

निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित दरों पर स्ट्रेट लाइन पद्धति के अनुसार मूल्यह्रास का प्रावधान किया जाता है जो कि कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV में दिए गए प्रावधानों के समान अथवा उससे अधिक है। वर्ष के दौरान अधिग्रहीत/बेची गई परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास, परिसंपत्ति के अधिग्रहण करने से निपटान करने तक के माह तक किया जाता है। पट्टे की भूमि तथा डब्ल्यूआईएस के अंतर्गत रेलवे वैगन रैक्स का चुकाया गया ऋण भी मूल्यह्रास में शामिल है। लकड़ी के पार्टीशन तथा बनाए गए अस्थायी ढांचे खरीदे बनाए जाने के वर्ष से ही पूर्णतया मूल्य– ह्रासित किये जाते हैं। चल परिसंपत्तियॉं जिनका वर्ष के प्रारंभ में रिटन डाउन वैल्यू अथवा वर्ष के दौरान की गई खरीद प्रत्येक मामले में 20,000/– रुपये अथवा इससे कम है तो 1/– रुपये के नाममात्र मूल्य रखकर 100 प्र मूल्यह्रास का प्रावधान किया जाता है। मूल्यह्रास की दरें इस प्रकार हैः–

परिसंपत्तियों का नाम	निगम द्वारा अपनाई गई मूल्यह्रास की दरें	अनुसूची गपअ में दी गई मूल्यह्रास की दरें
क. सामान्य परिसंपत्तियां		
– फर्नीचर एवं फिटिंग्स	10प्र	6.33प्र
– वे ब्रिज	10 प्र	4.75 प्र
टाइपराइटर्स, मशीनें, पंखे तथा कार्यालय उपस्कर एवं एसी	12.5 प्र	4.75 प्र
वाहन	20 प्र	9.50प्र
कम्प्यूटर्स(साफटवेयर साहित)	20 प्र	16.21प्र
पट्टे की भूमि	लीज़ एग्रीमेंट के अनुसार	
वैगन रैक्स	करार/वैगन इन्वेस्टमेंट स्कीम के अनुसार	
पंखों के अतिरिक्त बिजली का सामान	10 प्र	1.63 प्र
जल आपूर्ति, मलवहन तथा निकासी	10 प्र	1.63 प्र
सड़कें तथा पुलियां	2.5 प्र	1.63 प्र
बिल्डिंग तथा फ्लैट्स	2.5 प्र	1.63 प्र
आवासीय फ्लैट(बने बनाए)	5 प्र	1.63 प्र
भंडारगृह/गोदाम	4 प्र	1.63 प्र
ख. निर्माण इकाइयों की परिसंपत्तियां		
फैक्टरी बिल्डिंग	3.34प्र	3.34 प्र
विद्युत व्यवस्था	4.75प्र	4.75 प्र
जलापूर्ति	4.75 प्र	4.75 प्र
प्लांट एवं मशीनरी (सामान्य)		
एकल शिफ्ट	4.75:प्र	4.75: प्र

दो शिफ्ट	7.42प्र	7.42प्र
तीन शिफ्ट	10.34प्र	10.34प्र
प्लांट एवं	5.28प्र	5.28प्र

मशीनरी (विंड मिल सहित) अनवरत प्रक्रिया

ग. "भूमि पर बनाई गई अचल उपयोगिता का परिसंपत्तियाँ और न तो अचल परिसंपत्तियां और न ही भूमि कंपनी की है।	परिसंपत्तियों की जीवन काल या 5 वर्ष जो भी कम हो।	
घ. 20,000/– रुपये मूल्य तक की सभी चल संपत्तियां	20,000/– रुपये की या इससे कम लागत वाली प्रत्येक सभी चल परिसंपत्तियों के लिए 100 प्र	5000/–रुपये की या इससे कम लागत वाली प्रत्येक चल संपत्ति के लिए 100 प्र

ड. **मोबाईल हैंडसैटस को इनके क्रय वर्ष में ही राजस्व में प्रभारित किया जाता है क्योंकि अधिकारियों द्वारा अपने नाम से खरीदे गए मोबाईल हैंडसेटों, जिन्हें निगम को नहीं लौटाया जाता, की कीमत की प्रतिपूर्ति उनकी पात्रता के अनुरूप की जाती है।**

2.7 निवेश

(क) मूल्य में स्थाई मूल्यहृास के लिए प्रावधान घटाकर, लागत पर दीर्घावधि निवेश का मूल्यांकन किया जाता है।

(ख) निम्नतर लागत व उचित मूल्य पर चालू निवेश का मूल्यांकन किया जाता है।

2.8 विदेशी मुद्रा लेन–देन

(i) अपरिवर्तनीय भारतीय मुद्रा के मामले में रुपया भुगतान देशों के साथ लेन–देन को विदेशी विनिमय में लेन–देन माना जाता है।

(ii) विदेशी मुद्रा आर्थिक मदों(लम्बित ऋणों अथवा जहॉं वसूली अनिश्चित है को छोड़कर) को इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी एएस–11 में विनिर्दिष्ट अंतिम दरों का प्रयोग करते हुए बदला जाता है। सूचित की गई गैर मौद्रिक मदों को लेनदेन की तिथि की विनिमय दर पर आकलित किया जाता है। विनिमय के लाभ/हानि के अंतर को लाभ व हानि खाते में दिखाया जाता है।

(iii) अचल परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के संबंध में विदेशी मुद्रा में देयता को इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाऊटैंटस आफ इंडिया द्वारा जारी एएस–11 में विनिर्दिष्ट अंतिम दर से बदला जाता है। विनिमय के अंतर को परिसंपत्तियों की लागत में समायोजित किया जाता है।

(iv) फारवर्ड एक्सचेंज संविदा के मामले में प्रीमियम/डिस्काउंट तथा हानि/लाभ की पहचान निम्नलिखित तरीके से की गई है।

क. वर्तमान लेन–देन के विरूद्ध फारवर्ड एक्सचेंज अनुबंध के संबद्ध में, अनुबंध की अवधि के ऊपर प्रीमियम/डिस्काउंट आनुपातिक रूप से माने जाते हैं। विनिमय दर में अंतर की वजह से हानि/लाभ के बीच (i) अंतिम दर अथवा यदि लेन–देन का निपटान वर्ष के दौरान किया गया है तो निपटान की तिथि को लाभ/हानि लेखों में चिन्हित किया जाता है तथा (ii) फारवर्ड संविदा के आरंभ की तिथि के पश्चात् विनिमय दर पर अथवा अंतिम सूचित तिथि की विनिमय दर को वर्ष के ट्रेडिंग, लाभ व हानि खाते में दर्शाया जाता है।

ख. पक्की वचनबद्धताओं एवं अधिक संभावना वाले पूर्वानुमानित लेन देन से संबंधित फारवर्ड संविदाओं के संबंध में विनिमयातंर के कारण हानि को सूचित अवधि, जिसमें विनिमय दर में परिवर्तन हुआ है, के व्यापारिक, लाभ व हानि खाते में दर्शाया जाता है। उक्त संविदाओं के नवीकरण अथवा निरस्तीकरण के कारण होने वाले किसी लाभ अथवा हानि की पहचान उस अवधि की आय अथवा व्यय के रूप में की जाती है।

अ. भारत से बाहर सहायक कंपनी में निवेश को अधिग्रहण की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर पर परिवर्तित किया जाता है।

2.9 खण्ड रिपोर्टिंग

प्रमुख खण्डः प्रबंधतंत्र द्वारा निगम के निष्पादन का आकलन करते हुए तथा निम्नलिखित व्यापार खंडों/उत्पाद खंडों के विभिन्न निष्पादन सूचकों के विश्लेषण के आधार पर संसाधनों का आबंटन किया जाता हैः–

i. खनिज
ii. बहुमूल्य धातुएं
iii. धातुएं
iv. कृषि उत्पाद
v. कोयला एवं हाइड्रोकार्बन
vi. उर्वरक
vii. सामान्य व्यापार/अन्य

उपरोक्त व्यापार खंडों की पहचान निगम के संगठनात्मक ढांचे के साथ–साथ इन खंडों के विभिन्न जोखिमों तथा लाभों को ध्यान में रखते हुए ए एस–17'खंड रिपोर्टिंग' के अनुरूप की जाती है।

गौण खंडः– निगम के ग्राहकों की भौगोलिक स्थिति के आधार पर गौण खंडों की पहचान की जाती है अर्थात

1. भारत से बाहर
2. भारत के अंदर

2.10 कर्मचारियों को लाभ

(i) ग्रेच्युटी, छुट्टी नकदीकरण/छुट्टी लेना, सेवा निवृत्ति पश्चात् चिकित्सा लाभ तथा दीर्घ सेवा लाभ जैसे सर्विस अवार्ड, अनुकंपा ग्रेच्युटी तथा कर्मचारी लाभ योजना का प्रावधान इंस्टीट्यूटर आफ चार्टर्ड एकाऊंटेंटस द्वारा जारी ए एस 15(संशोधित) के अनुसार बीमांकक के मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

(ii) भविष्य निधि अंशदान, अक्रूअल बेसिस पर भविष्य निधि ट्रस्ट में जमा किए जाते हैं।

(iii) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर उपदान व नोटिस वेतन का भुगतान वर्ष में खर्च हुए राजस्व में प्रभारित होता है।

2.11 स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन

i. स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन वर्ष में एक बार किया जाता है और शेष स्टॉक का निर्धारण वर्ष के अंत तक आवश्यक समायोजन के बाद किया जाता है। प्रत्यक्ष सत्यापित स्टॉक को अंतिम शेष के रूप में मान लिया जाता है तथा कमी/अधिकता पर उचित रूप से कार्रवाई की जाती है।

ii. कुछ मामलों में जहॉ स्टॉक हैंडलिंग एजेंट/एसडब्ल्यूसी/सीडब्ल्यूसी/प्राइवेट पार्टियों के पास पड़ा है, उन एजेंसियों द्वारा दिए गए प्रमाण–पत्र के आधार पर स्टॉक को मान लिया जाता है

2.12 स्टॉक का मूल्यांकन

मार्गस्थ माल सहित इन्वैंट्रीज का मूल्यांकन 31 मार्च को वसूली योग्य मूल्य अथवा लागत के निम्नतर मूल्य पर किया जाता है। बैक–टू–बैक लेन–देन के संबंध में, लागत व लाभ मार्जिन के आधार पर निवल वसूली योग्य मूल्य निश्चित होता है। मूल्यांकन की विधि निम्नानुसार है :–

(क) निर्यात

i. निर्यात स्टॉक का मूल्य–निर्धारण उस स्थान तक जहॉ स्टॉक पड़ा है, किए गए समस्त खर्चों को शामिल करने के बाद किया जाता है। इसी प्रकार वसूली योग्य मूल्य का निर्धारण बाजार–मूल्य से उन खर्चों को घटाकर किया जाता है, जो खर्च माल को उस स्थान तक पहुॅचाने में होगा जिस स्थान पर उसे बेचा जाता है।

ii. खनिज अयस्कों के संबंध में निर्यात अनुबंध के अनुसार खनिज अयस्कों का वसूली योग्य मूल्य एफई/एमएन की निम्नतम मात्रा के आधार पर निर्धारित किया जाता है तथा इसकी तुलना अयस्क के भारित औसत एफई/एमएन मात्रा/भारित औसत नमी मात्रा के भारित औसत मूल्य से की जाती है। लौह अयस्क का भूमिगत स्टॉक इन्वैंट्री में शामिल नहीं है, अतः इसका मूल्यांकन नहीं किया गया।

(ख) आयात

(i) आयातित वस्तुओं के स्टॉक का मूल्य–निर्धारण वार्षिक क्षेत्रीय भारित औसत लागत की गणना करके किया जाता है सिवाय अलौह धातुओं के जहॉ शेष स्टॉक की भारित औसत लागत की गणना जहॉ माल रखा गया है वहॉ तक किए गए सभी व्ययों को शामिल करके किया जाता है तथापि जहां स्टॉक विशेषतया रखने योग्य है वहां तक किये गये सभी व्ययों को शामिल करके माल की वास्तविक लागत की गणना की जाती है।

(ii) पुनः पूर्ति विकल्प के तहत निर्यातकों द्वारा बुक किये गये माल के तहत विदेशी आपूर्तिकारों से खरीदो गया सोना/चॉदी जिसकी सुपुर्दगी वर्ष के अंत तक नहीं की गयी है कंपनी के स्टॉक के रूप में दर्शाये जाते हैं और लागत पर मूल्यांकित किये जाते हैं।

(ग) घरेलू

(i) सोने चांदी के मेडालियन तथा चांदी के सामान का मूल्य वार्षिक आधार पर माल की स्थानीय भारित लागत तथा प्रारंभिक स्टॉक की लागत पर तय किया जाता है। लागत में निर्माण/फेब्रीकोन प्रभार, छीजन तथा अन्य प्रत्यक्ष लागत सम्मिलित है।

(ii) तराशे और पॉलिश किये पत्थर (परिष्कृत/ अर्धपरिष्कृत) तथा स्वर्णाभूषण के संबंध में जहां स्टॉक विशेषतया पहचान योग्य है उस स्थान तक माल उपलब्ध है के समस्त व्ययों सहित माल की वास्तविक लागत की गणना की जाती है।

(iii) पैकिंग सामग्री का मूल्यांकन निम्नतर लागत पर या 31 मार्च को प्राप्ति योग्य मूल्य पर की जाती है।

(iv) ऋण/फैब्रीकोन पर स्टॉकः फेब्रीकेटरों के पास स्टॉक के समायोजन तक कंपनी का स्टॉक माना जाता है।

2.13 पूर्व अवधि समायोजन

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी एएस–5 (अवधि के लिए शुद्ध लाभ व हानि, पूर्व अवधि मद तथा लेखा नीतियों में परिवर्तन) के प्रावधानों के अनुसार " पूर्व अवधि समायोजन खाता" के अंतर्गत पूर्व वर्ष संबंधी व्यय/आय दर्शाए जाते हैं।

2.14 ऋण लागत

(i) व्यापार के सामान्य व्यवहार में किसी अवधि में किए गए व्ययों को उस अवधि के ऋण लागत व्यय के रूप में जाना जाता है।

(ii) मान्य परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण पर आरोपित ऋण लागत को इन परिसंपत्तियों के अभीष्ट प्रयोग के लिए तैयार होने की तिथि तक की लागत के एक भाग के

रूप में कैपिटलाईज किया जाता है। अन्य सभी ऋण लागतों की पहचान, जिस वर्ष में व्यय किये गए हैं उस वर्ष के व्ययों के रूप में की जाती है।

2.15 अस्थगित कर

अस्थगित कर को युक्ति–युक्त समय अंतराल, कर योग्य आय तथा लेखा आय जो कि एक अवधि में उत्पन्न हुई हो तथा जिनकों एक अथवा अधिक परवर्ती अवधियों में रिवर्सल किया जा सके, के आधार पर मान्यता प्रदान की जाती है। अस्थगित कर का निर्धारण परिसंपत्तियों और देयताओं को तुलन–पत्र की तिथि से लागू होने वाले कर की दरों और कर–कानूनों के आधार पर किया जाता है।

2.16 परिसंपत्तियों की क्षति

जब परिसंपत्तियों के लाने–ले जाने की कैरिंग की लागत इसके वसूली योग्य मूल्य से अधिक हो जाती है तो परिसंपत्ति को क्षतिग्रस्त माना जाता है तथा इस क्षति की हानि को जिस वर्ष इसके क्षतिग्रस्त होने की पहचान होती है उस वर्ष के लाभ व हानि खाते में प्रभारित किया जाता है। यदि वसूली योग्य राशि के अनुमान में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तो पूर्व लेखा अवधियों में पहचानी गई क्षति की हानि को प्रतिवर्तित(रिवर्स) कर दिया जाता है।

2.17. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक परिसंपत्तियॉं

(I) प्रावधान

(क) संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों/दावों के लिए प्रावधान

संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों/दावों के लिए प्रावधान वहां रखा जाता है जहां राशि की किसी भी अवधि के लिए वसूलीकरण अनिश्चित हो। विगत तीन वर्षों की बकाये के लिए (सरकारी देय राशि को छोड़कर) पूर्ण प्रावधान किया जाता है, जब तक कि यह राशि वसूली योग्य मानी जाती है। यह निश्चित हो जाने पर की वसूली नहीं की जा सकती तब ऋण/अग्रिम/दावे राईट–ऑफ किए जाते हैं।

(ख) अन्य :

(i) प्रावधान तब मान्य है जब

क. कोई पूर्व की घटना के परिणामस्वरूप कंपनी पर कोई वर्तमान बाध्यता हो ।

ख. बाध्यताओं के निपटान में संसाधनों का संभावित आउटफ्लों होने की उम्मीद हो ।

ग. तथा इस बाध्यता की राशि का विश्वासनीय आंकलन किया जा सकता हो।

(ii) किसी एक प्रावधान के समायोजन के लिए वांछित व्यय की प्रतिपूर्ति की पहचान संविदा प्रावधान के अनुसार की जाती है अथवा जब यह वास्तव में सुनिश्चित हो कि प्रतिपूर्ति प्राप्त की जायेगी, उस स्थिति में की जाती है।

(iii) प्रत्येक तुलन–पत्र तिथि पर प्रावधानों की पुनरीक्षा की जाती है ।

(II) आकस्मिक देयताएं व आकस्मिक परिसंपत्तियां :

(i) आकस्मिक देयताओं की पहचान नहीं की जाती है परन्तु इन्हें लेखों की टिप्पणियों में दर्शाया जाता हैं।

(ii) आकस्मिक परिसंपत्तिंयों की पहचान न तो वित्तीय विवरणों में दी जाती हैं और न ही इन्हें दर्शाया जाता है।

2.18. परियोजना कार्यान्वयन/निर्माण अवधि के दौरान व्ययों की स्थिति

निर्माण के दौरान व्ययों को पूर्व–प्रचालन व्ययों में शामिल किया जाता है तथा निर्माण/प्रस्थापन पूरा हो जाने पर संबंधित स्थायी परिसंपत्तियों में दिखाया जाता है।

2.19 प्रचालन पट्टे

उन संपत्तियों के पट्टे में जिनमें मालिकाना के जोखिम व लाभ का बड़ा भाग पट्टा करने वाले के पास होता है उन्हें प्रचालन पट्टा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है । प्रचालन पट्टों के अधीन किये गये भुगतान (पट्टा करने वाले से प्राप्त किसी भी प्रोत्साहन का निबल) अवधि पर सीधी लाइन आधार पर आय विवरण में लिया जाता है । आकस्मिक किराये को उस वित्त वर्ष के आय विवरण में व्यय के रूप में माना जाता है जिसमें निरस्तीकरण होता है । जब किसी चालू पट्टे को पट्टा अवधि समाप्त होने से पहले निरस्त किया जाता है, तो यदि पट्टाकर्ता को दंड स्वरूप कोई भुगतान करना वांछित हो तो उसे उस वित्त वर्ष के व्यय के रूप में माना जाता है जिसमें इसे निरस्त किया जाता है ।

2.20 वित्तीय विवरणों को भारतीय रूपये में रिपोर्ट किया जाता है और सभी मूल्यों को यदि अन्यथा न लिया जाये तो भारतीय रुपयों में नजदीकी मिलियन रुपयों तक राउंड किया जाता है।

2.21 समेकितकरण के नियम

समेकित वित्तीय विवरण के संबंध एमएमटीसी लिमिटेड, इसकी सहायक कंपनी तथा संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं में कंपनी के हित वाली संस्थाओं से है।

(क) मुख्य कंपनी तथा सहायक कंपनी के वित्तीय विवरण पंक्तिवार मिश्रित कर दिए गए हैं जिसमें समान परिसंपत्तियों, देयताओं, आय तथा व्यय को इन्ट्राग्रुप शेष ट्रांजैकशन को ध्यान में न लेते हुए इकट्ठा करके उनकी बुल वैल्यू ली गई है जिसके परिणामस्वरूप अकाउटिंग स्टैण्डर्ड (एएस) 21 ''समेकित वित्तीय विवरण'' के अनुसार

लाभ या हानि असंपादित है।

(ख) नॉन इन्टिग्रल फोरेन सबसिडीअरी के वित्तीय विवरणों को कंपनी के वित्तीय विवरणों में मिलाते समय सबसिडीअरी के उन वित्तीय विवरणों को परिवर्तन करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाती हैः–

(i) नॉन इंटिग्रल फॉरम सबसिडीअरी का मौद्रिक तथा गैर मौद्रिक दोनों ही प्रकार की परिसंपत्तियों तथा देयताओं को इन्सिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउण्टेंटस ऑफ इंडिया द्वारा जारी ए एस–11 में उल्लिखित क्लोजिंग रेट के अनुसार परिवर्तित किया जाता है।

(ii) नॉन इन्टिग्रल फोरेन सबसिडीअरी की आय तथा व्यय की मदों को औसत एक्सचेंज रेट पर परिवर्तित किया जाता है तथा

(iii) परिणामस्वरूप हुए एक्सचेंज अंतरों को विदेशी मुद्रा परिवर्तन रिजर्व में तब तक एकत्रित किया जाता है जब तक कि निवल निवेश का निपटान नहीं हो जाता।

(ग) एसोसिएटों के मामले में, जहां कंपनी सबसिडिअरी के माध्यम से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से 20% से अधिक इकविटी रखती है, उसका लेखा इंस्टिट्यूट ऑफ चाटर्ड अकाउण्टेण्टस ऑफ इंडिया द्वारा जारी अकाउण्टिंग स्टैंण्टर्ड (एएस) 23 में वर्णित ''अकाउंटिंग फोर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटस इन कन्सोलिडेटिड फाइनेंसियल स्टेटमेंटस'' इक्विटी पद्धति का प्रयोग करके किया गया है।

(घ) कंपनी उपार्जनोपरान्त, अप्राप्त लाभ और हानि को ध्यान में रखकर एसोसिएटस की नेट परिसंपत्तियों में हुए परिवर्तनों में हिस्सेदारी, जो कि कंपनी तथा एसोसिएट के बीच इस सीमा तक की गई ट्राजेक्शन में कंपनी की हिस्सेदारी का परिणाम है, को गणना में लेती है। कंपनी लाभ और हानि द्वारा हुए इस परिवर्तन को, जो कि इस सीमा तक एसोसिएट के लाभ और हानि द्वारा उपलब्ध सूचना के आधार पर आरक्षित शेष के लिए है, गणना में लेती है।

(ङ) एसोसिएट में लागत तथा निवेश में अंतर तथा शेयरों के अधिग्रहण के समय शुद्ध परिसंपत्तियों में भागीदारी को वित्तीय विवरणों में गुडविल या केपिटल रिजर्व, जैसा भी मामला हो, के नाम से पहचाना गया है।

(च) समेकित वित्तीय विवरणों में कंपनी का संयुक्त उद्यमों की कंपनी में निहित हित भी शामिल है जिसकी गणना प्रोपोरश्नेट कन्सोलिडेशन मैथड ऑफ अकाउिण्टिंग तथा रिपोटिंग द्वारा की गई है। जिसके द्वारा प्रत्येक परिसंपत्ति के लिए कंपनी की हिस्सेदारी देयता, आय तथा व्यय संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था को समेकित वित्तीय विवरणों में अलग लाइन की मद के रूप में माना गया है।

(छ) जहां तक संभव रहा है समेकित वित्तीय विवरण एक जैसी ट्रान्जैक्शनों तथा समान परिस्थितियों से हुई समान घटनाओं के लिए एक जैसी वित्तीय नीति का प्रयोग करके ही तैयार किया गया है तथा ठीक इसी ढंग से प्रस्तुत किया है जिस ढंग से कंपनी के पृथक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किए गए हैं।

दिनांक 31.03.2013 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर समेकित टिप्पणियां

3. शेयरधारकों की निधि

3.1 शेयर पूंजी तथा रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ तथा समाप्ति पर बकाया शेयरों की संख्या का समायोजन

(रुपये मिलियन में)

	31-03-2013		31-03-2012	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि
क. प्राधिकृत प्रत्येक 1/– रूपये समतुल्य के इक्विटी शेयर	**1,000,000,000**	**1,000.00**	1,000,000,000	1,000.00
ख. निर्गमित, अभिदत्त एवं पूर्णतः प्रदत्त आरंभिक शेष	**1,000,000,000**	**1,000.00**	1,000,000,000	1,000.00
जोड़े गए'	-	-	-	-
कटौती	-	-	-	-
अंतिम शेष	**1,000,000,000**	**1,000.00**	**1,000,000,000**	**1,000.00**
योग		**1,000.00**		**1,000.00**

'वर्ष 2010–11 के दौरान, 10/–रुपए प्रत्येक मूल्य के निगम के 5,00,00,000 शेयरों को 1/– रुपये प्रत्येक मूल्य के 500,000,000 शेयरों में विभाजित किया गया तथा सामान्यतः अधिशेष रिजर्व से 500 मिलियन रुपए का पूंजीकरण करते हुए 1:1 अनुपात में बोनस शेयर जारी किए गए।

निगम के एक ही वर्ग के शेयर हैं जिसमें 1/–रुपए प्रत्येक के मूल्य के सामान्य शेयर हैं। निगम के संगम अनुच्छेद तथा लागू कानूनों के अनुसार धारको को निगम के सामान्य शेयर निगम की आम बैठकों की सूचना तथा वोट देने के अधिकार, निगम के समापन होने पर किन्हीं अधिशेष परिसंपत्तियों को प्राप्त करने के अधिकार प्रदान करते हैं। साथ ही, साधारण शेयरों पर घोषित लाभांश प्राप्त करन की पात्राता भी उपलब्ध करवाते हैं।

निगम की कोई होल्डिंग कंपनी नहीं है अतः इसकी होल्डिंग कंपनी अथवा इसकी सहायक अथवा एसोसिएट्स द्वारा कोई शेयर नहीं रखे गए हैं।

प्रवर्तकों के अतिरिक्त किसी भी शेयरधारक के पास निगम के 51 से अधिक शेयर नहीं हैं। प्रवर्तकों, अर्थात् भारत के राष्ट्रपति की शेयरधारिता दिनांक 31.0302012 को 993,312,000 शेयर) की थी।

3.2 रिजर्व एवं अधिशेष

(रुपये मिलियन में)

	31-03-2013	31-03-2012
रिजर्व		
पूंजी रिजर्व–आरंभिक शेष	**980.98**	96.79
जोड़ें: अधिशेष से अंतर्गत	**(980.29)**	884.19
जोड़ें: अधिशेष से अंतर्गत	**3.71**	
अंतिम शेष अधिशेष	**4.40**	980.98
सामान्य अधिशेष–आरंभिक शेष	**5,980.29**	6,059.48
जोड़ें: अधिशेष से अंतरित	**748.86**	75.00
	6,729.15	6,134.48
घटायें कटौती	**0.00**	154.19
अंतिम शेष	**6,729.15**	5,980.29
बना रहने वाला विकास अधिशेष – आरंभिक शेष	**202.90**	(230.09)
जोड़े : अधिशेष से अंतरित	**0.00**	432.99
	202.90	202.90
घटायें कटौती	**610.66**	0.00
अंतिम शेष	**(407.76)**	202.90
कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी अधिशेष आरंभिक शेष	**-**	-
जोड़े : अधिशेष से अंतरित	**2.11**	-
	2.11	-
घटायें कटौती	**-**	-
अंतिम शेष	**2 .11**	-
कारपोरेट सामाजिक दायित्व रिजर्व – आरंभिक शेष	**-**	-
जोड़े : अधिशेष से अंतरित	**4.36**	-
	4.36	-
घटायें कटौती	**-**	-
अंतिम शेष	**4 .36**	-
योग (क)	**6,332.26**	**7,164.17**
अधिशेष	**8,800.64**	8,739.77
जोड़े : लाभ तथा हानि विवरण से अंतरित संयुक्त उपक्रमों के इन्ट्रेस्ट में हिस्सा		
अधिशेष :प्रारंभिक शेष	**(1,173.25)**	548.23
जोड़ें: लाभ व हानि विवरण से अंतरित कर पश्चात निबल लाभ :	**66.71**	(121.80)
व्यय करने योग्य उपलब्ध राशि	**7,694.10**	9,166.20
व्यय :		
अंतिम लाभांश	**100.00**	250.00
लाभांश कर	**-**	40.56
सामान्य रिजर्व	**-**	75.00
बना रहने वाला विकास रिजर्व	**2.11**	**-**
कारपोरेट सामाजिक दायित्व रिजर्व	**4.36**	**-**
योग (ख)	**7,587.63**	8,800.64
योग (क+ख)	**13,919.90**	**15,964.81**

4. गैर चालू देयताएं

4.1 अन्य दीर्घावधि देयताएं

(मिलियन रूपये में)

	31–03–2013		31–03–2012	
संयुक्त उद्यमों में हित की हिस्सेदारी				
क. सुरक्षित	–		–	
ख. असुरक्षित	968.91	968.91	992.14	992.14
अनुयोग				
क. सुरक्षित	–		–	
ख. असुरक्षित	968.91	968.91	992.14	992.14
योग	968.91		992.14	

4.2 अन्य दीर्घावधि देयताएं

(मिलियन रूपये में)

	31.03.2013		31.03.2012	
ट्रेड देय				
–एमएसएमई के अतिरिक्त	104.38		12.86	
–एमएसएमईज	.	104.38	.	12.86
अन्य				
–बिक्री कर/सीएसटी/सीमाशुल्क	19.95		18.74	
–अन्य	66.85	86.80	13.21	31.95
		191.18		44.81
Share of Interest in Joint Venture		110.64		61.13
योग		301.82		105.94

4.3 दीर्घावधि प्रावधान

(मिलियन रूपये में)

	31.03.2013		31.03.2012	
क. कर्मचारी लाभ				
i. छुट्टी नकदीकरण	230.43		214.73	
ii. सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्साल लाभ	1,207.47		924.78	
iii. अर्धवेतन अवकाश	165.47		145.76	
iv. सेवा अवार्ड	52.39		46.15	
v. अनुकम्पा ग्रेच्युटी	2.19		2.38	
vi. कर्मचारी परिवार लाभ योजना	43.99	1,701.94	39.92	1,373.72
ख. अन्य		.		.
		1,701.94		1,373.72
संयुक्त उद्यमों में हित की हिस्सेदारी		3.46		0.71
योग		1,705.40		1,374.43

5. चालू देयताएं

5.1 लघु अवधि ऋण

(मिलियन रूपये में)

	31.03.2013		31.03.2012	
क. बैंकों से मांग होने पर देय ऋण				
प सुरक्षित	6,342.03		25,674.83	
(इन्वेंदट्रीज, ट्रेड प्राप्तियां तथा वर्तमान एवं भविष्य की अन्यं चालू परिसंपत्तियों के हाईपोथिकेशन के प्रति)				
पप असुरक्षित	9,074.14	15,416.17	8ए914ण89	34,589.72
संयुक्त उद्यमों में हित की हिस्सेदारी		409.24		.
योग		15,825.41		34,589.72

किसी भी निदेशक अथवा अन्य व्य क्तियों द्वारा ऋणों की गारंटी नहीं ली गई है।

बैंकों से कैश क्रेडिट/पैकिंग क्रेडिट खाते/अन्य से ऋण लिए गए हैं तथा एक वर्ष के अंदर भुगतान किया जाना है।

किसी भी ऋण तथा इस पर ब्योज के पुनर्भुगतान में कंपनी ने चूक नहीं की है।

5.2 व्यापारिक देय

(रुपये मिलियन में)

	31.03.2013		31.03.2012	
क. विविध लेनदार				
i. एमएसएमई के अतिरिक्ता	19,456.81		26,672.52	
ii. एमएसएमईज़	-	19,456.81	-	26,672.52
ख. देय बिल		3,639.31		6,576.11
		23,096.12		33,248.63
संयुक्त उद्यमों में हित की हिस्सेदारी		1,477.82		238.99
योग		24,573.94		33,487.62

विविध लेनदारों में विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से ऋण पर स्वर्ण लेकर निगम के ग्राहकों को ऋण आधार पर जारी किए गए 2858.08 मिलियन रूपए (विगत वर्ष 10217.50 मिलियन रूपए) के अप्रयोगमूलक मूल्य का 1017 किलोग्राम (विगत वर्ष 3747 किलोग्राम) स्वर्ण शामिल है। जो कि विदेशी आपूर्तिकर्ता से उधार लेकर कम्पनी के ग्राहकों को उधार के आधार पर जारी किया गया था।

5.3 अन्य चालू देयताएं

(रुपये मिलियन में)

	31.03.2013		31.03.2012	
क. ऋण पर अर्जित परंतु देय नहीं ब्याज		161.12		229.26
ख. ऋण पर अर्जित तथा देय ब्याज		0.16		1.44
ग. अग्रिम में प्राप्त आय		0.05		–
घ. अन्य देय (प्रकार स्पष्ट करें)				
– फारवर्ड कवर – बैंक को देय राशि	13,901.30		24,059.70	
घटायें : विदेशी मुद्रा प्राप्य	13,153.80		24,044.65	
	747.50		15.05	
– विविध लेनदार–अन्य	119.29		88.76	
– ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम	998.02		597.13	
– भुगतान न किए गए लाभांश	0.07		0.05	
– देय डिस्पैच	49.09		37.48	
– देय डेमरेज	84.74		88.80	
– विविध देनदारों में क्रेडिट शेष	554.59		1,546.87	
– सुरक्षा जमा तथा ईएमडी	244.39		1,105.73	
– करों तथा कर्मचारियों के बकाया के लिए प्रेषित राशि	1,068.86		816.93	
– वेतन व भत्ते	9.72		61.68	
– प्रशासनिक व्यय	199.33		135.98	
– बिना बिल के क्रय के लिए देय राशि	1,435.09		9,941.28	
– अन्य	3,340.24	8,850.93	3,690.33	18,126.07
		9,012.26		18,356.77
संयुक्त उद्यमों में हित की हिस्सेदारी		331.02		184.83
योग		9,343.28		18,541.60

(I) पर्यावरण स्वीकृति न मिलने के कारण परियोजना को बंद करने के प्रमोटरों के निर्णय के परिणामस्वरूप संयुक्ती उद्यम कंपनी द्वारा एमएमटीसी के हिस्से का व्यय 54.24 मिलियन रूपये (गत वर्ष शून्य मिलियिन रूपये) शामिल है ।

5.4 लघु अवधि प्रावधान

(रुपये मिलियन में)

		31.03.2013		31.03.2012	
क.	**कर्मचारी लाभ**				
i.	बोनस/निष्पादन संबंधित वेतन	**68.01**		113.92	
ii.	अर्जित अवकाश	**45.64**		26.04	
iii.	सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा लाभ	**78.74**		57.22	
iv.	अर्धवेतन अवकाश	**22.06**		15.16	
v.	ग्रेच्युटी	**0.43**		0.00	
vi.	अधिवर्षिता लाभ	**66.46**		287.55	
vii.	सेवा अवार्ड	**4.98**		7.06	
viii.	अनुकम्पा ग्रेच्युटी	**0.42**		0.29	
ix.	कर्मचारी परिवार लाभ योजना	**8.96**		4.29	
x.	अन्य	**0.02**	**295.72**	0.00	511.53
ख	**अन्य**				
i.	कराधान	**829.24**		1,336.38	
ii.	प्रस्तावित लाभांश	**201.97**		404.98	
iii.	लाभांश वितरण कर	**0.00**		40.56	
iv.	गंतव्य भार तथा विश्लेषण जोखिम	**1.38**		0.00	
v.	कारपोरेट सामाजिक दायित्व	**0.00**	**1032.59**	0.72	1,782.64
			1328.31		2294.17
	संयुक्त उद्यमों में हित की हिस्सेदारी		**5.64**		**1.44**
	योग		**1,333.95**		**2,295.61**

6. गैर–चालू परिसंपत्तियां

6.1 स्थायी परिसंपत्तियां

6.1.1 मूर्त(टैंजीबल) परिसंपत्तियां

(रुपये मिलियन में)

	सकल ब्लॉक					मूल्य ह्रास/क्षति						सकल कैरिंग मूल्य	
	1.4.2012	जोड़े गए	अन्य समायोजन	निपटान किए गए	31.03.2013	1.4.2012 को आरंभिक शेष	वर्ष के लिए मूल्यह्रास	क्षति/(क्षति की वापसी)	अनुयोग	कटौती	31.03.2013 को शेष	31.03.2013	31.03.2012
फ्रीहोल्ड भूमि													
-कार्यालय भवन	3.66	-	-	-	3.66	-	-	-	-	-	-	3.66	3.66
-स्टॉफ क्वार्टर्स	1.33	-	-	-	1.33	-	-	-	-	-	-	1.33	1.33
लीज होल्ड भूमि													
-कार्यालय भवन	40.14	-	-	0.54	39.60	11.28	0.50	-	11.78	0.15	11.63	27.97	28.86
-स्टॉफ क्वार्टर्स	2.67	-	-	-	2.67	1.07	0.03	-	1.09	-	1.09	1.58	1.60
भवन													
-कार्यालय भवन	128.01	-	-	0.34	127.67	50.07	3.30	-	53.36	0.29	53.07	74.59	77.94
-स्टॉफ क्वार्टर्स	69.34	0.29	-	0.00	69.63	50.69	1.36	-	52.05	-	52.05	17.58	18.65
-जलापूर्ति, मल निकासी तथा ड्रेनेज	9.46	-	-	-	9.46	9.31	0.04	-	9.34	-	9.34	0.12	0.16
-विद्युत इस्टालेशंस	17.51	0.91	-	0.22	18.21	15.78	0.31	-	16.09	0.23	15.86	2.35	1.74
-सड़के व पुलिया	3.58	-	-	-	3.58	2.32	0.09	-	2.41	-	2.41	1.17	1.26
-आडियो/अग्नि/वातानुकूलन	12.49	0.03	-	0.00	12.52	12.32	0.05	-	12.37	0.00	12.37	0.15	0.17
संयत्र तथा उपस्कर	796.73	0.00	-	0.58	796.15	247.47	39.55	-	287.01	0.47	286.55	509.61	549.26
फर्नीचर तथा फिटिंग्स													
-पार्टिशन	22.13	3.85	-	1.01	24.97	21.70	3.83	-	25.53	1.02	24.52	0.46	0.42
-अन्य	51.64	1.87	-	1.78	51.72	47.32	1.58	-	48.90	1.67	47.23	4.49	4.32
वाहन	23.22	-	-	0.57	22.65	17.99	2.81	-	20.80	0.57	20.23	2.43	5.23
कार्यालय उपस्कर	62.52	2.89	-	7.55	57.85	50.00	3.84	-	53.23	7.55	46.28	11.58	12.52
अन्य:-													
रेलवे वैगन रैक्स	553.64	-	-	-	553.64	310.96	55.36	-	366.32	-	366.32	187.32	242.68
बीएनएचटी पर रेलवे लूप लाइन	26.17	-	-	-	26.17	26.17	-	-	26.17	-	26.17	0.00	0.00
गोदाम	34.11	-	-	-	34.11	16.68	1.36	-	18.04	-	18.04	16.07	17.44
कम्प्यूटर/डाटा प्रोसेसर्स	174.09	3.34	-	0.73	176.70	162.23	6.38	-	168.61	0.71	167.89	8.80	11.86
संयुक्त उद्यमों के इंट्रेस्ट में हिस्सा	531.69	154.59	-	3.70	682.59	19.16	36.82	-	55.98	0.55	55.42	627.16	512.53
कुल योग	**2,564.14**	**167.76**	-	**17.01**	**2,714.89**	**1,072.49**	**157.19**	-	**1,229.69**	**13.21**	**1,216.47**	**1498.42**	**1491.65**
विगत वर्ष	**2,211.76**	**374.06**	**3.72**	**17.95**	**2,564.14**	**958.80**	**135.09**	-	**1,093.89**	**21.40**	**1,072.49**	**1491.65**	**1252.96**

(क) कुछ कार्यालयों से कार्यालय की निर्माणाधीन भूमि/भवन/फलैटस/ पुलियों, सिवरेज व ड्रेनेज की लागत के अंतरिम बिलों के लंबित प्राप्ति के कारण या निर्माणधीन लीज डीड का निष्पादन होने तक इन्हें अस्थायी आधार पर आंका गया है ।

(ख) दिल्ली की स्टॉफ क्वार्टर्स के लिए पट्टा धारित भूमि, सड़कें और पुलियां, सिवरेज, ड्रेनेज तथा जल आपूर्ति में वह सभी शामिल हैं जो स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन (एसटीसी) के साथ संयुक्त रूप से लिया गया है ।

(ग) आवासीय फलैटों में 0.002 मिलियन रू0 (गत वर्ष 0.002 मिलियन रू0) के कोआपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के 41 शेयर (गत वर्ष 41 शेयर) शामिल है। कुल फलैटों में जिनका मौलिक मूल्यं 31.3.2012 को 4.89 मिलियन रू0 (गत वर्ष 4.89 मिलियन रू0) है, का अंतरण लंबित है।

(घ) जो भूमि निगम के स्वामित्व में नहीं है उस पर बने कार्यालय भवन की लागत 6.24मिलियन रू0 है (गत वर्ष 6.18मिलियन रू0 है, और मूल्य हरास 3.32 मिलियन रू0 (गत वर्ष 3.18 मिलियन रू0 का प्रावधान है।

(ड़) जो भूमि निगम के स्वामित्व में नहीं है उस पर जल आपूर्ति की लागत 0.66 मिलियन रू0 (गत वर्ष 0.66 मिलियन रू0) है ।

(च) पारादीप में लीजहोल्ड भूमि पर बने रिहायशी भवन, सड़कों व पुलियों के बिजली उपकरण व्यवस्थाओं की लागत 11.63 मिलियन (गत वर्ष 11.63 मिलियन रू0) जो 20.11.2011 को समाप्त हो चुकी है तथा संचित मूल्यहरास 5.84 मिलियन रू0 (गत वर्ष 5.72 मिलियन रू0 है पारादीप पोर्ट ट्रस्ट ने 15 वर्ष के लिए इसके नवीनीकरण की स्वीकत प्रतीक्षित है। तथापि भारत सरकार की अंतिम स्वीकृति की प्रतीक्षा है।

6.1.2 अमूर्त परिसंपत्तियां

(रुपये मिलियन में)

	ग्रॉस ब्लाक						परिशोधन						नेट कैयरिंग वैल्यू	
	1.4.2012	जोड़ा गया	व्यापार संयोजन द्वारा जोड़ा गया	अन्य समा–योजन	निपटान	31.03. 2013	01.04.2013 को आरंभिक शेष	वर्ष के लिए परिशोधन	क्षति/क्षति का निराकरण	अनुयोग	कटौतियां	31.03.2013 को शेष	31.03. 2013	31.03. 2012
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	0.42	1.88	-	-	-	2.30	0.31	0.25	-	0.56	-	0.56	1.74	0.11
समेकन पर गुडविल (संयुक्त उद्यम)	25.80	1.61	-	1.51	-	25.90	15.56	5.68	-	21.23	-	21.23	4.67	10.25
समेकन पर गुडविल (एसोसिएटस)	0.00	219.16	-	-	-	219.16	-	87.67	-	87.67	-	87.67	131.50	0.00
अन्य संयुक्त उद्यमों मे हित की हिस्सेदारी	15.85	0.16	-	-	-	16.01	9.19	3.95	-	13.14	-	13.14	2.87	6.66
योग	**42.07**	**222.81**	**-**	**1.51**	**-**	**263.37**	**25.06**	**97.55**	**-**	**122.60**	**-**	**122.60**	**140.77**	**17.01**
विगत वर्ष	**41.04**	**1.05**	**-**	**-**	**0.03**	**42.07**	**15.88**	**9.17**	**-**	**25.06**	**-**	**25.06**	**17.01**	**25.16**

6.1.3 प्रगति पर पूंजीगत कार्य

(रुपये मिलियन में)

	परिसंपत्तियां					मूल्य ह्रास/क्षति						नेट कैयरिंग वैल्यू	
परिसंपत्तियां	1.4.2012	वृद्धि	अन्य समा–योजन	निपटान	31.03. 2013	01.04.2012 को आंरभिक शेष	वर्ष के लिए मूल्य ह्रास	क्षति/क्षति का निराकरण	अनुयोग	कटौतियां	31.03.2013 को शेष	31.03. 2013	31.03. 2012
भवन –निर्माणाधीन	6.71	-	-	-	6.71	6.71	-	-	6.71	-	6.71	-	-
भवन –बिजली के उपकरण	6.70	-	-	-	6.70	6.70	-	-	6.70	-	6.70	-	-
सड़के व पुलिया	0.47	-	-	-	0.47	0.47	-	-	0.47	-	0.47	-	-
कम्प्यूटर	0.00	0.09	-	-	0.09	0.00	-	-	0.00	-	0.00	0.09	-
संयंत्र तथा उपस्कर	13.80	-	-	-	13.80	13.80	-	-	13.80	-	13.80	-	-
गोमिया कोल ब्लाक का विकास	0.00	54.86	-	-	54.86	0.00	-	-	-	-	0.00	54.86	-
संयुक्त उद्यमों के इन्ट्रेस्ट में हिस्सा	1181.09	118.38	-	97.23	1202.24	-	-	-	-	-	-	1202.24	1181.09
कुल योग	**1208.77**	**173.32**	**-**	**97.23**	**1284.87**	**27.69**	**-**	**-**	**27.69**	**-**	**27.69**	**1257.18**	**1181.09**
विगत वर्ष	**1363.73**	**126.22**	**(5.14)**	**276.04**	**1208.77**	**27.69**	**-**	**-**	**27.69**	**-**	**27.69**	**1181.09**	**1336.04**

6.2 गैर चालू निवेश

(रुपये मिलियन में)

	31-03-2013		31-03-2012	
I. व्यापारिक निवेश				
क) निवेश संपत्ति				
बांद्रा कुर्ला काम्लेक्स		**36.31**		35.06
ख) इक्विटी दस्तावेजों में निवेश				
अ) एसोसिएट्स				
i. नीलांचल इस्पाएत निगम लि0				
प्रत्येक 10/–रू0 मूल्य के 289,342,744 पूर्ण प्रदत्ते इक्विटी शेयर (गत वर्ष 10/– रू0 मूल्य के 289,342,744 पूर्ण प्रदत्तव इक्विटी शेयर)	**3,796.85**		3,796.85	
जमा : अब तक एसोसिएट से आय	**854.59**		1,248.57	
घटा : गुड बिल	**131.50**		0.00	
जमा : पूंजी रिजर्व	**0.00**		980.29	
	4,519.94		6,025.71	
ii. डिवाना थर्मल पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लि0				
प्रत्ये्क 10/–रू0 मूल्यर के 13,000 पूर्ण प्रदत्् इक्विटी शेयर (गत वर्ष प्रत्येतक 10/–रू0 मूल्य के 13,000 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर)	**0.13**		0.13	
	0.13		0.13	
	0.00	**4,519.94**	0.00	6,025.71
ब) संयुक्त उपक्रम				
स) अन्य				
i. इंडो फ्रैंच बायोटैक लिमिटेड				
प्रत्येक 10 रूपये मूल्य के 4,750,000 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर (गत वर्ष प्रत्येक 10 रूपये मूल्य के 4,750,000 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर)	**47.50**		47.50	
घटाए : निवेश के मूल्य में ह्रास के लिए प्रावधान	**47.50**		47.50	
	0.00		0.00	
ii. यूनाईटिड स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड				
प्रत्येक 10/– रूपये मूल्य के 3,000,000 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर (गत वर्ष प्रत्येक 10/– रूपये मूल्य के 3,000,000 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर)	**30.00**	**30.00**	30.00	30.00
ग. सरकारी तथा ट्रस्ट सेक्यूरटीस में निवेश				
9% सरकारी स्टॉक 2013		**0.00**		0.03
		4,586.25		6,090.80
II. अन्य निवेश				
संयुक्त उद्यमों के इन्ट्रैस्ट में हिस्सा		**(6.63)**		(15.40)
कुल		**4,579.62**		**6,075.40**

सभी गैर चालू निवेशों का आकलन मूल्य में स्थायी ह्रास यदि कोई हो तो, इसके लिए किए गए प्रावधान को घटा कर लागत पर किया जाता है। निगम के कोई उद्धृत निवेश नहीं है। अनउद्धृत निवेशों की कुल योग राशि 4708.57 मिलियन रूपये (गत वर्ष 4685.33 मिलियन रूपये) है। निवेशों के मूल्य में ह्रास के लिए 47.53 मिलियन रूपये (गत वर्ष 47.53 मिलियन रूपये) की कुल राशि का प्रावधान किया गया है।

6.3 आस्थगित कर परिसंपत्तियां (सकल)

आस्थगित कर परिसंपत्तियां 31 मार्च 2013 को निम्नानुसार हैं। (रुपये मिलियन में)

विवरण	दिनांक 1.4.2012 को आस्थगित कर परिसंपत्तियां (देयता)	2012–13 के दौरान क्रेडिट (चार्ज)	दिनांक 31.03.2013 को अस्थगित कर परिसंपत्तियां (देयता)
मूल्यहरास	(194.87)	18.18	**(176.69)**
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	807.73	804.98	**1,612.71**
डीडब्यूए जोखिम	0.00	0.45	**0.45**
वीआरएस व्यय	8.56	9.04	**17.60**
आईटी विभाग से प्राप्त ब्याज	0.00	0.16	**0.16**
अन्य	93.54	(93.53)	**0.01**
संयुक्त उद्यमों में हित	(1.67)	5.60	**3.93**
कुल	**713.29**	**744.88**	**1,458.17**

6.4 दीर्घावधि ऋण व अग्रिम

(रुपये मिलियन में)

	31-03-2013		31-03-2012	
क. सुरक्षित जमा				
I. वसूली योग्य सुरक्षित	**49.46**		8.24	
II. वसूली योग्य असुरक्षित	**36.73**		78.73	
III. संदिग्ध	**37.45**		36.82	
अनुयोग	**123.64**		123.79	
घटाएं : अशोध्य व संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	**37.45**	**86.19**	36.82	86.97
ख. संबंधित पार्टियों को ऋण व अग्रिम				
I. वसूली योग्य सुरक्षित	**-**		-	
II. वसूली योग्य असुरक्षित				
अन्य	**3.56**		0.99	
III. संदिग्ध	**4.85**		4.85	
अनुयोग	**8.41**		5.84	
घटाएं : अशोध्य व संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	**4.85**	**3.56**	4.85	0.99
ग. अन्य ऋण व अग्रिम				
I. वसूली योग्य				
पी.एस.यूज/अन्य कम्पनियों को ऋण/अग्रिम	**158.22**		156.03	
अर्जित तथा प्राप्य/अप्राप्य ब्याज	**32.08**		50.81	
कर्मचारियों को ऋण	**186.86**	**377.16**	173.76	380.60
II. वसूली योग्य, असुरक्षित				
प्राप्त व देय ब्याज/अदेय ब्याज	**34.44**		3.36	
कर्मचारियों को ऋण	**91.04**		49.55	
अन्य	**472.56**		508.71	
III. संदिग्ध	**248.31**		289.36	
अनुयोग	**846.35**		850.98	
घटाए : अशोध्य व संदिग्ध अगिमों के लिए प्रावधान	**248.31**	**598.04**	289.36	561.62
		1,064.95		1,030.18
संयुक्त उद्यमों के इन्ट्रैस्ट में हिस्सा		**35.97**		44.36
योग		**1,100.92**		**1,074.54**

उपरोक्त राशि से निगम के निदेशकों अथवा अन्य अधिकारियों अथवा उनमें एक से अथवा किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से अथवा फार्म या प्राईवेट कम्पनी, जिसमें कोई निदेशक पार्टनर है अथवा निदेशक है अथवा सदस्य है, से 0.70 मिलियन रूपए (गत वर्ष 0.97 मिलियन रूपये) की राशि प्राप्य है।

6.5 अन्य गैर चालू परिसम्पत्तियाँ

(रुपये मिलियन में)

	31-03-2013		31-03-2012	
क. दीर्घावधि ट्रेड प्राप्य				
i. वसूली योग्य (परिसम्पत्तियों की हाईपोथिकेशन/टाईटल डीडस के मार्टगेज तथा बैंक गांरटियों से सुरक्षित)	0.00		0.96	
ii. वसूली योग्य असुरक्षित	17.43		21.95	
iii. संदिग्ध*	4,168.52		1,315.86	
अनुयोग	4,185.95		1,338.77	
घटाएं : अशोध्य व संदग्धि प्राप्तियों के लिए प्रावधान *	4,168.52	17.43	1,315.86	22.91
ख. अन्य		-		-
		17.43		22.91
संयुक्त उद्यमों के इन्ट्रैस्ट में हिस्सा		4.65		68.93
कुल		**22.08**		**91.84**

* सर्राफा लेन–देन संबंधी कुछ मामलों में क्षेत्रीय कार्यालय चेन्नै तथा क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद द्वारा हुई भूल चूक के कारण चेन्नै का 1157.49 मिलियन (गत वर्ष 1002.05 मिलियन रु0) और हैदराबाद कार्यालय का 2288.20 मिलियन रूपये (गत वर्ष शून्य मिलियिन रूपये) प्राप्त एवं प्रावधान के रूप में शामिल हैं। (नोट संख्या 17 देखें)

7 चालू परिसम्पत्तियाँ

7.1 वर्तमान निवेश

(रुपये मिलियन में)

	31-03-2013	31-03-2012
क. म्युचुअल फंड (उद्धृत) में निवेश		
आईडीबीआई फंड लिक्विड फंड (प्रतिदिन लाभांश) प्रत्येक 1000/–रु0 की 15000 यूनिट्स (गत वर्ष शून्य)	150.00	-
ख. सरकारी अथवा न्यास सिक्योरिटी में निवेश		
9% सरकारी स्टाक 2013	0.03	-
	150.03	-
संयुक्त उद्यमों के इन्ट्रैस्ट में हिस्सा	0.84	-
कुल	**150.87**	**-**

वर्तमान निवेश कम लागत और उचित मूल्य पर मूल्यांकित किए गए हैं।
31.03.2013 को उद्घृत निवेशों का कुल बाजार 150.00 मिलियन रूपये लागत (गत वर्ष शून्य) के स्थान पर 150.05 मिलियन (गत वर्ष शून्य मिलियन रूपये) है। अनुद्धृत निवेशों की कुल राशि 0.03 मिलियन रूपये (गत वर्ष शून्य मिलियन रूपये) है।

7.2 इन्वैंट्रीज

(रुपये मिलियन में)

	31-03-2013		31-03-2012	
क. कच्चा माल	100.48		93.94	
ख. प्रगति पर कार्य	-		-	
ग. तैयार माल	845.59		-	
घ. स्टॉक –इन–ट्रेड (1996.69 मिलियन रुपये (गत वर्ष 1809.95 मिलियन रुपये) गुड्स इन ट्रॉजिट शामिल है।)	7,942.09		9,149.17	
ड. स्टोर्स एंड स्पेयर्स	-		-	
च. लूज टूल्स	-		-	
छ. पैकिंग सामान	-		0.00	
ज. अन्य (विशिष्ट प्रकृति के)	0.65	8,888.81	1.20	9,244.31
		8,888.81	-	9,244.31
संयुक्त उद्यमों के इन्ट्रैस्ट में हिस्सा		124.80		257.84
कुल		**9,013.61**		**9,502.15**

जैसा प्रबंधतंत्र ने मूल्यांकित तथा प्रमाणित किया वैसा ही अपनाया गया। गुडस इन ट्राजिट सहित इन्वैंट्रीज का मूल्यांकन दिनांक 31मार्च 2013 को लागत के निम्नतर अथवा वसूली योग्य मूल्य पर किया गया।
बाजार मूल्य पर किया गया अंतिम स्टॉक का मूल्यांकलन लागत से भी कम होने के परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान 07.39 मिलियन रुपये (गत वर्ष 12.06 मिलियन रुपये) की हानि हुई।
आगे 31 मार्च 2013 के बाद सोने व चांदी के मूल्य में गिरावट हुई है जिसके कारण 21.05.2013 को वर्तमान वसूली योग्य मूल्य के आधार पर इन्वेन्टरी में 120.67 मिलियन रू0 की कमी आ सकती है।
इन्वैन्ट्री में 85.98 मिलियन रुपये मूल्य के स्टॉक शामिल हैं जो आईसीडी लुधियाना में प्राप्त हुए हैं तथा जिसके संबंध में क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा बिल ऑफ एंट्री फाईल की गई है। परन्तु आपूर्तिकर्ता द्वारा मास्टर बिल ऑफ लैडिंग उपलब्ध न करवाने के कारण क्षेत्रीय डिलीवरी प्राप्त नहीं कर सका।

7.3 ट्रेड प्राप्य रिसिवेबलस

(रुपये मिलियन में)

	31-03-2013		31-03-2012	
क. भुगतान के लिए नियत तिथि से छः माह अधिक की अवधि के बकाया ट्रेड प्राप्य				
i. वसूली योग्य सुरक्षित	3,969.65		1,015.72	
ii. वसूली योग्य असुरक्षित	1,062.09		1,128.88	
iii. संदिग्ध	152.08		546.88	
	5,183.82		2,691.48	
घटाएं : अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	152.08	5,031.74	546.88	2,144.60
ख. अन्य ट्रेड प्राप्य				
i. वसूली योग्य सुरक्षित	12,674.14		11,479.88	
ii. वसूली योग्य असुरक्षित	1,632.30		14,636.07	
iii. संदिग्ध	17.10		-	
	14,323.54		26,115.95	
घटाएं : अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	17.10	14,306.44	-	26,115.95
		19,338.18		28,260.55
संयुक्त उद्यमों के इन्ट्रैस्ट में हिस्सा		14.13		10.94
कुल		19,352.31		28,271.49

7.4 रोकड़ तथा बैंक शेष

(रुपये मिलियन में)

	31-03-2013		31-03-2012	
क. रोकड़ तथा रोकड़ समकक्ष				
–उपलब्ध चैक्स, ड्राफ्टस		563.73		9.12
–उपलब्ध रोकड		0.07		0.07
–बैंकों के पास शेष				
(क) चालू खाते में	247.14		2,493.17	
(ख) कैश क्रेडिट खातें में	427.53		174.29	
(ग) तीन माह की मूल मैच्यूरिटी के साथ सावधि जमा	2,838.40	3,513.07	2,408.75	5,076.21
ख. बैंकों के पास अन्य शेष				
–मार्जिन राशि के रूप में लियन के अर्न्तगत	3.00		2,392.80	
–तीन माह से अधिक तथा 12 माह तक की अवधि की मूल मैच्यूरिटी के सावधि जमा	11,409.42		21,759.13	
–12 माह से अधिक अवधि की मूल मैच्यूरिटी	1.13	11,413.55	173.62	24,325.55
		15,490.42		29,410.95
संयुक्त उद्यमों के इन्ट्रैस्ट में हिस्सा		1,565.00		69.96
कुल		17,055.42		29,480.91

मार्जिन राशि अथवा ऋणों के लिए सिक्यूरिटी, गारंटी, अन्य बाध्यताओं के रूप में बैंकों के पास 3.00मिलियन रुपए (विगत वर्ष 2392.80 मिलियन रुपए) शेष है।

भुगतान न किए गए लाभांश के लिए बैंकों के पास शेष में 0.07मिलियन रुपए (विगत वर्ष 0.05 मिलियन रुपए) शामिल है।

भारत के इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउटैंट्स द्वारा जारी लेखा मानक–3 के प्रावधानों के अनुरूप "रोकड़ एवं रोकड़ समकक्ष" को "रोकड़ एवं बैंक शेष" में परिवर्तित किया गया है।

7.5 लघु अवधि ऋण व अग्रिम

(रुपये मिलियन में)

	31-03-2013		31-03-2012	
क. संबंधित पार्टियों को ऋण व अग्रिम				
i. सुरक्षित वसूली योग्य	-		-	
ii. असुरक्षित वसूली योग्य	-		-	
iii. संदिग्ध	-		-	
	-		-	
घटाए : अशोध्य व संदिग्ध ऋणों व अग्रिमों के लिए प्रावधान	-	-	-	-
ख अन्य				
i. प्राप्य बिल	884.39		1,188.13	
घटाएं : डिस्काउंटेड बिल्स	0.00		7.01	
वसूली योग्य – सुरक्षित		884.39		1,181.12
ii. रोकड़ अथवा माल के रूप में				
वसूली योग्य – सुरक्षित	3,221.16		15,202.65	
वसूली योग्य – असुरक्षित	5,624.71		2,141.04	
संदिग्ध	275.00		176.55	
	9,120.87		17,520.24	
घटाएं : अशोध्य व संदिग्ध ऋण व अग्रिमों के लिए प्रावधान	275.00	8,845.87	176.55	17,343.69
iii. आपूर्तिकर्ताओं के अग्रिम				
वसूली योग्य – सुरक्षित	0.00		0.26	
वसूली योग्य – असुरक्षित	230.94		308.80	
संदिग्ध	35.16		89.96	
	266.10		399.02	
घटाएं : अशोध्य व संदिग्ध ऋण व अग्रिमों के लिए प्रावधान	35.16	230.94	89.96	309.06
iv. आयकर (अग्रिम आयकर, टीडीएस तथा प्राप्य रिफंड सहित)				
वसूली योग्य – असुरक्षित		1,205.04		1,326.09
		11,166.24		20,159.96
संयुक्त उद्यमों के इन्ट्रैस्ट में हिस्सा		421.83		15.78
कुल		**11,588.07**		**20,175.74**

निदेशको तथा अन्य अधिकारियों (मुख्य महाप्रबंधक तथा कम्पनी सचिव) को प्राप्य 0.10 मिलियन रुपए (विगत वर्ष 2.45 मिलियन रुपए)

7.6 अन्य वर्तमान परिसम्पत्तियां

(रुपये मिलियन में)

	31-03-2013		31-03-2012	
अस्थागित प्रीमियम	304.22		334.49	
बिल न किए गए क्रय के प्रति स्वर्ण/चांदी का स्टॉक	1,435.09		9,941.28	
	1,739.31		10,275.77	
घटाएंः संदिग्ध राशि, यदि कोई हो तो, के लिए प्रावधान	-	1,739.31	-	10,275.77
संयुक्त उद्यमों के इन्ट्रैस्ट में हिस्सा		15.86		0.99
कुल		**1,755.17**		**10,276.76**

8 प्रचालन से राजस्व

(रुपये मिलियन में)

	2012-13		2011-12	
क. उत्पादों के विक्रय		294,350.20		665,462.51
ख. सेवाओं के विक्रय		27.31		0.46
ग. अन्य प्रचालन राजस्व				
–अर्जित डिस्पैच	43.61		5.25	
–दावे	1,401.32		370.22	
–आर्थिक सहायता	294.86		2,937.36	
–अन्य व्यापारिक आय	219.32		746.22	
	1,959.11		4,059.05	
घटाएं :				
घ आबकारी शुल्क	10.52	1,948.59	3.10	4,055.95
		296,326.10		669,518.92
संयुक्त उद्यमों के इन्ट्रैस्ट में हिस्सा		32,530.05		705.15
कुल		**328,856.15**		**670,224.07**

विगत वर्षों के दौरान एनटीपीसी को आपूर्ति के लिए आयात किए गए कोयले के संबंध में, गंतव्य स्थान पर अंतिम गुणवत्ता विश्लेषण प्राप्त न होने के कारण फाइनल बीजक (इनवायस) जारी किए जाने तक कुछ मामलों में अनंतिम आधार पर बिक्री बुक की गई। लाभप्रदता पर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा क्योंकि फाइनल बीजक(इन्वायस) जारी होने पर यदि कोई अतंर होगा तो वह आपूर्तिकर्ता के खाते में होगा।

9 अन्य आय

(रुपये मिलियन में)

	2012-13		2011-12	
क. ब्याज				
–फिक्स डिपजिट पर ब्याज	1,953.23		3,879.95	
–ग्राहकों की विलम्बित राशि से ब्याज	174.63		134.35	
–अन्य	826.34	2,954.20	2,483.71	6,498.01
ख. लाभांश				
–सहायक कम्पनी से लाभांश				
–अन्य		12.75		-
ग. निवेशकों की बिक्री से सकल लाभ/हानि		-		-
घ. अन्य गैर–प्रचालन आय(उक्त आय पर सीधे आरोज्य सकल व्यय)				
–स्टाफ क्वार्टर किराया	5.61		5.40	
–विविध प्राप्तियॉं	114.44		159.83	
–रिटर्न बैक देयताएं	150.74		295.22	
–विदेशी मुद्रा विनिमय अर्जन	1.50		104.39	
घटा : विदेशी मुद्रा घाटा	-	272.29	-	564.84
		3,239.24		7,062.85
संयुक्त उद्यमों के इन्ट्रैस्ट में हिस्सा		97.82		16.64
कुल		**3,337.06**		**7,079.49**

10 प्रयुक्त माल की लागत

(रुपये मिलियन में)

	2012-13	2011-12
कच्चा माल	2,677.61	5,484.10
पैंकिग सामान	-	-
कंज्यूमेबल्स	-	-
लूज़ टूल्स	-	-
	2,677.61	5,484.10
संयुक्त उद्यमों के इन्ट्रैस्ट में हिस्सा	0.00	326.08
कुल	2,677.61	5,810.18

11 स्टॉक इन–ट्रेड का क्रय

(रुपये मिलियन में)

उत्पाद समूह	2012-13		2011-12	
क. कय				
बहुमूल्य धातुएं	104,987.17		470,946.10	
अलौह धातुएं	16,136.06		27,812.63	
उर्वरक	29,567.70		64,472.54	
खनिज	15,655.22		12,313.50	
कृषि उत्पाद	50,586.50		34,213.12	
कोयला व हाईड्रोकार्वन	58,137.75		42,254.04	
सामान्य व्यापार	9.12	275,079.52	396.93	652,408.86
ख. माल के रूप में प्राप्त/जारी किया गया स्टॉक				
बहुमूल्य धातुएं	(19.85)	(19.85)	(7.97)	(7.97)
		275,059.67		652,400.89
संयुक्त उद्यमों के इन्ट्रैस्ट में हिस्सा		31,970.49		28.29
कुल		307,030.16		652,429.18

12 इन्वैन्ट्रीज में परिवर्तन

(रुपये मिलियन में)

	2012-13		2011-12	
क. तैयार माल				
आरंभिक शेष	1,625.85		0.24	
अंतिम शेष	947.02		0.28	
तैयार माल की इन्वैंट्रीज में परिवर्तन		678.83		(0.04)
ख. प्रगति पर कार्य				
आरंभिक शेष	-		-	
अंतिम शेष	-		-	
प्रगति पर कार्य की इन्वैट्रीज़ में परिवर्तन		-		-
ग. स्टॉक–इन–ट्रेड				
आरंभिक शेष	7,357.82		6,479.73	
अंतिम शेष	7,949.19		9,256.09	
स्टॉक–इन–ट्रेड की इन्वैट्रीज में परिवर्तन		(591.37)		(2,776.36)
		87.46		(2,776.40)
संयुक्त उद्यमों के इन्ट्रैस्ट में हिस्सा		154.61		(167.00)
इन्वैट्रीज में कुल परिवर्तन		242.07		(2,943.40)

13 कर्मचारी–लाभ व्यय

(रुपये मिलियन में)

	2012-13		2011-12	
वेतन एवं भत्ते				
वेतन एवं भत्ते	1,215.16		1,156.64	
छुट्टी नकदीकरण	129.16		123.61	
वीआर व्यय	28.44		36.87	
बोनस	12.78		5.54	
निष्पादन संबंधित वेतन	6.25		50.92	
चिकित्सा व्यय	111.90		85.21	
अधिवर्षिता के उपरान्त चिकित्सा व्यय	337.26		199.22	
ग्रूप बीमा	0.16		0.40	
डीएलआईएस में अशंदान	1.44	1,842.55	1.28	1,659.69
भविष्य निधि तथा अन्य निधियों में अशंदान				
भविष्य निधि	92.38		83.56	
ग्रेच्युटी निधि	31.77		35.23	
परिवार पैंशन योजना	12.37		9.66	
अधिवार्षिता लाभ	62.77	199.29	66.48	194.93
ईएसओपी/ईएसपीपी		0.00		0.00
स्टॉफ कल्याण व्यय		45.90		34.23
		2,087.74		1,888.85
संयुक्त उद्यमों के इन्ट्रैस्ट में हिस्सा		49.76		34.51
कुल		2,137.50		1,923.36

वेतन संशोधन के लिए डीपीई के दिशा निर्देशों के अनुसार वर्ष के दौरान अधिवर्षिता लाभ के लिए 62.77 मिलियन रुपए (विगत वर्ष 66.48 मिलियन रुपए) की देयता का प्रावधान किया गया।

14 वित्त लागत

(रुपये मिलियन में)

	2012-13	2011-12
I. ब्याज व्यय	1,557.22	5,144.98
II. अन्य ऋण लागत	-	0.00
III. विदेशी मुद्रा पर लागू सकल लाभ/हानि	0.37	-
IV. फारवर्ड कांट्रेक्ट पर प्रीमियम	786.46	728.62
	2,344.05	5,873.60
संयुक्त उद्यमों के इन्ट्रैस्ट में हिस्सा	159.12	28.96
कुल योग	2,503.17	5,902.56

ब्याज व्यय में अग्रिम आयकर के भुगतान में कमी के लिए भुगतान किए गए 1.51 मिलियन रुपए (विगत वर्ष 14.34 मिलियन रुपए) शामिल है।

15 अन्य व्यय

(रुपये मिलियन में)

	2012-13		2011-12	
क. प्रचालन व्यय				
भाड़ा	**5,416.68**		1,691.88	
डेमरेज	**50.43**		124.07	
क्लियरिंग, हैंडलिंग एवं अन्य प्रभार	**2,141.36**		933.24	
एलसी नेगोशियशन एवं अन्य प्रभार	**26.17**		42.55	
विनिमय में अंतर (i)	**(192.64)**		195.57	
सीमा शुल्क	**7,351.55**		8,807.41	
बीमा	**26.14**		13.01	
गोदाम बीमा	**14.00**		10.62	
प्लॉट तथा गोदाम किराया	**4.20**		24.12	
पैकिंग माल	**446.68**		22.00	
गंतव्यी भार एवं विश्लेषण जोखिम के लिए प्रावधान	**1.38**	**15,285.95**	0.00	11,864.47
ख. प्रशासनिक व्यय				
स्टोर्स तथा स्पेयर पार्टस का उपभोग	**-**		-	
ऊर्जा एवं इंधन	**1.24**		1.24	
किराया	**43.34**		35.81	
दरें एवं कर	**16.81**		24.83	
बीमा	**1.59**		3.44	
भवनों की मरम्मत	**36.16**		39.09	
मशीनों की मरम्मत	**1.14**		4.44	
बिजली एव जल प्रभार	**23.36**		20.29	
विज्ञापन एवं प्रचार	**30.59**		31.71	
प्रिंटिंग व स्टेशनरी	**7.33**		7.70	
पोस्टेज एवं टेलीग्राम	**1.70**		1.99	
टेलीफोन	**16.49**		17.56	
टेलीकम्यूनिकेशन	**10.94**		10.99	
यात्रा	**50.05**		39.70	
वाहन	**19.31**		18.90	
मनोरंजन	**7.83**		8.34	
विधिक	**43.71**		19.54	
लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक	**8.02**		6.85	
बैंक प्रभार	**5.12**		22.82	
किताबें एवं पत्रिकाएं	**0.57**		0.59	
ट्रेड – व्यय	**5.01**		5.23	
मरम्मत एवं नवीकरण	**18.28**		19.59	
कंप्यूटर व्यय	**0.64**		1.13	
अंशदान	**4.95**		4.41	
प्रशिक्षण सेमिनार तथा कान्फ्रेंस	**5.44**		3.81	
प्रोफश्नल/कंसलटैंसी	**23.31**		23.85	
सीएसआर तथा टिकाऊ विकास	**18.23**		34.50	
विनिमय में अंतर	**(45.07)**		5.43	
डोनेशन	**-**		0.11	
सेवा कर	**3.07**		-	
पूर्वावधि मदें	**(5.52)**		(109.26)	
प्रदर्शनी, मेले एवं बिक्री प्रोमोशन	**37.96**		69.28	
अशोध्य ऋण/दावे/बट्टे खाते में डाली गई/निकाली गई(विदड्रान) परिसंपत्तियां	**0.70**		1.35	
अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों/दावों/अग्रिमों के लिए प्रावधान	**62.53**		133.11	
विविध व्यय	**119.80**	**574.63**	67.57	575.44
		15,860.58		12,439.91
संयुक्त उद्यमों के इन्ट्रैस्ट में हिस्सा		**164.21**		105.78
कुल		**16,024.79**		**12,545.69**

(i) बी/एल तिथि को अप्रयोगमूलक विनिमय दरों को अपनाने के कारण।

(क) आयात के लिए 304.22 मिलियन रुपये (विगत वर्ष 335.60 मिलियन रुपये) के अस्थगित फारवर्ड प्रीमियम तथा निर्यात के लिए शून्य मिलियन रुपये (विगत वर्ष 1.10 मिलियन रुपये) की पहचान अगले लेखा वर्ष के लाभ हानि खाते में की जाएगी।

(ii) लेखा परीक्षकों को भुगतान की गई राशि

(रुपये मिलियन में)

	2012-13	2011-12
लेखा परीक्षकों के रूप में	**4.77**	4.06
कराधान मामलों के लिए	**1.15**	1.12
कंपनी विधि मामलों के लिए	**-**	-
प्रबंधतंत्र सेवाओं के लिए	**0.03**	0.03
अन्य सेवाओं के लिए	**1.66**	1.37
व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए	**0.41**	0.28
कुल	**8.02**	**6.85**

(iii) पूर्वावधि मदें

(रुपये मिलियन में)

	2012-13	2011-12
व्यय		
विक्रय की लागत	**383.52**	20.85
वेतन एवं भत्ते	**0.00**	0.21
प्रशासनिक व्यय	**0.69**	5.88
ब्याज	**4.09**	4.49
मूल्यह्रास	**-1.03**	0.41
अन्य	**11.10**	1.59
अनुयोग	**398.37**	33.43
आय		
बिक्री	**349.10**	1.85
ब्याज	**0.38**	134.84
अन्य प्राप्तियां	**54.42**	6.01
अनुयोग	**403.90**	142.69
कुल (योग)	**(5.52)**	**(109.26)**

16 अपवादिक मदें

अपवादिक मदों में निम्नलिखित शामिल है :–

(रुपये मिलियन में)

	2012-13		2011-12	
इन्वैंट्रीज का शुद्ध वसूली योग्य मूल्य के बराबर राइट डाउन करना और उसके मूल्य के किसी प्रावधान का रिवर्सन	**7.39**		12.06	
स्थायी परिसंपत्तियों के मदों का निपटारा	**-**		-	
दीर्घावधि निवेशों का निपटारा	**(0.46)**		(0.06)	
पूर्वकाल से लागू विधायी परिवर्तन	**-**		-	
विवाद निपटान	**-**		-	
प्रावधानों का रिवर्सल	**144.63**		-	
प्रावधान जिसकी अब आवश्यकता नहीं है	**(24.42)**		(14.51)	
निवेश संपत्ति के मूल्य में गिरावट कुल	**0.00**		1.25	
संयुक्त उद्यमों के इन्ट्रैस्ट में हिस्सा	**0.14**	**127.28**	0.00	(1.26)
		127.28		**(1.26)**

17. असाधारण मदें

(i) चैन्ने क्षेत्रीय कार्यालय में बुलियन के लेन देन में हुई कुछ चूकों के कारण विगत वर्षो के देनदारों से वसूलीयोग्य राशि के प्रति चार्टर्ड एकाउंटैंटस की फर्म द्वारा की गई विशेष लेखा परीक्षा की अंतिम रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर लेखा खातों में 155.44 मिलियन रुपये (विगत वर्ष 1002.05 मिलियन रुपये) का प्रावधान किया गया है। शेष देनदारों को पुनः दर्शाया गया है तथा 13.40 मिलियन रुपये के क्रेडिट शेष तथा 48.02 मिलियन रुपये के डेबिट शेष का अभी भी समायोजन किया जाना है परन्तु डेबिट शेष के लिए 1157.49 मिलियन रुपये का संपूर्ण प्रावधान किया गया है। निगम ने सीबीआई को शिकायत भी की है कि जिन्होंने अब तक दो अलग–अलग एफआईआर दर्ज की हैं तथा विस्तृत जांच भी आरंभ कर दी है। प्रवर्तन निदेशालय ने भी दो पूर्व अधिकारियों तथा दो देनदारों के विरुद्ध प्रिवेंशन आफ मनी लाडरिंग अधिनियम 2002 के अंतर्गत अभियोग लगाया है।

(ii) केपीएमजी द्वारा की गई विशेष लेखा परीक्षा के जांच परिणामों के आधार पर हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय में बुलियन के लेन देन में हुई कुछ चूकों के कारण विगत वर्षो के देनदारों से वसूली योग्य राशि के प्रति लेखा खातों में 2288. 20 मिलियन रुपये(विगत वर्ष शून्य मिलियन रुपये) का प्रावधान किया गया है। कम्पनी ने इसकी सीबीआई से शिकायत भी की है तथा उन्होंने एफआईआर दर्ज करने के साथ–साथ विस्तृत जांच भी आरंभ कर दी है।

18. आकस्मिक देयताएं एवं वचनबद्धता(उस सीमा तक जिसका प्रावधान नही)

1. आकस्मिक देयताएँ

क) कंपनी की तरफ से बैंकों द्वारा जारी 4448.26 मिलियन रुपये (पिछले वर्ष 1460 मिलियन रुपये) की गारंटियॉ अनुबंध के निष्पादन के लिए ग्राहक के पक्ष में 2017.15 मिलियन रुपए (पिछले वर्ष 360.40 मिलियन रुपए) राशि की कारपोरेट गारंटी दी गई है, जिसके विरूद्ध एसोसिएट आपूर्तिकारों से बैक–अप गारंटियां प्राप्त की गई हैं।

ख) एनआईएनएल के ऋणों से संबंधित मूल तथा ब्याज राशि की सुनिश्चितता के लिए वित्तीय संस्थाओं/बैंकों को नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड (एनआईएनएल) की ओर से निगम द्वारा दी गई 14409.10 मिलियन रुपये (पिछले वर्ष 14409.10 मिलियन रुपये की कारपोरेट गारंटी।

ग) कंपनी के विरूद्ध 2274.05 मिलियन रुपये (पिछले वर्ष 816.88 मिलियन रुपये) के दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया।

घ) कंपनी द्वारा खोले गये साख पत्रों में से 6142.11 मि. रुपये (पिछले वर्ष 9901.18 मिलियन रुपये) की राशि बकाया है।

ड.) बैंकों से शून्य मिलियन रुपये (गत वर्ष 7.01 मिलियन रुपये) के बिल डिस्काउंट कराये गये।

च) 988.89मिलियन रुपये (पिछले वर्ष 995.70 मिलियन रुपये) की विवादित बिक्रीकर मॉग जिसके लिए 115.96 मिलियन रुपये(पिछले वर्ष 94.92 मिलियन रुपये) जमा कराये गये और 6.74 मिलियन रुपये(पिछले वर्ष 6.74 मिलियन रुपये) बैंक गारंटियों द्वारा पूरे किए गए।

छ) व्यापार सहायक सेवा के संबंध में 486.48 मिलियन रू (पिछले वर्ष 470.38 मिलियन रू) की सेवा कर मांग।

ज) निष्पादन, मूल दस्तावेजों की प्रस्तुति इत्यादि के लिए कस्टम विभाग को बांड प्रस्तुत किए गए हैं जिनमें से कुछ अभी भी बकाया हैं। 31.03.2013 को असमाप्त बांडो की राशि 1697.08 मिलियन रुपये(गत वर्ष 987.79 मिलियन रुपये) है।

झ) बिक्री कर मांग के मूल्य निर्धारण होने पर कर्मचारियों के विवादित दावें हैंडलिंग एजेंट व ठेकेदारों के भविष्य निधि न काटने, विवादित किराया व ब्याज/दंड/विधिक लागत आदि के कारण इनके संबंध में आकस्मिक देयताएं के रूप में दिखाई गई राशि अनिश्चित होने के कारण उस पर विचार नहीं किया गया।

ञ) एक पार्टी ने एनआईएनएल के कोकिंग कोल की आंशिक मात्राा के न उठाये जाने के संबंध में नोटिस जारी किया है जिसकी सुपुर्दगी वर्ष 2008–09 से संबंधित है और 4273.71 मिलियन रुपए(31.03.2013 को अंतिम विनिमय दर जो 54.29 अमेरिकी डालर में 78. 72 मिलियन अमेरिकी डालर है) (गत वर्ष 4005.00 मिलियन रुपए) का 30 सितंबर, 2009 से 12प्र वार्षिक ब्याज का दावा किया है, व जिसका खंडन किया गया है क्योंकि यह मान्य नहीं है। एमएमटीसी ने भी वर्ष 2009–10 के लिए कोकिंग कोल की आपूर्ति न किये जाने हेतु प्रति दावा करते हुए पार्टी को नोटिस दिया है। यह मामला सरकार के स्तर पर उठाया गया है क्योंकि आपूर्तिकार, अन्य पीएसयू को भी कोकिंग कोल की आपूर्ति करने वाले मुख्य आपूर्तिकारों में से एक है तथा

आपूर्ति की शर्तें व मूल्य सरकार तथा पीएसयू के वरिष्ठ स्तर के नामितियों की सशक्त संयुक्त समिति द्वारा निर्धारित किया जाता है।

त) कस्टम विभाग ने चालू वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा आपूर्ति किए गए स्टीम कोल के आयात पर अंतरीय कस्टम ड्यूटी के लिए विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालय से 1850.13 मिलियन डालर (पिछले वर्ष शून्य मिलियन डालर) की मांग रखी! यह आपूर्ति सहयोगी आपूर्तिकर्ताओं के माध्यम से बैक–टू–बैक की शर्तों पर स्थिर मार्जन आधार पर थी।

थ) इनमें से कुछ मामलों में आकस्मिक देयताओं के तहत शामिल की गयी राशि भारत सरकार के खाते में किये गये वस्तु व्यापार से संबंधित है और इसे भारत सरकार से वसूल किया जाना है।

द) उनके लेखा परीक्षित लेखा विवरणों के आधार पर संयुक्त उपक्रमों की आकस्मिक देयताओं में शेयर 137. 46 मि. रूपये (पिछले वर्ष 172.89 मि. रू.)

ध) उनके लेखा परीक्षित लेखा विवरणों के आधार पर एसोसिएटस की आकस्मिक देयताओं में शेयर 3002.84 मि. रूपये (पिछले वर्ष 1995.91 मि. रू.)

(ii) वचनबद्धताएंः

(क) पूंजी खातों पर निष्पादित नही किये गये करारों की अनुमानित राशि और 2.82 मिलियन रू (पिछले वर्ष शून्य मिलियन रू) का प्रावधान नही किया गया।

(ख) पूंजी खातों पर निष्पादित नही किये जाने वाले शेष करारों में अनुमानित राशि और 49.94 मिलियन रू (पिछले वर्ष 23.52 मिलियन रू) में और शेयर का उनके लेखा परीक्षित खातों विवरणों के आधार पर संयुक्त उपक्रम के लिए प्रावधान नही किया गया।

(ग) पूंजी खातों पर निष्पादित नही किये जाने वाले शेष करारों में अनुमानित राशि और 1710.02 मिलियन रू (पिछले वर्ष शून्य मिलियन रू) में और शेयर का उनके लेखा परीक्षित खातों विवरणों के आधार पर एसोसिएटस के लिए प्रावधान नही किया गया।

सामान्य प्रस्तुति

19. कम्पनी द्वारा बिना बिल के खरीदे गये निम्नलिखित माल को जमा में रखा गया है और जिसको अन्य चालू परिसम्पतियों(टिप्पणी सं. 7.6) तथा अन्य चालू देयताओं (टिप्पणी सं.5.3) में दिखाया गया है।

(मिलियन रुपए में)

मदें	31.03.2013		31.03.2012	
	मात्रा (किग्रा.)	मूल्य	मात्रा (किग्रा.)	मूल्य
स्वर्ण	434.00	1,354.48	3,469.00	9,450.18
स्वर्णाभूषण	0.00	6.87	44.29	124.82
चांदी	1,475.00	73.74	6,904.00	366.27

20. स्वर्ण तथा चांदी के आयात के लिए एक नामित एजेंसी होने के कारण निगम ने यूसेंस एल/सी के अधीन सोने का आयात किया है या क्रेता के क्रेडिट का उपयोग किया है। बिक्री मूल्य के रूप में प्राप्त राशि को बैंक के पास मार्जिन राशि के रूप में सावधि जमा के अंतर्गत रखा जाता है। इस पर अर्जित ब्याज यूसेंस एल/सी या क्रेता के क्रेडिट का निश्चित तिथि से पूर्व ग्राहकों से प्राप्त अदायगी एक व्यापारिक नीति के अनुसार ग्राहकों को देय होता है।

21. मुम्बई में कार्यालय परिसर से संबद्ध जून 2000 से मार्च 2002 की अवधि के मध्यवर्ती लाभ के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट आफ स्माल काजेज के अंतरिम आदेश के आधार पर 30.00 मिलियन रुपये की राशि को कोर्ट में जमा कराया गया है और सुप्रीम कोर्ट के अंतिम आदेश के आधार पर अंतिम समझौता राशि देयता के रूप में लेखों में विद्यमान पूरी राशि के लिए 20.00 मिलियन रुपये का भुगतान देय है। क्षेत्रीय कार्यालय मुम्बई ने टीडीएस काटकर चैक जारी कर दिया है परंतु पार्टी ने उसे स्वीकार नहीं किया और मामले को कोर्ट में दायर कर दिया है जिसका निर्णय लम्बित है। कोर्ट के अंतिम आदेश आने के बाद लेखों में समायोजन, यदि कोई है, किया जाएगा।

22. कंपनी ने प्राधिकृत डीलरों से बकाया जीआर–1 फॉर्म के संबंध में देय तिथि के बाद वसूली के लिए समय बढ़ाने के लिए/छोड़ने के लिए/बट्टे खाते में डालने के लिये आवेदन किया है। इनका फैसला होने तक देयता का निर्धारण नहीं किया जा सकता। प्रवर्तन निदेशालय ने 19.81 मिलियन रुपये (गत वर्ष 23.33 मिलियन रुपये) का दण्ड लगाया है जिसका प्रतिवाद किया जा रहा है। इसके बावत 0.30 मिलियन रुपये (विगत वर्ष 1.60 मिलियन रुपये) की राशि जमा करवाई गई है तथा 10.30 मिलियन रुपये (पिछले वर्ष 10.30 मिलियन रुपये) की बैंक गारंटी प्रस्तुत की गई है।

23. हाल के वर्षों में आए व्यापार मोडल में विभिन्न बदलावों के कारण और नवीनतम सांविधिक जरूरतों को पूरा करने के लिए कंपनी ने वर्तमान ईआरपी पैकेज को बदलने का निर्णय लिया है।

24. लेखां मानक–15 (संशोधित) के अनुसार कंपनी द्वारा कर्मचारियों को निम्नानुसार लाभ प्रदान किये गये हैः–

(i) अवकाश नगदीकरण : नौकरी उपरांत पात्रा कर्मचारियों को उनके अर्जित अवकाश व अर्धवेतन अवकाश का नकदीकरण देय है। संचित अर्जित अवकाश का नगदीकरण न्यूनतम 15 दिन का अर्जित अवकाश छोड़कर वर्ष में दो बार करवा सकते है।

(ii) सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी) : सेवानिवृत्त

कार्मिकों के लिए सूचीबद्ध अस्पतालों में भर्ती होकर या ओपीडी उपचार सुविधा उपलब्ध है।

(iii) ग्रेच्युटी : ग्रेच्युटी समस्त कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति/सेवा छोड़ने पर सेवाकाल के वर्षों की संख्या के आधार पर प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत अदायगी कंपनी द्वारा की जाती है जिसकी व्यवस्था एक अलग ट्रस्ट द्वारा एलआईसी के माध्यम से की जाती है। माइका प्रभाग के कार्मिकों के संबंध में इस योजना की व्यवस्था प्रत्यक्ष रुप से कंपनी द्वारा एलआईसी के माध्यम से की जाती है।

(iv) दीर्घ सेवा लाभः कार्मिकों को देय दीर्घ सेवा लाभ निम्नानुसार हैं :–

(क) अधिवर्षिता /स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना पर कार्मिकों को देय सेवा के प्रत्येक समाप्त वर्ष हेतु 2500/– रुपये राशि का सेवा अवार्ड।

(ख) सेवाकाल में मृत्यु पर, कार्मिक के आश्रितों को एकमुश्त में देय 50,000/– रुपए राशि की सहानुभूतिशील ग्रेच्युटी।

(ग) कर्मचारी परिवार लाभ योजना के अंतर्गत भुगतान, अधिवर्षिता की सैद्धान्तिक तिथि तक, कर्मचारी के आश्रितों को देय हो जिसकी मृत्यु सेवा में होती है। 20 वर्षों से कम सेवा करने पर अधिकतम 12,000/– रुपए के अधीन, आखिरी मूल वेतन व डीए के 40 प्र की दर पर मासिक लाभ है तथा सेवाकाल में मृत्यु के समय 20 वर्षों से भी अधिक सेवा करने पर, अधिकतम 12,000/– रुपए के अधीन, आखिरी मूल वेतन व डीए के 50प्र की दर पर मासिक लाभ हैं।

''कर्मचारी लाभ'' संबंधी लेखा मानक – 15 (संशोधित) के अनुसार परिभाषित लाभ बाध्यताओं के अंतर्गत वांछित अन्य प्रकटन इस प्रकार हैं :–

(क) परिभाषित लाभ बाध्यताओं के वर्तमान मूल्य का समाधान :

(रुपये मिलियन में)

क्रं. सं.	विवरण	ग्रेच्युटी	अर्जित छुट्टी नकदी करण	बीमारी छुट्टी नकदी करण	सेवानिवृति उपरांत चिकित्सा लाभ	दीर्घ सेवा लाभ
(I)	परियोजित लाभ बाध्यताओं का दिनांक 1.4.2012 को वर्तमान मूल्य	704.92	240.04	160.92	982.00	100.09
(ii)	ब्याज लागत	56.39	18.77	13.01	81.04	
(iii)	वर्तमान सेवा लागत	14.15	9.80	6.59	11.23	
(iv)	प्रदत्त लाभ	43.02	57.25	9.06	69.45	
(v)	बीमांककीय (लाभ/हानि)	24.10	63.94	16.07	281.39	12.84
(vi)	31.3.2013 को बाध्यताओं का वर्तमान मूल्य (i+ii+iii-iv+v)	756.54	275.30	187.53	1286.21	112.93

(ख) 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लाभ व हानि विवरण लेखा में दर्शाये गये व्यय :

(रुपये मिलियन में)

क्रं. सं.	विवरण	ग्रेच्युटी	अर्जित छुट्टी नकदी करण	बीमारी छुट्टी नकदी करण	सेवानिवृति उपरांत चिकित्सा लाभ	दीर्घ सेवा लाभ
(i)	सेवा लागत	14.15	9.80	6.59	11.23	
(ii)	ब्याज लागत	56.39	18.77	13.01	81.04	
(iii)	योजनागत परिसपंतियों पर वास्तविक रिटर्न	65.21	-	-	-	
(iv)	अवधि के दौरान शुद्ध बीमांककीय (लाभ)/हानि	24.10	63.94	16.07	281.39	12.84
(v)	लाभ व हानि खातों में लिए गए व्यय (i+ii-iii+iv)	29.43	92.51	35.67	373.66	12.84

(ग) परियोजित परिसंपतियों के उचित मूल्य में परिवर्तन :

(रुपये मिलियन में)

		ग्रेच्युटी
1.4.2012 को योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	709.04	
आरंभिक शेष में समायोजन	0.60	708.44
योजनागत परिसंपतियों पर वास्तविक रिटर्न		65.21
नियोक्ता द्वारा अंशदान		29.25
प्रदत्त लाभ		43.02
बीमांककीय लाभ/(हानि)		-
31.3.2013 को योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य		759.88

(घ) सेवा निवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ योजना के तहत लाभों के मूल्यांकन के संबंध में संभावित मुद्रास्फीति दर में एक प्रतिशत प्वाइंट परिवर्तन का प्रभाव : –

(रुपये मिलियन में)

क्रं. सं.	विवरण	मुद्रास्फीति दर में 1 प्रतिशतता वृद्धि	मुद्रास्फीति दर में 1 प्रतिशतता वृद्धि
i)	सेवा लागत व ब्याज लागत के समग्र पर प्रभाव	10.91	(9.02)
ii)	परिभाषित लाभ बाध्यताओं पर प्रभाव	107.35	(90.03)

(ड.) बीमांककीय कल्पनाएं :

क्रं. सं.	विवरण	31.03.2013 को
(i)	छूट दर(प्रतिवर्ष)	8.00 प्र/8.00 प्र – एलआईसी/अन्य
(ii)	भविष्य लागत वृद्धि	6.00प्र/5.5.0 प्र – एलआईसी/अन्य
(iii)	सेवा निवृति आयु	60 वर्ष
(iv)	मृत्यु संख्या विवरण	एलआईसी(1994–96) यथा संशोधित
(v)	निकासी दरें	आयु पर आधारित 1प्र से 3प्र

25. लेखा मानक–17 के अनुसार कंपनी ने खनिजों, बहुमूल्य धातुओं, कृषि उत्पादों, कोयला व हाइड्रोकार्बन, उर्वरकों तथा सामान्य व्यापार/अन्य को अपने प्राथमिक रिपोर्ट योग्य बिजनेस सैगमेंटों के रूप में पहचान की है। सैकेंडरी सैगमेंटों में जिनकी पहचान की गई है भारत के भीतर व बाहर भौगोलिक स्थिति पर आधारित है। अनुलग्नक क में विस्तार पूर्व विवरण दिया गया है।

26. लेखा मानक–18 के अंतर्गत संबंधित पार्टियों का प्रकटन (प्रबंधतंत्रा द्वारा यथा–निर्धारित एवं प्रमाणित)

(क) संबंधित पार्टियों के नाम एवं संबंध का विवरण :

क) प्रबंधतंत्रा के प्रमुख कार्मिक

i.	श्री डी एस ढेसी,	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (दिनांक 08.10.2012 से)
ii.	श्रीमती विजयलक्ष्मी जोशी,	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (दिनांक 05.10.2012 तक)
iii.	श्री सुनीर खुराना,	निदेशक (दिनांक 18.09.2012 तक)
iv.	श्री वेद प्रकाश,	निदेशक
v.	श्री राजीव जयदेव,	निदेशक
vi.	श्री एम जी गुप्ता,	निदेशक
vii.	श्री आनन्द त्रिवेदी,	निदेशक (दिनांक 03.07.2012 से)
viii.	श्री पी के जैन,	निदेशक (दिनांक 15.05.2013 से)
ix.	श्री तपस कुमार सेनगुप्ता	प्रबंध निदेशक, एमटीपीएल
x.	श्री विजय कुमार गुप्ता	निदेशक, एमटीपीएल

ख) सहायक कंपनी
एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर

ग) एसोसिएट
नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड
देवोना थर्मल पावर एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड

घ) संयुक्त उद्यम
फ्री ट्रेड वेयर हाउसिंग प्रा. लिमिटेड
हल्दिया फ्री ट्रेड वेयर हाउसिंग प्रा. लिमिटेड
ग्रेटर नौएडा इंटिग्रेटिड वेयर हाउसिंग प्रा. लिमिटेड
इंटिग्रेटिड वेयरहाउसिंग कांडला प्रोजेक्ट डेवलपमेंट प्रा. लिमिटेड
एमएमटीसी पेम्प इंडिया प्रा. लिमिटेड
एमएमटीसी गीतांजली प्राइवेट लिमिटेड
इंडियन कमोटिडी एक्सचेंज लिमिटेड
सिकल आयरन ओर टर्मिनल लिमिटेड
टीएम माइनिंग कंपनी लिमिटेड
ब्ल्यू वाटर आयरन ओर थर्मल प्रा.लि.

(रुपये मिलियन में)

विवरण	एसोशिएट्स	संयुक्त उद्यम	प्रबंधतंत्र के प्रमुख कार्मिक	कुल
माल की खरीद	15967.74	151.40		16119.14
माल की बिक्री	9796.35	1486.59		11282.94
स्थायी परिसंपत्तियों की बिक्री				
प्राप्त लाभांश				
रोकड़ अथवा वस्तु के रूप में ऋण तथा इक्विटी अंशदान सहित वित्त				
कारपोरेट गारंटी				
अन्य भुगतान डेमरेज/ डिस्पैच				
अन्य प्राप्तियां डेमरेज/ डिस्पैच				
पारिश्रमिक			49.76	49.76
बकाया शेष				
प्राप्य	4736.24	3.34		4739.58
देय	44.87	1.57		46.44

27. प्रति शेयर अर्जन (रुपये मिलियन में)

विवरण	2012.13	2011.12
कर पश्चात लाभ (मिलियन रुपये में)	(1106.54)	572.97
इक्विटी शेयरों की कुल संख्या(मिलियन)	1000.00	1000.00
बेसिक और डाइल्यूटिड प्रति शेयर अर्जन (रुपये) (अंकित मूल्य 1/– रु. प्रति शेयर) (गत वर्ष फेस वैल्यू 1/– रू. प्रति शेयर)	(1.11)	0.57

28. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी संयुक्त उद्यमों मे स्वामित्व की वित्तीय रिपोर्ट लेखा मानक–27 के अनुसार भारत में निगमित सभी संयुक्त उद्यम कंपनियों में स्वामित्व की हिस्सेदारी, परिसंपत्तियां, देयताएं, आय, व्यय, विविध देयताएं व पूंजीगत अर्हताएं निम्नानुसार हैंः–

(रुपये मिलियन में)

क्र. सं.	संयुक्त उद्यम कंपनी का नाम	कंपनी के स्वामित्व का प्रतिशत	निगमन का देश	परि संपत्तियां	देयताएं	आय	व्यय	विविध देयताएं	पूंजीगत वचन बद्धताएं
1	फ्री ट्रेड वेयर हाउसिंग प्रा. लि.	26	India	144.74	141.77	0.46	0.59	10.46	
2	ग्रेटर नौएडा इंटिग्रेटिड वेयर हाउसिंग प्रा. लि.	26	India		0.02		0.01		
3	एमएमटीसी –पेंप इंडिया प्रा. लि.	26	India	2444.60	2235.09	32445.00	32328.27	32.00	4.82
4	सिकाल आयरन ओर टर्मिनल लि.	26	India	1213.56	875.63			16.01	45.12
5	एमएमटीसी गीताजंलि प्रा. लि.	26	India	91.49	62.40	159.63	158.46	78.99	
6	इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड'	26	India	125.62	57.36	22.79	50.68		
7	टीएम माइनिंग कंपनी लिमिटेड	26	India	0.01	0.08		0.12		
8	ब्ल्यू वाटर आयरन ओर थर्मल प्रा.लि. *	18	India	0.98	0.93	0.05	12.43		

* अन–अंकेक्षित

29. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टड एकाउंटेंटस ऑफ इंडिया द्वारा विनिर्दिष्ट 'परिसंपत्तियों की हानि' जैसा कि मानक लेखा (ए एस 28) द्वारा वांछित है कंपनी ने परिसंपत्तियों की हानि का मूल्य निर्धारण किया है। वर्ष के दौरान कोई हानि नहीं हुई है।

30. मानक लेखा – 29 के अनुसार प्रावधानों का समाधान निम्नानुसार है:–

(रुपये मिलियन में)

प्रावधानों का विवरण	1.4.12 को आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान समायोजन	वर्ष के दौरान वृद्धि	31.03.13 को अंतिम शेष
गंतव्य भार व विश्लेषण जोखिम	0.00	0.00	1.38	1.38
बोनस/पीआरपी	113.92	58.69	12.78	68.01
अधिवर्षिता लाभ	287.55	283.86	62.77	66.46
कराधान का प्रावधान	1336.38	777.36	270.22	829.24
प्रस्तावित लाभांश	404.98	404.98	201.97	201.97
प्रस्तावित लाभांश पर कर	40.56	40.56	0.00	0.00
निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व हेतु अनुपयोग बजट	0.72	0.72	0.00	0.00

31. ऋण व अग्रिम में 1204.71 मिलियन रुपये (गत वर्ष 1325.78 मिलियन रुपये) के आयकर में विभिन्न निर्धारण वर्षो के लिए आयकर विभाग की 357.23 मिलियन रुपये (गत वर्ष 293.80 मिलियन रुपये) की विवादित मांग के प्रति आयकर विभाग को भुगतान किए गए 357.23 मिलियन रुपये (गत वर्ष 293.80 मिलियन रुपये) की राशि तथा वित्त वर्ष 2011–12 व 2012.13 की आयकर/फ्रिंज लाभ कर देयता के लिए अग्रिम कर/टीडीएस/एफबीटी की 847.48 मिलियन रुपये (गत वर्ष 1031.98 मिलियन रुपये) की राशि शामिल है। अतिरिक्त मांग यदि कोई होगी तो उसका प्रावधान अपीलीय कार्यवाही पूरी होने पर कर दिया जाएगा।

32. स्टरलाइट से संबद्ध एक मामले में जो अभी अदालत में लम्बित है प्रमुख राशि 157.37 मिलियन रू (पिछले वर्ष 157.37 मिलियन रू) पहले ही पिछले वर्षों में पूरी देयता का प्रावधान करते हुए जमा करा दी है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर ब्याज के रूप में 144.63 मिलियन रूपये चालू वर्ष में अपवादस्वरूप मद के रूप में उसको राजस्व में चार्ज करते हुए अदालत में जमा कराया है।

33. मिंट चांदी लेन–देन के संबंध में मेसर्स एआईपीएल के विरूद्ध 284.53 मिलियन रुपये (गत वर्ष 284.53 मिलियन रुपये) की राशि बकाया है जिसके लिए पूर्ण प्रावधान लेखों में किया गया है जिसका समायोजन, यदि कोई हो, अधिबिक्री प्राप्ति से किया जाना लंबित है। कंपनी ने 314.02 मिलियन रुपए (गत वर्ष 314.02 मिलियन रुपये) की वसूली मामला दायर किया है जिसमें 29.49 मिलियन रुपए (गत वर्ष 29.49 मिलियन रुपये) की अतिशोध्य ब्याज राशि भी शामिल है जिसे कंपनी के पक्ष में घोषित किया गया है। मै0 एआईपीएल ने भी 1671.97 मिलियन रुपए(गत वर्ष 1671.97 मिलियन रुपये) के नुकसान का सरकारी मिंट/एमएमटीसी के विरूद्ध मामला दायर किया है जो विधिक मत के अनुसार मान्य नही है और कार्यवाही की जा रही है।

34. वर्ष 2007–08 से 2010–11 के दौरान भारत सरकार के निदेशों पर कंपनी ने दालों का आयात किया था। सरकार ने लेंडिड लागत के 15 प्रतिशत तक घाटों की प्रतिपूर्ति और सीआईएफ के 1.2 प्रतिशत की दर से व्यापारिक मार्जन की अनुमति प्रदान की है। पिछले वर्षों में दर्ज किए गए दावों से 15 प्रतिशत अधिक राशि के रूप में 193.50 मिलियन रुपये चालू वर्ष में वापस ले लिए हैं। वर्ष 2011–12 से इस योजना को बंद कर दिया गया।

35. आरबीडी पामोलिन तेल के आयात के वित्त टारगेट प्लस लाइसेंस के कस्टम उपयोग के संबंध में ड्यूटी तथा जुर्माना इत्यादि के लिए 241.12 मिलियन (पिछले वर्ष 241.12 मिलियन) की वितरित मात्रा के विरूद्ध लेखों में 241.12 मिलियन (पिछले वर्ष 241.42 मिलियन) की देयता का प्रावधान पहले भी किया गया है। ब्याज यदि कोई तो इत्यादि के लिए देयता, का प्रावधान मामले पर अंतिम निर्णय आने पर किया जाएगा।

36. आयातित पोलिएस्टर खराब होने के कारण एक एसोसिएट के विरूद्ध 18.89 मिलियन रुपए(पिछले वर्ष 18.89 मिलियन रुपए) का एक दावा लम्बित है जिसके लिए ईएमडी और अन्य भुगतानों के रूप में 3.61 मिलियन रुपये(पिछले वर्ष 3.61 मिलियन रुपये) को ध्यान में रखते हुए लेखों में 15.28 मिलियन रुपये (पिछले वर्ष 15.28 मिलियन रुपये) का प्रावधान रखा है। कंपनी ने कस्टम को इसका परित्याग करने का अनुरोध किया जो निर्णय आदेशके लिए लम्बित है। एसोसिएट के विरूद्ध आपराधिक व सिविल सूट दायर किया है। एसोसिएट ने विवाद निपटारा समिति के विचारार्थ एक प्रस्ताव रखा और तदनुसार वर्ष के दौरान शून्य मिलियन रुपये(पिछले वर्ष 1.73 मिलियन रुपय) की राशि का भुगतान किया।

37. सूचीगत अनुबंध के खंड 32 में अपेक्षित ऋणों की प्रकृति में ऋण व अग्रिमों के संबंध में विवरण

(क) अग्रिमों (ब्याजमुक्त) की प्रकृति में एसोसिएटों को दिए गए ऋण व अग्रिम

ऋणी	31.3.2013 को शेष	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया
नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड	3.56 मिलियन रुपये पिछले वर्ष 0.99 मिलियन रुपये	3.56 मिलियन रुपये पिछले वर्ष 1.19 मिलियन रुपये

(ख) ऋणी के निवेशों का विवरणः शून्य रुपये (पिछले वर्ष शून्य)

38. बकाया राशियों की पुष्टि के लिए पार्टियों को पत्रा जारी किये गये है जिनमें निर्धारित अवधि के भीतर पुष्टि करने या टिप्पणी करने का अनुरोध किया गया है जिसके अभाव में पत्रा में दर्शाए गए शेष को पुष्टि कृत माना जाएगा। कुछ मामलों में पुष्टि पत्रा प्राप्त हो चुके हैं। यद्यपि किसी पार्टी से विपरीत सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

39. मुम्बई क्षेत्रीय कार्यालय में वर्ष के दौरान एक विदेशी आपूर्तिकार ने कॉपर की सुपुर्दगी किए बिना बैकिंग चैनलों के माध्यम से 29.94 मिलियन रू का कापर हासिल करने के लिए जाली शिपिंग दस्तावेज दिए! तथापि साख–पत्रा के तहत बैंक द्वारा किये जाने वाले भुगतान को रोकने के लिए कम्पनी ने अंतरिम स्टे ले लिया था। इसी आपूर्तिकार ने धोखे से अन्य कॉपर की शिपमेंट के मास्टर बिल ऑफ लेडिंग हथियाने के कारण क्षेत्रीय कार्यालय मुम्बई ने 85.98 मिलियन रुपये के माल की सुपुर्दगी लेकर अपने कब्जे में लिया जिसका भुगतान पहले से ही हो चुका है और इसको भारतीय पोर्ट पर प्राप्त कर लिया गया है।

40. वर्ष 2011–12 के दौरान क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद को 37.50 मिलियन रुपये (पिछले वर्ष 37.50 मिलियन रुपये) मूल्य की दो शिपमेटों के फर्जी बिल ऑफ लेडिंग बेंकिंग चैनल के माध्यम से मिले जिसकी एवज में कोई माल प्राप्त नहीं हुआ। कम्पनी ने अपने भारतीय ग्राहक से पूरा भुगतान मिलने के बाद विदेशी आपूर्तिकार को साख–पत्रा के माध्यम से भुगतान किया। कम्पनी ने विदेशी आपूर्तिकार के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है।

41. कम्पनी ने वर्ष के दौरान लेखा नीतियों में निम्न निश्चित परिवर्तन किए हैं।

(i) लेखा नीति सं. 2.1 को पठन के लिए पुनः परिभाषित इस प्रकार किया गया है। ''वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत पंरपरा का ध्यान रखते हुए अनिवार्य कंपनीज (लेखा मानकों)नियम, 2006 द्वारा अधिसूचित अनिवार्य लेखा मानकों तथा कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुरूप तैयार किया गया है।''

(ii) लेखा नीति सं. 2.2 (क) को पुनः परिभाषित किया गया है। ''खरीदी और बिक्रियां विक्रेताओं/क्रेताओं के साथ किए गए अनुबंधों/करारों के निष्पादन या सरकार द्वारा किए गए आबंटन पत्र पर बुक किए जाते हैं। जहां ऐसे करारों/अनुबंधों/आबंटन आंशिक निष्पादन होता है वहां वह भाग क्रय/विक्रय के रूप में बुक किया जाता है ताकि कम्पनी द्वारा अपनायी गई प्रैक्टिस को सही तरह से प्रस्तुत किया जा सके।

(iii) लेखा नीति सं. 2.2 (घ) में श्टाईटल दस्तावेज के अंतरण से आयात करने के दौरान बिक्री अर्थात् भारत की कस्टम सीमा से बाहर माल जाने से पूर्व क्रेता को माल के टाईटल के ऐसे दस्तावेजों के अंतरण होने पर हाई सीज सेल बुक की जाती है और 2.2 (क) कमोडिटी एक्सचेंज जैसे नेशनल स्टार एक्सचेंज जिसके माध्यम से माल की वास्तविक सुपुर्दगी की जाती है, के द्वारा किए गए व्यापार के संबंध में क्रय/विक्रय बुक किया जाता है। यह कम्पनी द्वारा अपनाई जा रही लेखा प्रैक्टिस का स्पष्ट करने के लिए दिया गया है।

(iv) लेखा नीति सं. 2.6 (ड) में '' अधिकारी द्वारा अपने नाम पर मोबाईल हैंडसेट जो कम्पनी को लौटाया नहीं जाता की लागत की उनकी पात्राता के अनुसार की गई प्रतिपूर्ति'' को जोड़ा गया है जो मोबाइल सेटों की लागत को राजस्व में चार्ज करने के आधार को स्पष्ट करना है।

(v) लेखा नीति सं. 2.19 जो परिचालन लीज के संबंध में है को शामिल किया गया है।

उपरोक्त बदलावों से कम्पनी पर कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ा है।

42. उपरोक्त पिछले वित्तीय वर्ष के लाभ और शेष अवितरित में से वर्ष 2012–13 के दौरान 10 करोड़ मूल्य के इक्विटी शेयर पर 0.10 रुपये प्रति शेयर पर अंतिम लाभांश प्रस्तावित किया है।

43. ऐसे कोई भी सूक्ष्म (माइक्रो) छोटे व मध्यम उद्यम नहीं है जिनके विरूद्ध कम्पनी के 31 मार्च 2013 को 45 वर्षों से अधिक से देय बाकी है।

44. समेकित वितीय विवरण में सहायक कंपनी/एसोसिएट तथा संयुक्त उदयम् की सूची इस प्रकार है

सहायक कंपनी का नाम	इनकारपोरेशन देश	दिनांक 31.03.2013 को स्वामित्व का प्रतिशत
एमएमटीसी ट्रांसनेशनल प्रा. लि.	सिंगापुर	100%

एसोसिएट कंपनी कंपनी का नाम	देश	दिनांक 31.03.2013 को स्वामित्व का प्रतिशत
नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड	भारत	49.78%
देवोना पावर एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	भारत	26.00%

संयुक्त उदयम् का नाम	देश	दिनांक 31.03.2013 को स्वामित्व का प्रतिशत
ग्रेटर नोएडा इंटीग्रेटिड वेयर हाउसिंग प्रा.लि.	भारत	26.00%
फ्री ट्रेड वेयर हाउसिंग प्रा.लि.	भारत	26.00%
एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्रा. लि.	भारत	26.00%
एसआईसीएएल आयरन ओर टर्मिनल लि.	भारत	26.00%
एमएमटीसी गीतांजलि प्रा. लि.	भारत	26.00%
इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लि.	भारत	26.00%
टीएम माइनिंग कंपनी लि.	भारत	26.00%

45. एमएमटीसी ट्रांस्नेशनल (मास्को) पीटीई लिमिटेड को मिलाकर एमएमटीसी के समेकित वित्तीय विवरण तैयार नहीं

सहायक कंपनी का नाम	इनकोरपोरेशन देश	दिनांक 31.03.2013 को स्वामित्व का प्रतिशत
एमएमटीसी ट्रांसनेशनल (मास्को) प्रा.लि.	रशिया	100%

किए गए हैं। निदेशकों का मत है कि कंपनी के शेयरधारकों के लिए सहायक कम्पनी के वित्तीय विवरण कम्पनी के समेकित वित्तीय विवरण साथ होना जो कि समेकित विवरण को प्रस्तुत करें, कोई व्यवहारिक मूल्य नहीं रखता। क्यूंकि समेकित वित्तीय विवरण बनाने की लागत उसकी उपयोगिता से अधिक है जबकि सहायक कम्पनी एक सुप्त कम्पनी ही बनी रहती है।

46. पर्यावरण के विभिन्न सेटों को ध्यान में रखते हुए जिनमें संयुक्त उद्यम/एसोसिएटस/सहायक कंपनी काम करती है, संयुक्त उद्यम/एसोसिएटस/सहायक कम्पनियों द्वारा अपनाई गई अकाउण्टिंग पॉलिसी कम्पनी द्वारा अपनाई गई अकाउण्टिंग पालिसियों से भिन्न है। इसका विवरण नीचे दिया जा रहा है :–

विवरण	संयुक्त उपक्रम/एसोसिएट/सहायक कंपनी का नाम	लेखा नीतियां		एमएमटीसी शेयर का अनुपात (सकल राशि)
		एमएमटीसी लिमिटेड	संयुक्त उपक्रम/एसोसिएट/सहायक कंपनी	
मूल्यहरास	नीलांचल इस्पात निगम लि.	कंपनी अधिनियम की अनुसूची xiv के अंतर्गत समान या उसमें दी गई दर से अधिक	कंपनी अधिनियम की अनुसूची xiv के अंतर्गत विनिर्दिष्ट दरों पर	मात्रा योग्य नहीं
	एसआईसीएएल आयरन ओर टर्मिनल लि.	कंपनी अधिनियम की अनुसूची xiv के अंतर्गत समान या उसमें दी गई दर से अधिक	कंपनी अधिनियम की अनुसूची xiv के अंतर्गत विनिर्दिष्ट दरों पर	मात्रा योग्य नहीं
	इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लि.	कंपनी अधिनियम की अनुसूची xiv के अंतर्गत समान या उसमें दी गई दर से अधिक	कंपनी अधिनियम की अनुसूची xiv के अंतर्गत विनिर्दिष्ट दरों पर	मात्रा योग्य नहीं
	ग्रेटर नोएडा इंटीग्रेटिड वेयरहाउसिंग प्रा. लि.	कंपनी अधिनियम की अनुसूची xiv के अंतर्गत समान या उसमें दी गई दर से अधिक	कंपनी अधिनियम की अनुसूची xiv के अंतर्गत विनिर्दिष्ट दरों पर	मात्रा योग्य नहीं
	एमएमटीसी गीतांजलि प्रा.लि.	कंपनी अधिनियम की अनुसूची xiv के अंतर्गत समान या उसमें दी गई दर से अधिक	कंपनी अधिनियम की अनुसूची xiv के अंतर्गत विनिर्दिष्ट दरों पर	मात्रा योग्य नहीं
	एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्रा.लि.	कंपनी अधिनियम की अनुसूची xiv के अंतर्गत समान या उसमें दी गई दर से अधिक	कंपनी अधिनियम की अनुसूची xiv के अंतर्गत विनिर्दिष्ट दरों पर	मात्रा योग्य नहीं
इनवेंट्री मूल्यांकन	एमएमटीसी ट्रांसनेशनल प्रा. लि. सिंगापुर	औसत लागत	विशिष्ट पहचान विधि	मात्रा योग्य नहीं
	एमएमटीसी गीतांजलि प्रा.लि.	औसत लागत	वेंडर–वार औसत आधार और फिको आधार पर	मात्रा योग्य नहीं
	एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्रा.लि.			
विदेशी मुद्रा लेन–देन	नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड	गैर मौद्रिक मदें लेन–देन विनिमय दर की तिथि को रिपोर्ट की जाती हैं	वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा में लेन–देन के समायोजन की तिथि को प्रचलित दर पर पूंजीगत व्यय राजस्व की पहचान की जाती है	मात्रा योग्य नहीं
	नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड	लाभ व हानि खाते में चार्ज की गई स्थाई परिसंपत्तियों की देयताओं के संबंध में विनिमय अंतर	ऐसी परिसंपत्तियों की ले जाई गई राशियों में परिसंपत्तियों से संबंध में विनिमय अंतर का समायोजन किया जाता है	मात्रा योग्य नहीं
वित्तीय विवरणों की तैयारी का आधार	एमएमटीसी ट्रांसनेशनल प्रा. लि. सिंगापुर	इंडियन जीएएपी	सिंगापुर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड	मात्रा योग्य नहीं
राजस्व पहचान	एमएमटीसी ट्रांसनेशनल प्रा. लि. सिंगापुर	एक्रूवल आधार पर ब्याज आय की पहचान	प्रभावी ब्याज पर ब्याज आय की पहचान	मात्रा योग्य नहीं
	सिकाल आयरन ओर टर्मिनल लिमिटेड	नगद आधार पर ब्याज आय की पहचान	समय अनुपात आधार पर लाभांश आय की पहचान	मात्रा योग्य नहीं
मूल्यहरास और अमोटादजेसन	एमएमटीसी ट्रांसनेशनल प्रा. लि. सिंगापुर	मूल्यहरास दरें एमएमटीसी लिमिटेड की लेखा नीतियों के अनुसार है	33.33 प्रतिशत की दर से मूल्यहरास लगाया	मूल्यहरास पर अमोटाइजेसन लेखों में 1.39 मिलियन रुपए कम लगाए गए
व्यापार व अन्य प्राप्तियां	एमएमटीसी ट्रांसनेशनल प्रा. लि. सिंगापुर	इंडियन जीएएपी	प्रभावी ब्याज विधि के प्रयोग से अमोटाइज्ड लागत	मात्रा योग्य नहीं

विवरण	संयुक्त उपक्रम/एसोसिएट/सहायक कंपनी का नाम	लेखा नीतियां		एमएमटीसी शेयर का अनुपात (सकल राशि)
		एमएमटीसी लिमिटेड	संयुक्त उपक्रम/एसोसिएट/सहायक कंपनी	
व्यापार व अन्य भुगतान	एमएमटीसी ट्रांसनेशनल प्रा. लि. सिंगापुर	इंडियन जीएएपी	प्रभावी ब्याज विधि के प्रयोग से अमोटाइज्ड लागत	मात्रा योग्य नहीं
टर्मिनल लाभ	एमएमटीसी ट्रांसनेशनल प्रा. लि. सिंगापुर	परिभाषित लाभ योजना	परिभाषित अंशदान योजना	मात्रा योग्य नहीं
वित्तीय परिसंतिया व देयताएं	एमएमटीसी ट्रांसनेशनल प्रा. लि. सिंगापुर	इंडियन जीएएपी	अमोटाइज्ड लागत	मात्रा योग्य नहीं
उधारी	एमएमटीसी ट्रांसनेशनल प्रा. लि. सिंगापुर	इंडियन जीएएपी	प्रभावी ब्याज विधि के प्रयोग से अमोटाइज्ड लागत	मात्रा योग्य नहीं
लाभांश	एमएमटीसी ट्रांसनेशनल प्रा. लि. सिंगापुर	इंडियन जीएएपी	भुगतान के लिए अनुमोदित पहचान	मात्रा योग्य नहीं

47. कम्पनियों का अनुपालन (लेखा मानक) नियम 2006 तैयार किए गए हैं। कम्पनी के बहुत से ऐसे लेन–देन व विविध कार्यकलाप है
48. पूर्णकालिक निदेशक 16 एचपी की कार के लिए 520 रूपये और 16 एचपी से अधिक कार के लिए 780 रुपये के भुगतान पर अपने प्रयोग के लिए 1000 किमी.प्रति माह का उपयोग कर सकते हैं। इसका उल्लेख नियुक्ति की करार शर्तों में किया गया है।
49. पिछले वर्ष के अंकों को पुनः समूह बनाया गया है और जहां आवश्यक समझा गया फिर से कास्ट किया गया है।
50. संलग्न लेखा नीतियां और टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

सम दिनांक को संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते जैन कपिला एसोसिएट
चार्टर्ड एकांउटेंट
एफआर सं.000287 एन

कृते और निदेशक मंडल की ओर से

(सी ए डी के कपिला)
पार्टनर
एम सं.016905

(जी आनन्दनारायणन)
सहायक कंपनी सचिव

(विजय पाल)
मुख्य महाप्रबंधक(वि.व ले.)

(एम जी गुप्ता)
निदेशक(वित्त)

(वेद प्रकाश)
निदेशक

(डी एस ढेसी)
अध्यक्ष व प्रबंधक निदेशक

तिथि : 14 अगस्त, 2013
स्थान : नई दिल्ली

लेखों की टिप्पणियों का अनुलग्नक 'क'
वर्ष 2012–13 के लिए समेकित खंडवार निष्पादन का विवरण

(आरम्भिक प्रस्तुति)

(रुपये मिलियन में)

विवरण	व्यापार खंड					
	बहुमूल्य धातु		धातुएं		खनिज एवं अयस्क	
खंडवार राजस्व	31 मार्च 13	31 मार्च 12	31 मार्च 13	31 मार्च 12	31 मार्च 13	31 मार्च 12
बाह्य बिक्री						
– भारत में	**168692.48**	511636.75	**11946.75**	12735.70	**1761.27**	1239.98
– भारत के बाहर	**0.00**	0.35	**3211.13**	10872.18	**13900.13**	10036.95
योग (क)	**168692.48**	511637.10	**15157.88**	23607.88	**15661.60**	11276.93
अंतर–खण्ड बिक्री						
– भारत में	**0.00**	0.00	**0.00**	0.00	**0.00**	0.00
– भारत के बाहर	**0.00**	0.00	**0.00**	0.00	**0.00**	0.00
योग (ख)	**0.00**	0.00	**0.00**	0.00	**0.00**	0.00
कुल खण्ड	**168692.48**	511637.10	**15157.88**	23607.88	**15661.60**	11276.93
राजस्व(क+ख)						
समस्त खण्डों के कुल राजस्व की प्रतिशतता के रूप में प्रत्येक खण्ड का कुल राजस्व	**51.60%**	76.80%	**4.64%**	3.54%	**4.79%**	1.69%
खण्डीय परिणाम						
– भारत में	**1113.46**	891.60	**295.59**	251.50	**50.48**	34.72
– भारत के बाहर	**0.00**	0.02	**95.65**	301.53	**402.82**	246.52
कुल खण्डीय परिणाम	**1113.46**	891.62	**391.24**	553.03	**453.30**	281.24
अनाबंटित आय के निवल का अनाबंटित कारपोरेट व्यय						
प्रचालन लाभ						
ब्याज व्यय						
ब्याज आय						
आय कर						
साधारण कार्यकलापों से लाभ						
असाधारण हानि/लाभ						
निवल लाभ						
अन्य सूचना						
खंड परिसंपत्तियां	**7787.49**	31392.30	**1568.91**	3539.53	**2415.06**	1063.47
अनाबंटित कारपोरेट परिसंपत्तियां						
कुल परिसंपत्तियां						
खंड देयताएं	**2388.13**	22898.59	**397.91**	2965.68	**2422.57**	980.04
अनाबंटित कारपोरेट देयताएं						
कुल देयताएं						
खंड पूंजीगत व्यय	**0.83**	0.00	**0.00**	0.00	**0.00**	0.00
अनाबंटित पूंजीगत व्यय						
कुल पूंजीगत व्यय						
खंड मूल्यह्रास	**2.22**	1.30	**0.00**	0.00	**55.36**	55.36
अनाबंटित मूल्यह्रास						
कुल मूल्य ह्रास						
मूल्य ह्रास के अलावा गैर–रोकड़ व्यय						

(रुपये मिलियन में)

व्यापार खंड									
हाइड्रोकार्बन		कृषि उत्पाद		उर्वरक		अन्य		कुल	
31 मार्च 13	31 मार्च 12	31 मार्च 13	31 मार्च 12	31 मार्च 13	31 मार्च 12	31 मार्च 13	31 मार्च 12	31 मार्च 13	31 मार्च 12
56368.35	29022.28	**29821.26**	12417.96	**17615.33**	49530.38	**112.72**	437.36	**286318.16**	617020.41
974.56	7583.57	**15504.13**	11916.38	**6999.27**	8738.28	**0.00**	0.00	**40589.41**	49147.70
57342.91	36605.85	**45325.39**	24334.34	**24614.60**	58268.66	**112.72**	437.36	**326907.57**	666168.11
0.00	0.00	**0.00**	0.00	**0.00**	0.00	**0.00**	0.00	**0.00**	0.00
0.00	0.00	**0.00**	0.00	**0.00**	0.00	**0.00**	0.00	**0.00**	0.00
0.00	0.00	**0.00**	0.00	**0.00**	0.00	**0.00**	0.00	**0.00**	0.00
57342.91	36605.85	**45325.39**	24334.34	**24614.60**	58268.66	**112.72**	437.36	**326907.57**	666168.11
17.54%	5.49%	**13.86%**	3.65%	**7.53%**	8.75%	**0.03%**	0.07%	**100.00%**	100.00%
665.82	644.32	**329.27**	229.48	**82.57**	131.00	**88.53**	96.74	**2625.72**	2279.36
6.90	4.67	**286.53**	20.26	**192.71**	113.66	**0.00**	0.00	**984.61**	686.66
672.72	648.99	**615.80**	249.74	**275.28**	244.66	**88.53**	96.74	**3610.33**	2966.02
								4203.86	2809.95
								(593.53)	156.07
								1557.22	5149.47
								2954.19	6632.85
								-533.66	64.43
								1337.10	1575.02
								2443.64	1002.05
								-1106.54	572.97
20149.42	14017.83	**4813.71**	5313.51	**2649.38**	7400.58	**499.14**	552.37	**39883.11**	63279.59
								29089.50	45072.28
								68972.61	108351.87
20953.01	24084.64	**10998.04**	9395.30	**4424.86**	6699.16	**195.95**	267.90	**41780.47**	67291.32
								12272.25	24095.73
								54052.72	91387.05
0.00	0.00	**0.00**	0.00	**0.00**	0.00	**0.00**	0.00	**0.83**	0.00
								464.32	496.19
								465.15	496.19
0.00	0.00	**0.00**	0.00	**0.00**	0.00	**36.36**	36.36	**93.95**	93.03
								159.25	51.30
								253.20	144.33
								60.41	139.92

लेखों की टिप्पणियों का अनुलग्नक 'क' जारी......

वर्ष 2012–13 के लिए समेकित खंडवार निष्पादन का विवरण (सैकण्डरी प्रकटन)

भौगोलिक खंड

(रुपये मिलियन में)

	भारत के बाहर		भारत के भीतर		कुल	
	31 मार्च 13	31 मार्च 12	31 मार्च 13	31 मार्च 12	31 मार्च 13	31 मार्च 12
राजस्व खंड						
बाह्य बिक्री	**40,589.41**	49,147.70	**286,318.16**	617.020.41	**326,907.57**	666.168.11
अंतरखण्ड बिक्री	**-**	-	**-**	-	**-**	-
कुल राजस्व	**40,589.41**	49,147.70	**286,318.16**	617.020.41	**326,907.57**	666.168.11
खण्ड परिणाम	**984.61**	686.66	**2,625.72**	2,279.36	**3,610.33**	2,966.02
खण्ड परिसंमत्तियां	**2,593.80**	1,248.91	**37,289.31**	86,075.33	**39,883.11**	87,324.24
पूंजीगत व्यय	**-**	-	**0.83**	0.35	**0.83**	0.35

लेखा परीक्षक

भारत सरकार के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय ने अपने पत्र सं. सीए.वी/कंपनी/केन्द्र सरकार एमएमटीसी (13)/44 दिनांक 12 जुलाई, 2010 के द्वारा कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(2) के अधीन वित्त वर्ष 2010–11 के लिए कंपनी के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति संबंधी सूचना दी है जिसका विवरण नीचे दिया गया है।

सांविधिक लेखा परीक्षक	क्षेत्र
जैन कपिला एसोसिएट्स नई दिल्ली	–उप क्षेत्रीय कार्यालयों, सहित क्षेत्रीय कार्यालय, झंडेवालान –कारपोरेट कार्यालय, नई दिल्ली (विदेश कार्यालयों सहित), माइका प्रभाग के कार्यालय का सभी शाखाओं के लेखों को मिलाकर समेकन
शाखा लेखा परीक्षक	
डी. वी. सरोवर एंड क. बेलारी	–उप कार्यालयों व वितरण केन्द्रों सहित बेलारी क्षेत्रीय कार्यालय
राजेश के. झुनझुनवाला एंड कंपनी, कटक	–उप कार्यालय व वितरण केन्द्रों सहित भुवनेश्वर क्षेत्रीय कार्यालय
शाह एंड शाह एसोसिएट्स, अहमदाबाद	–उप कार्यालय व वितरण केन्द्रों सहित अहमदाबाद क्षेत्रीय कार्यालय
सुंदर श्रीनी एंड श्रीधर, बंगलुरू	–उप कार्यालय व वितरण केन्द्रों सहित बंगलोर क्षेत्रीय कार्यालय
कैलाश चन्द जैन एंड कंपनी, मुबंई	–उप कार्यालय व वितरण केन्द्रों सहित मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय
कुलकर्णी व भट गोवा	–उप कार्यालय व वितरण केन्द्रों सहित गोवा क्षेत्रीय कार्यालय
चतुर्वेदी एंड कंपनी, कोलकाता	–उप कार्यालय व वितरण केन्द्रों सहित कोलकात्ता क्षेत्रीय कार्यालय –कोलकात्ता, अभ्रक नगर, झुमरीतलैया व गिरिडह के माइका प्रभाग
सी रामचन्द्रम एंड कम्पनी हैदराबाद	–उप कार्यालय व वितरण केन्द्रों सहित हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय
भंडावत एंड कंपनी, जयपुर	–जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय
आनन्द एंड पोन्नपन चेन्नई	–उप कार्यालय व वितरण केंद्रों सहित –गुडूर का माइका प्रभाग चेन्नई क्षेत्रीय कार्यालय
झालानी एंड कंपनी, नई दिल्ली	–उप क्षेत्रीय कार्यालयों सहित दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय
बाशा एंड नरसिम्हन, विशाखापटनम	–उप कार्यालय व वितरण केन्द्रों सहित विशाखापटनम क्षेत्रीय कार्यालय

हमारे बैंकर्स

1. स्टेट बैंक आफ इंडिया
2. केनरा बैंक
3. एचडीएफसी बैंक
4. बैंक आफ इंडिया
5. इंडियन बैंक
6. बैंक आफ बड़ौदा
7. बैंक आफ महाराष्ट्र
8. यूनियन बैंक आफ इंडिया
9. स्टैंडर्ड चाटर्ड बैंक
10. सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया
11. पंजाब नेशनल बैंक
12. स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर
13. इंडियन ओवरसीज बैंक
14. विजया बैंक
15. आईडीबीआई बैंक
16. स्टेट बैंक आफ हैदराबाद
17. देना बैंक
18. ड्यूश बैंक
19. इंडसइंड बैंक
20. ओरिएंटल बैंक ऑफ कामर्स
21. स्टेट बैंक आफ पटियाला
22. एक्सिस बैंक
23. आईसीआईसीआई बैंक
24. आई एन जी वैश्य बैंक
25. स्टेट बैंक आफ ट्रावणकोर
26. इलाहाबाद बैंक
27. यूको बैंक
28. डेवलोपमेंट क्रेडिट बैंक
29. करूर वैश्य बैंक
30. बी.एन.पी. परिवास
31. येस बैंक
32. बैंक आफ टोकियो
33. डी बी एस
34. सिंडिकेट बैंक
35. कोटक महेन्द्रा बैंक
36. बैंक आफ नोवा स्कोटिया
37. आर बी एस
38. ए एन जेड बैंक
39. एचएसबीसी बैंक

एमएमटीसी कार्यालय

कारपोरेट कार्यालय

एमएमटीसी लिमिटेड, स्कोप कांप्लेक्स, कोर–1, 7, इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोदी रोड, नई दिल्ली – 110 003
फोन : 91–11–24662200, ई–मेल : mmtc@mmtclimited.com
वेबसाइट : www.mmtclimited.com

क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तरी क्षेत्र

दिल्ली
स्कोप कांप्लेक्स, कोर–1, 7 वॉ तल,
इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोदी रोड,
नई दिल्ली–110 003
फोन : 011–24365717
पीबीएक्स : 011–24362200
फैक्स : 011–24366724
ई–मेल : head_dro@mmtclimited.com
एसआरओ / एफओः लुधियाना, फरीदाबाद, देहरादून, मुरादाबाद

झण्डेवालान
झण्डेवालान ज्वैलरी काम्पलेक्स,
एफ 8–11, झण्डेवालान फलैटेड
फैक्टरी काम्पलेक्स, रानी झांसी रोड़,
नई दिल्ली – 110 055
फोन–011–23623950, 23623952, 23670408
फैक्सः– 011–23633175, 23671369
ई–मेल : head_jjc@mmtclimited.com
एसआरओ : नौएडा, आगरा, अम्बाला, कानपुर

जयपुर
अरिहंत टॉवर्स–II सांगानेरी गेट के सामने,
टेलीफोन एक्सचेंज, आगरा रोड
जयपुर–302003
फोनः– 0141–2601882, 2601386
फैक्सः– 0141–2618294
ई–मेल : head_jaipur@mmtclimited.com

दक्षिण क्षेत्र

चेन्नई
6 चेन्नई हाउस, एसप्लेनेड, चेन्नई–600108
फोन :– 044–25341942
फैक्सः– 044–25340317
ई–मेलः head_chennai@mmtclimited.com
एसआरओ / एफओ : कोची, तूतीकोरीन,एन्नोर,

बंगलुरू
शिक्षक सदन, भूतल, के.जी. रोड, बगंलुरू–560002
फोन :– 080–22244605, 22278592,
22290745, फैक्सः– 080–22272043
ई–मेलः head_bangalore@mmtclimited.com
एसआरओ / एफओ : मेंगलोर, गजेन्द्रगद

विजाग
एमएमटीसी भवन, पोर्ट एरिया,
विशाखापटनम–530035 (आन्ध्र प्रदेश)
फोनः– (पीबीएक्स) 0891–2562356, 2562359
फैक्स :– 0891–2561761, ,2731865
ई–मेल : head_ visag@mmtclimited.com
एसआरओ : काकीनाडा, विजयवाड़ा

हैदराबाद
एमएमटीसी लिमिटेड, # 9–1–79 से 77/1/बी,
तीसरा तल, एस.डी. रोड, सिकन्दराबाद 500003
पीबीएक्स :– 2772 5400 फैक्स :– 2780 4038
फोन : श्री टी.एस. राव, महाप्रबन्धक – 278004033,
श्री पी.सी. नायक, उपमहाप्रबन्धक – 27804035
ई–मेलः head_hyderabad@mmtclimited.com

बेलारी
मेन रोड, एस एन पेट, बल्लारी – 583103
फोन :– 0839–2272433, 2274277,
पीबीएक्स – 2276567, 2276517
फैक्स :– 0839–2274278
ई–मेलः head_bellary@mmtclimited.com
एसआरओ : तोर्नगलू, बनीहट्टी, हास्पेट,

पूर्वी क्षेत्र

कोलकाता
एनआईसी बिल्डिंग, चतुर्थ एवम् पंचम तल, 8,
इंडिया एक्सचेंज प्लेस, कोलकाता – 700001
फैक्स :– 033–22101079,
22421252, 22421261
फैक्स :– 033–22424292
ई–मेल : head_kolkata@mmtclimited.com
एसआरओ : हल्दिया, जमशेदपुर, गुवाहाटी

भुवनेश्वर
आलोक भारती काम्पलेक्स, सातवां तल, शहीद
नगर, भुवनेश्वर – 751007 (उड़ीसा)
फोन 0674–2546848, 2518517, 2503336,
2544783
फैक्स :– 0674–2546847, 2512832
ई–मेलः head_bhubaneswar@mmtclimited.com
mmtcbbsr@mmtclimited.com
एसआरओ : पारादीप, (हारबर) बड़बिल

पश्चिम क्षेत्र

मुम्बई
एमएमटीसी हाउस, सी–22, ई ब्लाक, बांद्रा कुर्ला
काम्पलेक्स, बांद्रा ईस्ट, मुम्बई –
400 051
फोनः– 022 – 26572437, 26594100, 26573193,
फैक्सः– 022 –26572541, 26570131, 26573193
ई–मेल : head_mumbai@mmtclimited.com
एसआरओ / एफओ : नागपुर

अहमदाबाद
2, नगीनदास चैम्बर्स, उस्मानपुरा, आश्रम रोड,
अहमदाबाद–380014
फोन (पीबीएक्स):– 079–27540643, 27543796,
फैक्सः– 079–27543739
ई–मेल : head_ahmedabad@mmtclimited.com
एसआरओ : कांडला, मोरबी, राजकोट

गोवा
कुलासो बिल्डिंग, स्वतंत्रा पथ, वास्को–द–गामा, गोवा
– 403802
फोन(पीबीएक्स):– 0832– 2512411, 2512521,
फैक्सः– 0832–2513283, 2517089
ई–मेल : head_ goa@mmtclimited.com
एसआरओ : सेंवोर्डम

प्रोन्नत प्रोजेक्ट
नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड,
प्रथम मंजिल एनैक्सी, ईपीकोल हाउस,
जनपथ, भुवनेश्वर–751022
फोन : 0674–2543231
फैक्स : 0674–2541763

विदेश कार्यालय

सिंगापुर
एमएमटीसी ट्रांसनेश्नल पीटीई लिमिटेड, 20,
सिसिल स्ट्रीट, 14–03/04, सिंगापुर एक्सचेंज,
सिंगापुर– 049705
फोनः– 0065–65385313
पीबीएक्स : 2276567, 2276517
फैक्सः– 0065–64385327
ई–मेल : mtplsing@singnet.com,
pkm@mtpl.com

जोहनेसबर्ग
एमएमटीसी लिमिटेड, प्रथम तल, सेन्ट टोन ऑफिस
टावर, सीएनआर रिवोनिया रोड, 5वीं स्ट्रीट, संधूर्स्ट
एक्सटेन्सन, 3, सेनटोन, जोहनिसबर्ग, साऊथ अफ्रिका
फोन : 0027723286739
ई–मेल – mathpal@mmtclimited.com

एमएमटीसी लिमिटेड
MMTC LIMITED
भारत सरकार का उपक्रम
A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE
touching lives, adding value

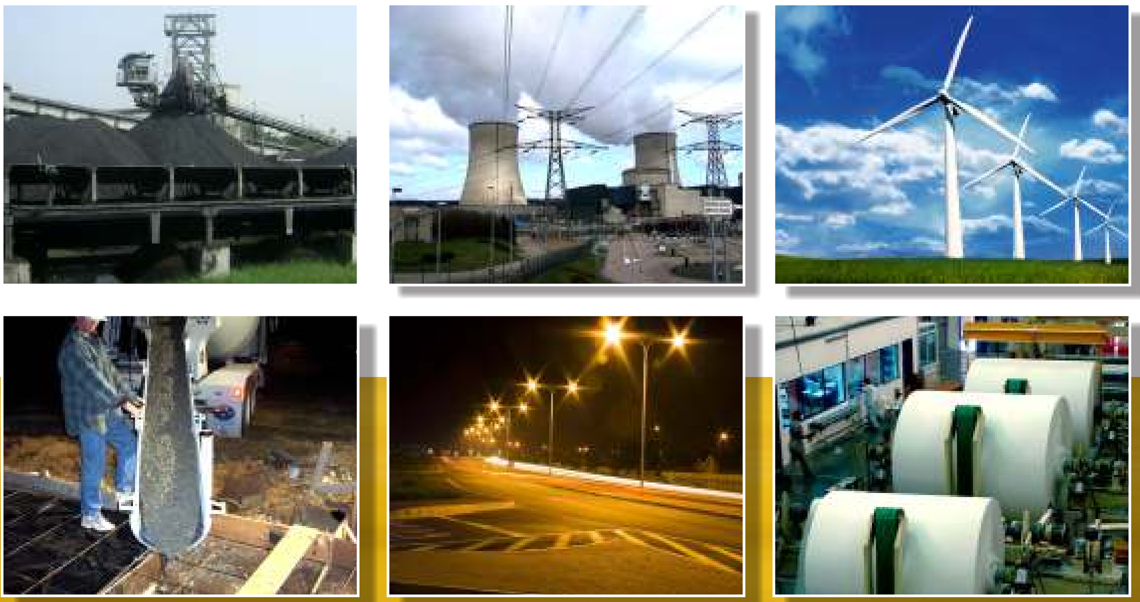

ऊर्जा सुरक्षित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर

- कोयले का प्रमुख आयातक
- कोयला खनन और पवन ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में पदार्पण

हम देश के महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना जैसे विद्युत संयत्र, लौह ढलाई संयत्र, सीमेंट एवं कागज उद्योग को सहयोग प्रदान करते हैं। राज्य विद्युत बोर्डों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हमने पवन ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में भी कदम बढाये हैं।

50 वर्षों के उत्सव के अवसर पर
हम स्वयं को ऊर्जा सुरक्षित भारत के प्रति समर्पित करते हैं।

कॉरपोरेट ऑफिसः कोर-1, स्कोप कॉम्प्लैक्स, 7 इंस्टिट्यूशनल एरिया, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003
ईमेल : mmtc@mmtclimited.com वेबसाइट : www.mmtclimited.com

एक नजर में दशक

(राशि मिलियन रुपये में)

31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए	2013*	2012*	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004
हमारी देनदारियां										
शेयर पूंजी (क)	**1000**	1000	1000	500	500	500	500	500	500	500
रिजर्व (ख)	**12408**	13214	12797	12371	10734	9800	8321	7833	7035	6219
	13408	14214	13797	12871	11234	10300	8821	8333	7535	6719
ऋण	**14783**	34299	60835	51648	43052	31984	11298	5071	3075	4013
अन्य दीर्घ–कालीन देयताएं	**191**	45								
दीर्घ–कालीन प्रावधान	**1702**	1374								
	30084	49932	74632	64519	54286	42284	20119	13404	10610	10732
हमारी परिसंपत्तियां										
स्थायी परिसंपत्तियां	**2107**	2052	2107	2099	2075	2067	2045	773	744	733
घटाएंः मूल्यह्रास	**1186**	1079	993	874	757	654	519	453	426	395
घटाएंः मूल्यह्रास										
शुद्ध स्थायी परिसंपत्त्यिां	**921**	973	1,114	1,225	1,318	1,413	1,526	320	318	338
निवेश	**4697**	4673	2831	2729	2315	2550	2550	2210	2210	1985
विविधखर्चे(बट्टे खाते में नहीं डाले गए)	**-**	-	-	-	58	22	15	45	82	169
अन्य दीर्घकालीन ऋण व अग्रिम	**1,130**	1,095								
अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियां	**17**	23								
कार्यरत पूंजी (क – ख)	**21864**	42453	70352	60339	50291	38042	15667	10411	7517	7707
आस्थगित कर परिसंपत्तियां	**1454**	715	335	226	303	257	361	418	483	533
	30083	49932	74632	64,519	54,285	42,284	20,119	13,404	10,610	10,732
हमारी आय										
बिक्री	**284156**	659291	688545	451242	368207	264234	233016	163624	151237	90992
निर्यात	**29795**	20454	36934	32227	45759	39114	34131	29254	30309	18912
आयात	**209544**	610417	633008	399691	306951	204499	186074	117858	110325	66787
घरेलू	**44817**	28420	18603	19324	15497	20621	12811	16512	10603	5293
अर्जित ब्याज	**2796**	6458	4750	5742	7824	2106	1202	1213	3155	320
अन्य आय	**2210**	4770	2369	2294	2498	1314	902	749	584	1353
	289162	670519	695664	459278	378529	267654	235120	165586	154976	92665
हमारे खर्चे										
विक्रय लागत	**282985**	660483	687260	449463	366966	260732	230964	161716	148821	89794
स्थापना खर्चे	**2029**	1843	1838	1684	1653	1184	883	706	700	690
प्रशासनिक खर्चे	**482**	521	554	461	385	375	327	302	276	225
वित्त लागत (प्रदत्त शामिल)	**2195**	5764	3719	4126	6659	1350	711	818	2851	251
मूल्यह्रास और परिशोधन	**120**	120	125	133	126	127	80	42	42	43
बट्टे खाते में डाले गए विविध खर्चे	**-**	-	-	58	18	13	33	41	96	95
बट्टे खाते में डाले गए ऋण/दावे तथा निवेश के मूल्य में कमी	**1**	3	1	3	143	231	98	191	259	651
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान तथा निवेश/स्थायी परिसंपत्तियों के मूल्यों में ह्रास हेतु प्रावधान	**63**	133	229	19	406	373	95	67	135	76
असाधारण मदें	**2444**	1002								
अपवादिक मदें	**127**	(1)								
	290446	669868	693726	455947	376356	264385	233191	163883	153180	91825

31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए	2013*	2012*	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004
हमारी बचत										
वर्ष का लाभ	**(1,284)**	651	1938	3331	2173	3269	1929	1703	1796	840
कराधान के लिए प्रावधान	**(572)**	53	701	1168	772	1241	625	596	691	295
कर पश्चात् लाभ (पूर्वावधि समायोजन से पूर्व)	**(712)**	598	1237	2163	1401	2028	1304	1107	1105	545
पूर्वावधि समायोजन	**(6)**	(109)	21	-	(1)	23	36	24	33	39
उपयोग हेतु उपलब्ध	**(706)**	707	1216	2163	1402	2005	1268	1083	1072	506
लाभ	**100**	250	250	450	400	450	250	250	225	125
लाभांश	**0**	41	41	75	68	76	39	35	31	16
सतत विकास	**2**									
कारपोरेट सामाजिक दायित्व	**4**									
प्रतिधारित (रिटेंड) आय	**(812)**	416	925	1638	934	1479	979	798	816	365
सकल लाभ	**2997**	2766	3300	3176	3209	4298	2497	2218	2559	1624
कर पूर्व लाभ	**(1,278)**	760	1917	3331	2174	3246	1893	1679	1763	801
कर पश्चात लाभ	**(706)**	707	1216	2163	1402	2005	1268	1083	1072	506
नेटवर्थ	**13,407**	14,213	13797	12871	11176	10278	8806	8288	7453	6550
नियोजित पूंजी	**7823**	8948	8645	9725	8557	7471	5895	10731	7835	8045
कार्यरत पूंजी	**21864**	42453	70352	60339	50291	38042	15667	10411	7517	7707
अनुपात										
बिक्री के अनुपात में ओवरहैडस	**0.88**	0.36	0.35	0.48	0.55	0.59	0.52	0.62	0.65	1.01
बिक्री के अनुपात में स्टॉक	**3.13**	1.40	0.94	4.73	1.57	2.09	0.76	1.52	0.73	1.79
बिक्री के अनुपात में व्यापार लाभ	**1.05**	0.42	0.48	0.70	0.87	1.63	1.07	1.36	1.69	1.78
बिक्री के अनुपात में कर पूर्व लाभ%	**(0.45)**	0.12	0.28	0.74	0.59	1.23	0.81	1.03	1.17	0.88
बिक्री के अनुपात में कर पश्चात लाभ%	**(0.25)**	0.11	0.18	0.48	0.38	0.76	0.54	0.66	0.71	0.56
बिक्री के अनुपात में देनदार %	**7.83**	4.20	3.69	3.44	5.18	5.47	4.80	4.51	4.53	5.01
बिक्री के अनुपात में कार्यरत पूंजी%	**7.69**	6.44	10.22	13.37	13.66	14.40	6.72	6.36	4.97	8.47
कार्यरत पूंजी के अनुपात में बिक्री (गुना)	**13.00**	15.53	9.79	7.48	7.32	6.95	14.87	15.72	20.12	11.81
नियोजित पूंजी से वर्ष के लिए लाभ का %	**(16.41)**	7.28	22.42	34.25	25.39	43.76	32.72	15.87	22.92	10.44
नियोजित पूंजी से कर पश्चात लाभ का%	**(9.02)**	7.90	14.07	22.24	16.38	26.84	21.51	10.09	13.68	6.29
नेट वर्थ का वर्ष के लिए लाभ %	**(9.58)**	4.58	14.05	25.88	19.44	31.81	21.91	20.55	24.10	12.82
नेट वर्थ से कर पश्चात लाभ %	**(5.27)**	4.97	8.81	16.81	12.54	19.51	14.40	13.07	14.38	7.73
कार्मिकों की संख्या	**1605**	1673	1767	1838	1882	1953	1997	2031	2063	2083
प्रति कार्मिक बिक्री	**177.04**	394.08	389.67	245.51	195.65	135.30	116.68	80.56	73.31	43.68

*संशोधित अनुसूची VI के अनुसार आंकड़े

निधियों के स्रोत एवं उपयोग

(राशि मिलियन रुपये में)

	2012-13	2011-12	2010-11
स्रोत			
आंतरिक अर्जन			
कर पश्चात् लाभ	**(706)**	707	1216
अस्थगित कर समायोजन	**(739)**	(379)	(109)
मूल्यह्रास	**1186**	1079	994
प्रावधान	**5898**	4126	3566
इक्विटी	**1000**	1000	1000
रिजर्व	**13113**	12507	11581
बाह्य अर्जन			
बैंकिंग	**14783**	34299	60835
चालू देयताएं	**35698**	75372	48466
अन्य देयताएं	**2181**	1926	1823
कुल स्रोत	**72414**	**130637**	**129372**
उपयोग			
स्थायी परिसंपत्तियां	**2107**	2052	2107
निवेश	**4895**	4721	2879
व्यापार ऋण	**26596**	29591	26149
वस्तु सूची	**8888**	9244	6480
ऋण व अग्रिम	**14613**	56163	24048
नकद व बैंक शेष	**14600**	28531	67482
अस्थगित कर	**715**	335	227
कुल उपयोग	**72414**	**130637**	**129372**

वित्तीय स्थिति में परिवर्तनों का विवरण

(राशि मिलियन रुपये में)

	2012-13		2011-12		2010-11	
निधियों का स्रोत						
आंतरित अर्जन						
कर पश्चात लाभ	**(706)**		707		1,216	
मूल्य ह्रास	**120**	**(586)**	120	827	125	1,341
अस्थगित कर समायोजन		**715**		335		227
ऋण						
ऋण निधियां		**(19,516)**		(26,536)		9,187
कुल स्रोत		**(19,387)**		(25,374)		10,755
निधियों का अनुप्रयोग						
स्थायी परिसंपत्तियां		**69**		16		14
निवेश		**174**		(1)		102
बट्टे खाते में न डाले गए विविध व्यय		**-**		-		-
अस्थगित कर परिसंपत्तियां		**1,454**		715		335
अंतिम लाभांश		**100**		250		250
लाभांश कर		**-**		41		41
इक्विटी		**(356)**		2,764		(14,869)
विविध देनदार		**(5,471)**		2,332		9,874
ऋण व अग्रिम		**(17,507)**		(33,287)		6,924
रोकड़ व बैंक शेष		**(13,931)**		(38,951)		6,675
देयताएं		**15,484**		40,245		1,506
प्रावधान		**597**		502		(97)
निधियों का कुल अनुप्रयोग		**(19,387)**		(25,374)		10,755

एमएमटीसी लिमिटेड
MMTC LIMITED
भारत सरकार का उपक्रम
A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE
touching lives, adding value

मूल्यवर्धन विवरण

(राशि मिलियन रुपये में)

	2012-13		2011-12		2010-11	
		%		%		%
वर्धित मूल्य						
बिक्री तथा अन्य व्यापारिक अर्जन	**286,333**		663,251		690,494	
जोड़े : अन्य आय	**462**		833		353	
	286,795		664,084		690,847	
घटाएं: प्रयुक्त सामग्री व सेवाओं की लागत	**268,238**		648,912		660,789	
कुल मूल्यवर्धन	**18,557**		**15,172**		**30,058**	
मूल्य वितरण						
प्रचालन खर्च	**15,131**	**81.54**	12,333	81.29	26,421	87.90
नियोजन लागत	**2,029**	**10.94**	1,844	12.15	1,838	6.11
प्रशासनिक लागत	**648**	**3.49**	530	3.50	556	1.85
प्रावधान	**63**	**0.34**	133	0.88	229	0.76
मूल्य ह्रास	**118**	**0.64**	122	0.80	125	0.41
ब्याज (कुल)	**(598)**	**(3.22)**	(1,553)	(10.24)	(1,029)	(3.42)
असाधारण मदें	**2,444**	**13.17**	1,002	6.60		
आयकर	**(572)**	**(3.08)**	53	0.35	701	2.33
लाभांश		**-**		-		-
अंतरिम लाभांश	**-**	**-**	-	-	-	-
प्रस्तावित लाभांश	**-**	**-**	250	1.65	250	0.83
लाभांश पर कर	**-**	**-**	41	0.27	41	0.13
विशेष अंतरिम लाभांश		**-**		-		-
रिजर्व से अंतरण		**-**		-		-
प्रतिधारित आय	**(706)**	**(3.81)**	417	2.75	926	3.08
कुल मूल्य वितरण	**18,557**	**100.00**	**15,172**	**100.00**	**30,058**	**100.00**
विश्लेषण						
कर्मचारियों की संख्या	**1605**		1673		1767	
प्रति कर्मचारी मूल्यवर्धन('000 रू)	**11562**		9069		17011	
नेट वर्थ	**13,407**		14,213		13,797	
नेट वर्थ के प्रति रूपये में मूल्य वर्धन	**1.38**		1.07		2.18	

वस्तुवार निष्पादन

(मिलियन रुपयों में)

31 मार्च को समाप्त वर्ष	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004
निर्यात										
लौह अयस्क	**9885**	3049	19390	19244	27536	26554	19012	21584	21369	12037
मैंगनीज अयस्क/ऑक्साइड	**225**	343	575	1019	1064	441	409	469	660	589
क्रोम अयस्क/कांसंनट्रेट	**3781**	6160	8076	6269	8274	6904	7964	3191	3354	1563
पिग आयरन	**2893**	9404	8136	4891	5988	5090	5446	3458	3901	797
स्लैग							1	1	16	
उर्वरक	**1533**	1489	737	805			257			
कृषि उत्पाद	**11478**		20		2411	61	753		620	2429
कच्चा उन		9								
हीरे/रत्न/आभूषण					434		289	291	387	592
मर्चेंटिंग ट्रेड					50	64				
स्टील/एचआर स्टील क¦यल्स								101		
इंजीनियरिंग उत्पाद									2	905
अन्य : (सुनामी कारें)								159		
कुल निर्यात	**29795**	20454	36934	32228	45757	39114	34131	29254	30309	18912
आयात										
धातुएं/आईआरएम										
कॉपर/कॉपर कैथोड्स	**101**	1334	1240	1549	4688	3678	2691	3104	1128	639
जिंक	**837**	1379	1205	1494	896	1287	1617	955	248	199
लैड	**47**	36	117	90	304	246	750	384	276	85
टिन	**423**	671	1013	522	1047	703	651	373	497	409
निकल	**567**	1393	3304	1042	501	922	1216	561	700	738
अल्यूमिनियम				11		16	172	228	165	221
एंटीमनी मेटल	**58**		26	8	5	24	10	52	9	13
स्टील/स्टील स्कैप/एचआर कायल		478	1080	1585	1065	1350	1331	274	100	
अन्य	**108**	583	282	334	282	148	41	145	72	36
अनु–योग	**2142**	5875	8267	6635	8788	8374	8479	6076	3195	2340

वस्तुवार निष्पादन

(मिलियन रुपयों में)

31 मार्च को समाप्त वर्ष	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004
उर्वरक										
सल्फर	**233**	219	142	220	1566	1488	140	160	76	150
अमोनिया सल्फेट										94
यूरिया	**11704**	48927	14534	14084	30259	37907	14223	5867	4566	692
डीएपी		1445		574			6346	5904	1505	1895
एमओपी	**5599**	5279	3937	9302	7916	1647	1621	1692	1368	844
अन्य				4	7					
अनु–योगः	**17537**	55870	18613	24184	39748	41042	22330	13623	7515	3675
डायमंड /गोल्ड/एम्राल्ड्स	**131374**	504607	501935	316029	212891	122071	135041	76928	79582	53873
कृषि उत्पाद	**13777**	11843	14922	14638	16695	16160	3581	2726	3354	1641
हाइड्रोकार्बन	**44688**	32196	89229	38203	27364	16481	16296	18087	16585	5113
अन्य	**27**	27	43	1	1466	371	347	418	94	144
कुल आयात	**209545**	**610417**	**633008**	**399690**	**306952**	**204499**	**186074**	**117858**	**110325**	**66786**
घरेलू										
माइका									1	
कॉपर/जिंक/ब्रास/अल्यूमिनियम			18	1195		1633	2142	1492	1101	4394
पिग आयरन/स्लैग	**9805**	8273	4180	6352	2791	2738	2806	4381	4420	
उर्वरक	**78**	87	45	40	68	56	45	41	20	
कृषि उत्पाद	**16041**	8459	1294	1245	1042	1621	1610	1180	235	354
रत्न व आभूषण/चॉंदी	**5379**	6821	4918	5274	4118	7921	2369	1990	3113	367
हाइड्रोकार्बन	**11659**	3475	5870	1753	4023	5255	3318	6893	1655	6
अन्य	**1855**	1305	2278	3465	3455	1397	521	535	58	173
कुल घरेलू कारोबार	**44817**	28420	18603	19324	15497	20621	12811	16512	10603	5294
कुल कारोबार	**284156**	659291	688545	451242	368207	264234	233016	163624	151237	90992

देशवार निर्यात

(मिलियन रुपये)

31मार्च को समाप्त वर्ष	2013	2012	2011
अफ्रीका			
दक्षिण अफ्रीका	**-**	-	2401
इथियोपिया	**1367**		
सोमालिया	**417**		
	1,784	-	2401
एशिया			
बांग्ला देश	**1393**	0	11
चीन	**3899**	8820	14356
जापान	**9148**	440	12091
कोरिया	**6630**	1407	3633
मलेशिया	**841**	3210	122
नेपाल	**1533**	1489	737
इंडोनेशिया	**2372**	355	1048
सिंगापुर	**43**	1089	-
ताईवान	**-**	809	589
थाईलैंड	**2087**	2835	1938
	27945	**20454**	**34524**
पश्चिम यूरोप			
नीदरलैंड	**-**	-	9
स्पेन	**66**	-	-
	66	-	9
कुल निर्यात	**29795**	**20454**	**36934**

देशवार आयात

(रुपये मिलियन में)

31 मार्च को समाप्त वर्ष	2013	2012	2011
अफ्रीका			
जिम्बाब्वे	-	-	65
नामिबिया	-	10	152
सूडान गणराज्य	53	-	-
दक्षिण अफ्रीका	89,479	87,570	42,566
	89,532	87,580	42,784
एशिया			
चीन	73,853	17,024	11,989
वियतनाम	-	120	455
इंडोनेसिया	327,455	22,606	43,997
जापान	-	54	473
कोरिया	-	-	40
मलेशिया	1,444	7,778	1,399
म्यांमार	-	409	3,128
हांगकांग	-	3,464	963
रूस	425	14,591	5,740
सिंगापुर	121,810	3,743	6,020
ताइवान	-	25	35
	524,988	69,814	74,236
पूर्वी यूरोप			
कजाकिस्तान	4,373	906	494
बेलारूस	55,387	979	836
स्पेन	-	-	3
रोमानिया	-	2,555	-
उज्बेकिस्तान	-	6	-
युक्रेन	692	5,934	236
	60,451	10,380	1,569
मध्य पूर्व			
दुबई	4,435	47,751	64,582
ईरान	44,555	10,953	1,383
ओमान	-	3,622	1,814
इजराईल	-	59	-
कुवैत	-	1,167	-
सउदी अरब	-	1,552	-
संयुक्त अरब अमीरात	106,494	2,649	7,638
	155,483	67,753	75,417

(रुपये मिलियन में)

31 मार्च को समाप्त वर्ष	2013	2012	2011
उत्तरी अमेरिका			
कनाडा	164	-	133
संयुक्त राज्य अमेरिका	2,314	334	187
	2,478	334	320
ओशिनिया			
आस्ट्रेलिया	135,220	139,705	93,947
न्यूजीलैंड	-	-	
	135,220	139,705	93,947
पश्चिम यूरोप			
फ्रांस	-	62	-
जर्मनी	-	939	80
नीदरलैंड	-	-	55
स्वीडन	301	-	-
स्विटजरलैंड	109,286	62,821	172,005
नार्वे	448	567	751
यू के	902,222	162,002	136,519
	1,012,258	226,391	309,411
कुल आयात	**1,980,411**	**601,957**	**597,684**

राजकोष में अंशदान

(मिलियन रुपयों में)

	2012-13	2011-12	2010-11
केन्द्र सरकार को			
निर्यात शुल्क	**55**	1,260	1,412
आयात शुल्क	**6,569**	8,948	11,908
सेवा कर		**45**	64 70
केन्द्रीय बिक्री कर	**525**	288	1,045
लाभांश कर सहित आयकर	**216**	895	1,498
लाभांश	**248**	248	447
योग	**7,658**	11,703	16,380
रेलवे तथा बंदरगाहों को			
रेल भाड़ा	**3,711**	602	7,044
रेलवे/बंदरगाहों को प्लाट किराया	**1**	3	3
बंदरगाह प्रभार	**24**	99	172
योग	**3,737**	704	7,219
राज्य सरकार को			
स्थानीय बिक्री कर/वैट	**2,296**	6,328	7,077
अन्य कर/शुल्क	**37**	34	172
व्यावसायिक कर	**1**	1	1
योग	**2,334**	6,363	7,250
कुल योग	**13,728**	**18,770**	**30,849**

एमएमटीसी लिमिटेड
MMTC LIMITED
भारत सरकार का उपक्रम
A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE
touching lives, adding value

50 वीं
गौरवपूर्ण 50 वर्ष
1963-2013
CELEBRATING 50 GLORIOUS YEARS

वार्षिक रिपोर्ट
2012-13

31 मार्च 2013 को समाप्त वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरण

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

एमएमटीसी सदस्यगण

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए **एमएमटीसी लिमिटेड** (कंपनी) के संलग्न तुलन–पत्र तथा उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लाभ व हानि लेखे एवं नगदी प्रवाह विवरण की तथा महत्वपूर्ण लेखा नीतियों व अन्य विवरणात्मक सूचना का सारांश देते हुए लेखा परीक्षा की है, जिसमें हमारे द्वारा आडिटिड कारपोरेट कार्यालय, माइका प्रभाग, झण्डेवालान क्षेत्रीय कार्यालय तथा झण्डेवालान क्षेत्रीय कार्यालय के अधीन उप क्षेत्रीय कार्यालयों के लेखे शामिल हैं जबकि अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों तथा उप क्षेत्रीय कार्यालयों की लेखा परीक्षा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा की गई हैं।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंध–तंत्र का दायित्व

प्रबंध तंत्र इन वित्तीय विवरणों को जो कि वित्तीय तिथि को, कंपनी की वित्तीय परफारमेंस तथा कैश फ्लो को कंपनी अधिनियम 1956 (एक्ट) की धारा 211(3 सी) में दिए गए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तथा भारत के सामन्यतः स्वीकृत लेखा नीतियों के अनुसार सही तथा वास्तविक रूप में दर्शाते हैं, तैयार करने के लिए उत्तरदायी हैं। प्रबंध तंत्र के इस दायित्व में वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए व पाए गए डिजाइन, वित्तीय विवरणों को तैयार करने तथा प्रस्तुत करने के लिए आंतरिक नियंत्रण को लागू करना तथा बनाए रखना जो कि वित्तीय विवरणों सही व वास्तविक रूप में प्रस्तुत करते हुए कपटपूर्ण अथवा गलती से दी गई किसी भी अवांछित सामग्री से दूर रखना है, शामिल है !

लेखा परीक्षक का दायित्व

हमारा दायित्व है कि हम अपने द्वारा किए गए आडिट के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर विचार व्यक्त करें । हमने अपना आडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंस्टीच्यूट ऑफ इंडिया द्वारा जारी मानक के अनुसार किया है। इन मानकों की यह आवश्यकता है कि हम नीतिपरक आवश्यकताओं को पूरा करते हुए योजना बनाकर आडिट का काम पूरा करें जिससे कि हम वित्तीय विवरणों में किसी भी प्रकार के असंगत विवरण का न होने का यथोचित आश्वासन दे सकें।

आडिट की मुख्य भूमिका वित्तीय विवरणों में राशि तथा डिस्क्लोजर के बारे में आडिट साक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक प्रकियाओं का पालन करना है । अपनाई गई प्रक्रियाओं का चयन आडिटरों के विवेक से जिसमें कपटपूर्वक अथवा गलती से वित्तीय विवरणों में मैटीरियल मिसस्टेटमेंट के जोखिम का मूल्यांकन भी शामिल है, के आधार पर किया जाता है। इस प्रकार के जोखिमों के मूल्यांकन में आडिट कंपनी द्वारा वित्तीय विवरणों को तैयार कर उसे सही सही प्रस्तुत करने के लिए बनाए गए आंतरिक नियंत्रण को ध्यान में रखकर, परिस्थिति अनुसार आडिट प्रक्रिया को डिजाइन करते हैं जिसमें आडिटरों का उद्देश्य कंपनी के आंतरिक नियंत्रण के प्रभावशाली होने पर मत देना बिल्कुल नहीं होता। आडिट का उद्देश्य प्रयोग की गई आडिट नीतियों की उपयुक्तता तथा प्रबंधतंत्र द्वारा बनाए गए अकाउंटिंग आंकलन की सार्थकता का मूल्यांकन करते हुए वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतिकरण का समग्र मूल्यांकन होता है।

हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा लिए गए आडिट साक्ष्य हमारे सीमित आडिट मत के आधार के लिए पर्याप्त तथा उपयुक्त है !

सीमित मत का आधार मुख्य रिपोर्ट के अनुलग्नक के अनुच्छेद (iv) में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था में अपर्याप्तताओं के बारे में, जो कि वर्ष के लेखों पर अनुवर्ती प्रभाव डाल सकते हैं, हमारी टिप्पणी है (प्रभाव सुनिश्चित नहीं किया जा सकता)

सीमित मत

हमारे विचार से, हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, समिति मत आधार के अनुच्छेद में उल्लिखित मामले के प्रभाव के अतिरिक्त, उपर्युक्त वित्तीय विवरणों में अधिनियम के तहत आवश्यक तथा अपेक्षित ढंग से सूचना दी गई है जो कि भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा नीतियों के अनुसार एक वास्तविक तथा सही अवलोकन प्रस्तुत करती है।

क. बैलेंस शीट के मामले में कंपनी के क्रियाकलाप दिनांक 31 मार्च, 2013 तक हैं :–

ख. लाभ तथा हानि के विवरण के लिए कंपनी को हुई हानि उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए है तथा

ग. कैश–फ्लो–स्टेटमैंट के लिए उस तिथि के लिए उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी का कैश–फ्लो लिया गया है ।

विषय का महत्व

क. यह देखने में आया है कि हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय में पार्टी/ग्रुप द्वारा देय वास्तविक सकल देनदारों को दबाने के लिए लेखा बहियों में जान बूझकर कई गलत/अव्याख्यायित प्रविष्टियां की गई हैं । इसके लिए प्रबंधतंत्र ने वसूल की जाने वाली वास्तविक राशि को जानने के लिए विशेष लेखा परीक्षक को निर्देश दिया है। इस रिपोर्ट के आधार पर भारतीय रू० 2288.20 मिलियन (गत वित्त वर्ष में शून्य मिलियन रू०) का उक्त संडरी डेब्टर से गैर वसूली खाते में प्रोविजन किया गया है । (कृपया नोट 17 (II) का संदर्भ लें।)

ख. विशेष लेखा परीक्षक की अंतिम रिपोर्ट आ जाने के उपरांत भारतीय रू० 155.44 मिलियिन (गत वित्त वर्ष में 1002.50 मिलियन रू०) क्षेत्रीय कार्यालय चेन्नई में देनदारों से वसूली

के संबंध में हुई भूल चूक के लिए प्रोविजन किया गया है (कृपया नोट17 (I)का संदर्भ लें।)

ग. कई मामलों में संडरी डेब्टर्स/वसूले जाने वाले दावे ऋण व अग्रिम /संडरी क्रेडिटर्स/अन्य देयताओं की पुष्टि नहीं हो पाई है तथा ऐसी पुष्टि हो जाने पर मिलान/एडजस्टमेंट, यदि कुछ है तो, का निर्धारण नहीं किया जा सकता है।(कृपया नोट 39 देखें)

घ. पैकेज में दिक्कत के चलते आर एम एस सॉफ्टवेयर सांची आइटमों की सही इंवेंटरी नहीं बता पा रही है। सांची इंवेंटरी को हाथ से लिख कर भी रिकार्ड में नहीं रखा गया है ।

ड. देनदारियों के लिए प्रावधान न किया जाना यदि है तो, कोई समय सीमा बढाने पर /वेवर/जीआर–1 फार्म के बट्टे खाते में डालने पर (कृपया नोट सं0 23 का संदर्भ लें)

अन्य कानूनी तथा वैधानिक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. जैसा कि केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 277 (4ए) की शर्तों में जारी (लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश 2003 के अनुसार आवश्यक है, हम आदेश के पैराग्राफ 4 तथा 5 में विनिर्दिष्ट स्टेटमैंट ऑफ मैटर्स को अनुलग्नक द्वारा दर्शा रहे हैं ।

2. जैसा कि अधिनियम की धारा 227 (3) के अनुसार आवश्यक है, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

क. हमारे विवेक तथा विश्वास के अनुसार आवश्यक सभी सूचना तथा स्पष्टीकरण हमें लेखा परीक्षा के लिए उपलब्ध किए गए।

ख. क्वालिफाइड ओपीनियन अनुच्छेद के तत्वों में वर्णित इफैक्टस ऑफ द मैटर को छोडकर कंपनी हमारे विचार से वैधानिक आवश्यकतानुसार, जहां तक हमारी जांच द्वारा पाया गया है, सही सही बुक आफ अकाउंट्स रखती है तथा उन शाखाओं से जहां हम नहीं जा पाए पर्याप्त रिटर्न, जो कि लेखा परीक्षा के लिए आश्यक है, हमें प्राप्त हुए हैं।

ग. इस रिपोर्ट में विश्लेषित बैलेंस शीट लाभ तथा हानि की स्टेटमैंट तथा कैश–फ्लो स्टेटमैंट बुक आफ अकाउंट्स से मेल खाती है।

घ. क्वालिफाइड ओपिनियन अनुच्छेद के तत्वों में वर्णित इफैक्ट्स ऑफ द मैटर्स हमारे विचार से बैलेंस शीट, लाभ तथा हानि की स्टेटमेंट तथा कैश–फ्लो स्टेटमेंट अधिनियम के अनुच्छेद 211 (3सी) उल्लिखित अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अनुसार है।

ड. निदेशकों से दिनांक 31 मार्च 2013 के लिए प्राप्त लिखित निवेदन के अनुसार, जो कि निदेशक मण्डल द्वारा रिकार्ड में लिया गया है, कोई भी निदेशक अधिनियम की धारा 274 (1) (जी) की शर्तों में दिनांक 31 मार्च, 2013 को निदेशक नियुक्त किए जाने के लिए आयोग्य नहीं है।

कृते **जैन कपिला एसोसिएट्स**
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
(फर्म रजिस्ट्रेशन नं0 000287एन)

डी के कपिला
पार्टनर
सदस्यता सं0 016905

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30 मई, 2013

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्न

हमारी उसी तिथि को पैरा 1 के अंतर्गत दी गई अन्य कानूनी तथा वैधानिक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट की धारा के संदर्भ में

i. अचल परिम्पत्ति के संबध में :

क. कंपनी ने पूरे विवरणों सहित, मात्रात्मक विवरण तथा स्थाई परिसंपत्तियों को दर्शाते हुए उचित रिकार्ड रखा हुआ हैं।

ख. जांच के निर्धारित कार्यक्रम के तहत, जो कि हमारे विचार से सभी स्थाई परिसंपत्तियों की समय समय पर यथोचित जांच के लिए आवश्यक है, प्रबंधतंत्र द्वारा पिछले वर्ष में सभी स्थायी परिसंपत्तियों को प्रत्यक्ष रूप से सत्यापित किया है । इस विषय में हमें दी गई सूचना व स्पष्टीकरण के अनुसार ऐसे सत्यापन में कोई महत्वपूर्ण त्रुटि नहीं पाई गई है।

ग. हमारे विचार से पिछले वर्ष बेची गई स्थायी परिसंपत्तियों का कंपनी की स्थायी परिसंपतियों में एक बहुत ही छोटा व नगण्य भाग रहा है जिसका कंपनी के गोइंग कंसर्न स्टेटस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

ii. कंपनी की इंवेंट्रीज के बारे में

क. जैसा कि हमें स्पष्ट किया गया है, वर्ष के दौरान कंपनी की इंवैंट्रीज का प्रबंधतंत्र द्वारा सत्यापन किया गया है।

ख. हमारे विचार से तथा हमें दी गई जानकारी व स्पष्टीकरण के अनुसार, प्रबंधतंत्र द्वारा इंवेंट्री के फिजिकल वेरीफिकेशन हेतु अपनाई गई प्रक्रिया को, कंपनी के आकार तथा व्यापार की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, और अधिक सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है।

ग. हमारे विचार से तथा हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार आडिट रिपोर्ट के इम्फासिस ऑफ मैटर (डी) की शर्तों के अनुसार, कंपनी अपनी इंवैंट्रीज का ठीक ठीक रिकार्ड रखती है तथा फिजिकल वैरीफिकेशन के दौरान किसी भी प्रकार की कोई विसंगति देखने में नहीं आई है।

iii. कंपनी ने अन्य किसी भी कंपनी, फर्म अथवा कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के अंतर्गत रखे गए रजिस्टर में आने वाली अन्य पार्टियों को कोई सुरक्षित या असुरक्षित ऋण नहीं दिया और न ही ऐसा ऋण लिया है।

iv. हमारे विचार से तथा हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार स्थाई परिसंपत्तियों को खरीद के लिए कंपनी के आकार तथा व्यापारिक प्रकृति के अनुसार एक पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था मौजूद है। **जहां तक कंपनी द्वारा माल तथा स्टॉक की क्रय–बिक्री का संबंध है, इसे और अधिक सशक्त बनाने की आवश्यकता है। यह देखा गया है कि विदेशी आपूर्तिकर्ता के साथ प्राइस़ फिक्सिंग में विलंब/अनुपस्थिति के कारण बिक्री तथा आगे हुए स्टॉक ट्रांसफर खातों में चढ़ने से रह जाते हैं।**

इसके अतिरिक्त यहां पूर्व वर्णित क्षेत्रों के अलावा, नीचे दिए क्षेत्रों में भी आंतरिक नियंत्रण मैकेनिज्म को सशक्त बनाने की आवश्यकता है ।

क. कंपनी के द्वारा किए गए व्यापार में ईआरपी तथा अदर स्टैंड अलोन इन्वैंट्री (आरएमएस) के बीच आने वाले माल (विशेषकर बुलियन/रिटेल ट्रेड) का समय समय पर मात्रिक मिलान करना ।

ख. फोरन एक्सचेंज एक्स्पोजर तथा तदुपरांत उससे संबंधित कागजातों का संभालना/रिकार्ड कीपिंग तथा कंपनी को आने वाले जोखिम की समय समय पर मानिटरिंग पर रिस्क मैनेजमेंट।

ग. वर्ष 2011–12 तथा वर्ष 2012–13 में क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद में लेखों की बहियों में किसी एक पार्टी/ग्रुप विशेष से वसूल किए जाने वाले डेटर्स को दबाने के लिए जानबूझ कर कई गलत/अवर्णित लेखा प्रविष्टियां की गई हैं ।

घ. जब कभी भी केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार पर उनके आदेश पर आयात किए जाने वाले कृषि उत्पादों पर देय सब्सिडी के दावे/वसूली बनती है उनकी तथा पुरानी लेनदारी, अग्रिम दावे व मुकदमों का संबंधित प्रभाग द्वारा अनुसरण किया जाना ।

ड. वर्तमान इआरपी सिस्टम क्योंकि बहुत ही पुराना हो गया है वह लेखा परीक्षा तथा आंतरिक लेखा परीक्षा नियंत्रण के लिए भी सुगम नहीं है। इसे बुलियन व्यापार की जटिलता, चेंजिंग रिपोर्टिंग की आवश्यकता तथा मेकर/चेकर की धारणा को सख्ती से लागू करना आवश्यकता के परिदृश्य में दुरूस्त करने की जरूरत है ।

च. खातों/स्टॉक रिकार्ड में प्रदर्शनी तथा सामान्य व्यापार के लिए सोने के बदले आभूषण लेने तथा इसके विपरीत आभूषणों के बदले सोना देने की प्रविष्टियां पास नहीं की गई हैं।

छ. **वित्तीय रिकार्ड के अनुसार बिक्री तथा खरीद, इनपुट/आउटपुट वैट के समक्ष बिक्री, खरीद, इनपुट/आउटपुट, वैट में भिन्नता तथा मिलान में कमी।**

ज. **हाई–सी सेल के लिए लेखा प्रविष्टियां हाई–सी ग्राहकों के साथ किए गए संबंधित एग्रीमेंट के अनुसार होनी चाहिए ।**

v. ऐसा कोई भी लेनदेन नहीं है जिसकी प्रविष्टि कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के अनुपालन में बनाए गए रजिस्टर में करनी अनिवार्य थी।

vi. हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने वर्ष के दौरान जनता से कोई डिपोजिट नहीं लिया है। जहां तक अनक्लेम्ड डिपाजिट का संबंध है, कंपनी ने कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 58 ए, अथवा अन्य संबंधित व्यवस्थाओं का पालन किया है।

vii. हमारे विचार से कंपनी प्रबंधतंत्र के आंतरिक लेखा परीक्षा के कार्य को, विस्तार तथा समय दोनों ही दृष्टि से, और अधिक रचनात्मक, सुदृढ़ व व्यापक होने की आवश्यकता है। बाह्य लेखा परीक्षा तथा आंतरिक लेखा परीक्षा प्रभाग का कार्य कंपनी के वर्तमान कार्यक्रम तथा व्यापार की प्रकृति के अनुरूप नहीं है। यह क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद तथा क्षेत्रीय कार्यालय चेन्नई में विशेषकर बहुत ही अपर्याप्त पाया गया है। तथापि प्रबंधतंत्र ने आंतरिक लेखा परीक्षा की व्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए कदम उठाए है।

viii. अधिनियम की धारा 209(1) (डी) के तहत भारत सरकार ने कंपनी द्वारा दी जाने वाली किसी भी सेवा के लिए कास्ट रिकार्ड्स लागू करना निर्धारित नहीं किया है।

ix. वैधानिक देयता के लिए हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार :

(क) कंपनी ने अविवादित, सांविधिक देय उपयुक्त प्राधिकरणों के पास नियमित रूप से जमा कराये हैं इनमें भविष्य निधि, निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, संपत्ति कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, उप कर तथा अन्य लागू महत्वपूर्ण सांविधिक देय शामिल हैं।

(ख) 31 मार्च, 2013 को देय अविवादित भविष्य निधि, निवेशक शिक्षा और सुरक्षा निधि, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, आयकर/बिक्री कर/संपत्ति कर/सेवा कर/सीमा शुल्क/उत्पाद शुल्क/उपकर तथा अन्य के उनके देय होने के छः माह से अधिक समय देय नहीं था।

(ग) विवादित होने के कारण 31 मार्च 2013 को देय आयकर, बिक्री कर, संपत्ति कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और उप कर जो जमा नहीं हुए हैं उनका विवरण अनुलग्नक 'क' में दिया गया है।

x. 31 मार्च, 2013 को तैयार किए गए वित्तीय विवरण में कंपनी की कोई संचयी हानियां शामिल नहीं हैं । यद्यपि कंपनी ने धोखाधड़ी होने के कारण 706.24 मिलियन रू० की कुल हानि रिपोर्ट किया है फिर भी हमारे लेखा परीक्षा के अंतर्गत इस वित्त वर्ष और इससे तत्काल पूर्व वित्त वर्ष में कोई नकद हानि नहीं हुई है ।

xi. हमारे द्वारा कंपनी के रिकार्डों की जांच करने पर तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने किसी भी वित्तीय संस्थान अथवा बैंक अथवा डिबेंचर होल्डर को पुनर्भुगतान करने में किसी भी प्रकार की चूक नहीं की है।

xii. हमें उपलब्ध कराई गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने शेयरों, डिबेंचरों तथा अन्य प्रतिभूतियों को जमानत के रूप में गिरवी रखने के आधार पर किसी भी तरह के ऋणों एवं अग्रिमों की स्वीकृति प्रदान नहीं की है, सिवाय इसके कि कर्मचारियों को कुछ ऋण मकान और वाहन को जमानत पर रखकर दिए गए हैं और इस संबंध में उचित दस्तावेज एवं रिकार्ड बनाए गए हैं । उपरोक्त के अतिरिक्त भी कुछ ऋण कार्मिकों को बिना किसी जमानत के दिए जाते हैं ।

xiii. हमारी राय में कंपनी चिट फंड अथवा निधि/म्युचुअल लाभ फंड/सोसायटी नहीं है । इसलिए कंपनी पर कंपनी (लेखा परीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2003 (यथासंशोधित) की धारा 4(xiii) के प्रावधान लागू नहीं होते ।

xiv. हमारी राय में कंपनी शेयरों, प्रतिभूतियों, डिबेंचरों तथा अन्य निवेशों के व्यापार में लेन–देन नहीं करती है। तदनुसार कंपनी पर कंपनी (लेखा परीक्षक रिपोर्ट) आदेश 2003 (यथासंशोधित) की धारा 4 (xiv) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

xv. हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार वर्ष के दौरान नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड (एक सहयोगी कंपनी) द्वारा बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋणों के लिए जिन शर्तों व अनुबंधों के अधीन कंपनी द्वारा दी गई है वे प्रथम दृष्टि में कंपनी के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालती है ।

xvi. हमारी सूचना तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार वर्ष

के दौरान कंपनी ने किसी प्रकार के सावधि ऋण नहीं लिए हैं। अतः कंपनी पर कंपनी (लेखा परीक्षक रिपोर्ट) आदेश 2003 (यथासंशोधित) की धारा 4 (xvi) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

xvii. हमारी सूचना तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों एवं कंपनी के तुलन पत्र की समग्र जांच के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि लघु अवधि आधार पर उगाही गई निधियों का दीर्घावधि निवेश में प्रयोग नहीं किया गया है ।

xviii. हमारी सूचना तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के अंतर्गत बनाए गए रजिस्टर में कंपनी ने पार्टियों एवं कंपनियों को किसी प्रकार के अधिमान्य (प्रिफरेंशियल) शेयरों का आबंटन नहीं किया है।

xix. हमारी सूचना तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार आडिट रिपोर्ट की अवधि के दौरान वर्ष में कंपनी द्वारा किसी प्रकार के डिबेंचर जारी नहीं किए गए हैं । अतः कंपनीज (आडिटर रिपोर्ट) आदेश 2003 (यथासंशोधित) की धारा 4 (xix) का प्रावधान लागू नहीं होता।

xx. चूंकि कंपनी ने वर्ष के दौरान सार्वजनिक निर्गम द्वारा किसी प्रकार की राशि नहीं जुटाई है अतः कंपनीज (आडिटर रिपोर्ट) आदेश 2003 (यथासंशोधित) की धारा 4 (xx) के प्रावधान निगम पर लागू नहीं होते हैं।

xxi. सामान्य रूप से भारत में स्वीकृत लेखा परीक्षा मानकों के अनुरूप तथा हमें उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार हमारे द्वारा निगम के खातों एवं रिकार्डों की जांच के दौरान यह देखने में आया है कि जैसा कि प्रबंधतंत्र ने सूचित किया है, वर्ष के दौरान निगम में निम्नलिखित मामले धोखाधड़ी (मैटीरियल फ्राड) के हुए हैं:–

(क) क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद

क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद की पुस्तकों में कई गलत अस्पष्ट लेखा प्रविष्टियां की गई हैं जिससे जानबूझकर वित्त वर्ष 2011–12 व 2012–13 के दौरान विशिष्ट पार्टी /समूह से वसूली योग्य विविध देनदारों को छिपाया जा सके ।

कृते **जैन कपिला एसोसिएट्स**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
(आई सी ए आई पंजीयन सं0 000287एन)

(डी के कपिला)
भागीदार
सदस्यता सं0 016905

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 30 मई 2013

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक 'क'

अनुलग्नक के पैराग्राफ IX (बी) में संदर्भित दिनांक 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए कम्पनीज़ (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश 2003(यथासंशोधित) में एमएमटीसी लिमिटेड के विनिर्दिष्ट मामलों की तालिका।

कंपनी के रिकार्ड के अनुसार इसके द्वारा देय आयकर, बिक्री कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क तथा उपकर जो विवाद के कारण जमा नहीं कराए गए हैं, का विवरण निम्नलिखित है :

चैन्नई क्षेत्रीय कार्यालय

संविधि का नाम	देय राशि की प्रकृति	राशि (रुपए में)	अवधि	विवाद जिस फोरम में विचाराधीन है
टीएनजीएसटी अधिनियम	बिक्री कर, पेनल्टी व ब्याज	8,63,114	1998–99	मद्रास उच्च न्यायालय
टीएनजीएसटी अधिनियम	बिक्री कर, पेनल्टी व ब्याज	4,43,416	2000–2001	बिक्री कर अपील ट्रिब्यूनल
टीएनजीएसटी अधिनियम	बिक्री कर, पेनल्टी व ब्याज	11,52,785	1999–2000	मद्रास उच्च न्यायालय
टीएनजीएसटी अधिनियम	बिक्री कर, पेनल्टी व ब्याज	1,78,536	2001–02	सहायक आयुक्त(कमी.टेक्स)चैन्नई

मुम्बई क्षेत्रीय कार्यालय

संविधि का नाम	देय राशि की प्रकृति	राशि (रुपए में)	अवधि	विवाद जिस फोरम में विचाराधीन है
बीएसटी अधिनियम	बिक्री कर	3,08,644	1986–87	बिक्री कर के संयुक्त आयुक्त
बीएसटी अधिनियम	बिक्री कर	5,19,887	1987–88	बिक्री कर के संयुक्त आयुक्त
बीएसटी अधिनियम	बिक्री कर	1,33,907	1988–89	बिक्री कर के संयुक्त आयुक्त
बीएसटी अधिनियम	बिक्री कर	14,96,06,778	1989–90	एमएसटी ट्रिब्यूनल
बीएसटी अधिनियम	बिक्री कर	23,30,46,478	1990–91	उपायुक्त बिक्री कर
बीएसटी अधिनियम	बिक्री कर	28,98,738	1991–92	उपायुक्त बिक्री कर
बीएसटी अधिनियम	बिक्री कर	11,14,933	1992–93	एमएसटी ट्रिब्यूनल
बीएसटी अधिनियम	बिक्री कर	45,03,961	2001–02	डीसी (बिक्री कर)

दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय

संविधि का नाम	देय राशि की प्रकृति	राशि (रुपए में)	अवधि	विवाद जिस फोरम में विचाराधीन है
दिल्ली बिक्री कर	बिक्री कर	11,65,303	1984–85	डीसी अपील
दिल्ली बिक्रीकर	बिक्री कर	6,18,17,683	1986–87	अपर आयुक्त
केंद्रीय बिक्री कर	बिक्री कर	39,14,524	1986–87	अपर आयुक्त
दिल्ली बिक्रीकर	बिक्री कर	403,31,557	1987–88	अपर आयुक्त
केंद्रीय बिक्री कर	बिक्री कर	28,54,992	1987–88	अपर आयुक्त
दिल्ली बिक्रीकर	बिक्री कर	3,69,45,148	1988–89	अपर आयुक्त
केंद्रीय बिक्री कर	बिक्री कर	33,51,524	1988–89	अपर आयुक्त
दिल्ली बिक्री कर	बिक्री कर	16,35,160	1987–88	संयुक्त आयुक्त

हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय

संविधि का नाम	देय राशि की प्रकृति	राशि (रुपए में)	अवधि	विवाद जिस फोरम में विचाराधीन है
एपीजीएसटी	बिक्री कर	1,49,770	1989–90	एसटीएटी,
एपीजीएसटी	बिक्री कर	29,61,551	1990–91	एसटीएटी, विजाग
एपीजीएसटी	बिक्री कर	24,02,576	1991–92	एसटीएटी, विजाग
एपीजीएसटी	बिक्री कर	13,96,269	1992–93	एसटीएटी, विजाग
एपीजीएसटी	बिक्री कर	17,62,687	1992–93	एसटीएटी, विजाग
एपीजीएसटी	बिक्री कर	6,30,615	1993–94	एसटीएटी, विजाग
सीएसटी	केंद्रीय बिक्री कर	4,41,446	1993–94	एसटीएटी, विजाग
सीएसटी	केंद्रीय बिक्री कर	2,04,481	1994–95	एसी (एलटीयू)
सीएसटी	केन्द्रीय बिक्री कर	5,97,266	1995–96	एसटीएटी, विजाग
एपीजीएसटी	बिक्री कर	38,03,875	1995–96	एसटीएटी, विजाग
एपीजीएसटी	बिक्री कर	28,80,309	1995–96	एसटीएटी, विजाग
सीएसटी	केंद्रीय बिक्री कर	21,34,306	1996–97	एसटीएटी, विजाग
एपीजीएसटी	बिक्री कर	58,43,100	1997–98	एसटीएटी, विजाग
सीएसटी	केंद्रीय बिक्री कर	6,35,504	1997–98	एडीसी (सीटी)
एपीजीएसटी	बिक्री कर	55,65,147	1998–99	एसटीएटी, विजाग
एपीजीएसटी	बिक्री कर	39,04,454	1999–2000	एसटीएटी, विजाग
एपीजीएसटी	बिक्री कर	2,52,926	2000–2001	एसटीएटी, विजाग
एपीजीएसटी	बिक्री कर	2,12,176	2001–2002	एसी (एलटीयू)
एपीजीएसटी	बिक्री कर	68,901	2002–2003	एसी (एलटीयू)
एपीजीएसटी	बिक्री कर	34,856	2003–2004	एसी (एलटीयू)
एपीजीएसटी	बिक्री कर	1,26,000	2004–2005	एसी (एलटीयू)
वैट	वैट	6,76,058	2006–2007	एसटीएटी
वैट	वैट	71,000	2007–2008	एसी (एलटीयू)
वैट	वैट	5,00,000	2008–2009	एसटीएटी, विजाग
वैट	वैट	11,90,1000	2008–2009	एसटीएटी, विजाग
केंद्रीय उत्पाद व सीमा शुल्क		24,11,17,719	2008–09	आयुक्त केन्द्रीय सीमा उत्पाद

भुवनेश्वर क्षेत्रीय कार्यालय

संविधि का नाम	देय राशि की प्रकृति	राशि (रुपये में)	अवधि	विवाद जिस फोरम में विचाराधीन है
उड़ीसा बिक्री कर	ब्याज दंड	9,58,035	1966–67	उड़ीसा उच्च न्यायालय
उड़ीसा बिक्री कर	उड़ीसा बिक्री कर	7,79,135	1977–78	उड़ीसा उच्च न्यायालय
उड़ीसा बिक्री कर	ब्याज दंड	26,50,388	1978–79	उड़ीसा उच्च न्यायालय
उड़ीसा बिक्री कर	उड़ीसा बिक्री कर	34,00,919	1977–78	उड़ीसा उच्च न्यायालय
उड़ीसा बिक्री कर	उड़ीसा बिक्री कर	1,70,046	1977–78	उड़ीसा उच्च न्यायालय
उड़ीसा बिक्री कर	ब्याज दंड	6,53,452	1979.80	उड़ीसा उच्च न्यायालय
उड़ीसा बिक्री कर	सी एस टी	33,04,073	1981–82	उड़ीसा उच्च न्यायालय
उड़ीसा बिक्री कर	उड़ीसा बिक्री कर	78,46,464	1982–83	उड़ीसा उच्च न्यायालय
उड़ीसा बिक्री कर	उड़ीसा बिक्री कर	3,16,921	1982–83	उड़ीसा उच्च न्यायालय

उड़ीसा बिक्री कर	केन्द्रीय बिक्री कर	34,83,020	1982–83	उड़ीसा उच्च न्यायालय
उड़ीसा बिक्री कर	ब्याज	2,62,819	1982–83	उड़ीसा उच्च न्यायालय
उड़ीसा बिक्री कर	उड़ीसा बिक्री कर	79,13,807	1983–84	उड़ीसा उच्च न्यायालय
उड़ीसा बिक्री कर	उड़ीसा बिक्री कर	3,29,926	1983–84	उड़ीसा उच्च न्यायालय
उड़ीसा बिक्री कर	उड़ीसा बिक्री कर	35,42,822	1983–84	उड़ीसा उच्च न्यायालय
उड़ीसा बिक्री कर	उड़ीसा बिक्री कर	86,48,326	1984–85	उड़ीसा उच्च न्यायालय
उड़ीसा बिक्री कर	उड़ीसा बिक्री कर	3,69,294	1984–85	उड़ीसा उच्च न्यायालय
उड़ीसा बिक्री उत्पाद	केन्द्रीय बिक्री कर	57,96,808	1984–85	उड़ीसा उच्च न्यायालय
उड़ीसा बिक्री उत्पाद	ब्याज	3,57,42,030	1978–79	उड़ीसा उच्च न्यायालय
उड़ीसा बिक्री उत्पाद	डीईपीबी	14,98,22,308	2006–09	अति.बिक्रीकर आयुक्त, उडिसा
उड़ीसा बिक्री उत्पाद	डीईपीबी	5,08,43,080	2010–12	अति.बिक्रीकर आयुक्त, उडिसा
केन्द्रीय उत्पाद एक्ट	सेवा कर	7,96,40,918	2003–05	सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क व सेवा कर अपेलेट ट्रिब्यूनल, कोलकात्ता
केन्द्रीय उत्पाद एक्ट	सेवा कर	12,92,49,705	2003–07	सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क व सेवा कर अपेलेट ट्रिब्यूनल, कोलकात्ता
केन्द्रीय उत्पाद एक्ट	सेवा कर	2,40,11,786	2007–08	सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क व सेवा कर अपेलेट ट्रिब्यूनल, कोलकात्ता
केंद्रीय उत्पाद शुल्क	सेवा कर	6,50,24,480	2008–10	सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क व सेवा कर अपेलेट ट्रिब्यूनल, कोलकात्ता
केंद्रीय उत्पाद शुल्क	सेवा कर	5,02,62,584	2010–11	सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क व सेवा कर अपेलेट ट्रिब्यूनल, कोलकात्ता
केंद्रीय उत्पाद शुल्क	सेवा कर	3,23,262	2005–07	सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क व सेवा कर अपेलेट ट्रिब्यूनल, कोलकात्ता

जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय

संविधि का नाम	देय राशि की प्रकृति	राशि (रुपए में)	अवधि	विवाद जिस फोरम में विचाराधीन है
आरएसटी अधिनियम	बिक्री कर	1,34,20,050	2003–04	डीसी(अपील) 35,49,446/–रूपये विरोधस्वरूप जमा कराये गये।
आरएसटी अधिनियम	बिक्री कर	26,07,605/–	1999–00	राजस्थान टैक्स बोर्ड
राज वैट अधिनियम	वैट	3,26,47,269/–	2010–11	केएआर बोर्ड
सीएसटी अधिनियम	सीएसटी	59,92,494/–	2010–11	केएआर बोर्ड
आरएसटी अधिनियम	वैट	17,09,102/–	2010–11	एसेसी आफिसर

विज़ाग क्षेत्रीय कार्यालय

संविधि का नाम	देय राशि की प्रकृति	राशि (रुपए में)	अवधि	विवाद जिस फोरम में विचाराधीन है
एपीजीएसटी अधिनियम	बिक्री कर	18,56,325	1968–69	एसटीएटी, हैदराबाद
एपीजीएसटी अधिनियम	बिक्री कर	26,39,647	1981–82	एडीसी, विज़ाग
एपीजीएसटी अधिनियम	बिक्री कर	6,88,552	1982–83	एडीसी, विज़ाग
एपीजीएसटी अधिनियम	बिक्री कर	17,66,784	1983–84	एडीसी
एपीजीएसटी अधिनियम	बिक्री कर	30,00,436	1984–85	एडीसी
एपीजीएसटी अधिनियम	बिक्री कर	25,05,806	1985 –86	एसटीएटी, विजाग
एपीजीएसटी अधिनियम	बिक्री कर	2,70,83,841	1986–87	एसटीएटी, विजाग
एपीजीएसटी अधिनियम	बिक्री कर	36,45,076	1987–88	एडीसी
एपीजीएसटी अधिनियम	बिक्री कर	19,34,139	1991–92	एसी एलटीयू
एपीजीएसटी अधिनियम	बिक्री कर	4,79,000	1989–90	एसटीएटी
सीएसटी	बिक्री कर	8,41,695	1994–95	एसी एलटीयू
सीएसटी	बिक्री कर	48,62,340	1995–96	एसटीएटी, हैदराबाद
सीएसटी	बिक्री कर	33,58,889	1996–97	एसटीएटी, हैदराबाद
एपीजीएसटी अधिनियम	बिक्री कर	25,27,960	1997–98	एसटीएटी, हैदराबाद
सीएसटी	बिक्री कर	104,614	1997–98	एडीसी
केंद्रीय उत्पाद व सीमा शुल्क	सेवा कर	12,65,26,554	2003–06	सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर अपीलेट ट्रिब्यूनल, बंगलौर

कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय

संविधि का नाम	देय राशि की प्रकृति	राशि (रुपये में)	अवधि	विवाद जिस फोरम में विचाराधीन है
सीएसटी अधिनियम 1956	बिक्री कर	11,30,858	2005–06	अपीलीय बोर्ड
सीएसटी अधिनियम 1956	बिक्री कर	77,60,971	2006–07	डीसी अपील
डब्ल्यूबी वैट अधिनियम	वैट	8,28,126	2008–09	डीसी अपील
सीएसटी अधिनियम 1956	बिक्री कर	2,05,794	2008–09	डीसी अपील

क्षेत्रीय कार्यालय झंडेवालान

संविधि का नाम	देय राशि की प्रकृति	राशि (रुपए में)	अवधि	विवाद जिस फोरम में विचाराधीन है
दिल्ली वैट	सीएसटी/एलएसटी/ ब्याज/ जुर्माना (स्वर्ण संस्मारक मेडालियन)	4,90,85,551/ 37,45,290	1997–98 2002–2003	अपीलीय ट्रिब्यूनल वैट, दिल्ली आयुक्त, डी वैट
यूपी–वैट	वैट+फार्म–3बी (स्वर्ण) और फार्म 3–सी1(मेंथा ऑयल) जमा नहीं कराने पर ब्याज	2,88,866/– 6,11,808/– 2,49,828/–	1995–96 1996–97 2007–08	इलाहाबाद उच्च न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय आयुक्त यूपी वैट
सीमा–शुल्क विभाग, दिल्ली	एसोसिएट द्वारा लिए गए सोने के लोन का स्वर्णाभूषण निर्यात नहीं करने का ब्याज व सीमा शुल्क	2,72,67,919	1999–2000	दिल्ली उच्च न्यायालय

2012–13 के लेखों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों का उत्तर

	लेखा परीक्षकों की टिप्पणी	प्रबंधतंत्र का उत्तर
1.	सीमित मत का आधार मुख्य रिपोर्ट के अनुलग्नक के पैरा (iv) में उल्लेख के अनुसार जो कि वर्ष के लेखों पर सीधा प्रभाव डालता है, अपर्याप्त आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था (प्रभाव जानने योग्य नहीं है) के बारे में हमारी टिप्पणी	
	मुख्य रिपोर्ट के अनुलग्नक पैरा (iv) पर टिप्पणियां	
	कंपनी द्वारा खरीदे जाने वाले माल तथा स्टाक के संबंध में उल्लेखनीय है कि इसे और अधिक सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है जैसा कि देखा गया है मूल्य निर्धारण के लिए विदेशी आपूर्तिकर्ता के साथ विलंब/अनुपस्थिति तथा उसके बाद स्टाक का स्थानांतरण की लेखा बहियों में प्रविष्टियां नहीं की जाती हैं।	सोना/चांदी का स्टाक मेडालियन, आभूषण तथा सांची सिल्वर का सामान बनाने के लिए बिना मूल्य निर्धारण के जारी किया जाता है। इसका मूल्य विदेशी आपूर्तिकर्ता के साथ बिक्री फाइनल करने के बाद किया जाता है जिससे कि मूल्य पर किसी प्रकार के प्रतिकूल प्रभाव से बचा जा सके। आभूषण निर्माण के लिए किए जाने वाले स्टाक स्थानांतरण की व्यवस्था को लेखा बहियों में जारी करने के समय प्रविष्टियां करके और अधिक सुदृढ़ बनाया जाएगा। तथापि सर्राफा के लिए देयता जो कि मूल्य निर्धारण के बिना वर्ष की समाप्ति पर लेखा बहियों में प्रविष्टियां करने से रह जाती हैं, विधिवत मिलान के बाद पूरी कर ली जाती हैं।
	इसके अतिरिक्त ऊपर दिए गए क्षेत्रों के अलावा भी आंतरिक नियंत्रण मैकेनिज्म को निम्नलिखित क्षेत्रों में भी सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।	
	क. कंपनी द्वारा व्यापार के माल का समय–समय पर (विशेषतः बुलियन/ रिटेल टेड) का ईआरपी तथा दूसरे स्टैण्डअलोन इन्वैंट्रीज सिस्टम (आरएमएसस) के साथ मात्रिक मिलान।	आरएमएस में दिखाई देने वाले बुलियन/रिटेल ट्रेड के स्टाक का ईआरपी तथा वास्तविक रूप से उपलब्ध स्टाक से मिलान करके कंपनी द्वारा इस विषय में समय–समय पर कारगर कदम उठाए गए हैं। इसके अलावा कंपनी ने वर्तमान ईआरपी व्यवस्था के स्थान पर एक वृहत ईआरपी व्यवस्था को भी लागू करने का निर्णय लिया है जिसमें समय–समय पर माल को मिलान किए जाने की सुविधा अंतर्निहित रहेगी।
	ख. विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र/अनुवर्ती कागज़ात /रिकार्ड कीपिंग तथा समय–समय पर कंपनी को होने वाले जोखिम के लिए जोखिम प्रबंधन।	अक्तूबर 2012 के दौरान कंपनी ने सर्राफा व्यापार के लिए बायर/सप्लायर के लिए क्रेडिट लेना बंद कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त वर्तमान में गैर–सर्राफा विदेशी मुद्रा क्रेडिट के लिए एमएमटीसी के खाते में होने वाले फारेन करेंसी के जोखिम को पूरी तरह से क्रेडिट लेते समय ही हैज कर दिया जाता है जो कि कारपोरेट कार्यालय द्वारा मॉनीटर किया जाता है।
	ग. क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद की लेखा बहियों में अनेकों गलत/अवर्णित प्रविष्टियां हैं जो कि जानबूझकर किसी पार्टी/ग्रुप विशेष से प्राप्त होने वाले सेन्ड्री डेटर्स को वर्ष 2012–13 में दबाने के उददेश्य से की गई है।	क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद की बुलियन ट्रांजेक्शन फोरेंसिक आडिट/समीक्षा केपीएमजी द्वारा करवाई गई थी जिन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इस रिपोर्ट के आधार पर डेटर्स का शेष दिनांक 31.3.2013 को पुनः वर्णित किया गया है तथा इस वसूली के लिए पूरा प्रावधान किया गया है।

	घ. जहां कहीं भी कृषि उत्पादों के लिए केंद्रीय/राज्य सरकार के आदेश पर किए गए निर्यात के लिए सब्सिडी के दावे/वसूली की जानी है तथा इस विषय में पुरानी लेनदारी अग्रिम, दावे, मुकदमे आदि का संबंधित कमोडिटी प्रभाग द्वारा अनुसारण किया जाना।	क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर कारपोरेट कार्यालय द्वारा कृषि उत्पादों पर मिलने वाली सबसिडी के लिए कंपनी कन्सोलिडेटिड आधार पर दावे करती है। देय राशि से अधिक के दावे दिनांक 31 मार्च 2013 को क्षे.का./का.का. द्वारा वापिस ले लिए गए हैं। पुराने दावों की राशि को प्राप्त करने के लिए सभी संभव प्रयास जारी है।
	ड. क्योंकि वर्तमान ईआरपी व्यवस्था जो पुरानी हो गई है आडिट तथा आंतरिक नियंत्राण काम के लिए उपयुक्त नहीं है। इसे बदलने की आवश्यकता है जिससे कि सर्राफा व्यापार की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बदलती जरूरतें मेकर/चैकर आदि को सख्ती से लागू किया जा सके। कंपनी द्वारा वर्तमान ईआरपी व्यवस्था को बदलने के लिए काम शुरू कर दिया है।	कंपनी ने वर्तमान ईआरपी सिस्टम के स्थान पर व्यापार की वर्तमान आवश्यकताओं तथा मॉडल के लिए उपयुक्त नये ईआरपी सिस्टम को लगाने का निर्णय लिया है।
	च. प्रदर्शनी/सामान्य व्यापार के लिए आभूषण बनाने के लिए दिए जाने वाले तथा वापस लिए जाने वाले बुलियन की प्रविष्टियां लेखा/स्टाक रिकार्ड में पास नहीं की जाती।	वर्तमान वर्ष में इनकी समीक्षा की जाएगी। अकाउंटिंग स्टैण्डर्ड के अनुरूप काम करने के लिए उपयुक्त निर्देश जारी कर दिए जायेंगे।
	छ. बिक्री तथा खरीद, के लिए वैट इनपुट/आउटपुट तथा फाइनेंशियल रिकार्ड के अनुसार बिक्री तथा खरीद, के लिए वैट इनपुट/आउटपुट में भिन्नता तथा मिलान की कमी।	वर्तमान ईआरपी सिस्टम में वैट रिटर्न जनरेट करने की व्यवस्था नहीं है। अतः यह समय–समय पर रिटर्न भरने के बाद हाथ से किया जाता है। तथापि खाते बन्द करने से पहले वर्ष के अंत में आंकड़ों का विधिवत् मिलान किया जाता है।
	ज. हाईसीज़ सेल के लिए लेखा प्रविष्टियां संबंधित ग्राहक के साथ किए गए सेल एग्रीमेंट के अनुसार ही की जानी चाहिए।	चालू वर्तमान कार्य प्रणाली की समीक्षा की जाएगी तथा जब भी आवश्यकता पड़ी तब उपयुक्त निर्देश जारी किए जाएंगे।
2.	**इम्फासिस ऑफ मैटर**	
	क. पता चला है कि क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद की लेखा बहियों में अनेकों गलत/अवर्णित प्रविष्टियां हैं जो कि जानबूझकर किसी पार्टी/ग्रुप विशेष से प्राप्त होने वाले सेन्ड्री डेटर्स को वर्ष 2012–13 में दबाने के उददेश्य से की गई है। इन प्रविष्टियों के लिए मैनेजमेंट ने एक विशेष आडिट को वास्तविक वसूली योग्य राशि को सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए हैं। इसकी रिपोर्ट के आधार पर लेखा बहियों में रुपये 2288.20 मिलियन (गतवर्ष रुपये निल मिलियन) कथित सेन्ड्री डेटर्स से वसूल न की जा सकने वाली राशि के रूप में दर्ज किया गया है। (नोट नम्बर 17(2) का संदर्भ लें)	कंपनी ने केपीएमजी द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय के बुलियन ट्राजैक्शन की विशेष लेखा परीक्षा करवाई थी जिसने अपनी रिपोर्ट दे दी है। इस रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 31.03.2013 को लेखा बहियों में डेटर्स के बकाया को पुनः व्याख्यायित किया गया है तथा रुपये 2280.20 मिलियन की राशि के लिए पूरा प्रावधान किया गया है। संबंधित (5) कार्मिकों को निलंबित कर दिया गया है। कंपनी ने सीबीआई में भी शिकायत दर्ज की है जिसने मामला दायर करके सविस्तार तस्दीफ शुरू कर दी है। पार्टी ने देयता स्वीकार कर ली है। कंपनी कानूनी प्रक्रिया से वसूली के लिए पूरा प्रयास कर रही है।
	ख. स्पेशल आडिट की अंतिम रिपोर्ट आ जाने पर रुपये 155.44 मिलियन(गतवर्ष रुपये 1002.50 मिलियन) का अतिरिक्त प्रावधान भूल–चूक के कृत्य के लिए डेटर्स से वसूलने के लिए क्षेत्रीय कार्यालय चेन्नई में प्रावधान किया गया है। (नोट नम्बर 17 (i) का संदर्भ लें)	चार्टर्ड अकाउंटैटस फर्म द्वारा किए गए स्पेशल आडिट की फाइन्डिगस के आधार पर क्षेत्रीय कार्यालय चेन्नै द्वारा वर्ष के लिए रुपये 155.44 मिलियन के बकाया के लिए पूरा प्रावधान किया गया है। कंपनी कानूनी प्रक्रिया द्वारा इस राशि की वसूली का पूरा प्रयास कर रही है।

	ग.सेन्ड्री डेटर्स/वसूली के दावे/ऋण तथा अग्रिम सन्ड्री क्रेडिटर्स /अन्य देयताओं की पुष्टि कई मामलों में नहीं की गई है तथा अनुवर्ती मिलान/एडजस्टमेंट यदि कोई है तो, इन पुष्टियों के बाद ज्ञात नहीं हुए हैं। (नोट नम्बर 39 का संदर्भ लें)	एमएमटीसी के खातों में प्रकट हो रहे बकाया की पुष्टि के लिए पार्टियों को पत्र लिखे गए हैं। पत्रों में यह भी उल्लेख किया गया है कि यदि निर्धारित तिथि तक उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो खातों में प्रकट हो रहे बकाया को पुष्टि किया हुआ मान लिया जाएगा। वैसे भी पार्टी सामान्यतः इस प्रकार की पुष्टि नहीं करती। क्षेत्रीय कार्यालयों ने किसी प्रतिकूल उत्तर प्राप्त होने की पुष्टि नहीं की है। वर्तमान वर्ष में इस प्रक्रिया को और अधिक सुदृढ़ बनाया जाएगा तथा इस पर नजदीकी नजर रखी जाएगी। प्रत्येक ट्रांजैक्शन के हिसाब से अकाउण्ट सैटल करने के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।
	घ. पैकेज में गड़बड़ होने के कारण आरएमएस सॉफटवेयर सांची आइटमों की सही इन्वैंट्री नहीं दिखा रही है। सांची की आइटमों का मैनुअल रिकार्ड भी नहीं रखा जा रहा।	एक क्षेत्रीय कार्यालय के स्टॉक का रिटेल मैनेजमेंट सिसटम(आरएमएस) सोफ्ट वेयर में वास्तविक रूप से उपलब्ध बकाया के साथ समय पर मिलान नहीं हो पाया। तथापि साथ–साथ, जब तक आरएमएस में आई कठिनाई को पूरी तरह से दूर नहीं कर लिया जाए, अलग मैनुअल रिकार्ड भी रखे जा रहे है।
	ड. जीआर–1 फार्म के लिए समय बढ़ाने हेतु/वेवर/राइट ऑफ हेतु देयताओं का प्रावधान न करना(नोट नम्बर 23 का संदर्भ लें)	यह वर्ष 1991–92 के लिए बकाया जी आर से संबंधित है। जब भी इसके लिए डिमाण्ड आती है तो देयता का प्रावधान कर कंपनी द्वारा सैटल कर दिया जाएगा। वर्तमान में देयता निर्धारित नहीं की जा सकती।
	स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक	
3.	**आंतरिक लेखा परीक्षा** हमारे विचार से प्रबंधन द्वारा चलाए जा रहे आंतरिक लेखा परीक्षा के काम को स्कोप तथा प्रोडक्टिविटी के लिए तथा कंपनी के बाहृय लेखा परीक्षक/आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग कंपनी के वर्तमान कार्यकमों तथा व्यापार की प्रकृति के अनुरूप नहीं है। इसको, विशेष कर क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद तथा क्षेत्रीय कार्यालय चेन्नै, में बहुत ही अपर्याप्त पाया गया है। तथापि, प्रबंध तंत्र आंतरिक लेखा प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए कदम उठा रहा है।	आंतरिक लेखा परीक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए कंपनी ने निम्नलिखित कदम उठाए हैः– – जनवरी 2012 से आंतरिक लेखा परीक्षा प्रभाग को सीधे सीएमडी के अधीन कर दिया गया है। – सीएंडएजी के पैनल से ही बाहृय लेखा परीक्षा फर्म का चयन किया जाता है। – आंतरिक लेखा परीक्षा के क्षेत्र का विस्तार कर सभी महत्वपूर्ण क्षेत्र इसमें शामिल किए गए हैं। –आंतरिक लेखा परीक्षा की रिपोर्ट को प्रस्तुत करने की अवधि आधे वर्ष की बजाए तिमाही कर दी गई है। – सभी बुलियन सेंटर का स्पेशल आडिट करवाया गया है। –एमएमटीसी के आंतरिक लेखा परीक्षा प्रभाग में तैनात अधिकारियें द्वारा वर्तमान में सभी क्षेत्रीय कार्यालयों का लेखा परीक्षण शुरू कर दिया गया है। – एक विस्तृत आंतरिक लेखा परीक्षा मैनुअल का काम पूरा होने को है। – एमएमटीसी अधिकारियों की स्पेशल टीम को कई क्षेत्रीय कार्यालयों में ट्राजेंक्शन तथा रिकार्ड का निरीक्षण करने के लिए भेजा जाता है। – आंतरिक लेखा परीक्षा प्रभाग में अतिरिक्त मैन पावर की तैनाती की गई है।
	मैटीरियल फाड	
	क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद की लेखा बहियों में अनेकों गलत/अवर्णित प्रविष्टियां हैं जो कि जानबूझकर किसी पार्टी/ग्रुप विशेष से प्राप्त होने वाले सेन्ड्री डेटर्स को वर्ष 2012–13 में दबाने के उददेश्य से की गई है।	कपया उपरोक्त 2(क) में दिए गए उत्तर का संदर्भ लें।

एमएमटीसी लिमिटेड
MMTC LIMITED
भारत सरकार का उपक्रम
A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE
touching lives, adding value

वार्षिक लेखा
2012 - 2013

31 मार्च 2013 को बैलेंस शीट

(₹ मिलियन में)

	नोट स.	31-03-2013		31-03-2012	
इक्विटी व देयताएं					
शेयर धारकों की निधिया	3				
शेयर पूंजी	3.1	1 ,000.00		1 ,000.00	
रिजर्व एवं अधिषेष	3.2	12,407.78	13,407.78	13,214.01	14,214.01
गैर चालू देयताएँ	4				
अन्य दीर्घ अवधि देयताएँ	4.1	1 91.18		44.81	
दीर्घ अवधि प्रावधान	4.2	1,701.94	1,893.12	1,373.72	1,418.53
चालू देयताएँ	5				
अल्प अवधि ऋण	5.1	1 4,782.91		34,298.66	
व्यापारिक देय	5.2	2 6,704.05		32,996.07	
अन्य चालू देयताएं	5.3	8 ,994.19		18,331.95	
अल्प अवधि प्रावधान	5.4	1 ,198.68	51,679.83	2,123.48	87,750.16
योग:		66,980.73		103,382.70	
परिसंपत्तियां					
गैर चालू परिसंपत्तियां	6				
मूर्त परिसंपत्तियां	6.1				
अमूर्त परिसंपत्तियां	6.1.1	8 64.73		972.61	
पूंजीगत कार्य प्रगति पर	6.1.2	1 .64		0.00	
अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां	6.1.3	5 4.94		-	
गैर चालू निवेश	6.2	4 ,697.36		4 ,672.87	
आस्थगित कर परिसंपत्तियां(निवल)	6.3	1 ,454.24		714.96	
दीर्घावधि ऋण व अग्रिम	6.4	1 ,129.81		1 ,095.05	
अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां	6.5	17.43	8,220.15	22.91	7,478.40
चालू परिसंपत्तियां	7				
चालू निवेश	7.1	1 50.03		-	
इन्वैंट्रीज	7.2	8 ,888.24		9 ,244.03	
व्यापारिक प्राप्य	7.3	2 2,240.97		27,706.10	
रोकड़ व बैंक शेष	7.4	1 4,600.51		28,531.16	
अल्पावधि ऋण व अग्रिम	7.5	11,141.52		20,147.25	
अन्य चालू परिसंपत्तियां	7.6	1,739.31	58,760.58	10,275.76	95,904.30
योग:			66,980.73		103,382.70
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	2				
संलग्न टिप्पणियां वित्तीय विवरण का अभिन्न अंग है।					

हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते जैन कपिला एसोसिएट्स
(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)
एफ आर सं 000287 एन

कृते निदेशक मंडल की ओर से

(सीए डी के कपिला)
पार्टनर
एम नं0 016905

(जी आनंदनारायणन)
सहायक कंपनी सचिव

(विजय पाल)
मु.म.प्र.(वि.व ले.)

(एम जी गुप्ता)
निदेशक(वित्त)

(वेद प्रकाश)
निदेशक

(डी एस ढेसी)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

दिनांक 30.05.2013
सीन : नई दिल्ली

MMTC LIMITED
एमएमटीसी लिमिटेड
भारत सरकार का उपक्रम
A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE
touching lives, adding value

31 मार्च 2013 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लाभ व हानि लेखा

(₹ मिलियन में)

	नोट सं.	31.03.2013 को समाप्त वर्ष		31.03.2012 को समाप्त वर्ष	
आय					
प्रचालनों से राजस्व	8	**2 85,983.59**		663,248.84	
अन्य आय	9	**3 ,179.05**	**289,162.64**	7 ,270.11	670,518.95
कुल राजस्व			**289,162.64**		**670,518.95**
व्यय					
उपभोग की गई सामग्री की लागत	10	**2 ,677.61**		5 ,484.10	
स्टॉक इन ट्रेड का क्रय	11	**2 65,089.34**		646,171.63	
तैयार माल, प्रगतिशील कार्य तथा स्टाक					
इन ट्रेड की इन्वेंट्रीज में परिवर्तन,	12	**8 7.76**		(2,776.36)	
कार्मिक लाभों पर व्यय	13	**2 ,029.21**		1 ,843.61	
वित्त लागत	14	**2 ,194.66**		5 ,764.25	
मूल्यहरास तथा परिशोधन व्यय		**1 19.70**		120.03	
अन्य व्यय	15	**1 5,671.95**	**287,870.23**	12,150.81	668,758.07
कुल व्यय			**287,870.23**		**668,758.07**
विशिष्ट व असाधारण मदें व कर पूर्व लाभ					
विशिष्ट मदें			**1,292.41**		**1,760.88**
असाधारण मदें व कर पूर्व लाभ	16		**127.15**		(1.29)
असाधारण मदें					
कर पूर्व लाभ			**1,165.26**		**1,762.17**
कर व्यय	17		**2,443.64**		1,002.05
चालू कर			**(1,278.38)**		**760.12**
कराधान के लिए प्रावधान					
पूर्व वर्षों में					
आस्थगित कर		**2 57.23**		533.50	
अवधि के लिए लाभ		**(90.09)**		(101.09)	
प्रत्येक 1 रुपया नाम मात्रा मूल्य प्रति		**(739.28)**	**(572.14)**	(379.47)	52.94
शेयर के अंकित मूल्य पर आय			**(706.24)**		**707.19**
मूल (रुपये में)			**(0.71)**		**0.71**
डाइल्यूटिड (रुपये में)			**(0.71)**		**0.71**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	2				
संलग्न टिप्पणियां वित्तीय विवरण का अभिन्न अंग है।					

हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते जैन कपिला एसोसिएट्स
(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)
एफ आर सं 000287 एन

कृते निदेशक मंडल की ओर से

(सीए डी के कपिला)
पार्टनर
एम नं0 016905

(जी आनंदनारायणन)
सहायक कंपनी सचिव

(विजय पाल)
मु.म.प्र.(वि.व ले.)

(एम जी गुप्ता)
निदेशक(वित्त)

(वेद प्रकाश)
निदेशक

(डी एस ढेसी)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

दिनांक 30.05.2013
स्थान : नई दिल्ली

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष का रोकड़ प्रवाह विवरण

(₹ मिलियन में)

	31.03.2013 को समाप्त वर्ष		31.03.2012 को समाप्त वर्ष	
क. प्रचालन गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह				
कर व असाधारण मदों के पूर्व लाभ के लिए समायोजन		**1 ,165.26**		1,762.17
असाधारण मदें	**(2,443.64)**		(1,002.05)	
इंवेंट्रीज के मूल्यांकन पर हानि	**7 .39**		12.06	
मूल्यहरास व परिशोधन व्यय	**1 18.08**		120.48	
निवल विदेशी मुद्रा (लाभ)/हानि	**(194.14)**		91.75	
मूर्त परिसंपत्तियों की बिक्री पर (लाभ)/हानि	**(0.46)**		(0.12)	
ब्याज आय	**(2,796.85)**		(6,593.01)	
लाभांश लागत	**(114.51)**		(248.96)	
वित लागत	**2 ,198.75**		5,768.73	
बट्टे खाते में डाले गये ऋण/दावे	**0 .70**		1 .35	
संदिग्ध ऋण/कर्ज व अग्रिमों के लिए प्रावधान	**6 2.53**		133.10	
निवेष के मूल्य में हरास	**-**		0 .03	
निवेष संपत्ति के मूल्य में हरास	**-**		1 .25	
सीएसआर के लिए प्रयोग न किये गये बजट के लिए प्रावधान	**-**		-	
प्रावधान जिसकी अव आवश्यकता नही है।	**(24.42)**		(14.51)	
देयताएं जिसकी अब आवश्यकता नहीं है।	**(150.74)**		(295.22)	
डीडब्ल्यूए जोखिम के लिए प्रावधान	**-**	**(3,337.32)**		(2,025.11)
		(2,172.06)		(262.94)
परिसंपत्तियों व देयताओं में परिवर्तन				
इंवेंट्रीज	**3 48.40**		(2,776.36)	
व्यापारिक प्राप्य	**5 ,433.32**		(2,338.66)	
ऋण व अग्रिम	**8 ,849.91**		20,529.70	
अन्य चालू व गैर चालू परिसंपत्तियां	**8 ,536.45**		12,033.86	
व्यापारिक देय	**(5,948.63)**		(1,806.93)	
अन्य देयताएं	**(9,191.40)**		(38,339.66)	
प्रावधान	**1 08.63**	**8,136.67**	84.84	(12,613.22)
		5 ,964.61		(12,876.16)
प्रदत्त कर		**(560.74)**		(305.97)
प्रचालन गतिविधियों से निवल रोकड़ प्रवाह		**5 ,403.87**		(13,182.13)
ख. निवेश गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह				
मूर्त परिसंपत्तियों का क्रय	**(67.44)**		(15.86)	
मूर्त परिसंपत्तियों का विक्रय	**1 .12**		0 .25	
निवेशों का क्रय	**(24.49)**		(0.13)	
शेयरों की खरीद के लिए अग्रिम	**-**			
प्राप्त किया गया ब्याज	**2 ,796.85**		6,593.01	
प्राप्त लाभांश	**1 14.51**	**2,820.55**	248.96	6,826.23
निवेश गतिविधियों से निवल रोकड़ प्रवाह		**2 ,820.55**		6,826.23
ग. वित्त पोषण गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह				
लिये गये उधार	**(19,515.76)**		(26,536.00)	
वित लागत	**(2,198.75)**		(5,768.73)	
प्रदत्त लाभांष (कर सहित)	**(290.56)**	**(22,005.06)**	(290.56)	(32,595.29)
वित्त पोषण गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह		**(22,005.06)**		(32,595.29)
रोकड़ व रोकड़ समतुल्य में शुद्ध वृद्धि/कमी		**(13,780.64)**		(38,951.19)
रोकड़ व रोकड़ के समतुल्य का आंरभिक शेष		**28,531.16** -		67,482.35
रोकड़ तथा रोकड़ के समतुल्य का अंतिम शेष		**14,750.54** -		28,531.16

टिप्पणी:
1. जहां भी आवश्यक समझा गया, पूर्व वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहित किया गया है।
2. शाखा कार्यालयों से प्राप्त सूचना के आधार पर कुल अर्जित/आस्थगित राशि के लिए समायोजन कारपोरेट कार्यालय में किया गया।
3. रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य में बैंकों के पास रोकड़ एवं बैंक शेष तथा तीन माह से कम अवधि की परिपक्वता वाले अल्पावधि निवेश शामिल हैं।

	की समाप्ति पर	
	2012-13	**2011-12**
क. रोकड़ व रोकड़ समतुल्य		
(क) उपलब्ध चैक व ड्राफ्ट	**563.73**	9.12
(ख) उपलब्ध रोकड़	**0.02**	0.02
(ग) बैंकों में उपलब्ध शेष		
- चालू खाते में	**236.06**	2,483.09
- कैश क्रेडिट खाते में (डेबिट शेष)	**427.53**	174.29
- 3 माह तक की मूल परिपक्वता वाले आवधिक जमा	**2 ,683.75**	2,280.11
- 3 माह से कम अवधि की परिपक्वता वाले अल्पावधि निवेश	**150.03**	
ख. बैंकों के पास अन्य शेष		
- मार्जिन राशि/लीयन के अंतर्गत के रूप में	**3.00**	2,392.80
- 3 माह से अधिक एवं 12 माह तक की मूल परिपक्वता वाले आवधिक जमा	**10,685.30**	21,170.49
- 12 माह से अधिक अवधि की मूल परिपक्वता वाले आवधिक जमा	**1 .13**	21.24
कुल	**14,750.54**	28,531.16

हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते जैन कपिला एसोसिएट्स
(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)
एफ आर सं 000287 एन

कृते निदेशक मंडल की ओर से

(सीए डी के कपिला)
पार्टनर
एम नं0 016905

(जी आनंदनारायणन)
सहायक कंपनी सचिव

(विजय पाल)
मु.म.प्र.(वि.व ले.)

(एम जी गुप्ता)
निदेशक(वित्त)

(वेद प्रकाश)
निदेशक

(डी एस ढेसी)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

दिनांक : 30.05.2013
स्थान : नई दिल्ली

31.3.2013 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की लेखा नीतियां व टिप्पणियां

ये टिप्पणियां इसका अभिन्न अंग है और संलग्न वित्तीय विवरणों के साथ पठित होनी चाहिए।

1. सामान्य सूचना

कंपनी भारत में निगमित व स्थित है और वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में एक मिनी रत्न सार्वजनिक उपक्रम है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय कोर–1, स्कोप काम्पलेक्स, 7 इंस्टीटयूशनल एरिया, लोदी रोड, नई दिल्ली – 110003 भारत में स्थित है। कंपनी के भारत में विभिन्न स्थानों पर स्थित 13 क्षेत्रीय कार्यालय है और इसकी एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड (एमटीपीएल) सिंगापुर है।

कंपनी की प्रमुख गतिविधियां खनिजों का निर्यात और बहुमूल्य धातुओं, अलौह धातुओं, उर्वरकों, कृषि उत्पादों, कोयला तथा हाईड्रोकार्बन इत्यादि का आयात करना है।

कंपनी की व्यापारिक गतिविधियां एशिया, यूरोप, अफ्रीका, मध्यपूर्व, लैटिन अमेरिका तथा उत्तरी अमेरिका के विभिन्न देशों में है।

2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

2.1 वित्तीय विवरण को तैयार करने का आधार

वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत प्रथाओं के गोईंग कंसर्न के रूप में तथा कम्पनीज (लेखा मानक) नियम 2006 एवं कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुसार अधिसूचित अनिवार्य लेखा मानकों के अनुरूप तैयार किया गया है।

2.2 क्रय तथा विक्रय

क. विक्रेता/क्रेता के साथ की गई संविदा/करार के निष्पादन अथवा सरकार से प्राप्त आबंटन पत्र पर क्रय तथा विक्रय को बुक किया जाता है।

जहां उक्त संविदा/करार/आबंटन का आंशिक निष्पादन हुआ है तो पूरे किए गए कार्य को क्रय/विक्रय के रूप में बुक किया जाता है।

ख. विशेष मदों के मामले में जिनका आयात निगम द्वारा सरणीकृत है, तथा भारत सरकार द्वारा जारी अनुज्ञप्ति पत्र के प्रति 'सरकारी खाते मे'' किए गए उनके आयात को निगम के खातों में क्रय/विक्रय में बुक किया गया है।

ग. डिपोजिट के तहत प्राप्त सोना/चांदी

(i) एक नामित एजेंसी के रूप में कंपनी द्वारा संचालित एग्ज़िम नीति की योजना के अनुसार, निर्यातकों को विक्रय के लिए आउटराइट क्रय आधार पर, खेप स्टॉक से लिया गया सोना/चांदी क्रय में सम्मिलित हैं।

(ii) घरेलू बिक्री के लिए सोने की खरीद को लेखों में शामिल करते समय संबंधित मात्रा को डिपोजिट से लिया गया तथा अपूर्तिकर्त्ता के साथ हुए मूल्य निर्धारण पर लिया जाता है। वर्ष के अंत में कंपनी में उपलब्ध सोना/चांदी का डिपोजिट के तहत स्टॉक को चालू परिसंपत्तियों में बिना बिल के क्रय किये गये स्टाक के रूप में लिया जाता है और उपलब्ध देयताओं को बिना बिल के क्रयों के लिए देय राशि के रूप में वर्ष के अंत में बुलियन के चालू मूल्य पर लाया जाता है। यद्यपि डिपोजिट में शेष माल के लिए प्रदत्त सीमा शुल्क को पूर्ण प्रदत्त व्ययों के रूप में दर्शाया जाता है।

(iii) डिपोजिट के अंतर्गत सोने/चांदी से ऋण आधार पर निकाले गए स्वर्ण/चांदी को पार्टियों को दिए गए ऋण के रूप में तथा इसे ऋण व अग्रिम खाते में दर्शाया गया है। विदेशी आपूर्तिकर्त्ताओं से प्राप्त स्टॉक के लिए समानुरूप देयता को विविध क्रेडिटर्स के अन्तर्गत दर्शाया गया है। ऋण/विदेशी क्रेडिटर्स का समायोजन क्रय तथा विक्रय बुक करने के समय किया जाता है।

(iv) रिप्लेनिशमेंट आधार के मामले में मार्जिन राशि अदा करते हुए निर्यातक द्वारा बुक किये गये सोना/चांदी के लिए विदेशी आपूर्तिकारों के साथ मूल्य का निर्धारण करके खरीद बुक की जाती है तथापि निर्यात पूरा हो जाने के बाद माल की वास्तविक डिलीवरी होने पर सेल को बुक किया जाता है।

घ. अधिकार के दस्तावेजों के हस्तांतरण (ट्रांसफर आफ डाक्यूमेंटस आफ टाईटल) अर्थात हाईसीज़ बिक्री द्वारा किए गए आयात के दौरान माल के भारतीय कस्टम सीमा में आने से पहले क्रेता के पक्ष में माल के अधिकार के दस्तावेजों के हस्तांतरण किए जाने पर ही बिक्री को बुक किया गया है।

ड. नेशनल स्पॉट एक्सचेंज, जहां माल की वास्तविक डिलीवरी की जाती है, जैसे कमोडिटी एक्सचेंज द्वारा किए गए लेन देन के संबंध मे क्रय/विक्रय को बुक किया गया है।

च. लौह अयस्क/मैंगनीज अयस्क के निर्यात के संबंध में गंतव्य भार व विश्लेषण परिणामों के आधार पर अंतिम विक्रय मूल्य निर्धारित किया जाता हैं जहां ऐसे परिणाम प्रतीक्षित हैं, अनंतिम विक्रय मूल्य पर औसतन आधार 1 प्रतिशत की दर पर डीडब्ल्यूए जोखिम के लिए प्रावधान किया गया है। एफओबीटी आपूर्ति की स्थिति में, जहां खरीद मूल्य पर डीडब्ल्यूए जोखिम, आपूर्तिकर्ता के खाते में है, विक्रय एवं क्रय

मूल्य के बीच के अंतर के लिए 1 प्रतिशत की दर से प्रावधान किया गया है।

छ. निपटान के मामले लंबित होने की स्थिति में जैसे अर्जित/डिस्पैच/देय डैमरेज इत्यादि कतिपय व्यय/लाभ/हानि को अनंतिम आधार पर खाते में लिया जाता है।

2.3 राजस्व पहचान

क. राजस्व की पहचान अक्रूअल बेसिस पर की जाती है सिवाय निम्नलिखित मदों के जिनको लेखों में वास्तविक वसूली के आधार पर शामिल किया जाता है। क्योंकि, आईसीएआई द्वारा जारी एएस–9 के प्रावधानों के अनुसार, ऐसी मदों की वसूली, अनिश्चित है :

(i) टारगेट प्लस योजना, आरईपी/एडवांस लाइसेंस, सर्विस टैक्स रिफंड इत्यादि के अंतर्गत टैक्स क्रेडिट, ड्यूटी क्रेडिट का अथॉराईजेशन ।

(ii) निष्पादन के लिए लंबिल डिक्रियां/विवादित देय तथा उन पर ब्याज, यदि कोई हो तो,

(iii) प्राप्त की जाने वाली विलम्बित राशि पर ब्याज जिसकी प्राप्ति अनिश्चित है।

(iv) आपूर्तिकर्ताओं/अंडरराइटर्स पर निर्धारित की गई क्षति/सर्वेक्षण में पाई गई कमी के कारण कस्टम ड्यूटी की वापसी, तथा आयकर/बिक्री–कर/वैट एवम् इन पर ब्याज की वापसी।

ख. बीमा कम्पनी दुवारा स्वीकृत होने पर बीमा क्लेम्स को लेखों में लिया जाता हैं।

ग. लाभ व हानि लेखों में क्लेम्स की पहचान अक्रूअल बेसिस पर की जाती है जिसमें सरकार की ओर से सब्सिडी के रूप में प्राप्त होने वाली ऐसी राशियां, नकद प्रोत्साहन, हानि की प्रतिपूर्ति शामिल है जिनके प्राप्त होने में कोई संदेह नहीं है। चिन्हित दावे जो बाद में संदिग्ध हो गए हैं उनके लिए लाभ व हानि खाते में प्रावधान किया गया है।

2.4 पूर्व प्रदत्त व्यय

प्रत्येक मामले में 10,000/– रुपये के पूर्व प्रदत्त भुगतान खर्चों को राजस्व खाते में दर्शाया जाता है। सरकारी विभागों, सांविधिक निगमों, विद्युत बोर्डों तथा स्थानीय निकायों में 5000/– रुपये की जमा राशिं को भी राजस्व खाते में दर्शाया जाता है।

2.5 अचल परिसंपत्तियॉं

(क) सभी स्थिर परिसंपत्तियों को ऐतिहासिक मूल्य में से संचित मूल्यहृास को घटाकर दर्शाया जाता है।

(ख) सरकारी/अर्ध सरकारी प्राधिकरणों के स्वामित्व वाली भूमि मे निर्माण/विकास कार्य पर कंपनी द्वारा किये गये खर्च को 'भूमि पर बनाई गई अचल परिसंपत्तियां शीर्ष दिया जाता है और न तो अचल परिसंपत्तियॉं और न ही भूमि कंपनी की है' के शीर्ष में कैपिटलाईज किया जाता है।

2.6 मूल्यहृास

निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित दरों पर स्ट्रेट लाइन पद्धति के अनुसार मूल्यहृास का प्रावधान किया जाता है जो कि कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची xiv में दिए गए प्रावधानों के समान अथवा उससे अधिक है। वर्ष के दौरान अधिग्रहीत/बेची गई परिसंपत्तियों पर मूल्यहृास, परिसंपत्ति के अधिग्रहण करने से निपटान करने तक के माह तक किया जाता है। पट्टे की भूमि तथा डब्ल्यूआईएस के अंतर्गत रेलवे वैगन रैक्स का चुकाया गया ऋण भी मूल्यहृास में शामिल है। लकड़ी के पार्टीशन तथा बनाए गए अस्थायी ढांचे खरीदे बनाए जाने के वर्ष से ही पूर्णतया मूल्यहृास किये जाते हैं। चल परिसंपत्तियॉं जिनका वर्ष के प्रारंभ में रिटन डाउन वैल्यू अथवा वर्ष के दौरान की गई खरीद प्रत्येक मामले में 20,000/– रुपये अथवा इससे कम है तो 1/– रुपये के नाममात्र मूल्य रखकर 100प्र मूल्यहृास का प्रावधान किया जाता है। मूल्यहृास की दरें इस प्रकार है:–

परिसंपत्तियों का नाम	निगम द्वारा अपनाई गई मूल्यहृास की दरें	अनुसूची xiv में दी गई मूल्यहृास की दरें
क. सामान्य परिसंपत्तियां		
– फर्नीचर एवं फिटिंग्स	10 प्र	6.33 प्र
– वे ब्रिज	10 प्र	4.75 प्र
टाइपराइटर्स, मशीनें, पंखे तथा कार्यालय उपस्कर एवं एसी	12.5 प्र	4.75 प्र
वाहन	20 प्र	9.50 प्र
कम्प्यूटर्स(साफटवेयर साहित)	20 प्र	16.21 प्र
पट्टे की भूमि रैक्स के अनुसार	लीज़ एग्रीमेंट के अनुसार वैगन करार/वैगन इन्वेस्टमेंट स्कीम	
पंखों के अतिरिक्त बिजली का सामान	10 प्र	1.63 प्र
जल आपूर्ति, मलवहन तथा निकासी	10 प्र	1.63 प्र
सड़कें तथा पुलियां	2.5 प्र	1.63 प्र
बिल्डिंग तथा फ्लैट्स	2.5 प्र	1.63 प्र
आवासीय फ्लैट(बने बनाए)	5 प्र	1.63 प्र
भंडारगृह/गोदाम	4 प्र	1.63 प्र
ख. निर्माण इकाइयों की परिसंपत्तियां		
फैक्टरी बिल्डिंग	3.34प्र	3.34 प्र

विद्युत व्यवस्था	4.75प्र	4.75 प्र
जलापूर्ति	4.75प्र	47 प्र
प्लांट एवं मशीनरी (सामान्य)		
एकल शिफ्ट	4.75:प्र	4.75: प्र
दो शिफ्ट	7.42प्र	7.42 प्र
तीन शिफ्ट	10.34प्र	10.34 प्र
प्लांट एवं मशीनरी (विंड मिल सहित) अनवरत प्रकिया	5.28प्र	5.28 प्र
(ग) "भूमि पर बनाई गई अचल परिसंपत्तियाँ और न तो अचल परिसंपत्तियां और न ही भूमि कंपनी की है।	परिसंपत्तियों की उपयोगिता का जीवन काल या 5 वर्ष जो भी कम हो।	
(घ) 20,000/– रुपये मूल्य तक की सभी चल संपत्तियां	20,000/– रुपये की या इससे सभी चल परिसंपत्तियों के लिए 100प्र	5000/– रुपये की या इससे कम लागत वाली प्रत्येक चल संपत्ति के लिए 100 प्र

(ड.) मोबाईल हैंडसैटस को इनके कय वर्ष में ही राजस्व में प्रभारित किया जाता है क्योंकि अधिकारियों द्वारा अपने नाम से खरीदे गए मोबाईल हैंडसेटों, जिन्हें निगम को नहीं लौटाया जाता, की कीमत की प्रतिपूर्ति उनकी पात्रता के अनुरूप की जाती है।

2.7 निवेश

(क) मूल्य में स्थाई मूल्यहरास के लिए प्रावधान घटाकर, लागत पर दीर्घावधि निवेश का मूल्यांकन किया जाता है।

(ख) निम्नतर लागत व उचित मूल्य पर चालू निवेश का मूल्यांकन किया जाता है।

2.8 विदेशी मुद्रा लेन–देन

(1) अपरिवर्तनीय भारतीय मुद्रा के मामले में रुपया भुगतान देशों के साथ लेन–देन को विदेशी विनिमय में लेन–देन माना जाता है।

(2) विदेशी मुद्रा आर्थिक मदों(लम्बित ऋणों अथवा जहाँ वसूली अनिश्चित है को छोड़कर) को इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी एएस–11 में विनिर्दिष्ट अंतिम दरों का प्रयोग करते हुए बदला जाता है। सूचित की गई गैर मौद्रिक मदों को लेनदेन की तिथि की विनिमय दर पर आकलित किया जाता है। विनिमय के लाभ/हानि के अंतर को लाभ व हानि खाते में दिखाया जाता है।

(3) अचल परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के संबंध में विदेशी मुद्रा में देयता को इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाऊटैंटस आफ इंडिया द्वारा जारी एएस–11 में विनिर्दिष्ट अंतिम दर से बदला जाता है। विनिमय के अंतर को परिसंपत्तियों की लागत में समायोजित किया जाता है।

(4) फारवर्ड एक्सचेंज संविदा के मामले में प्रीमियम/डिस्काउंट तथा हानि/लाभ की पहचान निम्नलिखित तरीके से की गई है।

क. वर्तमान लेन–देन के विरूद्ध फारवर्ड एक्सचेंज अनुबंध के संबंद्ध में, अनुबंध की अवधि के ऊपर प्रीमियम/डिस्काउंट आनुपातिक रूप से माने जाते हैं। विनिमय दर में अंतर की वजह से हानि/लाभ के बीच (i) अंतिम दर अथवा यदि लेन–देन का निपटान वर्ष के दौरान किया गया है तो निपटान की तिथि को की जाती है तथा (ii) फारवर्ड संविदा के आरंभ की तिथि के पश्चात् विनिमय दर पर अथवा अंतिम सूचित तिथि की विनिमय दर को वर्ष के ट्रेडिंग, लाभ व हानि खाते में दर्शाया जाता है।

ख. पक्की वचनबद्धताओं एवं अधिक संभावना वाले पूर्वानुमानित लेन देन से संबंधित फारवर्ड संविदाओं के संबंध में विनिमयातंर के कारण हानि को सूचित अवधि, जिसमें विनिमय दर में परिवर्तन हुआ है, के व्यापारिक, लाभ व हानि खाते में दर्शाया जाता है। उक्त संविदाओं के नवीकरण अथवा निरस्तीकरण के कारण होने वाले किसी लाभ अथवा हानि की पहचान उस अवधि की आय अथवा व्यय के रूप में की जाती है।

(5) भारत से बाहर सहायक कंपनी में निवेश को अधिग्रहण की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर पर परिवर्तित किया जाता है।

2.9 खण्ड रिपोर्टिंग

प्रमुख खण्ड: प्रबंधतंत्र द्वारा निगम के निष्पादन का आकलन करते हुए तथा निम्नलिखित व्यापार खंडों/उत्पाद खंडों के विभिन्न निष्पादन सूचकों के विश्लेषण के आधार पर संसाधनों का आबंटन किया जाता है:–

1. खनिज
2. बहुमूल्य धातुएं
3. धातुएं
4. कृषि उत्पाद
5. कोयला एवं हाइड्रोकार्बन
6. उर्वरक
7. सामान्य व्यापार/अन्य

उपरोक्त व्यापार खंडों की पहचान निगम के संगठनात्मक ढांचे के साथ–साथ इन खंडों के विभिन्न जोखिमों तथा लाभों को ध्यान में रखते हुए ए एस–17 'खंड रिपोर्टिंग' के अनुरूप की जाती है।

गौण खंडः— निगम के ग्राहकों की भौगोलिक स्थिति के आधार पर गौण खंडों की पहचान की जाती है अर्थात

1. भारत से बाहर
2. भारत के अंदर

2.10 कर्मचारियों को लाभ

(1) ग्रेच्युटी, छुट्टी नकदीकरण/उपयोग करना, सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा लाभ तथा दीर्घ सेवा लाभ जैसे सर्विस अवार्ड, अनुकंपा ग्रेच्युटी तथा कर्मचारी लाभ योजना का प्रावधान इंस्टीट्यूटर आफ चार्टर्ड एकाऊंटेंटस द्वारा जारी ए एस 15(संशोधित) के अनुसार बीमांकक के मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

(2) भविष्य निधि अंशदान, अक्रूअल बेसिस पर भविष्य निधि ट्रस्ट में जमा किए जाते हैं।

(3) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर उपदान व नोटिस वेतन का भुगतान वर्ष में खर्च हुए राजस्व में प्रभारित होता है।

2.11 स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन

1. स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन वर्ष में एक बार किया जाता है और शेष स्टॉक का निर्धारण वर्ष के अंत तक आवश्यक समायोजन के बाद किया जाता है। प्रत्यक्ष सत्यापित स्टॉक को अंतिम शेष के रूप में मान लिया जाता है तथा कमी/अधिकता पर उचित रूप से कार्रवाई की जाती है।
2. कुछ मामलों में जहाँ स्टॉक हैंडलिंग एजेंट/एसडब्ल्यूसी/सीडब्ल्यूसी/प्राइवेट पार्टियों के पास पड़ा है, उन एजेंसियों द्वारा दिए गए प्रमाण–पत्र के आधार पर स्टॉक को मान लिया जाता है।

2.12 स्टॉक का मूल्यांकन

मार्गस्थ माल सहित इन्वैंट्रीज का मूल्यांकन 31 मार्च को वसूली योग्य मूल्य अथवा लागत के निम्नतर मूल्य पर किया जाता है। बैक–टू–बैक लेन–देन के संबंध में, लागत व लाभ मार्जिन के आधार पर निवल वसूली योग्य मूल्य निश्चित होता है। मूल्यांकन की विधि निम्नानुसार है :–

(क) निर्यात

1. निर्यात स्टॉक का मूल्य–निर्धारण उस स्थान तक जहॉं स्टॉक पड़ा है, किए गए समस्त खर्चों को शामिल करने के बाद किया जाता है। इसी प्रकार वसूली योग्य मूल्य का निर्धारण बाजार–मूल्य से उन खर्चों को घटाकर किया जाता है, जो खर्च माल को उस स्थान तक पहुॅंचाने में होगा जिस स्थान पर उसे बेचा जाता है।
2. खनिज अयस्कों के संबंध में निर्यात अनुबंध के अनुसार खनिज अयस्कों का वसूली योग्य मूल्य एफई/एमएन की निम्नतम मात्रा के आधार पर निर्धारित किया जाता है तथा इसकी तुलना अयस्क के भारित औसत एफई/एमएन मात्रा/भारित औसत नमी मात्रा के भारित औसत मूल्य से की जाती है। लौह अयस्क का भूमिगत स्टॉक इन्वैंट्री में शामिल नहीं है, अतः इसका मूल्यांकन नहीं किया गया।

(ख) आयात

1. आयातित वस्तुओं के स्टॉक का मूल्य–निर्धारण वार्षिक क्षेत्रीय भारित औसत लागत की गणना करके किया जाता है सिवाय अलौह धातुओं के जहॉं शेष स्टॉक की भारित औसत लागत की गणना जहॉं माल रखा गया है वहॉं तक किए गए सभी व्ययों को शामिल करके किया जाता है तथापि जहां स्टॉक विशेषतया रखने योग्य है वहां तक किये गये सभी व्ययों को शामिल करके माल की वास्तविक लागत की गणना की जाती है।
2. पुनः पूर्ति विकल्प के तहत निर्यातकों द्वारा बुक किये गये माल के तहत विदेशी आपूर्तिकारों से खरीदा गया सोना/चॉंदी जिसकी सुपुर्दगी वर्ष के अंत तक नहीं की गयी है कंपनी के स्टॉक के रूप में दर्शाये जाते हैं और लागत पर मूल्यांकित किये जाते हैं।

(ग) घरेलू

1. सोने चांदी के मेडालियन तथा चांदी के सामान का मूल्य वार्षिक आधार पर माल की स्थानीय भारित लागत तथा प्रारंभिक स्टॉक की लागत पर तय किया जाता है। लागत में विनिर्माण/फेब्रीकेशन प्रभार, छीजन तथा अन्य प्रत्यक्ष लागत सम्मिलित है।
2. तराशे और पॉलिश किये पत्थर (परिष्कृत/अर्धपरिष्कृत) तथा स्वर्णाभूषण के संबंध में जहां स्टॉक विशेषतया पहचान योग्य है उस स्थान तक माल उपलब्ध है के समस्त व्ययों सहित माल की वास्तविक लागत की गणना की जाती है।
3. पैकिंग सामग्री का मूल्यांकन निम्नतर लागत पर या 31 मार्च को प्राप्ति योग्य मूल्य पर की जाती है।
4. ऋण/फैब्रीकेशन पर स्टॉकः फेब्रीकेटरों के पास स्टॉक के समायोजन तक कंपनी का स्टॉक माना जाता है।

2.13 पूर्व अवधि समायोजन

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी एएस–5 (अवधि के लिए शुद्ध लाभ व हानि, पूर्व अवधि मद तथा लेखा नीतियों में परिवर्तन) के प्रावधानों के अनुसार '' पूर्व अवधि समायोजन खाता'' के अंतर्गत पूर्व वर्ष संबंधी व्यय/आय दर्शाए जाते हैं।

2.14 ऋण लागत

(1) व्यापार के सामान्य व्यवहार में किसी अवधि में किए गए व्ययों

को उस अवधि के ऋण लागत व्यय के रूप में जाना जाता है।

(2) मान्य परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण पर आरोपित ऋण लागत को इन परिसंपत्तियों के अभीष्ट प्रयोग के लिए तैयार होने की तिथि तक की लागत के एक भाग के रूप में कैपिटलाईज किया जाता है। अन्य सभी ऋण लागतों की पहचान, जिस वर्ष में व्यय किये गए हैं उस वर्ष के व्ययों के रूप में की जाती है।

2.15 आस्थगित कर

आस्थगित कर को युक्ति–युक्त समय अंतराल, कर योग्य आय तथा लेखा आय जो कि एक अवधि में उत्पन्न हुई हो तथा जिनकों एक अथवा अधिक परवर्ती अवधियों में रिवर्सल किया जा सके, के आधार पर मान्यता प्रदान की जाती है। आस्थगित कर का निर्धारण परिसंपत्तियों और देयताओं को तुलन–पत्र की तिथि से लागू होने वाले कर की दरों और कर–कानूनों के आधार पर किया जाता है।

2.16 परिसंपत्तियों की क्षति

जब परिसंपत्तियों के लाने–ले जाने की कैरिंग की लागत इसके वसूली योग्य मूल्य से अधिक हो जाती है तो परिसंपत्ति को क्षतिग्रस्त माना जाता है तथा इस क्षति की हानि को जिस वर्ष इसके क्षतिग्रस्त होने की पहचान होती है उस वर्ष के लाभ व हानि खाते में प्रभारित किया जाता है। यदि वसूली योग्य राशि के अनुमान में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तो पूर्व लेखा अवधियों में पहचानी गई क्षति की हानि को प्रतिवर्तित(रिवर्स) कर दिया जाता है।

2.17. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक परिसंपत्तियॉं

(1) प्रावधान

(क) संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों/दावों के लिए प्रावधान

संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों/दावों के लिए प्रावधान वहां रखा जाता है जहां राशि की किसी भी अवधि के लिए वसूलीकरण अनिश्चित हो। विगत तीन वर्षों की बकाये के लिए (सरकारी देय राशि को छोड़कर) पूर्ण प्रावधान किया जाता है, जब तक कि यह राशि वसूली योग्य मानी जाती है। यह निश्चित हो जाने पर की वसूली नहीं की जा सकती तब ऋण/अग्रिम/दावे राईट–ऑफ किए जाते हैं।

(ख) अन्य :

(1) प्रावधान तब मान्य है जब

(क) कोई पूर्व की घटना के परिणामस्वरूप कंपनी पर कोई वर्तमान बाध्यता हो ।

(ख) बाध्यताओं के निपटान में संसाधनों का संभावित आउटफ्लों होने की उम्मीद हो ।

(ग) तथा इस बाध्यता की राशि का विश्वासनीय आंकलन किया जा सकता हो।

(2) किसी एक प्रावधान के समायोजन के लिए वांछित व्यय की प्रतिपूर्ति की पहचान संविदा प्रावधान के अनुसार की जाती है अथवा जब यह वास्तव में सुनिश्चित हो कि प्रतिपूर्ति प्राप्त की जायेगी, उस स्थिति में की जाती है।

(3) प्रत्येक तुलन–पत्र तिथि पर प्रावधानों की पुनरीक्षा की जाती है ।

(4) आकस्मिक देयताएं व आकस्मिक परिसंपत्तियां :

(5) आकस्मिक देयताओं की पहचान नहीं की जाती है परन्तु इन्हें लेखों की टिप्पणियों में दर्शाया जाता हैं।

(6) आकस्मिक परिसंपत्तिंयों की पहचान न तो वित्तीय विवरणों में दी जाती हैं अथवा न ही इन्हें दर्शाया जाता है।

2.18. परियोजना कार्यान्वयन/निर्माण अवधि के दौरान व्ययों की स्थिति

निर्माण के दौरान व्ययों को पूर्व–प्रचालन व्ययों में शामिल किया जाता है तथा निर्माण/प्रस्थापन पूरा हो जाने पर संबंधित स्थायी परिसंपत्तियों में दिखाया जाता है।

2.19 प्रचालन पट्टे

उन संपत्तियों के पट्टे में जिनमें मालिकाना के जोखिम व लाभ का बड़ा भाग पट्टा करने वाले पास होता है उन्हें प्रचालन पट्टा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है । प्रचालन पट्टों के अधीन किये गये भुगतान (पट्टा करने वाले से प्राप्त किसी भी प्रोत्साहन का निबल) अवधि पर सीधी लाइन आधार पर आय विवरण में लिया जाता है । आकस्मिक किराये को उस वित्त वर्ष के आय विवरण में व्यय के रूप में माना जाता है जिसमें निरस्तीकरण होता है । जब किसी चालू पट्टे पट्टा अवधि समाप्त होने से पहले निरस्त किया जाता है, तो यदि पट्टाकर्ता को दंड स्वरूप कोई भुगतान करना वांछित हो तो उसे उस वित्त वर्ष के व्यय के रूप में माना जाता है जिसमें इसे निरस्त किया जाता है ।

2.20 वित्तीय विवरणों को भारतीय रूपये में रिपोर्ट किया जाता है और सभी मूल्यों को यदि अन्यथा न लिया जाये तो भारतीय रुपयों में नजदीकी मिलियन रुपयों तक राउंड किया जाता है।

दिनांक 31.03.2013 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

3. शेयरधारकों की निधि

3.1 शेयर पूंजी तथा रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ तथा समाप्ति पर बकाया शेयरों की संख्या का समायोजन

(₹ मिलियन में)

	31-03-2013		31-03-2012	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि
क. प्राधिकृत				
प्रत्येक 1/– रूपये समतुल्य के इक्विटी शेयर	1,000,000,000	1,000.00	1,000,000,000	1,000.00ख.
निर्गमित, अभिदत्त एवं पूर्णतः प्रदत्त				
आरंभिक शेष	1,000,000,000	1,000.00	1,000,000,000	1,000.00
जोड़े गए'				
कटौती				
अंतिम शेष	1,000,000,000	1,000.00	1,000,000,000	1,000.00

'वर्ष 2010–11 के दौरान, 10/–रुपए प्रत्येक मूल्य के निगम के 5,00,00,000 शेयरों को 1/– रुपये प्रत्येक मूल्य के 500,000,000 शेयरों में विभाजित किया गया तथा सामान्यतः अधिशेष रिजर्व से 500 मिलियन रुपए का पूंजीकरण करते हुए 1:1 अनुपात में बोनस शेयर जारी किए गए।

निगम के एक ही वर्ग के शेयर हैं जिसमें 1/–रुपए प्रत्येक के मूल्य के सामान्य शेयर हैं। निगम के संगम अनुच्छेद तथा लागू कानूनों के अनुसार धारको को निगम के सामान्य शेयर निगम की आम बैठकों की सूचना तथा वोट देने के अधिकार, निगम के समापन होने पर किन्हीं अधिशेष परिसंपत्तियों को प्राप्त करने के अधिकार प्रदान करते हैं। साथ ही, साधारण शेयरों पर घोषित लाभांश प्राप्त करन की पात्रता भी उपलब्ध करवाते हैं।

निगम की कोई होल्डिंग कंपनी नहीं है अतः इसकी होल्डिंग कंपनी अथवा इसकी सहायक अथवा एसोसिएट्स द्वारा कोई शेयर नहीं रखे गए हैं।

प्रवर्तकों के अतिरिक्त किसी भी शेयरधारक के पास निगम के 51 से अधिक शेयर नहीं हैं। प्रवर्तकों, अर्थात् भारत के राष्ट्रपति की शेयरधारिता दिनांक 31.03.2012 को 993,312,000 शेयर) की थी।

3.2 रिजर्व एवं अधिशेष

(₹ मिलियन में)

	31-03-2013		31-03-2012	
रिजर्व				
पूंजी रिजर्व–आरंभिक शेष	**0.69**		0 .69	
जोड़ें: अधिशेष से अंतर्गत	**-**		-	
अंतिम शेष अधिशेष		**0 .69**		0 .69
सामान्य अधिशेष–आरंभिक शेष	**5,956.13**		5,881.13	
जोड़ें: लाभ व हानि विवरण से अधिशेष से अंतरित	**-**		75.00	
	5,956.13		5,956.13	
घटायें कटौती	**-**		-	
अंतिम शेष		**5 ,956.13**		5,956.13
बना रहने वाला विकास -				
अधिशेष – आरंभिक शेष	**-**			
जोड़े : अधिशेष से अंतरित	**2.11**			
	2.11		0	
घटायें कटौती	**-**			
अंतिम शेष		**2 .11**		-
कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी				
अधिशेष आरंभिक शेष	**-**			
जोड़े : अधिशेष से अंतरित	**4.36**			
	4.36		0	
घटायें कटौती	**-**			
अंतिम शेष		**4 .36**		
योग (क)		**5 ,963.29**		**5,956.82**
अधिशेष				
अधिशेष :प्रारंभिक शेष	**7,257.19**		6,915.53	
जोड़ें: लाभ व हानि विवरण से अंतरित				
कर पश्चात निबल लाभ	**(706.23)**		707.22	
व्यय करने योग्य उपलब्ध राशि	**6,550.96**		7,622.75	
व्यय :				
अंतिम लाभांश	**100.00**		250.00	
लाभांश कर	**-**		40.56	
सामान्य अधिशेष	**-**		75.00	
बना रहने वाला विकास अधिशेष	**2.11**			
कारपोरेट सामाजिक दायित्व अधिशेष	**4.36**			
योग (ख)		**6,444.49**		**7,257.19**
योग (क+ख)		**12,407.78**		**13,214.01**

4. गैर चालू देयताएं

4.1 अन्य दीर्घावधि देयताएं

(₹ मिलियन में)

	31-03-2013		31-03-2012	
ट्रेड देय				
– एमएसएमई के अतिरिक्त	104.38		12.86	
– एमएसएमईज	-	104.38	-	12.86
अन्य				
– बिक्री कर/सीएसटी/सीमाशुल्क	19.95		18.74	
–अन्य	66.85	86.80	13.21	31.95
योग		**191.18**		**44.81**

4.2 दीर्घावधि प्रावधान

(₹ मिलियन में)

	31-03-2013		31-03-2012	
क. कर्मचारी लाभ				
I. छुट्टी नकदीकरण	230.43		214.73	
ii. सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा लाभ	1,207.47		924.78	
iii. अर्धवेतन अवकाश	165.47		145.76	
iv. सेवा अवार्ड	52.39		46.15	
v. अनुकम्पा ग्रेच्युटी	2.19		2.38	
vi. कर्मचारी परिवार लाभ योजना	43.99	1,701.94	39.92	1,373.72
ख. अन्य		-		-
योग		**1,701.94**		**1,373.72**

5. चालू देयताएं

5.1 लघु अवधि ऋण

(₹ मिलियन में)

	31-03-2013		31-03-2012	
क. बैकों से मांग होने पर देय ऋण				
बैकों से				
(I) सुरक्षित (इन्वेंचट्रीज, ट्रेड प्राप्तियां तथा वर्तमान एवं भविष्य की अन्य चालू परिसंपत्तियों के हाईपोथिकेशन के प्रति)	5,708.77		25,465.54	
(ii) असुरक्षित	9,074.14	14,782.91	8,833.12	34,298.66
योग		**14,782.91**		**34,298.66**

किसी भी निदेशक अथवा अन्य व्यक्तियों द्वारा ऋणों की गारंटी नहीं ली गई है।
बैकों से कैश क्रेडिट/पैकिंग क्रेडिट खाते/अन्य से ऋण लिए गए हैं तथा एक वर्ष के अंदर भुगतान किया जाना है।
किसी भी ऋण तथा इस पर ब्याज के पुनर्भुगतान में कंपनी ने चूक नहीं की है।

5.2 व्यापारिक देय

(₹ मिलियन में)

	31-03-2013		31-03-2012	
क. विविध लेनदार				
I. एमएसएमई के अतिरिक्त	23,064.74		26,419.96	
ii. एमएसएमईज़	-	23,064.74	-	26,419.96
ख. देय बिल		3,639.31		6,576.11
योग		**26,704.05**		**32,996.07**

विविध लेनदारों में विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से ऋण पर स्वर्ण लेकर निगम के ग्राहकों को ऋण आधार पर जारी किए गए 2858.08 मिलियन रूपए (विगत वर्ष 11846.15 मिलियन रूपए) के अप्रयोगमूलक मूल्यो का 1017 किलोग्राम (विगत वर्ष 3747 किलोग्राम) स्वर्ण शामिल है।

5.3 अन्य–चालू देयताएं

(₹ मिलियन में)

	31-03-2013		31-03-2012	
क. ऋण पर अर्जित परंतु देय नहीं ब्याज		**161.12**		229.26
ख. ऋण पर अर्जित तथा देय ब्याज		**0.16**		1.44
ग. अग्रिम में प्राप्त आय		**0.05**		-
घ. अन्य देय		**-**		-
- फारवर्ड कवर बैंक को देय राशि	**13,901.30**		24,059.70	
घटायें : विदेशी मुद्रा प्राप्य	**13,153.80**		24,044.65	
	747.50		15.05	
- विविध लेनदार–अन्य	**119.29**		88.62	
- ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम	**997.79**		596.92	
- भुगतान न किए गए लाभांश	**0.07**		0.05	
- देय डिस्पैच	**39.01**		35.76	
- देय डेमरेज	**84.74**		88.80	
- विविध देनदारों में क्रेडिट शेष	**554.58**		1,546.87	
- सुरक्षा जमा तथा ईएमडी	**244.39**		1,105.73	
- करों तथा कर्मचारियों के बकाया के लिए प्रेषित राशि	**1,065.74**		815.00	
- वेतन व भत्ते	**9.72**		61.68	
- प्रशासनिक व्यय	**194.69**		133.38	
- बिना बिल के क्रय के लिए देय राशि	**1,435.09**		9,941.28	
- अन्य	**3,340.24**	**8,832.86**	3,672.11	18,101.25
योग		**8,994.19**		**18,331.95**

(I) पर्यावरण स्वीकृति न मिलने के कारण परियोजना को बंद करने के प्रमोटरों के निर्णय के परिणामस्वरूप संयुक्त उद्यम कंपनी द्वारा एमएमटीसी के हिस्से का व्यय 54.24 मिलियन रूपये (गत वर्ष शून्य मिलियिन रूपये) शामिल है।

5.4 लघु अवधि प्रावधान

(₹ मिलियन में)

	31-03-2013		31-03-2012	
क. कर्मचारी लाभ				
I. बोनस/निष्पादन संबंधित वेतन	**60.60**		110.47	
ii. अर्जित अवकाश	**44.87**		25.32	
iii. सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा लाभ	**78.74**		57.22	
iv. अर्धवेतन अवकाश	**22.06**		15.16	
v. ग्रेच्युटी	**-**		-	
vi. अधिवर्षिता लाभ	**66.46**		287.55	
vii. सेवा अवार्ड	**4.98**		7.06	
viii. अनुकम्पा ग्रेच्युटी	**0.42**		0.29	
ix. कर्मचारी परिवार लाभ योजना	**8.96**		4.29	
x. अन्य	**0.02**		-	
		287.11		507.36
ख अन्यु				
I. कराधान	**810.19**		1,324.84	
ii. प्रस्तावित लाभांश	**100.00**		250.00	
iii. लाभांश वितरण कर	**-**		40.56	
iv. गंतव्य भारत तथा विश्लेषण जोखिम	**1.38**		-	
v. कारपोरेट सामाजिक दायित्व	**-**	**911.57**	0 .72	1,616.12
योग	**1 ,198.68**		**2,123.48**	

6. गैर–चालू परिसंपत्तियां

6.1 स्थायी परिसंपत्तियां

6.1.1 मूर्त (टैंजीबल) परिसंपत्तियां

(₹ मिलियन में)

	सकल ब्लॉक				मूल्य ह्रास/हानि					निवल कैरिंग मूल्य	
	1-4-2012	जोड़	निपटान	31-03-2013	आरंभिक शेष 01-04-2012 को	वर्ष के लिए मूल्यह्रास	उप–योग	कटौती	31-03-2013 को शेष	31-03-2013	31-03-2012
फ्रीहोल्ड भूमि											
-कार्यालय भवन	3 .66	-	-	3.66	-	-	-	-	-	3.66	3 .66
-स्टॉयफ क्वार्टस	1 .33	-	-	1.33	-	-	-	-	-	1.33	1 .33
लीज होल्डप भूमि											
-कार्यालय भवन	4 0.14	-	0 .54	39.60	11.28	0 .50	11.78	0 .15	11.63	27.97	28.86
-स्टॉयफ क्वार्टर्स	2 .67	-	-	2.67	1.07	0.03	1.09	-	1.09	1.58	1 .60
भवन											
-कार्यालय भवन	128.01	-	0 .34	127.67	50.07	3 .30	53.36	0 .29	53.07	74.59	77.94
-स्टॉयफ क्वार्टर्स	65.66	0.06	-	65.72	50.56	1.27	51.83	-	51.83	13.89	15.10
-जलापूर्ति, मल निकासी, तथा डरेनेज	9.46	-	-	9.46	9.31	0.04	9.34	-	9.34	0.12	0.16
-विद्युत इस्टाललेशंस	17.51	0.91	0.22	18.21	15.78	0.31	16.09	0.23	15.86	2.35	1.74
-सड़के व पुलिया	3 .58	-	-	3.58	2.32	0.09	2.41	-	2.41	1.17	1.26
-आडियो/अग्नि/वातानुकूलन	12.49	0.03	-	12.52	12.32	0.05	12.37	-	12.37	0.15	0.17
संयत्र तथा उपस्कोर	796.73	-	0.58	796.15	247.47	39.55	287.01	0.47	286.55	509.61	549.26
फर्नीचर तथा फिक्व्तर्स											
-पार्टिशन	22.13	3.85	1.01	24.97	21.70	3.83	25.53	1.02	24.52	0.46	0.42
-अन्यट	49.66	1.69	1.78	49.57	46.79	1.36	48.15	1.67	46.48	3.09	2.87
वाहन	23.22	-	0.57	22.65	17.99	2.81	20.80	0.57	20.23	2.43	5.23
कार्यालय उपस्क्र	61.46	2.82	7.55	56.73	49.53	3.70	53.23	7.55	45.67	11.06	11.94
अन्यय :-											
रेलवे वैगन रैक्स	553.64	-	-	553.64	310.96	55.36	366.32	-	366.32	187.32	242.68
बीएनएचटी पर रेलवे लूप लाइन	26.17	-	-	26.17	26.17	-	26.17	-	26.17	0.00	0.00
गोदाम	34.11	-	-	34.11	16.68	1.36	18.04	-	18.04	16.07	17.44
कम्यूचटी टर/डाटा प्रोसेसस	172.20	2.89	0.73	174.37	161.26	5.93	167.19	0.71	166.48	7.89	10.94
कुल योग	**2,023.85**	**12.25**	**13.32**	**2,022.79**	**1,051.23**	**119.48**	**1,170.71**	**12.66**	**1,158.05**	**864.73**	**972.61**
विगत वर्ष	**2,024.33**	**21.00**	**21.48**	**2,023.85**	**952.19**	**120.39**	**1,072.58**	**21.35**	**1,051.23**	**972.61**	

(क) कुछ कार्यालयों से कार्यलय की निर्माणधीनभूमि/भवन/फलैटस/ पुलियों, सिवरेज व ड्रेनेज की लागत के अंतरिम बिलों के लंबित प्राप्ति के कारण या निर्माणधीन लीज डीड का निष्पादन होने तक इन्हे अस्थायी आधार पर आंका गया है ।

(ख) दिल्ली की स्टॉफ क्वार्टर्स के लिए पट्टा धारित भूमि, सड़कें और पुलियां, सिवरेज, ड्रेनेज तथा जल आपूर्ति में वह सभी शामिल हें जो स्टेक ट्रेडिंग कारपोरेशन (एसटीसी) के साथ संयुक्त रूप से लिया गया है।

(ग) आवासीय फलैटों में 0.002 मिलियन रू0 (गत वर्ष 0.002 मिलियन रू0) के कोआपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के 41 शेयर (गत वर्ष 41 शेयर) शामिल है। कुल फलैटों में जिनका मौलिक मूल्य 31.3.2012 को 4.89 मिलियन रू0 (गत वर्ष 4.89 मिलियन रू0) है, का अंतरण लंबित है।

(घ) जो भूमि निगम के स्वामित्व में नहीं है उस पर बने कार्यालय भवन की लागत 6.24मिलियन रू0 है (गत वर्ष 6.18मिलियन रू0 है, और मूल्यह्रास 3;32 मिलियन रू0 (गत वर्ष 3.18 मिलियन रू0 का प्रावधान है।

(ड़) निगम के मालिकाना हक में न आने वाली भूमि के लिए जल आपूर्ति की लागत रु 0.66 मिलियन (गत वर्ष रू 0.66 मिलियन)

(च) पारादीप में लीज पर ली गई भूमि पर बनाये गए आवासीय भवन, सड़के एवं पुलिया तथा बिजली के साज–समान की लागत रू 11.63 मिलियन रही (गत वर्ष रू 11.63 मिलियन) तथा संचित मूल्य द्वारा रू 5.84 मिलियन रहा (गत वर्ष रू 5.72 मिलियन)। पारादीप की भूमि की लीज दिनांक 20.11.2011 को समाप्त हो गई थी जिसे पारादीप पोर्ट ट्रस्ट ने आगामी 15 वर्षों तक बढ़ाने की स्वीकृति दे दी है। तथा सरकार की ओर से इसकी अंतिम मंजूरी अभी दी जानी है।

6.1.2 अमूर्त परिसंपत्तियां

(₹ मिलियन में)

	सकल ब्लॉक						अमोर्टाइजेशन						निवल कैरिंग मूल्य	
	1–4–2012	जोड़े	व्यापारिक मिश्रण के माध्यम से जोड़	अन्य समायोजन	जमा	31.03.2013	01.04.2012 को आरंभिक शेष	इस वर्ष के लिए अमोर्टाइजेशन	हानि/हानि की वापसी	उप–योग	कटौती	31.03.2013 को शेष	31.03.2013	31.03.2012
कम्प्यूटर साफ्टवेयर	0 .19	1.86	-	-	-	2.05	0.19	0.22	-	0.41	-	0.41	1.64	0.00
अन्य		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
योग	**0.19**	**1.86**	**-**	**-**	**-**	**2.05**	**0.19**	**0.22**	**-**	**0.41**	**-**	**0.41**	**1.64**	**0.00**
गत वर्ष	**0 .19**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0.19**	**0.14**	**0.05**	**-**	**0.19**	**-**	**0.19**	**-**	

6.1.3 पूंजीगत कार्य प्रगति पर

(₹ मिलियन में)

परिसम्पत्तियों का मूल्यह्रास/हानि सकल कैरिंग मूल्य													
	1.4.2012	जोड समायोजन	अन्य	निपटान	01.04.2012 को शेष	वर्ष के लिए आरंभिक शेष	मूल्यह्रास/हानि का रिवर्सल	हानि	उप–योग	कटौती	31.03.2013 को शेष	31.03.2013	31.03.2012
भवन													
- निर्माणाधीन भवन	6 .71	-	-	-	6.71	6.71	-	-	6.71	-	6 .71	-	-
- विद्युतीय स्थापना	6.70	-	-	-	6.70	6.70	-	-	6.70	-	6.70	-	-
- सड़के व पुलिया	0.47	-	-	-	0.47	0.47	-	-	0.47	-	0.47	-	-
कम्प्यूटर	-	0.09	-	-	0.09	-	-	-	-	-	-	0.09	-
संयंत्र एवं उपकरण	13.80	-	-	-	13.80	13.80	-	-	13.80	-	13.80	-	-
गोमिया कोल ब्लॉक का विकास	-	54.86	-	-	54.86	-	-	-	-	-	-	54.86	-
कुल	**27.69**	**54.94**	**-**	**-**	**82.63**	**27.69**	**-**	**-**	**27.69**	**-**	**27.69**	**5 4.94**	**-**
गत वर्ष	**32.83**	**-**	**(5.14)**	**-**	**27.69**	**27.69**	**-**	**-**	**27.69**	**-**	**27.69**	**-**	

6.2 गैर चालू निवेश

(₹ मिलियन में)

	31-03-2013		31-03-2012	
1. व्यापारिक निवेश				
क. निवेश संपत्ति				
बांद्रा कुर्ला काम्लेक्स		**36.31**		35.06
ख. इक्विटी दस्तावेजों में निवेश				
अ) सहायक कंपनिया				
एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीइ लि0 प्रत्येक सिंगापुर डालर 1 के 1,4,61,502 पूर्ण प्रदत्ते इक्विटी शेयर (गत वर्ष प्रत्येक सिंगापुर डालर 1 के 1,4,61,502 पूर्ण प्रदत्ते इक्विटी शेयर)		**31.45**		31.45
ब) एसोसिएट्स				
I. नीलांचल इस्पात निगम लि0				
प्रत्येक 10/– रू0 मूल्य के 289,342,744 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर (गत वर्ष 10/–रू0 मूल्ये के 289,342,744 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर)		**3,796.85**		3,796.85
ii. डिवाना थर्मल पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लि०.				
प्रत्येक 10/–रू0 मूल्य के 13,000 पूर्ण प्रदत् इक्विटी शेयर (गत वर्ष प्रत्येक 10/–रू0 मूल्य के 13,000 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर)	**0.13**	**3,796.98**	0.13	3,796.98
ग. संयुक्त् उपक्रम				
1. ग्रेटर नोएडा इंटिग्रेटिड वेयरहाउसिंग प्रा.लि.				
प्रत्येक 10/–रू० मूल्य के 2600 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर गत वर्ष प्रत्येक 10/–रू० मूल्य के 2600	**0.03**		0.03	
(पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर)	**0.03**		0.03	
	0.00		0.00	
ii. फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्रा0 लि०.				
प्रत्येक 10/–रू० मूल्य के 2600 पूर्ण प्रदत्तद इक्विटी शेयर (गत वर्ष प्रत्येक 10/–रू० मूल्य के 2600 पूर्ण प्रदत्त० इक्विटी शेयर)	**0.03**		0.03	
iii. एमएमटीसी पैम्पर इंडिया प्रा० लि०				
प्रत्येक 10/–रू0 मूल्यि के 17,446,000 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर (गत वर्ष प्रत्येक 10/–रू0 मूल्य के 15,600,000 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर)	**174.46**		156.00	
iv. सी काल आयरन ओर टर्मिनल लि०				
प्रत्येक 10/–रू0 मूल्य के 33,800,000 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर (गत वर्ष प्रत्येक 10/–रू० मूल्य के 33,800,000 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर)	**338.00**		338.00	
v. एमएमटीसी गीतांजली प्रा0 लि०				
प्रत्येक 10/–रू० मूल्य के 2,987,400 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर (गत वर्ष प्रत्येक 10/–रू० मूल्य के 2,506,400 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर	**29.87**		25.06	
vi. इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लि०				
प्रत्येक 5/–रू० मूल्य के 52,000,000 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर (गत वर्ष प्रत्येक 5/–रू० मूल्य् के 52,000,000 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर)	**260.00**		260.00	
vii टीएम माईनिंग कंपनी लिमिटेड				
प्रत्येक 10/–रू0 मूल्य के 26,000 पूर्ण प्रदत् इक्विटी शेयर (गत वर्ष प्रत्येक 10/–रू0 मूल्य के 26,000 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर	**0.26**	**802.62**	0.26	779.35
घ. अन्य				
I. इंडो फ्रैंच बायोटैक लिमिटेड				
प्रत्येक 10 रूपये मूल्य के 4,750,000 पूर्ण प्रदत् इक्विटी शेयर (गत वर्ष प्रत्येक 10 रूपये मूल्य के 4,750,000 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर)	**47.50**		47.50	
घटाए : निवेश के मूल्य में ह्रास के लिए प्रावधान	**47.50**		47.50	
	0.00		0.00	
ii. यूनाईटिड स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड				
प्रत्येक 10/– रूपये मूल्य के 3,000,000 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर(गत वर्ष प्रत्येक 10/– रूपये मूल्य के 3,000,000 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर)	**30.00**	**30.00**	30.00	30.00
ग. सरकारी व न्यास सिक्युरिटीज में निवेश				
9% सरकारी स्टाक 2013 (गत वर्ष 0.03 मिलियन रूपये)		-		0.03
घ. अन्य				
योग		**4,697.36**		**4,672.87**

सभी गैर चालू निवेशों का आकलन मूल्य में स्थायी ह्रास यदि कोई हो तो, इसके लिए किए गए प्रावधान को घटा कर लागत पर किया जाता है। निगम के कोई उद्धृत निवेश नहीं है। अनउद्धृत निवेशों की कुल योग राशि 4708.57 मिलियन रूपये (गत वर्ष 4685.33 मिलियन रूपये) है। निवेशों के मूल्य में ह्रास के लिए 47.53 मिलियन रूपये (गत वर्ष 47.53 मिलियन रूपये) की कुल राशि का प्रावधान किया गया है।

6.3 आस्थगित कर परिसंपत्तियां (सकल)

(₹ मिलियन में)

विवरण	दिनांक 1.4.2012 को आस्थंगित कर परिसंपत्तियां / देयता	2012–13 के दौरान क्रेडिट / चार्ज	दिनांक 31.03.2013 को अस्थंगित कर परिसंपत्तियां / देयता
मूल्यह्रास	(194.87)	18.18	(176.69)
धारा 43 बी के अंतर्गत अस्वीकृति	-	-	-
संदिग्ध् ऋणों के लिए प्रावधान	807.73	804.98	1,612.71
डीडब्ल्यूए जोखिम	-	0.45	0.45
वीआरएस व्यय	8.56	9.04	17.60
आईटी विभाग से प्राप्त ब्याज	-	0.16	0.16
अन्य	93.54	(93.53)	0.01
कुल	**714.96**	**739.28**	**1,454.24**

6.4 दीर्घावधि ऋण व अग्रिम

(₹ मिलियन में)

	31-03-2013		31-03-2012	
क. सुरक्षित जमा				
I. वसूली योग्य सुरक्षित	**49.46**		8 .24	
II. वसूली योग्य असुरक्षित	**36.73**		78.73	
III. संदिग्ध	**37.45**		36.82	
अनुयोग	**123.64**		123.79	
घटाएं : अशोध्य व संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	**37.45**	**86.19**	36.82	86.97
ख. संबंधित पार्टियों को ऋण व अग्रिम				
I. वसूली योग्य सुरक्षित	**-**		-	
II. वसूली योग्य असुरक्षित	**3.56**		0.99	
III. संदिग्ध	**4.85**		4.85	
अनुयोग	**8.41**		5.85	
घटाएं : अशोध्य व संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	**4.85**	**3.56**	4.85	0.99
ग. अन्य ऋण व अग्रिम				
I. वसूली सुरक्षित				
पी.एस.यूज / अन्य कम्पनियों को	**213.04**		210.85	
ऋण / अग्रिम अर्जित तथा	**42.13**		60.86	
प्राप्य / अप्राप्य ब्याज कर्मचारियों को ऋण	**186.86**		173.76	
II. वसूली योग्य, असुरक्षित अर्जित तथा				
प्राप्य / अप्राप्य ब्याज	**34.44**		3.36	
कर्मचारियों को ऋण	**91.04**		49.55	
अन्य	**472.55**		508.71	
III. **संदिग्ध**	**249.90**		290.95	
अनुयोग	**1,289.96**		1,298.04	
घटाएं : अशोध्य व संदिग्ध अगिमों के लिए प्रावधान	**249.90**	**1,040.06**	290.95	1,007.09
योग		**1,129.81**		**1,095.05**

उपरोक्त राशि से निगम के निदेशकों अथवा अन्य अधिकारियों अथवा उनमें अथवा किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से अथवा फार्म या प्राईवेट कम्पनी जिसमें कोई निदेशक पार्टनर है अथवा निदेशक है अथवा सदस्य है, से 0–78 मिलियन रूपये (गत वर्ष 0–97 मिलियन रूपये) की राशि प्राप्य है।

6.5 अन्य गैर–चालू परिसम्पत्तियॉ

(₹ मिलियन में)

	31-03-2013		31-03-2012	
दीर्घावधि ट्रेड प्राप्य				
I. वसूली योग्य (परिसम्पत्तियों की हाईपोथिकेशन / टाईटल डीडस के मार्टगेज तथा बैंक गांरिटयों से सुरक्षित)	-		0.96	
ii. वसूली योग्य असुरक्षित	17.43		21.95	
iii. संदिग्ध*	4,168.52		1,315.86	
अनुयोग	4,185.95		1,338.77	
घटाएं : अप्राप्य / संदिग्ध प्राप्तियों के लिए प्रावधान *	4,168.52	17.43	1,315.86	22.91
कुल योग		17.43		22.91

* सर्राफा लेन–देन संबंधी कुछ मामलों में क्षेत्रीय कार्यालय चेन्नै तथा क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद द्वारा हुई भूल चूक के कारण चेन्नै का 1157–49 मिलियन (गत वर्ष 1002–05 मिलियन रु०) और हैदराबाद कार्यालय का 2288–20 मिलियन रूप गत वर्ष शून्य मिलियिन रूपये प्राप्य एवं प्रावधान के रूप में शामिल हैं।

7. चालू परिसम्पत्तियाँ

7.1 वर्तमान निवेश

(₹ मिलियन में)

	31-03-2013		31-03-2012	
क. म्युचुअल फंड (उद्धृत) में निवेश				
I. आईडीबीआई फंड लिक्विड फंड (प्रतिदिन लाभांश) प्रत्येक 1000/–रु० की 15000यूनिट्स (गत वर्ष शून्य)	150.00		-	
	-	150.00	-	-
ख. सरकारी अथवा न्यास सिक्योरिटी में निवेश		-		
9 सरकारी स्टाक 2013		0.03		
योग :		150.03		-

वर्तमान निवेश कम लागत और उचित मूल्य पर मूल्यांकित किए गए हैं ।

31.03.2013 को उद्धृत निवेशों का कुल बाजार 150.00 मिलियन रूपये लागत (गत वर्ष शून्य) के स्थान पर 150.05 मिलियन(गत वर्ष शून्य मिलियन रूपये) है ।

अनुद्धृत निवेशों की कुल राशि 0.03 मिलियन रूपये (गत वर्ष शून्य मिलियन रूपये) है

7.2 इन्वैंट्रीज़

(₹ मिलियन में)

	31-03-2013		31-03-2012	
क. कच्चा माल	100.48		93.94	
ख. प्रगति पर कार्य	-		-	
ग. तैयार माल	845.32		1,561.06	
घ. स्टॉक.इन.ट्रेड (1996.69 मिलियन रुपये (गत वर्ष 1809.95 मिलियन रुपये) मूल्य गुड्स इन ट्रॉजिट शामिल है।)	7,941.79		7,587.83	
ड़. स्टोर्स एडं स्पेयर्स	-		-	
च. लूज़ टूल्स	-		-	
दृ पैकिंग सामान	0.65		1.20	
ज. अन्य (विशिष्ट प्रकृति के)	-	8,888.24	-	9,244.03
योग		8,888.24		9,244.03

जैसा प्रबंधतत्रं ने मूल्यांकित तथा प्रमाणित किया वैसा ही अपनाया गया।

गुडस इन ट्राजिट सहित इन्वैंट्रीज का मूल्यांकन दिनांक 31 मार्च 2013 को लागत के निम्नतर अथवा वसूली योग्य मूल्य पर किया गया।

बाजार मूल्य पर किया गया अंतिम स्टॉक का मूल्यांकलन लागत से भी कम होने के परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान 07.39 मिलियन रुपये (गत वर्ष 12.06 मिलियन रुपये) की हानि हुई।

आगे 31.03.2013 के बाद सोने व चांदी के मूल्य में गिरावट हुई है जिसके कारण 21.05.2013 को वर्तमान वसूली योग्य मूल्य के आधार पर इन्वेन्टरी मे 120.67 मिलियन रु० की कमी आ सकती है।

7.3 ट्रेड प्राप्य रिसिवेबलस

(₹ मिलियन में)

	31-03-2013		31-03-2012	
क. भुगतान के लिए नियत तिथि से छः माह अधिक की अवधि के बकाया ड्रेड प्राप्य				
I. वसूली योग्य, सुरक्षित	3,969.65		1,015.72	
ii. वसूली योग्य, असुरक्षित	984.60		1,161.08	
iii. संदिग्ध	152.08		546.88	
	5,106.33		2,723.68	
घटाएं : अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	152.08	4,954.25	546.88	2,176.80
ख. अन्य ट्रेड प्राप्य				
I. वसूली योग्य, सुरक्षित	12,674.15		11,479.88	
ii. वसूली योग्य असुरक्षित	4,612.56		14,049.42	
iii. संदिग्ध	17.10		-	
	17,303.80		25,529.30	
घटाएं : अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	17.10	17,286.71	-	25,529.30
योग		22,240.97		27,706.10

7.4 रोकड़ तथा बैंक शेष

(₹ मिलियन में)

	31-03-2013		31-03-2012	
क. रोकड़ तथा रोकड़ समकक्ष				
– उपलब्ध चैक्स, ड्राफ्टस		563.73		9.12
– उपलब्ध रोकड़		0.02		0.02
– बैंकों में शेष				
क) चालू खाते में	236.06		2,483.09	
ख) कैश केडिट खातें में	427.53		174.29	
ग) तीन माह की मूल मैच्यूरिटी के साथ सावधि जमा	2,683.75	3 ,347.34	2,280.11	4,937.49
ख. बैंकों के पास अन्य शेष				
– मार्जिन राशि के रूप में लियन के अर्न्तगत	3.00		2,392.80	
– तीन माह से अधिक तथा 12 माह तक की अवधि की मूल मैच्यूरिटी के सावधि जमा	10,685.30		21,170.49	
– 12 माह से अधिक अवधि की मूल मैच्यूरिटी	1.13	10,689.42	21.24	23,584.53
योग		14,600.51		28,531.16

मार्जिन राशि अथवा ऋणों के लिए सिक्यूरिटी, गारंटी, अन्य बाध्यताओं के रूप में बैंकों के पास 3.00मिलियन रुपए (विगत वर्ष 2392.80 मिलियन रुपए) शेष है।

भुगतान न किए गए लाभांश के लिए बैंकों के पास शेष में 0.07 मिलियन रुपए (विगत वर्ष 0.05 मिलियन रुपए) शामिल है।

भारत के इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउटैंट्स द्वारा जारी लेखा मानक–3 के प्रावधानों के अनुरूप "रोकड़ एवं रोकड़ समकक्ष" को "रोकड़ एवं बैंक शेष" में परिवर्तित किया गया है।

7.5 लघु अवधि ऋण व अग्रिम

(₹ मिलियन में)

	31-03-2013		31-03-2012	
क. संबंधित पार्टियों को ऋण व अग्रिम*				
I. सुरक्षित वसूली योग्य	-		-	
ii. असुरक्षित वसूली योग्य	-		-	
iii. संदिग्ध	-		-	
	-		-	
घटाए : ऋणों व अग्रिमों के लिए प्रावधान	-	-	-	-
ख. अन्य				
I. अन्य प्राप्य बिल	884.39		1,188.13	
घटाएं : डिस्काउंटेड बिल्स	-		7.01	
वसूली योग्य – सुरक्षित	884.39		1,181.12	
ii. **रोकड़ अथवा माल के रूप में**	3,210.55		15,195.32	
वसूली योग्य अग्रिम				
वसूली योग्य – सुरक्षित	5,610.60		2,135.67	
वसूली योग्य – असुरक्षित				
संदिग्ध	275.00		176.55	
	9,096.15		17,507.53	
घटाएं : अशोध्य व संदिग्ध ऋण व अग्रिमों के लिए प्रावधान	275.00	8,821.15	176.55	17,330.98
iii. **आपूर्तिकर्ताओं के अग्रिम**				
वसूली योग्य– सुरक्षित	-		0.26	
वसूली योग्य – असुरक्षित	230.94		308.80	
संदिग्ध	35.16		89.96	
	266.10		399.02	
घटाएं : अशोध्य व संदिग्ध ऋण व अग्रिमों के लिए प्रावधन	35.16	230.94	89.96	309.06
iv. आयकर (अग्रिम आयकर, टीडीएस तथा प्राप्य रिफडं सहित वसूली योग्य – असुरक्षित		1,205.04		1,326.09
योग		**11,141.52**		**20,147.26**

निदेशको तथा अन्य अधिकारियों (मुख्य महाप्रबंधक तथा कम्पनी सचिव) को प्राप्य 0.10 मिलियन रुपए (विगत वर्ष 2.45 मिलियन रुपए)

7.6 अन्य वर्तमान परिसम्पत्तियाँ

(₹ मिलियन में)

	31-03-2013		31-03-2012	
आस्थगित प्रीमियम	304.22		334.49	
बिल न किए गए क्रय के प्रति स्वर्ण/चांदी का स्टॉक	1,435.09		9,941.27	
	1,739.31		10,275.76	
घटाएं : संदिग्ध राशि, यदि कोई हो तो, के लिए प्रावधान	-	1,739.31	-	10,275.76
योग		**1,739.31**		**10,275.76**

8 प्रचालन से राजस्व

(₹ मिलियन में)

	2012-13		2011-12	
क. उत्पादों के विक्रय		2 84,128.92		659,290.67
ख. सेवाओं के विक्रय		27.31		0.46
ग. अन्य प्रचालन राजस्व				
–अर्जित डिस्पैच	6.92		5.25	
–दावे	1,401.32		370.22	
–आर्थिक सहायता	294.86		2,937.36	
–अन्य व्यापारिक आय	134.78	1,837.88	647.98	3,960.81
		285,994.11		663,251.94
घटाएं :				
घ. आबकारी शुल्क	10.52	10.52	3.10	3.10
योग		285,983.59		663,248.84

विगत वर्षों के दौरान एनटीपीसी को आपूर्ति के लिए आयात किए गए कोयले के संबंध में, गतंव्य स्थान पर अंतिम गुणवत्ता विश्लेषण प्राप्त न होने के कारण फाइनल बीजक (इनवायस) जारी किए जाने तक कुछ मामलों में अनंतिम आधार पर बिक्री बुक की गई। लाभप्रदता पर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा क्योंकि फाइनल बीजक(इन्वायस) जारी होने पर यदि कोई अतंर होगा तो वह आपूर्तिकर्ता के खाते में होगा।

9 अन्य आय

(₹ मिलियन में)

	2012-13		2011-12	
क. ब्याज				
– फिक्स डिपजिट पर ब्याज	1,931.52		3,860.70	
– ग्राहकों की विलम्बित राशि से ब्याज	38.61		113.76	
– अन्य	826.34	2,796.47	2,483.71	6,458.17
ख .लाभांश				
– सहायक कम्पनी से लाभांश	101.76		248.96	
– अन्य	12.75	114.51	-	248.96
ग. निवेशकों की बिकी से सकल लाभ/हानि		-		
घ .अन्य गैर–प्रचालन आय				
(उक्त आय पर सीधे आरोज्य सकल व्यय)				
– स्टाफ क्वार्टर किराया	5.61		5.40	
– विविध प्राप्तियॉं	110.21		157.97	
– रिटर्न बैक देयताएं	150.74		295.22	
– विदेशी मुद्रा विनिमय अर्जन	1.50		104.39	
	-	268.07	-	562.98
योग		3,179.05		7,270.11

10 प्रयुक्त माल की लागत

(₹ मिलियन में)

	2012-13	2011-12
क. कच्चा माल	2,677.61	5,484.10
पैंकिग सामान	-	-
कंज्यूमेबल्स	-	-
लूज़ टूल्स	-	-
योग	2,677.61	5,484.10

11 स्टॉक–इन–ट्रेड का कय

(₹ मिलियन में)

उत्पाद समूह	2012-13		2011-12	
क) क्रय				
बहुमूल्य धातुएं	127,402.95		498,110.82	
अलौह धातुएं	14,602.49		22,746.45	
उर्वरक	18,923.20		57,397.86	
खनिज	15,141.85		10,427.92	
कृषि उत्पाद	38,788.04		22,346.45	
कायेला व हाईड्रोकार्वन	50,241.55		34,753.16	
सामान्य व्यापार	9.12	265,109.19	396.93	646,179.59
ख) माल के रूप में प्राप्त/जारी किया गया स्टॉक				
बहुमूल्य धातुए		(19.85)		(7.96)
योग	265,089.34			646,171.63

12 इन्वैन्ट्रीज में परिवर्तन

(₹ मिलियन में)

	2012-13		2011-12	
क) तैयार माल				
आरंभिक शेष	1,625.58		611.75	
अंतिम शेष	946.45		1,625.58	
तैयार माल की इन्वैंट्रीज में परिवर्तन		679.13		(1,013.83)
ख) कार्य प्रगति पर				
आंरभिक शेष	-		-	
अंतिम शेष	-		-	
कार्य प्रगति पर की इन्वैट्रीज़ में परिवर्तन	-		-	
ग) स्टॉक–इन–ट्रेड				
आरंभिक शेष	7,357.82		5,867.98	
अंतिम शेष	7,949.19		7,630.51	
स्टॉक–इन–ट्रेड की इन्वैट्रीज में परिवर्तन		(591.37)		(1,762.53)
योग		87.76		(2,776.36)

13 कर्मचारी लाभ व्यय

(₹ मिलियन में)

	2012-13		2011-12	
वेतन एवं भत्ते				
वेतन एवं भत्ते	**1,174.81**		1,121.58	
छुट्टी नकदीकरण	**128.95**		123.37	
वी आर एस व्यय	**28.45**		36.87	
बोनस	**0.62**		0.78	
निष्पादन संबंधित वेतन	**6.25**		50.92	
चिकित्सा व्यय	**111.73**		84.74	
सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा व्यय	**337.26**		199.22	
ग्रुप बीमा	**0.16**		0.40	
डी एल आई एस में अंशदान	**1.44**	**1,789.66**	1.28	1,619.16
भविष्य निधि तथा अन्य निधियों में अंशदान				
भविष्य निधि	**88.45**		80.36	
ग्रेच्युटी निधि	**31.68**		35.15	
परिवार पैंशन योजना	**12.05**		9.66	
अधिवार्षिता लाभ	**62.77**	**194.96**	66.48	191.65
ईएसओपी/ईएसपीपी		**-**		-
स्टॉफ कल्याण व्यय		**44.59**		32.80
कुल		**2,029.21**		**1,843.61**

वेतन संशोधन के लिए डीपीई के दिशा निर्देशों के अनुसार वर्ष के दौरान अधिवर्षिता लाभ के लिए 66.48 मिलियन रुपए (विगत वर्ष 60.57 मिलियन रुपए) की देयता का प्रावधान किया गया।

14 वित्त लागत

(₹ मिलियन में)

		2012-13	2011-12
I.	ब्याज व्यय	**1 ,407.83**	5,035.63
II.	अन्य ऋण लागत	**-**	-
III.	विदेशी मुद्रा पर लागू सकल लाभ/हानि	**0 .37**	-
IV.	फारवर्ड कांट्रेक्ट पर प्रीमियम	**786.46**	728.62
	योग	**2,194.66**	**5,764.25**

ब्याज व्यय में अग्रिम आयकर के भुगतान में कमी के लिए भुगतान किए गए 14.34 मिलियन रुपए (विगत वर्ष 16.15 मिलियन रुपए) शामिल है।

15. अन्य व्यय

(₹ मिलियन में)

	2012-13		2011-12	
क. प्रचालन व्यय				
भाड़ा	**5,415.86**		1,543.94	
डेमरेज	**1.78**		5.00	
क्लियरिंग, हैंडलिंग एवं अन्य प्रभार	**2,052.96**		813.64	
एलसी नेगोशियशन एवं अन्य प्रभार	**11.68**		31.40	
विनिमय में अंतर (i)	**(192.64)**		199.13	
सीमा शुल्क	**7,351.55**		8,807.41	
बीमा	**23.94**		9.52	
गोदाम बीमा	**14.00**		10.09	
प्लॉट तथा गोदाम किराया	**4.20**		24.64	
पैकिंग माल	**446.68**		163.73	
गंतव्यी भार एवं विश्लेषण जोखिम के लिए प्रावधान	**1.38**	**15,131.40**	-	11,608.50
ख. प्रशासनिक व्यय				
स्टोर्स तथा स्पेयर पार्टस का उपभोग	**-**		-	
ऊर्जा एवं इंधन	**1.24**		1.24	
किराया	**27.50**		22.41	
दरें एवं कर	**16.82**		25.10	
बीमा	**1.54**		3.48	
भवनों की मरम्मत	**36.17**		38.56	
मशीनरी की मरम्मत	**1.14**		2.24	
बिजली एव जल प्रभार	**23.16**		20.12	
विज्ञापन एवं प्रचार	**30.37**		31.32	
पोस्टेज एवं टेलीग्राम	**1.54**		1.98	
टेलीफोन	**16.49**		17.56	
टेलीकम्यूनिकेशन	**9.07**		9.23	
यात्रा	**49.29**		39.06	
वाहन	**19.31**		18.90	
मनोरंजन	**6.24**		6.83	
विधिक	**43.45**		19.37	
लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक (ii)	**5.84**		5.23	
बैंक प्रभार	**4.71**		22.50	
किताबें एवं पत्रिकाएं	**0.57**		0.59	
ट्रेड	**5.01**		5.23	
मरम्मत एवं नवीकरण	**18.10**		19.59	
कंप्यूटर	**0.64**		1.13	
अंशदान	**2.88**		3.65	
प्रशिक्षण सेमिनार तथा कान्फ्रेंस	**5.44**		3.81	
प्रोफेशनल/कंसलटैंसी	**21.35**		21.07	
सीएसआर तथा टिकाऊ विकास	**18.23**		34.50	
विनिमय में अंतर	**(45.39)**		4 .66	
डोनेशन	**-**		0.11	
सेवा कर	**3.07**		-	
पूर्वावधि मदें (iii)	**(6.12)**		(109.26)	
प्रदर्शनी, मेले एवं बिक्री प्रोमोशन	**37.96**		69.28	
अशोध्य में डाली गई/निकाली गई(विदड्रान) परिसंपत्तियां	**0.70**		1.35	
अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों/दावों/अग्रिमों के लिए प्रावधान	**62.53**		133.11	
विविध व्यय कुल	**114.54**	**540.56**	61.01	542.29
योग		**15,671.95**		**12,150.81**

(i) बी/एल तिथि को अप्रयोगमूलक विनिमय दरों को अपनाने के कारण

(क) आयात के लिए 304.22 मिलियन रुपये (विगत वर्ष 335.60 मिलियन रुपये) के आस्थगित फारवर्ड प्रीमियम तथा निर्यात के लिए शून्य मिलियन रुपये (विगत वर्ष 1.10 मिलियन रुपये) की पहचान अगले लेखा वर्ष के लाभ हानि खाते में की जाएगी।

(ii) लेखा परीक्षकों को भुगतान की गई राशि

(₹ मिलियन में)

	2012-13	2011-12
लेखा परीक्षकों के रूप में	**2.59**	2.45
कराधान मामलों के लिए	**1.15**	1 .12
कंपनी विधि मामलों के लिए	**-**	-
प्रबंधतंत्र सेवाओं के लिए	**0.03**	0.03
अन्य सेवाओं के लिए	**1.66**	1.37
व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए	**0.41**	0.26
योग	**5.84**	**5.23**

(iii) पूर्वावधि मदें

(₹ मिलियन में)

	2012-13	2011-12
व्यय		
विक्रय की लागत	**383.52**	20.85
वेतन एवं भत्ते	**-**	0.21
प्रशासनिक व्यय	**0.69**	5.88
ब्याज	**4.09**	4.49
मूल्यहरास	**(1.62)**	0.41
अन्य	**11.10**	1.59
अनुयोग	**397.77**	33.43
आय		
बिक्री	**349.10**	1.85
ब्याज	**0.38**	134.84
अन्य प्राप्तियां	**54.42**	6.01
अनुयोग	**403.90**	142.69
योग	**(Net) (6.12)**	**(109.26)**

16 अपवादिक मदें

(₹ मिलियन में)

	2012-13	2011-12
इन्वेंट्रीज का शुद्ध वसूली योग्य मूल्य के बराबर राइट डाउन करना और	**7 .39**	12.06
उसके मूल्य के किसी प्रावधान का रिवर्सन	**-**	-
स्थायी परिसंपत्तियों के मदों का निपटारा	**(0.46)**	(0.12)
दीर्घावधि निवेशों का निपटारा	**-**	0.03
पूर्वकाल से लागू विधायी परिवर्तन	**-**	-
विवाद निपटान	**144.63**	-
प्रावधानों का रिवर्सल	**(2.22)**	(14.51)
प्रावधान जिसकी अब आवश्यकता नहीं है	**(22.21)**	-
निवेश संपत्ति के मूल्य में गिरावट	**-**	1.25
योग	**127.15**	**(1.29)**

17 असाधारण मदें

असाधारण मदों में

(1) चैन्नै क्षेत्रीय कार्यालय में बुलियन के लेन देन में हुई कुछ चूकों के कारण विगत वर्षो के देनदारों से वसूली योग्य राशि के प्रति चार्टर्ड एकाउंटैंटस की फर्म द्वारा की गई विशेष लेखा परीक्षा की अंतिम रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर लेखा खातों में 155.44 मिलियन रुपये (विगत वर्ष 1002.05 मिलियन रुपये) का प्रावधान किया गया है। शेष देनदारों को पुनः दर्शाया गया है तथा 13.40 मिलियन रुपये के क्रेडिट शेष तथा 48.02 मिलियन रुपये के डेबिट शेष का अभी भी समायोजन किया जाना है परन्तु डेबिट शेष के लिए 1157.49 मिलियन रुपये का संपूर्ण प्रावधान किया गया है। निगम ने सीबीआई को शिकायत भी की है कि जिन्होंने अब तक दो अलग–अलग एफआईआर दर्ज की हैं तथा विस्तृत जांच भी आरंभ कर दी है। प्रवर्तन निदेशालय ने भी दो पूर्व अधिकारियों तथा दो देनदारों के विरुद्ध प्रिवेंशन आफ मनी लाडरिंग अधिनियम 2002 के अंतर्गत अभियोग लगाया है।

(2) केपीएमजी द्वारा की गई विशेष लेखा परीक्षा के जांच परिणामों के आधार पर हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय में बुलियन के लेन देन में हुई कुछ भूल–चूकों के कारण विगत वर्षो के देनदारों से वसूली योग्य राशि के प्रति लेखा खातों में 2288.20 मिलियन रुपये(विगत वर्ष शून्य मिलियन रुपये) का प्रावधान किया गया है। निगम ने सीबीआई को शिकायत भी की है तथा उन्होंने एफआईआर दर्ज करने के साथ–साथ विस्तृत जांच भी आरंभ की है।

18 लाभ व हानि विवरण से संबंधित अतिरिक्त सूचना

I. आयात का मूल्य

(₹ मिलियन में)

	2012-13	2011-12
आयातों का सीआईएफ मूल्य		
व्यापार में शामिल सामान	**198,972.04**	603,374.40
कच्चा माल	**2,684.15**	5,419.95
घटक व पुर्जे	**-**	-
पूंजीगत सामान	**-**	-
योग	**201,656.19**	608,794.35

ii. विदेशी मुद्रा में व्यय

(₹ मिलियन में)

व्यय	2012-13	2011-12
रायल्टी	**-**	-
नो हाउ	**-**	-
व्यावसायिक एवं परामर्श शुल्क	**-**	-
ब्याज	**773.99**	469.40
विदेशी कार्यालय	**4.91**	5.17
विदेशी दौरे	**8.86**	3.46
डिस्पैच/डैमरेज	**38.62**	23.15
लोड पोर्ट निगरानी प्रभार	**2.59**	10.22
वाचमैन प्रभार	**0.23**	0.84
समुद्री भाड़ा	**857.75**	607.64
गंतव्य स्थान पर भार व विश्लेषण जोखिम	**-**	-
एजेंसी कमीशन	**2.45**	-
अन्य मामले:-	**-**	25.53
योग	**1,689.40**	**1,145.42**

iii. विदेशी मुद्रा में आय

(₹ मिलियन में)

अर्जन	2012-13	2011-12
निर्यात किए गए माल का एफओबी मूल्य	**29,792.32**	20,388.94
रायल्टी, नो हाऊ, व्यावसायिक परामर्श शुल्क	-	-
ब्याज और लाभांश	**101.76**	248.96
डिस्पैच/डैमरेज	**23.62**	13.87
अन्य (विवरण दें)	**88.97**	47.45
योग	**30,006.67**	**20,699.23**

iv. कच्चा माल, पुर्जो एवं घटकों का उपयोग

(₹ मिलियन में)

अर्जन	2012-13		2011-12	
	कच्चा माल	स्पेयर पार्ट व घटक	कच्चा माल Materials	स्पेयर पार्ट व घटक
आयातित				
I. मूल्य	**2,986.33**	-	6,116.26	-
ii. कुल का प्रतिशत के रूप में	**99.22**	-	100.00	-
घरेलू				
I. मूल्य	**23.43**	-	-	-
ii. कुल का प्रतिशत के रुप में	**0.78**	-	-	-
सकल योग	**3,009.76**	-	**6,116.26**	-

19. आकस्मिक देयताएं एवं वचनबद्धता (उस सीमा तक जिसका प्रावधान नही)

1. आकस्मिक देयताऍं

क) कंपनी की तरफ से बैंकों द्वारा जारी 4448.26 मिलियन रुपये (पिछले वर्ष 1460 मिलियन रुपये) की गारंटियॉं अनुबंध के निष्पादन के लिए ग्राहक के पक्ष में 2017.15 मिलियन रुपए (पिछले वर्ष 360.40 मिलियन रुपए) राशि की कारपोरेट गारंटी दी गई है, जिसके विरूद्व एसोसिएट आपूर्तिकारों से बैक–अप गारंटियां प्राप्त की गई हैं।

ख) एनआईएनएल के ऋणों से संबंधित मूल तथा ब्याज राशि की सुनिश्चितता के लिए वित्तीय संस्थाओं/बैंकों को नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड (एनआईएनएल)की ओर से निगम द्वारा दी गई 14409.10 मिलियन रुपये (पिछले वर्ष 14409.10 मिलियन रुपये की कारपोरेट गारंटी।

ग) कंपनी के विरूद्व 2274.05 मिलियन रुपये (पिछले वर्ष 816.88 मिलियन रुपये) के दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया।

घ) कंपनी द्वारा खोले गये साख पत्रों में से 5606.86 रुपये (पिछले वर्ष 8493.22 मिलियन रुपये) की राशि बकाया है।

ड.) बैंकों से शून्य मिलियन रुपये (गत वर्ष 7.01 मिलियन रुपये) के बिल डिस्काउंट कराये गये।

च) 988.89मिलियन रुपये (पिछले वर्ष 995.70 मिलियन रुपये) की विवादित बिक्रीकर मॉग जिसके लिए 115.96 मिलियन रुपये(पिछले वर्ष 94.92 मिलियन रुपये) जमा कराये गये और 6.74 मिलियन रुपये(पिछले वर्ष 6.74 मिलियन रुपये) बैंक गारंटियों द्वारा पूरे किए गए।

छ) व्यापार सहायक सेवा के संबंध में 486.48 मिलियन रू (पिछले वर्ष 470.38 मिलियन रू) की सेवा कर मांग।

ज) निष्पादन, मूल दस्तावेजों की प्रस्तुति इत्यादि के लिए कस्टम विभाग को बांड प्रस्तुत किए गए हैं जिनमें से कुछ अभी भी बकाया हैं। 31.03.2013 को असमाप्त बांडो की राशि 1697.08 मिलियन रुपये(गत वर्ष 987.79 मिलियन रुपये) है।

झ) एक पार्टी ने एनआईएनएल के कोकिंग कोल की आंशिक मात्रा के न उठाये जाने के संबंध में नोटिस जारी किया है जिसकी सुपुर्दगी वर्ष 2008–09 से संबंधित है और 4273.71 मिलियन रुपए(31.03.2013 को अंतिम विनिमय दर जो 54. 29 अमेरिकी डालर में 78.72 मिलियन अमेरिकी डालर है)

(गत वर्ष 4005.00 मिलियन रुपए) का 30 सितंबर, 2009 से 12प्र वार्षिक ब्याज का दावा किया है, व जिसका खंडन किया गया है क्योंकि यह मान्य नहीं है। एमएमटीसी ने भी वर्ष 2009–10 के लिए कोकिंग कोल की आपूर्ति न किये जाने हेतु प्रति दावा करते हुए पार्टी को नोटिस दिया है। यह मामला सरकार के स्तर पर उठाया गया है क्योंकि आपूर्तिकार, अन्य पीएसयू को भी कोकिंग कोल की आपूर्ति करने वाले मुख्य आपूर्तिकारों में से एक है तथा आपूर्ति की शर्तें व मूल्य सरकार तथा पीएसयू के वरिष्ठ स्तर के नामितियों की सशक्त संयुक्त समिति द्वारा निर्धारित किया जाता है।

(त) कस्टम विभाग ने चालू वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा आपूर्ति किए गए स्टीम कोल के आयात पर अंतरीय कस्टम ड्यूटी के लिए विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालय से 1850.13 मिलियन डालर (पिछले वर्ष शून्य मिलियन डालर) की मांग रखी! यह आपूर्ति सहयोगी आपूर्तिकर्ताओं के माध्यम से बैक–टू–बैक की शर्तों पर स्थिर मार्जन आधार पर थी।

थ) इनमें से कुछ मामलों में आकस्मिक देयताओं के तहत शामिल की गयी राशि भारत सरकार के खाते में किये गये वस्तु व्यापार से संबंधित है और इसे भारत सरकार से वसूल किया जाना है।

(2) वचनबद्धताएंः

(क) पूंजी खातों पर निष्पादित नही किये गये करारों की अनुमानित राशि और 2.82 मिलियन रू (पिछले वर्ष शून्य मिलियन रू) का प्रावधान नही किया गया।

सामान्य अप्रकटन

20. कम्पनी द्वारा बिना बिल के खरीदे गये निम्नलिखित माल को जमा में रखा गया है और जिसको अन्य चालू परिसम्पतियों (टिप्पणी सं. 7.6) तथा अन्य चालू देयताओं (टिप्पणी सं.5.3) में दिखाया गया है।

(₹ मिलियन में)

मदें	31.3.2013		31.3.2012	
	मात्रा (किग्रा.)	मूल्य	मात्रा (कि.ग्रा.)	मूल्य
स्वर्ण स्वर्णाभूषण चांदी				

21. स्वर्ण तथा चांदी के आयात के लिए एक नामित एजेंसी होने के कारण निगम ने यूसेंस एल/सी के अधीन सोने का आयात किया है या क्रेता के क्रेडिट का उपयोग किया है। बिक्री मूल्य के रूप में प्राप्त राशि को बैंक के पास मार्जिन राशि के रूप में सावधि जमा के अंतर्गत रखा जाता है। इस पर अर्जित ब्याज यूसेंस एल/सी या क्रेता के क्रेडिट का निश्चित तिथि से पूर्व ग्राहकों से प्राप्त अदायगी एक व्यापारिक नीति के अनुसार ग्राहकों को देय होता है।

22. मुम्बई में कार्यालय परिसर से संबद्ध जून 2000 से मार्च 2002 की अवधि के मध्यवर्ती लाभ के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट आफ स्माल काजेज के अंतरिम आदेश के आधार पर 30.00 मिलियन रुपये की राशि को कोर्ट में जमा कराया गया है और सुप्रीम कोर्ट के अंतिम आदेश के आधार पर अंतिम समझौता राशि देयता के रूप में लेखों में विद्यमान पूरी राशि के लिए 20.00 मिलियन रुपये का भुगतान देय है। क्षेत्रीय कार्यालय मुम्बई ने टीडीएस काटकर चैक जारी कर दिया है परंतु पार्टी ने उसे स्वीकार नहीं किया और मामले को कोर्ट में दायर कर दिया है जिसका निर्णय लम्बित है। कोर्ट के अंतिम आदेश आने के बाद लेखों में समायोजन, यदि कोई है, किया जाएगा।

23. कंपनी ने प्राधिकृत डीलरों से बकाया जीआर–1 फार्मों के संबंध में देय तिथि के बाद वसूली के लिए समय बढ़ाने के लिए/छोड़ने के लिए/बट्टे खाते में डालने के लिये आवेदन किया है। इनका फैसला होने तक देयता का निर्धारण नहीं किया जा सकता। प्रवर्तन निदेशालय ने 19.81 मिलियन रुपये (गत वर्ष 23.33 मिलियन रुपये) का दण्ड लगाया है जिसका प्रतिवाद किया जा रहा है। इसके बावत 0.30 मिलियन रुपये (विगत वर्ष 1.60 मिलियन रुपये) की राशि जमा करवाई गई है तथा 10.30 मिलियन रुपये (पिछले वर्ष 10.30 मिलियन रुपये) की बैंक गारंटी प्रस्तुत की गई है।

24. हाल के वर्षों में आए व्यापार मोडल में विभिन्न बदलावों के कारण और नवीनतम सांविधिक जरूरतों को पूरा करने के लिए कंपनी ने वर्तमान ईआरपी पैकेज को बदलने का निर्णय लिया है।

25. लेखां मानक –15 (संशोधित) के अनुसार कंपनी द्वारा कर्मचारियों को निम्नानुसार लाभ प्रदान किये गये हैः–

(i) अवकाश नगदीकरण : नौकरी उपरांत पात्र कर्मचारियों को उनके अर्जित अवकाश व अर्धवेतन अवकाश का नकदीकरण देय है। संचित अर्जित अवकाश का नगदीकरण न्यूनतम 15 दिन का अर्जित अवकाश छोड़कर वर्ष में दो बार करवा सकते है।

(ii) सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी) : सेवानिवृत्त कार्मिकों के लिए सूचीबद्ध अस्पतालों में भर्ती होकर या ओपीडी उपचार सुविधा उपलब्ध है।

(iii) ग्रेच्युटी : ग्रेच्युटी समस्त कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति/सेवा छोड़ने पर सेवाकाल के वर्षों की संख्या के आधार पर प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत अदायगी कंपनी द्वारा

की जाती है जिसकी व्यवस्था एक अलग ट्रस्ट द्वारा एलआईसी के माध्यम से की जाती है। माइका प्रभाग के कार्मिकों के संबंध में इस योजना की व्यवस्था प्रत्यक्ष रुप से कंपनी द्वारा एलआईसी के माध्यम से की जाती है।

(iv) दीर्घ सेवा लाभः कार्मिकों को देय दीर्घ सेवा लाभ निम्नानुसार हैं :–

(क) अधिवार्षिता /स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना पर कार्मिकों को देय सेवा के प्रत्येक समाप्त वर्ष हेतु 2500/– रुपये राशि का सेवा अवार्ड।

(ख) सेवाकाल में मृत्यु पर, कार्मिक के आश्रितों को एकमुश्त में देय 50,000/– रुपए राशि की सहानुभूतिशील ग्रेच्युटी।

(ग) कर्मचारी परिवार लाभ योजना के अंतर्गत भुगतान, अधिवर्षिता की सैद्धान्तिक तिथि तक, कर्मचारी के आश्रितों को देय हो जिसकी मृत्यु सेवा में होती है। 20 वर्षों से कम सेवा करने पर अधिकतम 12,000/– रुपए के अधीन, आखिरी मूल वेतन व डीए के 40 प्र की दर पर मासिक लाभ है तथा सेवाकाल में मृत्यु के समय 20 वर्षों से भी अधिक सेवा करने पर, अधिकतम 12,000 /–रुपए के अधीन, आखिरी मूल वेतन व डीए के 50प्र की दर पर मासिक लाभ हैं।

''कर्मचारी लाभ'' संबंधी लेखा मानक – 15 (संशोधित) के अनुसार परिभाषित लाभ बाध्यताओं के अंतर्गत वांछित अन्य प्रकटन इस प्रकार हैं :–

(क) परिभाषित लाभ बाध्यताओं के वर्तमान मूल्य का समाधान :

(₹ मिलियन में)

क्र. सं.	विवरण	ग्रेच्युटी	अर्जित छुट्टी नकदीकरण	बीमारी छुट्टी नकदीकरण	सेवानिवृति उपरांत चिकित्सा लाभ	दीर्घ सेवा लाभ
(I)	परियोजित लाभ बाध्यताओं का दिनांक 1.4.2012 को वर्तमान मूल्य	704.92	240.04	160.92	982.00	100.09
(ii)	ब्याज लागत	56.39	18.77	13.01	81.04	
(iii)	वर्तमान सेवा लागत	14.15	9.80	6.59	11.23	
(iv)	प्रदत्त लाभ	43.02	57.25	9.06	69.45	
(v)	बीमांककीय (लाभ/हानि)	24.10	63.94	16.07	281.39	12.84
(vi)	31.3.2013 को बाध्यताओं का वर्तमान मूल्य मार्च 2013 को (i+ii+iii-iv+v)	756.54	275.30	187.53	1286.21	112.93

(ख) 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लाभ व हानि विवरण लेखा में दर्शाये गये व्यय :

(₹ मिलियन में)

क्र. सं.	विवरण	ग्रेच्युटी	अर्जित छुट्टी नकदीकरण	बीमारी छुट्टी नकदीकरण	सेवानिवृति उपरांत चिकित्सा लाभ	दीर्घ सेवा लाभ
(I)	सेवा लागत	14.15	9.80	6.59	11.23	
(ii)	ब्याज लागत	56.39	18.77	13.01	81.04	
(iii)	योजनागत परिसपंतियों पर वास्तविक रिटर्न	65.21	-	-	-	
(iv)	अवधि के दौरान शुद्ध बीमांककीय (लाभ)/हानि	24.10	63.94	16.07	281.39	12.84
(v)	लाभ व हानि खातों में लिए गए व्यय (i+ii-iii+iv)	29.43	92.51	35.67	373.66	12.84

(ग) परियोजित परिसंपतियों के उचित मूल्य में परिवर्तन :

(₹ मिलियन में)

		ग्रेच्युटी
1.4.2012 को योजनागत परिसंपतियों	709.04	
का उचित मूल्य		708.44
आरंभिक शेष में समायोजन	0.60	
योजनागत परिसंपतियों पर वास्तविक रिटर्न		65.21
नियोक्ता द्वारा अंशदान		29.25
प्रदत्त लाभ		43.02
बीमांककीय लाभ/(हानि)		—
31.3.2013 को योजना परिसंपतियों का उचित मूल्य		759.88

(घ) सेवा निवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ योजना के तहत लाभों के मूल्यांकन के संबंध में संभावित मुद्रास्फीति दर में एक प्रतिशत प्वाइंट परिवर्तन का प्रभाव : –

(₹ मिलियन में)

क्र. सं.	विवरण	मुद्रास्फीति दर में 1 प्रतिशतता वृद्धि	मुद्रास्फीति दर में 1 प्रतिशतता कमी
i)	सेवा लागत व ब्याज लागत के समग्र पर प्रभाव	10.91	(9.02)
ii)	परिभाषित लाभ बाध्यताओं पर प्रभाव	107.35	(90.03)

(ङ) बीमांककीय कल्पनाएं :

(₹ मिलियन में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2013 को
i)	छूट दर(प्रतिवर्ष)	8.00 प्र/8.00 प्र – एलआईसी/अन्य
ii)	भविष्य लागत वृद्धि	6.00प्र/5.5.0 प्र – एलआईसी/अन्य
iii)	सेवा निवृति आयु	60 वर्ष
iv)	मृत्यु संख्या विवरण	एलआईसी(1994–96) यथा संशोधित
vi)	निकासी दरें	आयु पर आधारित 1प्र से 3प्र

26. लेखा मानक–17 के अनुसार कंपनी ने खनिजों, बहुमूल्य धातुओं, कृषि उत्पादों, कोयला व हाइड्रोकार्बन, उर्वरकों तथा सामान्य व्यापार/अन्य को अपने प्राथमिक रिपोर्ट योग्य बिजनेस सैगमेंटों के रूप में पहचान की है। सैकेंडरी सैगमेंटों में जिनकी पहचान की गई है भारत के भीतर व बाहर

भौगोलिक स्थिति पर आधारित है। अनुलग्नक क में विस्तार पूर्व विवरण दिया गया है।

27. लेखा मानक–18 के अंतर्गत संबंधित पार्टियों का प्रकटन (प्रबंधतंत्र द्वारा यथा–निर्धारित एवं प्रमाणित)

(क) संबंधित पार्टियों के नाम एवं संबंध का विवरण :

क) प्रबंधतंत्रा के प्रमुख कार्मिक

1. श्री डी एस ढेसी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (दिनांक 08.10.2012 से)

2. श्रीमती विजयलक्ष्मी जोशी,अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (दिनांक 05.10.2012 तक)

3. श्री सुनीर खुराना , निदेशक (दिनांक 18.09.2012 तक)

4. श्री वेद प्रकाश, निदेशक

5. श्री राजीव जयदेव, निदेशक

6. श्री एम जी गुप्ता, निदेशक

7. श्री आनन्द त्रिवेदी, निदेशक (दिनांक 03.07.2012 से)

8. श्री पी के जैन, निदेशक (दिनांक 15.05.2013 से)

ख) सहायक कंपनी

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर

ग) एसोसिएट

नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड–

देवोना थर्मल पावर एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड

घ) संयुक्त उद्यम

फ्री ट्रेड वेयर हाउसिंग प्रा. लिमिटेड

हल्दिया फ्री ट्रेड वेयर हाउसिंग प्रा. लिमिटेड

ग्रेटर नौएडा इंटिग्रेटिड वेयर हाउसिंग प्रा. लिमिटेड

इंटिग्रेटिड वेयरहाउसिंग कांडला प्रोजेक्ट डेवलपमेंट प्रा. लिमिटेड

एमएमटीसी पेम्प इंडिया प्रा. लिमिटेड

एमएमटीसी गीतांजली प्राइवेट लिमिटेड

इंडियन कमोटिडी एक्सचेंज लिमिटेड

सिकल आयरन ओर टर्मिनल लिमिटेड

टीएम माइनिंग कंपनी लिमिटेड

ख. वर्ष 2012–13 के दौरान लेन–देन का विवरण

(₹ मिलियन में)

विवरण	सहायक कंपनी	एसोशिएट्स	संयुक्त उद्यम	प्रबंधतंत्र के प्रमुख कार्मिक	कुल
माल की खरीद	20492.84	15967.74	204.59		36665.17
माल की बिक्री	1347.44	9796.35	2008.91		13152.70
स्थायी परिसंपत्तियों की बिक्री					
प्राप्त लाभांश	101.76				101.76
रोकड़ अथवा वस्तु के रूप में ऋण तथा इक्विटी अंशदान सहित वित्त	23.27				23.27
कारपोरेट गारंटी					
अन्य भुगतान डेमरेज/ डिस्पैच					
अन्य प्राप्तियां डेमरैज/डिस्पैच					
पारिश्रमिक				36.42	36.42
बकाया शेष					
प्राप्य	8.48	4736.24	4.51		4749.23
देय	3804.43	44.87	2.12		3116.07

28. प्रति शेयर अर्जन

(₹ मिलियन में)

विवरण	2012-13	2011-12
कर पश्चात लाभ (मिलियन रुपये में)	(706.24)	707.19
इक्विटी शेयरों की कुल संख्या (मिलियन)	1000.00	1000.00
बेसिक और डाइल्यूटिड प्रति शेयर अर्जन (अंकित मूल्य 1/– रु. प्रति शेयर) (रुपये)	(0.71)	0.71

29. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी संयुक्त उद्यमों मे ंस्वामित्व की वित्तीय रिपोर्ट लेखा मानक–27 के अनुसार भारत में निगमित सभी संयुक्त उद्यम कंपनियों में स्वामित्व की हिस्सेदारी, परिसंपत्तियां, देयताएं, आय, व्यय, विविध देयताएं व पूंजीगत अर्हताएं निम्नानुसार हैं:–

(₹ मिलियन में)

क्र. सं.	संयुक्त उद्यम कंपनी का नाम	कंपनी के स्वामित्व का प्रतिशत	निगमन का देश	परिसंपत्तियां	देयताए	आय	व्यय	विविध देयताएं	पुंजीगत वचनबद्धताएं
1	फ्री ट्रेड वेयर हाउसिंग प्रा.लि.*	26	भारतवर्ष	3.33	3.71		0.13		
2	ग्रेटर नौएडा इंटिग्रेटिड वेयर हाउसिंग प्रा. लि. *	26	भारतवर्ष		0.02		0.01		
3	एमएमटीसी–पेंप इंडिया प्रा. लिमिटेड *	26	भारतवर्ष	2662.11	2453.26	32445.00	32330.30	32.00	4.82
4	सिकल आयरन ओर टर्मिनल लि. *	26	भारतवर्ष	1213.56	875.63				
5	एमएमटीसी गीताजंलि प्रा. लि. *	26	भारतवर्ष	91.57	62.41	159.63	158.38	78.99	
6	इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटैड *	26	भारतवर्ष	125.15	56.90	22.79	50.68		
7	टीएम माइनिंग कंपनी लिमिटेड*	26	भारतवर्ष	0.01	0.08		0.12		
8	ब्ल्यू वाटर आयरन ओर ' थर्मल प्रा.लि.*	18	भारतवर्ष	0.98	0.93	0.05	1.52		

30.. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टड एकाउंटेंटस ऑफ इंडिया द्वारा विनिर्दिष्ट 'परिसंपत्तियों की हानि' जैसा कि मानक लेखा (ए एस 28) द्वारा वांछित है कंपनी ने परिसंपत्तियों की हानि का मूल्य निर्धारण किया है। वर्ष के दौरान कोई हानि नहीं हुई है।

31. मानक लेखा – 29 के अनुसार प्रावधानों का समाधान निम्नानुसार हैः–

(₹ मिलियन में)

प्रावधानों का विवरण	1.4.12 को आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान समायोजन	वर्ष के दौरान वृद्धि	31.03.13 को अंतिम शेष
गंतव्य भार व विश्लेषण जोखिम	0	0	1.38	1.38
बोनस/पीआरपी	110.47	50.49	0.62	60.60
अधिवर्षिता लाभ	287.55	283.86	62.77	66.46
कराधान	1324.84	771.88	257.23	810.19
प्रस्तावित लाभांश	250.00	250.00	100.00	100.00
प्रस्तावित लाभांश पर कर	40.56	40.56	0	0
निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व हेतु अनुपयोग बजट	0.72	0.72	0	0

32. ऋण व अग्रिम में 1204.71 मिलियन रुपये (गत वर्ष 1325.78 मिलियन रुपये) के आयकर में विभिन्न निर्धारण वर्षो के लिए आयकर विभाग की 357.23 मिलियन रुपये (गत वर्ष 293.80 मिलियन रुपये) की विवादित मांग के प्रति आयकर विभाग को भुगतान किए गए 357.23 मिलियन रुपये (गत वर्ष 293.80 मिलियन रुपये) की राशि तथा वित्त वर्ष 2011–12 व 2012. 13 की आयकर/फ्रिंज लाभ कर देयता के लिए अग्रिम कर/टीडीएस/एफबीटी की 847.48 मिलियन रुपये (गत वर्ष 1031.98 मिलियन रुपये) की राशि शामिल है। अतिरिक्त मांग यदि कोई होगी तो उसका प्रावधान अपीलीय कार्यवाही पूरी होने पर कर दिया जाएगा।

33. स्टरलाइट से संबद्ध एक मामले में जो अभी अदालत में लम्बित है प्रमुख राशि 157.37 मिलियन रू (पिछले वर्ष 157. 37 मिलियन रू) पहले ही पिछले वर्षों में पूरी देयता का प्रावधान करते हुए जमा करा दी है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर ब्याज के रूप में 144.63 मिलियन रूपये चालू वर्ष में अपवादस्वरूप मद के रूप में उसको राजस्व में चार्ज करते हुए अदालत में जमा कराया है।

34. मिंट चांदी लेन–देन के संबंध में मेसर्स एआईपीएल के विरूद्ध 284.53 मिलियन रुपये (गत वर्ष 284.53 मिलियन रुपये) की राशि बकाया है जिसके लिए पूर्ण प्रावधान लेखों में किया गया है जिसका समायोजन, यदि कोई हो, अधिबिक्री प्राप्ति से किया जाना लंबित है। कंपनी ने 314.02 मिलियन रुपए (गत वर्ष 314.02 मिलियन रुपये) की वसूली मामला दायर किया है जिसमें 29.49 मिलियन रुपए (गत वर्ष 29.49 मिलियन रुपये) की अतिशोध्य ब्याज राशि भी शामिल है जिसे कंपनी के पक्ष में घोषित किया गया है। मै0 एआईपीएल ने भी 1671.97 मिलियन रुपए(गत वर्ष 1671.97 मिलियन रुपये) के नुकसान का सरकारी मिंट/एमएमटीसी के विरूद्ध मामला दायर किया है जो विधिक मत के अनुसार मान्य नही है और कार्यवाही की जा रही है।

35. वर्ष 2007–08 से 2010–11 के दौरान भारत सरकार के निदेशों पर कंपनी ने दालों का आयात किया था। सरकार ने लेंडिड लागत के 15 प्रतिशत तक घाटों की प्रतिपूर्ति और सीआईएफ के 1.2 प्रतिशत की दर से व्यापारिक मार्जन की अनुमति प्रदान की है। पिछले वर्षों में दर्ज किए गए दावों से 15 प्रतिशत अधिक राशि के रूप में 193.50 मिलियन रुपये चालू वर्ष में वापस ले लिए हैं। वर्ष 2011–12 से इस योजना को बंद कर दिया गया।

36. आरबीडी पामोलिन तेल के आयात के वित्त टारगेट प्लस लाइसेंस के कस्टम उपयोग के संबंध में ड्यूटी तथा जुर्माना इत्यादि के लिए 241.12 मिलियन (पिछले वर्ष 241.12 मिलियन) की वितरित मात्रा के विरूद्ध लेखों में 241.12 मिलियन (पिछले वर्ष 241.42 मिलियन) की देयता का प्रावधान पहले भी किया गया है। ब्याज यदि कोई तो इत्यादि के लिए देयता, का प्रावधान मामले पर अंतिम निर्णय आने पर किया जाएगा।

37. आयातित पोलिएस्टर खराब होने के कारण एक एसोसिएट के विरूद्ध 18.89 मिलियन रुपए(पिछले वर्ष 18.89 मिलियन रुपए) का एक दावा लम्बित है जिसके लिए ईएमडी और अन्य भुगतानों के रूप में 3.61 मिलियन रुपये(पिछले वर्ष 3.61 मिलियन रुपये) को ध्यान में रखते हुए लेखों में 15.28 मिलियन रुपये (पिछले वर्ष 15.28 मिलियन रुपये) का प्रावधान रखा है। कंपनी ने कस्टम को इसका परित्याग करने का अनुरोध किया जो निर्णय आदेशके लिए लम्बित है। एसोसिएट के विरूद्ध आपराधिक व सिविल सूट दायर किया है। एसोसिएट ने विवाद निपटारा समिति के विचारार्थ एक प्रस्ताव रखा और तदनुसार वर्ष के दौरान शून्य मिलियन रुपये(पिछले वर्ष 1.73 मिलियन रुपय) की राशि का भुगतान किया।

38. सूचीगत अनुबंध के खंड 32 में अपेक्षित ऋणों की प्रकृति में ऋण व अग्रिमों के संबंध में विवरण

(क) अग्रिमों (ब्याजमुक्त) की प्रकृति में एसोसिएटों को दिए गए ऋण व अग्रिम

ऋणी	31.3.2013 को शेष	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया
नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड	3.56 मिलियन रुपये पिछले वर्ष 0.99 मिलियन रुपये	3.56 मिलियन रुपये पिछले वर्ष 1.19 मिलियन रुपये

(ख) ऋणी के निवेशों का विवरण: शून्य रुपये (पिछले वर्ष शून्य)

39. बकाया राशियों की पुष्टि के लिए पार्टियों को पत्र जारी किये गये है जिनमें निर्धारित अवधि के भीतर पुष्टि करने या टिप्पणी करने का अनुरोध किया गया है जिसके अभाव में पत्र में दर्शाए गए शेष को पुष्टि कृत माना जाएगा। कुछ मामलों में पुष्टि पत्र प्राप्त हो चुके हैं। यद्यपि किसी पार्टी से विपरीत सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

40. मुम्बई क्षेत्रीय कार्यालय में वर्ष के दौरान एक विदेशी आपूर्तिकार ने कॉपर की सुपुर्दगी किए बिना बैंकिंग चैनलों के माध्यम से 29.94 मिलियन रू का कापर हासिल करने के लिए जाली शिपिंग दस्तावेज दिए! तथापि साख–पत्र के तहत बैंक द्वारा किये जाने वाले भुगतान को रोकने के लिए कम्पनी ने अंतरिम स्टे ले लिया था। इसी आपूर्तिकार ने धोखे से अन्य कॉपर की शिपमेंट के मास्टर बिल ऑफ लेडिंग हथियाने के कारण क्षेत्रीय कार्यालय मुम्बई से 85.98 मिलियन रुपये के माल की सुपुर्दगी लेकर अपने कब्जे में लिया जिसका भुगतान पहले से ही हो चुका है और इसको भारतीय पोर्ट पर प्राप्त कर लिया गया है।

41. वर्ष 2011–12 के दौरान क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद को 37.50 मिलियन रुपये (पिछले वर्ष 37.50 मिलियन रुपये) मूल्य की दो शिपमेटों के फर्जी बिल ऑफ लेडिंग बेंकिंग चैनल के माध्यम से मिले जिसकी एवज में कोई माल प्राप्त नहीं हुआ। कम्पनी ने अपने भारतीय ग्राहक से पूरा भुगतान मिलने के बाद विदेशी आपूर्तिकार को साख–पत्र के माध्यम से भुगतान किया। कम्पनी ने विदेशी आपूर्तिकार के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है।

42. कम्पनी ने वर्ष के दौरान लेखा नीतियों में निम्न निश्चित परिवर्तन किए हैं।

(i) लेखा नीति सं. 2.1 को पठन के लिए पुनः परिभाषित इस प्रकार किया गया है। ''वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत पंरपरा का ध्यान रखते हुए अनिवार्य कंपनीज (लेखा मानकों)नियम, 2006 द्वारा अधिसूचित अनिवार्य लेखा मानकों तथा कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुरूप तैयार किया गया है।''

(ii) लेखा नीति सं. 2.2 (क) को पुनः परिभाषित किया गया है। ''खरीदी और बिक्रियां विक्रेताओं/क्रेतओं के साथ किए गए अनुबंधों/करारों के निष्पादन या सरकार द्वारा किए गए आबंटन पत्र पर बुक किए जाते हैं। जहां ऐसे करारों/अनुबंधों/आबंटन आंशिक निष्पादन होता है वहां वह भाग क्रय/विक्रय के रूप में बुक किया जाता है ताकि कम्पनी द्वारा अपनायी गई प्रेक्टिस को सही तरह से प्रस्तुत किया जा सके ।

(iii) लेखा नीति सं. 2.2 (घ) में श्टाईटल दस्तावेज के अंतरण से आयात करने के दौरान बिक्री अर्थात् भारत की कस्टम सीमा से बाहर माल जाने से पूर्व क्रेता को माल के टाईटल के ऐसे दस्तावेजों के अंतरण होने पर हाई सीज सेल बुक की जाती है और 2.2 (क) कमोडिटी एक्सचेंज जैसे नेशनल स्टार एक्सचेंज जिसके माध्यम से माल की वास्तविक सुपुर्दगी की जाती है, के द्वारा किए गए व्यापार के संबंध में क्रय/विक्रय बुक किया जाता है। यह कम्पनी द्वारा अपनाई जा रही लेखा प्रेक्टिस का स्पष्ट करने के लिए दिया गया है।

(iv) लेखा नीति सं. 2.6 (ड) में '' अधिकारी द्वारा अपने नाम पर मोबाईल हैंडसेट जो कम्पनी को लौटाया नहीं जाता की लागत की उनकी पात्रता के अनुसार की गई प्रतिपूर्ति'' को जोड़ा गया है जो मोबाइल सेटों की लागत को राजस्व में चार्ज करने के आधार को स्पष्ट करना है।

(v) लेखा नीति सं. 2.19 जो परिचालन लीज के संबंध में है को शामिल किया गया है।

उपरोक्त बदलावों से कम्पनी पर कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ा है।

43. उपरोक्त पिछले वित्तीय वर्ष के लाभ और शेष अवितरित में से वर्ष 2012–13 के दौरान 10 करोड़ मूल्य के इक्विटी शेयर पर 0.10 रुपये प्रति शेयर पर अंतिम लाभांश प्रस्तावित किया है।

44. ऐसे कोई भी सूक्ष्म (माइक्रो) छोटे व मध्यम उद्यम नहीं है जिनके विरूद्ध कम्पनी के 31 मार्च 2013 को 45 वर्षों से अधिक से देय बाकी है।

45. कम्पनियों का अनुपालन (लेखा मानक) नियम 2006 तैयार किए गए हैं। कम्पनी के बहुत से ऐसे लेन–देन व विविध कार्यकलाप है

46. पूर्णकालिक निदेशक 16 एचपी की कार के लिए 520 रूपये और 16 एचपी से अधिक कार के लिए 780 रुपये के भुगतान पर अपने प्रयोग के लिए 1000 किमी.प्रति माह का उपयोग कर सकते हैं। इसका उल्लेख नियुक्ति की करार शर्तों में किया गया है।

47. पिछले वर्ष के अंकों को पुनः समूह बनाया गया है और जहां आवश्यक समझा गया फिर से कास्ट किया गया है।

48. संलग्न लेखा नीतियां और टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते जैन कपिला एसोसिएट्स
(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)
एफ आर सं 000287 एन

(सीए डी के कपिला)
पार्टनर
एम नं0 016905

(जी आनंदनारायणन)
सहायक कंपनी सचिव

(वेद प्रकाश)
निदेषक

कृते निदेशक मंडल की ओर से

(विजय पाल)
मु.म.प्र.(वि.व ले.)

(एम जी गुप्ता)
निदेषक(वित्त)

(डी एस ढेसी)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेषक

दिनांक 30.05.2013
सीान : नई दिल्ली

लेखा की टिप्पणियों का अनुलग्नक 'क'

वर्ष 2012–13 के लिए खंडवार निष्पादन का विवरण

आरंभिक प्रस्तुति
एमएमटीसी लिमिटेड

(₹ मिलियन में)

विवरण	व्यापार खंड					
	बहुमूल्य धातु		धातुएं		खनिज एवं अयस्क	
खंडवार राजस्व	31 मार्च 13	31 मार्च 12	31 मार्च 13	31 मार्च 12	31 मार्च 13	31 मार्च 12
बाह्य बिक्री						
- भारत में	**136751.69**	511427.32	**11946.75**	13818.49	**1761.27**	1239.98
- भारत के बाहर	**0.00**	0.35	**2893.38**	9404.16	**13891.38**	9552.28
योग (क)	**136751.69**	511427.67	**14840.13**	23222.65	**15652.64**	10792.26
अंतर–खण्ड बिक्री						
- भारत में	**0.00**	0.00	**0.00**	0.00	**0.00**	0.00
- भारत के बाहर	**0.00**	0.00	**0.00**	0.00	**0.00**	0.00
योग (ख)	**0.00**	0.00	**0.00**	0.00	**0.00**	0.00
कुल खंड राजस्व (क–ख)	**136751.69**	511427.67	**14840.13**	23222.65	**15652.64**	10792.26
समस्त खण्डों के कुल राजस्व की प्रतिशतता के रूप में प्रत्येक खण्ड का कुल राजस्व	**48.13%**	77.57%	**5.22%**	3.52%	**5.51%**	1.64%
खण्डीय परिणाम						
- भारत में	**722.26**	858.08	**295.59**	251.50	**50.48**	34.72
- भारत के बाहर	**0.00**	0.02	**89.89**	282.12	**400.92**	240.70
कुल खण्डीय परिणाम	**722.26**	858.09	**385.48**	533.62	**451.40**	275.42
अनिर्धारित आय के निवल का अनिर्धारित कारपोरेट व्यय						
प्रचालन लाभ						
ब्याज व्यय						
ब्याज आय						
आयकर						
साधारण कार्यकलापों से लाभ						
असाधारण हानि/लाभ						
निवल लाभ						
अन्य सूचना						
खण्ड परिसंपत्तियाँ	**7789.21**	31446.70	**1484.49**	3296.89	**2385.69**	970.43
अनिर्धारित कारपोरेट परिसंपत्तियाँ						
कुल परिसंपत्तियाँ						
खण्ड देयताएं	**2389.85**	22952.99	**355.37**	2970.97	**2422.57**	976.97
अनिर्धारित कारपोरेट देयताएं						
कुल देयताएं						
खण्ड पूंजीगत व्यय	**0.83**	0.00	**0.00**	0.00	**0.00**	0.00
अनिर्धारित पूंजीगत व्यय						
कुल पूंजीगत व्यय						
खण्ड मूल्यह्रास	**2.22**	1.30	**0.00**	0.00	**55.36**	55.36
अनिर्धारित मूल्यह्रास						
कुल मूल्यह्रास						
मूल्यह्रास के अलावा गैर रोकड़ व्यय						

(₹ मिलियन में)

व्यापार खंड									
हाइड्रोकार्बन		कृषि उत्पाद		उर्वरक		अन्य		कुल	
31 मार्च 13	31 मार्च 12	31 मार्च 13	31 मार्च 12	31 मार्च 13	31 मार्च 12	31 मार्च 13	31 मार्च 12	31 मार्च 13	31 मार्च 12
56368.35	35671.00	29821.26	20301.54	17615.33	55957.29	98.96	420.81	254363.61	638836.43
0.00	0.00	11475.37	9.34	1532.50	1488.58	0.00	0.00	29792.62	20454.70
56368.35	35671.00	41296.62	20310.88	19147.83	57445.87	98.96	420.81	284156.23	659291.13
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56368.35	35671.00	41296.62	20310.88	19147.83	57445.87	98.96	420.81	284156.23	659291.13
19.84%	5.41%	14.53%	3.08%	6.74%	8.71%	0.03%	0.06%	100.00%	100.00%
665.82	644.32	329.27	229.48	82.57	131.00	84.51	86.95	2230.50	2236.05
0.00	0.00	268.05	0.28	8.13	6.97	0.00	0.00	766.99	530.09
665.82	644.32	597.32	229.76	90.69	137.96	84.51	86.95	2997.48	2766.14
								3220.87	2556.87
								(223.39)	209.28
								1407.83	5040.12
								2796.47	6593.01
								(572.14)	52.94
								1737.40	1709.24
								2443.64	1002.05
								(706.24)	707.19
20426.37	13648.74	7284.34	5745.89	2073.28	7058.33	499.14	552.37	41942.52	62719.35
								25038.22	40663.35
								66980.73	103382.70
21438.81	23805.52	13781.41	9123.24	4137.03	6698.39	195.95	257.16	44720.99	66785.25
								8851.96	22383.44
								53572.95	89168.70
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83	0.00
								68.14	21.00
								68.97	21.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.36	36.36	93.95	93.03
								25.75	28.71
								119.70	121.74
								60.41	139.91

लेखों की टिप्पणियों का अनुलग्नक 'क' जारी ......

वर्ष 2012–13 के लिए खंडवार निष्पादन का विवरण
(गौण प्रस्तुति)

भौगोलिक खंड

(₹ मिलियन में)

	भारत के बाहर		भारत में		कुल	
	31 मार्च 13	31 मार्च 12	31 मार्च 13	31 मार्च 12	31 मार्च 13	31 मार्च 12
राजस्व खंड						
बाह्य बिक्री	**29,792.62**	20,454.70	**2,54,363.61**	6,38,836.43	**2,84,156.23**	6,59,291.13
अंतरखण्ड बिक्री	**-**	-	**-**	-	**-**	-
कुल राजस्व	**29,792.62**	20,454.70	**2,54,363.61**	6,38,836.43	**2,84,156.23**	6,59,291.13
खंड परिणाम	**766.99**	530.09	**2,230.50**	2,236.05	**2,997.48**	2,766.14
खंड परिसंपत्तियां	**4,651.48**	688.68	**37,291.04**	86,075.33	**41,942.52**	86,764.00
पूंजीगत व्यय	**-**	-	**0.83**	-	**0.83**	-

2012–13 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि खाता का विवरण का अभिन्न–अंग कंपनी अधिनियम 1956 अधिनियम की संशोधित अनुसूची- IV के भाग के पैरा II की अनुवर्ती कुल कारोबार/खरीद के पूरे मूल्य से 10 प्रतिशत या अधिक माल (₹ मिलियन में)								
	आरम्भिक स्टाक		खरीद		बिक्री		अंतिम स्टाक	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
सोना (ओजीएल)कि.ग्रा.	956	57	38,740	1,11,942	38,607	1,16,439	190	8
सोना (डीटीए)कि.ग्रा.	10	27	2,544	7,337	-	7,369	-	14
स्टीम कोल मी.टन	7,24,520.07	4,061.72	80,99,054.73	39,943.72	76,94,822.50	44,899.00	11,76,483.94	5,588.12

सहायक कंपनियों के संबद्ध कम्पनी अधिनियम, 1956 के भाग 212 का अनुवर्ती विवरण

(₹ मिलियन में)

1	सहायक कम्पनी का नाम	एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर	
		2012-2013	**2011-2012**
2	को समाप्त सहायक कम्पनी का वित्तीय वर्ष	**31 मार्च 2013**	31 मार्च 2012
3	एमएमटीसी के पास सहायक कम्पनी के शेयर		
	i) संख्या	**1461502 1 सिंगापुर $ प्रति शेयर**	1461502 1 सिंगापुर $ प्रति शेयर
	ii) होल्डिंग की सीमा	**100%**	100%
4	एमएमटीसी लि. की सदस्यता के संबंध में पिछले वर्ष के लिए सहायक कम्पनी के लाभ का निवल कुल		
	i) 31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए एमएमटीसी लि. क लेखों से संबंद्ध	**शून्य**	शून्य
	ii) 31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए एमएमटीसी लि. क लेखों से संबंद्ध नहीं (सिंगापुर $)	**2.1***	1.9
5	एमएमटीसी लि. की सदस्यता के संबंध में पिछले वर्ष के लिए सहायक कम्पनी के लाभ का निवल कुल		
	i) 31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए एमएमटीसी लि. क लेखों से संबंद्ध	**शून्य**	शून्य
	ii) 31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए एमएमटीसी लि. क लेखों से संबंद्ध नहीं (सिंगापुर $)	**1.9**	2.3
	*अनअंकेक्षित आंकड़े		

(जी आनन्दनारायणन)
सहायक कंपनी सचिव

(विजय पाल)
मुख्य महाप्रबंधक (वि.व ले.)

(एम जी गुप्ता)
निदेशक (वित्त)

(वेद प्रकाश)
निदेशक

(डी एस ढेसी)
अध्यक्ष व प्रबंधक निदेशक

कारपोरेट मिशन

भारत की विशालतम व्यापारिक कंपनी तथा एशिया की एक प्रमुख व्यापारिक कंपनी होने के नाते अपने सभी कार्यकलापों में उत्कृष्टता लाकर विकास की दीर्घकालिक तथा व्यावहारिक दर प्राप्त कर अपनी स्थिति और मजबूत करना तथा शेयरधारकों, ग्राहकों, आपूर्तिकारों, कर्मचारियों तथा समाज को पूर्ण संतुष्टि प्रदान करते हुए अधिकतम लाभ अर्जन करना एमएमटीसी का लक्ष्य है।

कारपोरेट उद्देश्य

- विश्व स्तर पर व्याप्त व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के माहौल में कार्यशील रहते हुए, विशेषकर थोक व्यापार के क्षेत्र में विशिष्टता प्राप्त कर, स्वयं को एक अग्रणी अंर्तराष्ट्रीय व्यापारिक कंपनी के रूप में स्थापित करना तथा लगाई गई पूंजी से समुचित लाभ कमाना।
- खनिजों, धातुओं तथा बहुमूल्य धातुओं जैसे उत्पादों के व्यवसाय में देश की एकमात्र विशालतम कंपनी के स्थान को बनाए रखना।
- सभी श्रेणी के ग्राहकों को व्यावसायिकता तथा कुशलता के साथ उत्तम सेवाएं प्रदान करना।
- मध्यम व लघु उद्योगों को सहायक सेवाएं मुहैया कराना।
- वाणिज्यिक विवादों के निपटान के लिए कंपनी के भीतर ही कारगर व्यवस्था स्थापित करना।
- व्यापार से संबंधित बुनियादी सुविधाओं के विकास को प्रोत्साहन देना।

एमएमटीसी आज के परिवेश में

- भारत की विशालतम अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक कंपनी।
- भारत से खनिजों के निर्यात के मामले में सबसे बड़ा निर्यातक, पिछले 20 वर्षों से लगातार कैपेक्सिल पुरस्कार प्राप्तकर्त्ता।
- देश में बुलियन तथा अलौह धातुओं का एकल सबसे बड़ा आयातक/सप्लायर। कृषि, उर्वरक, कोल एवं हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र में अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी।
- भारत में 56 स्थानों पर कार्यालय, वेयरहाउसिस, पोर्ट ऑफिस तथा आउटलेटस।
- सिंगापुर में सहायक कंपनी (एमटीपीएल) जिसे ''ग्लोबल ट्रेडर प्रोग्राम'' (जीटीपी) का दर्जा प्राप्त है।
- प्रोमोटेड प्रोजेक्ट नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड (एनआईएनएल) के 1.10 मिलियन टन उत्पादन क्षमता वाले ओडिशा स्थित आयरन एवं स्टील प्लांट के माध्यम से संवर्धित उत्पाद उपलब्ध कराता है।

रणनीतिक पहल

- इंडिया बुल्स के साथ मिलकर कमोडिटी एक्सचेंज की स्थापना।
- अंतर्राष्ट्रीय भागीदार के साथ मिलकर सोने/चांदी के मेडालियन बनाने के लिए संयुक्त उद्यम के रुप में एक यूनिट सीापित करना।
- मेडालियंस, ज्वेलरी तथा सांची सिल्वरवेयर की बिक्री के लिए भारत के विभिन्न शहरों में रिटेल स्टोर्स की चेन स्थापित करना।
- एन्नोर पोर्ट पर संयुक्त उद्यम के रुप में आयरन ओर की लोडिंग के लिए एक स्थाई बर्थ स्थापित करना।
- एमएमटीसी को आबंटित कोल ब्लॉक का अन्वेषण करना। संभाव्यता अध्ययन जारी है।
- कंसोर्टियम के साथ मिलकर पारादीप में पोर्ट जेट्टी विकसित करना।
- विंड बेस्ड पावर जनरेशन प्रोजेक्ट का कर्नाटक में शुभारंभ

dk;lfu”iknu ij ,d utj

(मिलियन रुपए)

31 मार्च को समाप्त वित्तीय वर्ष	2013	2012	2011
कुल बिक्री	**284156**	659291	688545
जिसमें शामिल हैं–			
निर्यात	**29795**	20454	36934
आयात	**209544**	610417	633008
घरेलू	**44817**	28420	18603
व्यापारिक लाभ	**2997**	2766	3300
अन्य स्रोतों से आय	**3203**	7284	5104
कर पश्चात लाभ	**(706)**	707	1216
वर्ष की समाप्ति			
कुल परिसंपत्तियां	**66981**	127427	127098
नेटवर्थ	**13407**	14213	13797
प्रति शेयर (रुपए)			
अर्जन	**(0.71)**	0.71	1.22
लाभांश	**0.10**	0.25	0.25
शेयर पूंजी के अनुपात में नेटवर्थ (गुना)	**13.4**	14.2	13.8
नियोजित पूंजी के अनुपात में कर पश्चात लाभ (%)	**(9.0)**	7.9	14.1
नेटवर्थ की तुलना में कर पश्चात लाभ (%)	**(5.3)**	4.97	8.81
प्रति कर्मचारी बिक्री (मिलियन रुपये)	**177.0**	394.1	389.7

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का वक्तव्य

प्रिय शेयरधारकों,

कंपनी की 50वीं वार्षिक आम बैठक में आपका स्वागत करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता है। आपकी कंपनी का स्वर्ण जयंती वर्ष अभी चल ही रहा है। इन 50 वर्षो की लम्बी यात्रा के दौरान भारत की सबसे बड़ी अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक कंपनी के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आपकी कम्पनी ने कई बड़े परिवर्तन देखें हैं।

वर्ष 2011 के अंत में शुरू हुई वैश्विक आर्थिक मंदी वर्ष 2012–13 में भी जारी रही तथा इसका वर्ष 2013–14 के दौरान भी रूझान बना हुआ है। विश्व भर में भारी आर्थिक गतिविधियों में और भी मंदी आ गई है। विकसित बाजारों के साथ–साथ उभरते बाजारों की वृद्धि दर कम हुई है क्योंकि ये अभी भी नकारात्मक आर्थिक वातावरण से उबरने में ही प्रयासरत रहे हैं। इससे संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, चीन, भारत तथा जापान जैसी सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित हुई हैं।

पिछले वर्ष में भारत की वृद्धि दर भी 5(पांच) प्रतिशत तक कम हो गई है तथा बढ़ते चालू खाता घाटे से अमेरिकी डालर की तुलना में भारतीय रुपये पर दबाव बढ़ रहा है। गिरती हुई वृद्धि दर से ट्रेड क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है जिससे कमोडिटीज की मांग में गिरावट आई है। परिणामस्वरूप, ट्रेडिंग एवं मैन्यूफैक्चरिंग कंपनियों की ट्रेड टर्नओवर तथा लाभ प्रदता प्रभावित हुई है।

एमएमटीसी अतीत के झरोखे से

विगत पचास वर्षो से आपकी कंपनी हमेशा ही शेयरधारकों की आवश्यकतानुसार सकारात्मक प्रदर्शन करते हुए उनकी

अपेक्षाओं पर खरी उतरी है।पिछले पांच दशकों में एमएमटीसी की एक महत्वपूर्ण व्यापारिक यात्रा रही है जिसके दौरान कंपनी ने गहन विश्वास तथा गुडविल अर्जित की है। एमएमटीसी के कर्मचारी निष्ठावान रहे हैं तथा कंपनी के विकास में उनका सकारात्मक योगदान रहा है। गत 44 वर्षो से कंपनी का लाभांश भुगतान करने में अद्वितीय रिकार्ड रहा है। आज एमएमटीसी का देश भर में एक मजबूत व्यापारिक नेटवर्क है।

अपने बाजारों में विविधीकरण लाकर, मूल्य सवंर्धित उत्पादों एवं सेवाओं के प्रस्तुतीकरण को बेहतर बनाकर, अपनी उत्पाद श्रृंखला तथा ग्राहक आधार को बढ़ा कर, अपनी इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं में व्यापक विस्तार करके गुणवत्ता वाली सेवाओं तथा उत्पादों के साथ–साथ अपनी व्यापारिक वचनबद्धताओं को महत्व देते हुए तथा उनका ध्यान रखने के लिए व्यापार में अपनी सुविज्ञता के उपयोग के सतत एवं दृढ़ प्रयासों के कारण ही एमएमटीसी कठिन प्रतिस्पर्धा में टिकी रही है।

सरकार द्वारा विनिवेश

दिनांक 31.3.2013 को आपकी कंपनी के प्रवर्तक भारत सरकार की कुल शेयर पूंजी की 99.33 प्रतिशत हिस्सेदारी थी जिसे सूचीबद्ध कंपनियों में जनता की न्यूनतम शेयरधारिता के लिए सेबी के दिशानिर्देशों के अनुरूप स्टॉक एक्सचेंज मकेनिज्म द्वारा प्रवर्तक ने 9.33 प्रतिशत इक्विटी को 'आफर फॉर सेल'' से विनिवेशित किया। जून 2013 में एनएसई तथा बीएसई स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफार्म से ओएफएस इश्यू द्वारा सरकार ने यह विनिवेश किया जिससे अब तक आपकी कंपनी की कुल प्रदत्त इक्विटी पूंजी में भारत सरकार की हिस्सेदारी 90 प्रतिशत शेष रह गई।

वर्ष 2012–13 के दौरान निष्पादन

वर्ष 2011–12 के दौरान प्राप्त किए गए 65,929 करोड़ रुपये के बिजनेस टर्नओवर की तुलना में आपकी कंपनी ने वर्ष 2012–13 के दौरान 28416 करोड़ रुपये का बिजनेस टर्नओवर रिकार्ड किया। इस बिजनेस टर्न ओवर में 2980 करोड़ रुपये के निर्यात, 20954 करोड़ रुपये के आयात तथा 4482 करोड़ रुपये का घरेलू व्यापार शामिल है। अन्य ट्रेड संबंधित अर्जन का योगदान 184 करोड़ रुपये का रहा। वर्ष 2011–12 के दौरान निष्पादन की तुलना में यद्यपि आयात में 66 प्रतिशत की कमी के कारण टर्नओवर में ऋणात्मक वृद्धि है, तथापि निर्यात में 46 प्रतिशत तथा घरेलू व्यापार ने 58 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि रही है।

जहां एक ओर गेहूँ तथा लौह अयस्क जैसी कमोडिटीज के निर्यात में सकारात्मक वृद्धि का योगदान किया है वहीं दूसरी ओर बहुमूल्य धातुएं तथा उर्वरक निर्यात में ऋणात्मक वृद्धि का प्रमुख कारण रहे। गत वित वर्ष के 276.61 करोड़ रुपये की तुलना में आपकी कंपनी द्वारा अर्जित ट्रेडिंग लाभ 299.75 करोड़ रुपये था। हैदराबाद तथा चैन्ने क्षेत्रीय कार्यालयों के बुलियन लेन देन के 244.36 करोड़ रुपये से संबंधित विशेष मदों के लिए किए गए प्रावधानों के कारण आपकी कंपनी को 70.62 करोड़ की सकल हानि हुई है।

कारपोरेट सामाजिक दायित्व तथा दीर्घकालिक विकास

कंपनी वर्ष 1963 में अपनी स्थापना के समय से ही अपने कार्य क्षेत्र में आने वाले समुदायों के साथ सृजनात्मक रूप से भागीदार रही है। इसने वहां के पर्यावरण, समुदाय तथा शेयरधारकों के साथ समाज पर एक सृजनात्मक तथा उत्तरदायित्व का प्रभाव छोड़ा है। वर्ष 2011–12 के 70.72 करोड़ रुपये के कर पश्चात लाभ (पीएटी) के आधार पर एमएमटीसी के निदेशक मंडल ने सीएसआर तथा दीर्घकालिक विकास पर डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुरूप सीएसआर तथा एसडी बजट का अनुमोदन किया है। आपकी कंपनी की दायित्व गतिविधियों को लोक उद्यम विभाग तथा आर्थिक एवं दीर्घकालिक सामाजिक विकास को बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित ''मिलेनियम विकास लक्ष्य'' द्वारा निर्धारित सीएसआर दिशा निर्देशों के अनुरूप परिचालित किया गया है। वर्ष 2012–13 के दौरान सीएसआर तथा एसडी गतिविधियों पर एमएमटीसी द्वारा क्रमशः 1.97 करोड़ रुपये तथा 0.35 करोड़ रुपये व्यय किए गए।

एसडी गतिविधियों के अंतर्गत आपकी कंपनी का प्रमुख क्षेत्र ऊर्जा संरक्षण तथा प्रबंधन है। कारपोरेट कार्यालय का ''ऊर्जा आडिट'' एनर्जी एफीशैंसी सर्विसिज़ लिमिटेड द्वारा किया गया। विभिन्न ऊर्जा कुशल उपायों को चरणबद्ध रूप से आरंभ किया जाएगा। इसके अतिरिक्त वर्ष के दौरान सीएसआर कार्यकलापों के प्रभाव के आकलन के लिए एमएमटीसी ने तृतीय पार्टी से मूल्यांकन करवाया है। बाहरी सहायता से सीएसआर/एसडी पहलों की भावी योजनाएं बनाई जाएंगी जो अगले दस वर्षो तक एमएमटीसी की सीएसआर/एसडी

कार्यकलापों का मार्गदर्शन करेंगी।

कारपोरेट गवर्नेंस

कारपोरेट गवर्नेंस न केवल सरकार तथा व्यापार के लिए ही महत्वपूर्ण है अपितु उन सबके लिए भी है जो निवेशकों, निदेशकों, कर्मचारियों,सप्लायरों,ग्राहकों और आम आदमी के रूप में संगठन से प्रभावित होते हैं। अपने व्यवहार तथा व्यापार के नीतिपरक आचार को प्रोन्नत करने के लिए देश के कानूनों एवं विनियमों के अनुपालन में पारदर्शिता को सुनिश्चित करना ही निगम की फिलॉस्फी है। कारपोरेट गवर्नेंस ढांचे को और मजबूत बनाने के लिए आंतरिक नियंत्रणों को मजबूत बनाया गया है तथा कड़े मानदंडों तथा संगठनात्मक प्रकटन मानकों को अपनाने के लिए और अधिक पारदर्शिता के दिशा निर्देश बनाए गए हैं। लागू दिशा निर्देशों के अनुसार प्रशासनिक मंत्रालय के साथ–साथ स्टॉक एक्सचेंज प्राधिकारियों को कारपोरेट गवर्नेंस के लिए त्रैमासिक रिपोर्ट प्रेषित की जाती है। कारपोरेट अफयेर्स मंत्रालय (एमसीए) द्वारा उठाए गए 'ग्रीन इनीशिएटिवस'का आपकी कंपनी सक्रियता से समर्थन करती है तथा आपकी कंपनी के रजिस्ट्रार तथा ट्रांसफर एजेंट(आरटीए) डिपाजिटरी पार्टीसिपैंट के पास जिन शेयरधारकों के ई–मेल पते पंजीकृत हैं तथा जिन्होंने फिजीकल रूप से वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त न करने का विकल्प लिया है उन्हें एजीएम नोटिस सहित वार्षिक रिपोर्ट की डिलीवरी इलैक्ट्रानिक रूप से की जाती है। मैं आशा करता हूँ कि हरित वातावरण के प्रति हमारे योगदान के प्रयास को आापका संपूर्ण सहयोग मिलेगा।

सहायक कंपनी

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई, एमएमटीसी के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी ने वर्ष 2012–13 के दौरान 600 मिलियन अमरीकी डालर का बिजनैस टर्नओवर प्राप्त किया। वर्ष 2012–13 के दौरान एमटीपीएल द्वारा 2.1 मिलियन अमरीकी डालर का कर पश्चात लाभ अर्जित किया। 31 मार्च 2013 को एमटीपीएल की नैटवर्थ 15.45 मिलियन अमरीकी डालर की थी। आपकी कंपनी द्वारा किए गए 1 मिलियन अमरीकी डालर की पूंजी के योगदान के प्रति एमटीपीएल ने अब तक 15.04 मिलियन अमरीकी डालर के कुल लाभांश का भुगतान किया है। इसके अतिरिक्त अपने उद्भव से अब तक अपनी नेटवर्थ में इसने 15 गुना वृद्धि भी की है।

वित वर्ष 2000 से अब तक एमटीपीएल को अन्तर्राष्ट्रीय एंटरप्राईज, सिंगापुर से निरंतर प्रतिष्ठित 'ग्लोबल ट्रेडर प्रोग्राम'(जीटीपी) स्टेटस प्राप्त हो रहा है।

एमएमटीसी द्वारा प्रोन्नत परियोजना – नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड

जैसा कि आपको विदित है एक लौह व इस्पात संयंत्र ''नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड'' (एनआईएनएल), को लौह अयस्क खनन लीज़ प्रदान की गई है। बेसिक आक्सीजन फर्नेस, आक्सीजन संयंत्र तथा एसएमएस के साथ इस्पात उत्पादन के लिए परियोजना का द्वितीय चरण वर्ष 2011–12 के दौरान प्राप्त 1939.117 करोड़ रुपये के कुल टर्न ओवर की तुलना में वर्ष 2012–13 के दौरान एनआईएनएल ने 1625.61 करोड़ रुपये का बिक्री टर्नओवर प्राप्त किया जिसमें 265.70 करोड़ रुपये के पिग आयरन का निर्यात, 868.07 करोड़ रुपये के पिग आयरन की घरेलू बिक्री तथा 240.02 करोड़ रुपये मूल्य के बीएफ कोक शामिल है। इस्पात बनाने की सुविधा की स्थापना एवं स्थिरीकरण तथा संभवतः चालू वर्ष के अंत में लौह अयस्क के खनन आरंभ होने से एनआईएनएल के निष्पादन में और सुधार की आशा है। वित वर्ष 2012–13 में निर्यात किए गए चार पोतों की तुलना में वर्तमान वित वर्ष के प्रथम पांच महीनों में हमने पिग–आयरन के सात पोतों के निर्यात हेतु संविदाएं की हैं।

दूरदर्शिता(विजन) के साथ

मुक्त बाजार वातावरण में नये अवसरों का लाभ उठाने के लिए आपकी कंपनी ने पीपीपी माडल अपनाया है जिसके अंतर्गत अनेक संयुक्त उपक्रमों को प्रोन्नत किया है। इसमें आईसीईएक्स नाम से कमोडिटी एक्सचेंज, करेंसी फयूचर्स में इक्विटी निवेश के लिए संयुक्त उपक्रमों में भागीदारी शामिल है। एमएमटीसी पैम्प इंडिया लिमिटेड – एक संयुक्त उपक्रम कंपनी में महत्वपूर्ण भाग के रूप में स्वर्ण रिफायनरी सहित स्वर्ण/चांदी मडालियन विनिर्माण इकाई की स्थापना के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय उत्पादक के साथ आपकी कंपनी ने भागीदारी की है। तैयार(फिनिश्ड) आभूषणों के प्रभावी विपणन हेतु आपकी कंपनी ने एमएमटीसी–गीतांजलि प्राइवेट लिमिटेड को प्रोन्नत किया है ताकि मडालियन, आभूषण तथा स्वयं उत्पादित ब्रांड ''सॉची'' सिल्वेयरवेयर के लिए भारत के विभिन्न शहरों में खुदरा स्टोर्स की श्रृंखला उपलब्ध हो सके।

दोतरफा व्यापार की प्रोन्नति हेतु आपकी कंपनी द्वारा आईएलएंडएफएस के साथ मिलकर प्रोन्नत एसपीवी को विशेष आर्थिक जोन की तर्ज पर हल्दिया तथा कांडला में मुक्त व्यापार तथा वेयर हाउसिंग जोन स्थापित करने के लिए भूमि का आबंटन किया गया है। व्यापार की प्रोन्नति के लिए इन क्षेत्रों को विकसित करने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

एन्नोर बंदरगाह पर लौह अयस्क के लिए लोडिंग सुविधा सहित स्थायी बर्थ स्थापित करने के लिए आपकी कंपनी ने सिकाल तथा एल एंड टी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, दोनों के साथ मिलकर सिकाल आयरन ओर टार्मिनल लिमिटेड को प्रोन्नत किया है। अक्तूबर 2010 से बर्थ प्रचालन के लिए तैयार है। परन्तु कर्नाटक मूल के लौह अयस्क निर्यातकों पर प्रतिबंध से लौह अयस्क की अनुपलब्धता के कारण अभी भी टार्मिनल परिचालन में नहीं आ सका है। लौह अयस्क लोडिंग की सुविधा को कोयले की अनलोडिंग की सुविधा में बदलने के लिए सरकार के अनुमोदन हेतु निवेदन किया जा रहा है। उभरती अर्थव्यवस्थाओं की विकास दर में कमी तथा गंभीर मंदी जैसी परिस्थितियों के बावजूद हमारा पूर्वानुमान है कि आने वाला समय और भी कठिन हो सकता है परन्तु ये परिस्थितियां नए अवसर भी प्रदान करती है। केवल लोचशीलता तथा अनुकूलन द्वारा ही हम इन परिवर्तनों के प्रबंधन की प्रक्रिया से प्रभावी रूप से निबट सकते हैं। अर्थात एक ओर उद्यम की प्रबंधकीय प्रेक्टिस तथा दूसरी ओर इनके अनुपालन हेतु विजनरी वचनबद्धताएँ हैं, और हम इन्हीं का अनुसरण कर रहे हैं। आपकी कंपनी को झारखण्ड में एक कोयला खदान आबंटित किया गया है जिसके 251.18 मिलियन टन के अनुमानित रिजर्व हैं और इसकी श्रेणी वर्गीकरण सहित सत्यापित है। इसके लिए संबंधित प्राधिकारियों द्वारा संभावित लाइसेंस जारी किया गया है तथा पूर्व संभाव्यता स्टडी पूरी हो चुकी है। भारत सरकार के मानदण्डों के अनुरूप ड्रिलिंग तथा अन्वेषण कार्य अप्रैल 2013 में समाप्त हो चुका है तथा अंतिम भूसर्वेक्षण रिपोर्ट बनाई गई है। उक्त कोयला ब्लॉक से कोयले के संयुक्त खनन हेतु आपकी कंपनी ने मैसर्स सिंगारिनी कॉयलरीज लिमिटेड(भारत सरकार का उद्यम) के साथ एमओयू हस्तांतरिक किया है।

मैं आशा करता हूँ कि एमएमटीसी के प्रति अपरिमित विश्वास तथा गुडविल की स्वर्णिम आभा से आपकी कंपनी असंभव को भी संभव बना देगी क्योंकि हम यह मानते हैं कि प्रत्येक नई चुनौती से चहुँओर विकास की अपरिमित संभावनाओं के नये आयाम प्राप्त होते हैं।

आभार

मैं इस अवसर पर सभी शेयर धारकों का, निदेशक मंडल और प्रबंधन में निरंतर विश्वास बनाए रखने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं अपने सभी वेंडरों, ग्राहकों और व्यवसाय सहयोगियों को कंपनी के विकास और बढ़ोत्तरी में सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूँ। अंत में, मैं अपने सभी स्टेकहोल्डर्स, सरकार, मुख्यतः वाणिज्य विभाग, रेलवे, पोर्ट तथा सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों आदि को संगठन की गतिविधियों के सफलतापूर्वक संचालन में सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूँ।

(डी एस ढेसी)
अध्यक्ष व प्रबंधक निदेशक
30 सितम्बर, 2013

एमएमटीसी
लि मि टे ड
MMTC
LIMITED
भारत सरकार का उपक्रम
A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE

एमएमटीसी लिमिटेड
MMTC LIMITED
भारत सरकार का उपक्रम
A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE
touching lives, adding value

निदेशक मंडल

विजयलक्ष्मी जोशी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
05.10.12 तक

डी.एस.ढेसी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
08.10.12 से

सरकार द्वारा नामित निदेशक

डॉ० राजन कटोच
22.05.12 तक

मधुसूदन प्रसाद

अनिता अग्निहोत्री
22.05.12 से

फंक्शनल निदेशक

सुनीर खुराना
निदेशक (विपणन)
18.09.2012 तक

वेद प्रकाश
निदेशक (विपणन)

राजीव जयदेव
निदेशक (कार्मिक)

एम.जी.गुप्ता
निदेशक (वित्त)

आनंद त्रिवेदी
निदेशक (विपणन)
03.07.12 से

पी. के. जैन
निदेशक (विपणन)
15.05.13 से

स्वतंत्र निदेशक

अनील बैजल
11.06.12 तक

अरुणा माखन
14.06.12 तक

एच. एल. जुत्शी
11.06.12 तक

अनील राजदान

जी. एस. वेदी

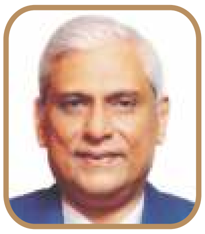

अरुण बालाकृष्णनन

अरविंद कालरा
01.04.13 से

राणा सोम
17.04.13 से

एन. बाला भास्कर
22.04.13 से

सुभाष पाणी
07.05.13 से

एस. आर. तायल
09.07.13 से

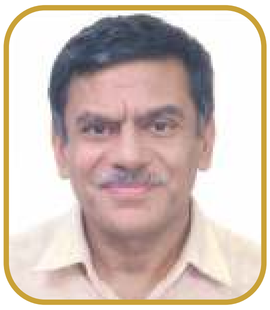

ए. के. गुप्ता
मुख्य सतर्कता अधिकारी
21.02.13 से

डी. एस. गंगवार
मुख्य सतर्कता अधिकारी
14.10.12 तक

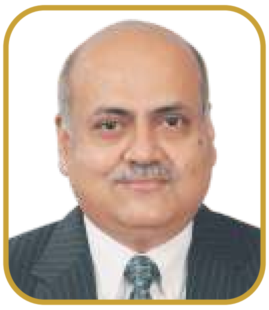

आशिष मजूमदार

प्रीति कौर
30.04.13 तक

अशोक शर्मा
30.09.12 तक

विलियम सल्दाना
31.08.12 तक

राजीव चोपड़ा
01.01.13 तक

विजय पाल

पी. के. दास

अश्विनी सोंधी

जे. किशन

उमेश शर्मा

एम. त्यागराजन
31.03.13 तक

मनोहर बलवानी
(कंपनी सचिव)
10.04.13 तक

एमएमटीसी लिमिटेड
MMTC LIMITED
भारत सरकार का उपक्रम
A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE
touching lives, adding value

निदेशकों की रिपोर्ट

सदस्यगण,
एमएमटीसी लिमिटेड,
नई दिल्ली

निदेशक मंडल की ओर से आपकी कंपनी की 31 मार्च, 2013को समाप्त वित्तीय वर्ष के कार्यनिष्पादन की 50वीं वार्षिक रिपोर्ट जिसमें अंकेक्षित लेखा विवरण तथा सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट शामिल है, प्रस्तुत करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है।

परिचालन परिणाम

आपकी कंपनी, भारत की व्यापारिक कंपनियों में प्रथम स्थान पर है जिसने गत वर्ष के 659291.1 मिलियन रूपये के कुल कारोबार की तुलना में वर्ष 2012–13 के दौरान 284156.2 मिलियन रुपये का कुल कारोबार दर्ज किया है। इस कुल व्यापार में 29295.4 मिलियन रुपये का निर्यात, 209544.1 मिलियन रुपये का आयात तथा 44816.7 मिलियन रुपये का घरेलू व्यापार शामिल है। अन्य व्यापार आय में 1837.9 मिलियन रुपये की राशि का योगदान शामिल है। आपकी कंपनी द्वारा अर्जित व्यापारिक लाभ गत वर्ष के 2766.1 मिलियन रुपये की तुलना में 2997.5 मिलियन रुपये रहा। हैदराबाद तथा चैन्ने, क्षेत्रीय कार्यालयों के बुलियन व्यापार से संबंधित असाधारण मदों के 2443.6 मिलियन रुपये के संबंध में किए गए प्रावधानों के कारण वर्ष के दौरान निगम को 706.2 मिलियन रुपये की सकल हानि हुई।

वर्ष 2012–13 के दौरान कंपनी के कार्यनिष्पादन की विशेषताएं निम्नानुसार हैं :

(रुपये मिलियन में)

	2011-12	2012-13
निवल बिक्री / व्यापार अर्जन	663,248.84	**285,983.59**
बिक्री की लागत	660482.70	**282,986.11**
व्यापारिक लाभ	2766.14	**2,997.48**
जोड़ें : लाभांश एवं अन्य आय	811.94	**382.58**
घटाएं : स्थापना व प्रशासनिक उपरी व्यय तथा असाधारण मदें आदि	2364.59	**2639.80**
घटाएं : ऋण / बट्टे खाते में	1.35	**0.70**
घटाएं: संदिग्ध ऋणों / दावों / अग्रिमों निवेषों के लिए प्रावधान	133.11	**62.53**
ब्याज, मूल्यह्रास पूर्वावधि व कर पूर्व लाभ	1,079.03	**677.03**
जोड़े: अर्जित ब्याज (निवल)		
पूर्वावधि मूल्यह्रास व कर पूर्व लाभ	693.92	**601.81**
मूल्यह्रास, पूर्वावधि तथा कर पूर्व लाभ	1,772.15	**1278.84**
घटाएं: मूल्यह्रास	120.03	**119.70**
घटाएं: पूर्वावधि समायोजन	(109.26)	**(6.12)**
कर तथा असाधारण मदों पूर्व लाभ	1,762.18	**1165.26**
घटाएं: असाधारण मदें	1,002.05	**2,443.64**
घटाएं: चालू करों के लिए प्रावधान	432.41	**167.14**
घटाएं: आस्थगित करों के लिए प्रावधान	(379.47)	**(739.28)**
कर पश्चात लाभ	707.19	**(706.24)**
जोड़े: पूर्व वर्ष से आगे लाया गया **शेष**	6,915.56	**7,257.19**
जिसे निदेशक ने निम्नानुसार नियोजित किया है		
(I) प्रस्तावित लाभांश	250.00	**100.00**
(II) लाभांश कर	40.56	**-**
(III) सामान्य रिजर्व	75.00	**-**
(IV) टिकाऊ विकास रिजर्व	-	**2.11**
(V) कारपोरेट सामाजिक दायित्व रिजर्व	-	**4.36**
योग		
आगे ले जाने के लिए छोड़ा गया शेष	7,257.19	**6444.48**

आपकी कंपनी के विभिन्न व्यवसाय समूहों का कार्य निष्पादन प्रबंधन परिचर्चा तथा विश्लेषण रिपोर्ट में दर्शाया गया है जो यहां संलग्न है और इस रिपोर्ट का एक अंग है।

पुरस्कार एवं रैंकिंग

वर्ष 2012–13 के दौरान आपकी कंपनी को निम्नलिखित पुरस्कार एवं रैंकिंग प्रदान की गई :

सीएसआर के क्षेत्र में संगठनों द्वारा किए गए योगदान की पहचान हेतु ''दि वर्ल्ड सीएसआर कांग्रेस'' द्वारा एमएमटीसी को मोस्ट केयरिंग कंपनीज़ आफ इंडिया का पुरस्कार दिया गया।

ईईपीसी (नेशनल अवार्ड) द्वारा बेसिक लौह एवं इस्पात (बड़े उद्यम) उत्पाद समूह में वर्ष 2011–12 के लिए स्टार परफार्मस अवार्ड।

वर्ष 2010–11 के लिए सबसे बड़े निर्यातक, ईईपीसी इंडिया(एन आर) द्वारा सिल्वर ट्राफी, मध्यम उद्यम।

तमिल चैम्बर आफ कामर्स, चैन्ने द्वारा वर्ष 2011–12 के लिए आयात वर्ष में टीसीसी एग्जिम अवार्ड (द्वितीय पोजीशन)

सकल बिक्री आधार पर वर्ष 2012 में 11वां रैंक तथा दिनांक 23 दिसम्बर 2012 के बिजनेस इंडिया में प्रकाशित बिजनेस इंडिया की सुपर 100 रैंकिंग द्वारा मार्किट कैपिटलाईजेशन के लिए 14वॉं रैंक।

इक्विटी शेयर पूंजी तथा लाभांश

निदेशक मंडल ने कंपनी की 1000 मिलियन रुपये की इक्विटी पूंजी पर वर्ष 2012–13 के लिए 10 प्रतिशत लाभांश घोषित करने की सिफारिश की है।

सरकार द्वारा विनिवेश

सूचीबद्व कंपनियों में न्यूनतम पब्लिक शेयरहोल्डिंग आवश्यकता पर सेबी के दिशानिर्देशों के अनुरूप भारत सरकार आपकी कंपनी के प्रवर्तक तथा जिसकी कुल इक्विटी केपिटल की शेयरधारिता दिनांक 31.3.2013 को 99.33 प्रतिशत थी, ने इस संबंध में सेबी के दिशानिर्देशों के अनुरूप स्टॉक एक्सचेंज मकेनिज्म द्वारा 9.33 प्रतिशत शेयरों का 'आफर फार सेल' द्वारा विनिवेश किया। उक्त ओएफएस को सरकार द्वारा दिनांक 13 जून 2013 को स्टॉक एक्सचेंज के एनएसई एव बीएसई प्लेटफार्म द्वारा जारी किया

गया। इससे आपकी कंपनी की कुल प्रदत्त इक्विटी में सरकार की इक्विटी 90 प्रतिशत रह गई।

रिजर्व

दिनांक 1.4.2012 को आपकी कंपनी के रिजर्व व अधिशेष में 13214.01 मिलियन रुपये की राशि उपलब्ध थी। कंपनी के निदेशकों ने निगम के पूर्व संचित लाभ से 10 प्रतिशत की दर से लाभांश के भुगतान का प्रस्ताव किया है। तदनुसार दिनांक 31 मार्च 2013 को आपकी कंपनी के रिजर्व व अधिशेष में 12407.78 मिलियन रूपये उपलब्ध होंगे।

विदेशी मुद्रा अर्जन तथा बहिर्गमन

वर्ष 2012–13 के दौरान आपकी कंपनी के विदेशी मुद्रा अर्जन तथा बहिर्गमन का विवरण नीचे दिया जा रहा है :

	अर्जन		बहिर्गमन
	मिलियन रुपये		मिलियन रुपये
निर्यात	29792.32	आयात	201656.19
अन्य	214.35	ब्याज	773.99
		अन्य	915.41
कुल	30,006.67	कुल	203,345.59

सहायक कम्पनी

आपकी कम्पनी की, पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी – एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर (एमटीपीएल) को सिंगापुर कानून के तहत अक्तूबर, 1994 में 1 मिलियन अमेरिकी डालर की शेयर पूंजी के साथ निगमित किया गया था। वर्ष 2012–13 के दौरान एमटीपीएल ने 600 मिलियन अमेरिकी डालर का कारोबार किया है। वर्ष 2012–13 के दौरान एमटीपीएल ने 2.11 मिलियन अमेरिकी डालर का कर पश्चात लाभ अर्जित किया। 31 मार्च, 2013 को एमटीपीएल का नेटवर्थ 15.45 मिलियन अमेरिकी डालर था। आपकी कंपनी द्वारा निवेश की गई 1 मिलियन अमेरिकी डालर की पूंजी की तुलना में एमटीपीएल 15.04 मिलियन अमेरिकी डालर की राशि लाभांश के रूप में भुगतान कर चुकी है।

इंटरनेशनल इंटरप्राइज, सिंगापुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2000 से प्रदान किए गए "ग्लोबल ट्रेडर प्रोग्राम" प्रतिष्ठित दर्जे (जीटीपी) को एमटीपीएल अभी तक कायम किए हुए है।

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 212 के प्रावधानों के अनुसरण में एमटीपीएल के अंकेक्षित वित्तीय विवरण तथा निदेशकों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट संलग्न है।

एमएमटीसी द्वारा प्रोन्नत प्रोजेक्ट – नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड(एनआईएनएल)

आपकी कंपनी ने उड़ीसा सरकार के साथ मिलकर 1.1 मिलियन टन वार्षिक क्षमता वाला आयरन एंड स्टील प्लांट, 0.8 मिलियन टन कोक ओवेंन तथा कैप्टिव पावर प्लांट की सह उत्पाद यूनिट का नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड(एनआईएनएल) प्रोजेक्ट स्थापित किया है। प्रोजेक्ट को आयरन ओर की आपूर्ति किए जाने के लिए अनुमानित 110 मिलियन टन रिजर्व आयरन ओर के खनन के लीज अधिकार प्राप्त है। बेसिक आक्सीजन फर्नेस, आक्सीजन संयंत्र तथा एसएमएस के साथ–साथ इस्पात उत्पादन के लिए प्रोजेक्ट के फेस–2 को मार्च 2013 में स्थापित कर दिया गया है तथा स्टील बिलेट्स का उत्पादन भी आरंभ हो चुका है। वर्ष 2011–12 के दौरान किए गए 19391.17 मिलियन रुपये के कुल व्यापार की तुलना में वर्ष 2012–13 के दौरान एनआईएनएल का बिक्री कारोबार 16256.1 मिलियन रुपये का हुआ जिसमें 2657.0 मिलियन रुपये का पिग आयरन का निर्यात, 8680.7 मिलियन रुपये मूल्य की पिग आयरन की घरेलू बिक्री तथा 2400.2 मिलियन मूल्य की बीएफ कोक की बिक्री शामिल है। वर्तमान वर्ष के अंतिम भाग के दौरान इस्पात बनाने की सुविधा की स्थापना तथा स्थायीकरण तथा लौह अयस्क के खनन आरंभ हो जाने से एनआईएनएल के निष्पादन में सुधार की आशा है। वित वर्ष 2012–13 में पिग आयरन के 4 पोतों के निर्यात की तुलना में वर्तमान वित वर्ष के पहले पांच महीनों में पिग आयरन के 7 पोतों के निर्यात के लिए हमने करारों को अंतिम रूप दिया है।

प्रोजेक्ट्स / संयुक्त उद्यम

मुक्त बाजार व्यवस्था में उभरते नये अवसरों का लाभ उठाने तथा नये व्यापार क्षेत्र से जुड़ने के लिए आपकी कंपनी ने पब्लिक प्राइवेट साझेदारी के माध्यम से कुछ संयुक्त उद्यमों को प्रोन्नत किया है। इन मूल्य संवर्धक पहलों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है।:–

(1) आपकी कंपनी ने ''इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड '' के नाम व स्टाइल के तहत एक कमोडिटी एक्सचेंज प्रोन्नत किया है जिसने नवंबर 2009 से कार्य करना आरंभ कर दिया है। इस एक्सचेंज ने वर्ष 2011–12 के दौरान 255.61 मिलियन रूपये की निवल हानि की तुलना में वर्ष 2012–13 में 102.6 मिलियन रूपये की निवल हानि दर्ज की है।

(2) आपकी कंपनी ने 'यूनाईटेड स्टॉक एक्सचेंज आफ इंडिया लिमिटेड' के नाम एवं स्टाईल के अधीन करेंसी फयूचर्स एक्सचेंज की इक्विटी में भागीदारी की है। सितम्बर 2010 में प्रचालन आरंभ करने वाले उक्त एक्सचेंज ने वर्ष 2011–12 के दौरान हुई 47.1 मिलियन रूपये की हानि की तुलना में वर्ष 2012–13 के दौरान 4.6 मिलियन रुपये का लाभ अर्जित किया है।

(3) आपकी कंपनी ने एक अंतर्राष्ट्रीय उत्पादक के साथ मिलकर गोल्ड / सिल्वर मेडालियन निर्माण यूनिट स्थापित करने के लिए संयुक्त उदयम में हिस्सेदारी की है जिसमें ''एमएमटीसी–पैम्प इंडिया प्राइवेट लिमिटेड'' के नाम व स्टाइल से एक गोल्ड रिफाइनरी भी शामिल है जो इसका एक अभिन्न अंग होगी। उक्त मडालियन निर्माण यूनिट जिसने अप्रैल 2011 में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया था, ने वर्ष 2011–12 के दौरान हुई 220.5 मिलियन रूपये की हानि की तुलना में वर्ष 2012–13 के दौरान 378.48 मिलियन रुपये का सकल लाभ अर्जित किया है।

(4) उपर्युक्त यूनिट में तैयार होने वाले उत्पादों तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त आभूषणों की प्रभावी मार्किटिंग हेतु आपकी कंपनी एक प्रमुख भारतीय कंपनी के साथ साझेदारी मे भारत में विभिन्न स्थानों पर मेडालियंस, स्वर्ण आभूषणों तथा इसके अपने 'सांची' ब्रांड के सिल्वरवेयर्स की बिक्री के लिए रिटेल स्टोर्स की श्रृंखला स्थापित कर रही है। इसके लिए 'एमएमटीसी–गीतांजलि प्राइवेट लिमिटेड' नाम एवं स्टाइल के तहत एक संयुक्त उद्यम को प्रोन्नत किया गया है वर्तमान में जिसके आठ आउटलैटस कार्यरत हैं। एमएमटीसी गीतांजलि प्राइवेट लिमिटेड ने वर्ष 2011–12 के दौरान 1.2 मिलियन रुपये की तुलना में वर्ष 2012–13 में 3.52 मिलियन रुपये का सकल लाभ अर्जित किया है।

(5) आपकी कंपनी ने सिकाल और एल एंड टी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के साथ मिलकर मेसर्स सिकाल आयरन ओर टर्मिनल्स लिमिटेड(एसआईओटीएल) नाम व स्टाइल के अंतर्गत एन्नौर पोर्ट पर लौह अयस्क लोडिंग सुविधा युक्त बर्थ स्थापित की है। निर्यात के लिए लौह अयस्क की अनुपलब्धता के कारण एसआईओटीएल का वाणिज्यिक प्रचालन आरंभ नहीं हो सका। एन्नोर पोर्ट अथारिटीज के साथ संयुक्त उद्यम कंपनी बातचीत कर रही है कि तमिलनाडू में ताप ऊर्जा संयंत्रों (थर्मल पावर प्लांटस) की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए इस सुविधा को लौह अयस्क की अपेक्षा कोयला डिस्चार्ज हैडलिंग के लिए रुपांतरित कर दिया जाए।

(6) आपकी कंपनी ने नोबल ग्रुप लिमिटेड तथा गैमन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टस लिमिटेड के साथ मिलकर मैसर्स ब्लू वाटर आयरन ओर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड नाम एवं स्टाईल के अधीन पारादीप बंदरगाह (उड़ीसा) पर एक डीप ड्राफट आयरन ओर लोडिंग बर्थ के विकास के लिए भागीदारी की है। आवश्यक क्लियरेंस, लौह अयस्क निर्यात व्यापार परिदृश्य में परिवर्तन, लौह अयस्क के खनन पर राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों, पारादीप बंदरगाह ट्रस्ट द्वारा छूट देने में इनकार आदि के कारण हुए अत्याधिक विलंब के कारण परियोजना के व्यवहार्य न होने को ध्यान में रखते हुए इसका निर्माण कार्य आरंभ नहीं किया।

(7) खनन अन्वेषण में निवेश के लिए आपकी कंपनी ने मैसर्स टाटा स्टील लिमिटेड के साथ मिलकर टी एम माईनिंग लिमिटेड(टीएमएमएल) नाम व स्टाईल के अधीन खनन अन्वेषण तथा समवर्गी कार्यकलापों के लिए एक संयुक्त उद्यम स्थापित किया है जिसने उड़ीसा में मैंगनीज अयस्क के लिए खनन लीज़ का आवेदन किया है। यद्यपि वन तथा खनन विभाग द्वारा एक लीज़ आवेदन अनुमोदित कर दिया गया है जबकि राजस्व विभाग से अभी अनुमोदन लंबित है। राजस्व विभाग से अनुमोदन प्राप्त हो जाने पर इसे उड़ीसा सरकार के खनन विभाग को अग्रेषित किया जायेगा।

(8) दोतरफा व्यापार को प्रोमोट करने के लिए आपकी कंपनी स्पेशल इकॉनामिक ज़ोन की तर्ज पर हल्दिया तथा कांडला में आईएल एंड एफएस के साथ मिलकर फ्री ट्रेड तथा वेयरहाउसिंग जोंन स्थापित कर रही है। व्यापार बढ़ाने के लिए इन क्षेत्रों के विकास के लिए कार्यवाही की जा रही है।

(9) आपकी कंपनी को झारखंड राज्य में एक कोयला ब्लॉक आबंटित किया गया है जिसमें कोयले का लगभग 251.18 मिलियन मी. टन रिजर्व है जो कि प्रूव्ड कैटिगिरी का है। संबंधित अथार्टी द्वारा प्रोसपेक्टिंग लाइसेंस जारी कर दिया गया है तथा पूर्व–व्यावहारिक स्टडी पूरी हो चुकी है। भारत सरकार के मानकों के अनुरूप विस्तृत ड्रिलिंग तथा अन्वेषण कार्य अप्रैल 2013 में पूरा हो चुका है तथा अंतिम भूगर्भीय रिपोर्ट बना ली गई है। उक्त कोयला ब्लॉक से कोयले के संयुक्त खनन के लिए मै0 सिंगरेनी कोलिआरीज लि0 (भारत सरकार का उपक्रम) के साथ आपकी कंपनी ने एक एसओयू भी निष्पादित किया है।

औद्योगिक संबंध तथा मानव संसाधन प्रबंधन

वर्ष के दौरान बिना किसी मानव दिवस की हानि के आपकी कंपनी में औद्योगिक संबंध मैत्रीपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण बने रहे। कंपनी के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए यूनियनों/एसोसिएशनों के साथ नियमित रूप से बैठकें की गईं ताकि मानव संसाधन संबंधी मुद्दों को परस्पर सहमति के आधार पर हल किया जा सके।

दिनांक 31.03.2013 को कंपनी के कार्मिकों की कुल संख्या 1605 थी जिसमें बोर्ड स्तर के 4 कार्यपालकों, 602 अधिकारी, 1003 स्टाफ शामिल थे। इस कर्मचारी संख्या में पूर्ववर्ती माइका ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, जिसका बीआईएफआर के आदेश के अनुसार आपकी कंपनी में विलय हो गया था, के 15 अधिकारी तथा 138 स्टाफ वर्कर है। कुल कर्मचारी संख्या में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 19.31 प्रतिशत (310 महिला कर्मचारी) था तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व शारीरिक रूप से विकलांगों का प्रतिनिधित्व क्रमशः 21.62 प्रतिशत (347 कार्मिक), 8.35 प्रतिशत (134 कार्मिक), 8.53 प्रतिशत (157 कार्मिक) तथा

2.30 प्रतिशत (37 कार्मिक) था। वर्ष के दौरान कैम्पस भर्ती के माध्यम से 19 अधिकारियों की नियुक्ति की गई। भर्ती तथा पदोन्नति में एससी, एसटी, ओबीसी तथा पीडब्ल्यूडी के लिए सेवाओं में आरक्षण संबंधी राष्ट्रपति के अनुदेशों का पूर्णतया अनुपालन किया गया।

निरंतर बदलते व्यावसायिक परिदृश्य में कर्मचारियों की दक्षता में बढ़ोत्तरी/उन्नत करने हेतु वर्ष के दौरान 666 कार्मिकों को कंपनी के विभिन्न कार्यकलापों के बारे में प्रशिक्षण दिया गया। यह प्रशिक्षण कंपनी की अपनी अनुभवी फैकल्टी तथा बाहरी विख्यात संस्थानों/संगठनों द्वारा दिया गया। प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त कर्मचारियों में 127 कर्मचारी अनुसूचित जाति, 50 कर्मचारी अनुसूचित जनजाति, 23 ओबीसी, 9 पीडब्ल्यूडी तथा 149 महिला कर्मचारी शामिल थे। जहां तक मानव दिवस का प्रश्न है वर्ष 2012–13 के दौरान कुल प्रशिक्षण अवधि 2,102 व्यक्ति दिवस रही।

राजभाषा कार्यान्वयन

आपकी कंपनी भारत सरकार की राजभाषा नीति का अनुपालन करने के लिए प्रतिबद्ध है।वर्ष 2012–13 में आपकी कंपनी ने गृह मंत्रालय, भारत सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने और हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के उदेदश्य से अनवरत प्रयास किये हैं। इस उददेश्य की पूर्ति तथा कंपनी के कर्मचारियों द्वारा राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु कारपोरेट कार्यालय तथा सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में हिंदी कार्यशालाओं, हिंदी दिवस/सप्ताह/पखवाड़े का आयोजन किया गया। वर्ष के दौरान संसदीय राजभाषा समिति ने कंपनी के क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद, उप क्षेत्रीय कार्यालय बंगलुरू तथा उप क्षेत्रीय कार्यालय कोच्ची का निरीक्षण किया जहां माननीय समिति ने एमएमटीसी में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के संबंध में बहुमूल्य सुझाव दिए।

सतर्कता

मूल्य आधरित प्रथाओं के माध्यम से कंपनी की साख एवं भरोसे को निरंतर बनाए रखने तथा कंपनी का संचालन पेशेवर ढंग से करने हेतु इसकी स्थिति को मजबूत बनाने, विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा वाला संगठन बनाए रखने की दिशा में आपकी कंपनी के सतर्कता ग्रुप ने निवारक सतर्कता पर विशेष बल दिया। वर्ष के दौरान सतर्कता तथा गैर–सतर्कता अधिकारियों द्वारा नियमित निरीक्षण किए गए तथा प्राप्त फीडबैक के आधार पर सुधारात्मक/निवारक उपाय सुझाए गए। व्यापार संबंधी ड्रिल्स/मैनुअल्स के अद्यतन,ई–टेंडरिंग, के वाई सी मानक, मूल्य मॉनीटरिंग कक्ष का सृजन, सत्यनिष्ठा समझौते को लागू किया

जाना, नीति तथा सतर्कता मैनुअल को तैयार किये जाने संबंधी क्षेत्रों में सुव्यवस्थित ढंग से सुधारात्मक सुझावों पर विशेष बल दिया गया।

आलोच्य वर्ष के दौरान आपकी कंपनी के सतर्कता समूह ने 29 अक्तूबर 2012 से 3 नवम्बर 2012 तक एमएमटीसी के विभिन्न कार्यालयों में 'सतर्कता जागरूकता सप्ताह' का आयोजन किया। इस सप्ताह का मूल विषय (थीम) ''पब्लिक प्रोक्यूरमेंट में पारदर्शिता'' था।

आपकी कंपनी ने बुलियन लेन देन से संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद में कुछ विशेष भूल चूक संबंधी कार्यकलापों के अंतर्गत गत वर्षो से संबंधित देनदारों से वसूली योग्य राशि के तहत 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लेखों में 2285.20 मिलियन रुपये का असाधारण तदर्थ प्रावधान किया है। इस मामले को सीबीआई को संदर्भित किया गया है जिसने दोषी पार्टी, एमएमटीसी के अधिकारियों तथा अज्ञात पब्लिक एवं प्राईवेट व्यक्तियों के विरूद्ध जनवरी 2013 में एक केस दर्ज किया है।

कारपोरेट सामाजिक दायित्व

आपकी कंपनी अपनी स्थापना वर्ष 1963 से ही उन समुदायों का एक सृजनात्मक हिस्सा रही है जिसके बीच इसने काम किया है और अपने दायित्यों को पूरा करते हुए वातावरण, समुदायों, स्टेक होल्डरों तथा समाज को प्रोत्साहित किया है। वर्ष 2011–12 के 707.2 मिलियन रूपये के कर पश्चात लाभ के आधार पर एमएमटीसी के निदेशक मंडल ने सीएसआर तथा टिकाऊ विकास पर डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुरुप सीएसआर तथा एस डी बजट के लिए 21.2 मिलियन रुपये एवं 3.5 मिलियन रुपये क्रमशः का अनुमोदन किया है। वर्ष 2012–13 के दौरान जहां सीएसआर के अंतर्गत 19.7 मिलियन रुपये मूल्य के प्रोजेक्टस पर कार्य किया गया वहीं टिकाऊ विकास के लिए 3.5 मिलियन रुपये के प्रोजेक्टस पर कार्य किया गया।

एमएमटीसी के टिकाऊ विकास का प्रमुख केन्द्र बिन्दु ऊर्जा संरक्षण तथा प्रबंधन था। एनर्जी एफीशैंसी सर्विसिज़ लिमिटेड द्वारा कारपोरेट कार्यालय की ''ऊर्जा लेखा परीक्षा'' की गई संस्तुतियों पर कार्यान्वयन किया जा रहा है। विभिन्न ऊर्जा कुशल उपायों को चरणों में आरंभ किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त वर्ष के दौरान की गई सीएसआर गतिविधियों के प्रभाव को आंकने के लिए एमएमटीसी ने थर्ड पार्टी मूल्यांकन भी करवाया है। सीएसआर/एसडी अभिक्रम में बाहरी सहायता के साथ भावी योजना बनाई गई है जो अगले दस वर्षो तक एमएमटीसी की सीएसआर/एसडी गतिविधियों की मार्गदर्शक होगी।

कारपोरेट गवर्नेंस

कारपोरेट गवर्नेंस विशेष महत्व का क्षेत्र है जो सरकार तथा व्यापार के लिए ही नहीं अपितु उन सभी के लिए है जो संस्था के साथ किसी न किसी तरह से जुड़े हैं, चाहे वे निवेशक, निदेशक, कर्मचारी,सप्लायर्स, ग्राहक अथवा सामान्यतयाः जनता हो। आपकी कंपनी निरंतर विकास तथा कारपोरेट गवर्नेंस की प्रथाओं को अपनाने तथा उनके समर्पण के प्रति अपनी आस्था को पुनः दोहराती है।

स्टॉक एक्सचेंजों के साथ हुए सूचीकरण समझौते में दिए गए खंड 49 के अनुपालन में कारपोरेट गवर्नेंस संबंधी एक पृथक रिपोर्ट तथा सांविधिक लेखापरीक्षकों का प्रमाणपत्र इस रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं, जो रिपोर्ट के अभिन्न अंग हैं।

आचार संहिता

स्टॉक एक्सचेजों के साथ हुए सूचीकरण समझौते में निहित खंड 49(आई)(डी) के अनुसरण में बोर्ड के सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारियों के संबंध में एक विस्तृत आचार संहिता निर्धारित की गई है तथा इस संहिता को आपकी कंपनी की वेबसाइट पर दिया गया है। एक महाप्रबंधक(निलंबनाधीन) को छोड़कर बोर्ड के सभी सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारियों जो दिनांक 31 मार्च, 2013 को कंपनी के नियमित रोल्स पर थे और जिन पर यह संहिता लागू होती है, ने 31 मार्च 2013 को समाप्त अवधि के लिए संहिता के अनुपालन के लिए वचनबद्धता प्रकट की है।

व्यापार दायित्व रिपोर्ट

सेबी के दिशा निर्देशों तथा स्टॉक एक्सचेंजों के साथ लिस्टिंग एग्रीमैंट की धारा 55 के प्रावधानों के अनुरूप बीएसई द्वारा उपलब्ध करवाई गई 100 प्रमुख कंपनियों की सूची के आधार पर आपकी कंपनी ने वर्ष 2012–13 की वार्षिक रिपोर्ट में शामिल करने के लिए व्यापार दायित्व रिपोर्ट तैयार की है। निगम की कारपोरेट सामाजिक दायित्व तथा टिकाऊ विकास गतिविधियों से संबंधित पर्यावरण, सामाजिक तथा गवर्नेंस मापदंडों के आकलन हेतु सेबी द्वारा सुझाए गए फ्रेमवर्क तथा सिद्वांतों का अनुसरण किया गया है। आपकी कंपनी की सर्वप्रथम व्यापार दायित्व रिपोर्ट संलग्न है तथा यह वार्षिक रिपोर्ट का अंग है।

सार्वजनिक जमा योजना

दिनांक 1 अप्रैल, 2013 को कोई भी सार्वजनिक जमा राशि बकाया नहीं थी तथा कंपनी ने 31 मार्च, 2013 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान कोई भी सार्वजनिक जमा राशि आमंत्रित/स्वीकार नहीं की।

सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

वर्ष 2012–13 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के साथ–साथ सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों के प्रति प्रबंध

तंत्र के उत्तर संलग्न है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

दिनांक 31.03.2013 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत कंपनी के लेखों के बारे में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) की टिप्पणियों के साथ–साथ प्रबंध तंत्र के उत्तर संलग्न है।

ऊर्जा संरक्षण

आपकी कंपनी के माइका ग्रुप का वर्ष 2012–13 के दौरान किसी भी प्रकार का परिचालन कार्य नहीं हुआ। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(प)(ई) के अनुसरण में ऊर्जा संरक्षण का विवरण इस रिपोर्ट में संलग्न है।

कर्मचारियों के विवरण

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(2ए) के साथ पठनीय कंपनी (कर्मचारी विवरण) नियम, 1975 समय–समय पर यथासंशोधित के अनुसरण में ऐसा कोई कर्मचारी नहीं था जिसे वर्ष 2012–13 के दौरान 60 लाख रुपये से अधिक वर्षभर में अथवा 5 लाख रुपये प्रतिमाह की राशि पारिश्रमिक के तौर पर प्राप्त हुई है।

निदेशकों के दायित्वों का विवरण

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(2एए) के प्रावधानों के अनुसरण में आपके निदेशकों का कथन है:–

(1) कि वार्षिक लेखों को तैयार करते समय मान्य लेखा मानकों का पालन किया गया है और सामग्री निर्गम से संबंधित उचित विवरण प्रस्तुत किये गये हैं।

(2) कि निदेशकों ने उन लेखा नीतियों का चयन किया तथा उन्हें निरंतर अपनाया और ऐसे निर्णय व आकलन किए जो वित्त वर्ष के लिए कंपनी के कार्यकलापों तथा दिनांक 31.3.2013 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी की हानि की सत्य व सही स्थिति दर्शाने के लिए उचित एवं विवेकपूर्ण हैं।

(3) कि कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा हेतु तथा धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताएं रोकने तथा उनका पता लगाने के संबंध में लेखों का समुचित रिकार्ड रखने के लिए निदेशकों ने उचित एवं पर्याप्त ध्यान दिया।

(4) कि निदेशकों ने वार्षिक लेखों को प्रचलित प्रथाओ के आधार पर तैयार किया है।

निदेशक मंडल

दिनांक 1 अप्रैल 2012 से निदेशक मंडल में निम्नलिखित परिवर्तन हुए :–

श्री डी एस ढेसी, अपर सचिव, वाणिज्य व उद्योग विभाग ने दिनांक 8 अक्तूबर 2012 को अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त पदभार ग्रहण किया।

श्रीमती विजयलक्ष्मी जोशी, अपर सचिव, वाणिज्य व उद्योग विभाग ने दिनांक 5 अक्तूबर 2012 को सीएमडी का अतिरिक्त पदभार छोड़ा।

डा. राजन कटोच, एएसएंडएफए, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने दिनांक 22 मई 2012 को एमएमटीसी के निदेशक मंडल से अंशकालिक निदेशक का पदभार छोड़ा।

श्रीमती अनिता अग्निहोत्री, एएसएंडएफए, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने दिनांक 22 मई 2012 को एमएमटीसी के निदेशक मंडल में डा. राजन कटोच के स्थान पर अंशकालिक निदेशक का पदभार ग्रहण किया।

श्री अनिल बैजल ने दिनांक 11 जून 2012 को अंशकालिक

नॉन आफिशियल(स्वतंत्र) निदेशक का पद छोड़ा।

श्रीमती अरूणा माखन ने दिनांक 14 जून 2012 को अंशकालिक नान आफिशियल (स्वतंत्र) निदेशक का पद छोड़ा।

श्री एच एल जुत्शी ने दिनांक 11 जून 2012 को अंशकालिक नान आफिशियल (स्वतंत्र) निदेशक का पद छोड़ा।

श्री आनंद त्रिवेदी ने दिनांक 3 जुलाई 2012 से एमएमटीसी के निदेशक मंडल में निदेशक (विपणन) का पदभार ग्रहण किया।

श्री सूनीर खुराना ने दिनांक 18 सितम्बर 2012 को निदेशक (विपणन) का चार्ज छोड़ दिया।

श्री अरविन्द कालरा ने 1 अप्रेल 2013 से निदेशक मण्डल में पार्ट टाइम नॉन ऑफिसियल (स्वतंत्र) निदेशक के रुप में चार्ज लिया।

श्री राणा सोम ने 17 अप्रेल 2013 से निदेशक मण्डल पार्ट टाइम नॉन ऑफिसियल (स्वतंत्र) निदेशक के रुप में चार्ज लिया।

श्री एन बाल भास्कर ने दिनांक 22 अप्रेल 2013 से निदेशक मण्डल पार्ट टाइम नॉन ऑफिसियल (स्वतंत्र) निदेशक के रुप में चार्ज लिया।

डॉ सुभाष पाणी ने 17 मई 2013 से निदेशक मण्डल पार्ट टाइम नॉन ऑफिसियल (स्वतंत्र) निदेशक के रुप में चार्ज लिया।

श्री पी के जैन ने 15 मई 2013 से निदेशक (विपणन) का पदभार ग्रहण किया।

श्री स्कंद राजन तायल ने 9 जुलाई 2013 से निदेशक मण्डल पार्ट टाइम नॉन ऑफिसियल (स्वतंत्र) निदेशक के रुप में चार्ज लिया।

निदेशक मण्डल श्रीमती विजय लक्ष्मी जोशी, डॉ राजन कटोच, श्री अनिल बैजल, श्री एच एल जुत्शी, श्रीमती अरुणा माकन तथा श्री एस खुराना निदेशक की निदेशक मण्डल तथा इसकी समितियों के सुचारु रुप से काम करने में दी गई बहुमूल्य सेवाओं के लिए प्रशंसा को रिकार्ड में लेता है।

निदेशक मण्डल श्री डी एस ढेसी, श्रीमती अनीता अग्निहोत्री, श्री आन्नद त्रिवेदी , श्री अरविन्द कालरा, श्री राणा सोम, श्री एन बाल भास्कर, डॉ सुभाष पाणी, श्री पी के जैन तथा श्री स्कंद राजन तायल का स्वागत भी करता है और यह व्यक्त करता है कि इनके विस्तृत अनुभव से कम्पनी को भारी लाभ होगा।

निदेशकों की चक्रीय सेवानिवृत्ति के बारे में कम्पनी के आर्टिकल्स ऑफ एशोसिएसन के आर्टिकल 87 (4) (ए) की शर्तों के प्रावधन में, श्री अरुण बाल भास्कर, पार्ट टाइम नॉन ऑफिसियल (स्वतंत्र) निदेशक, श्री एम जी गुप्ता, निदेशक (वित्त), श्री मधुसूदन प्रसाद, पार्ट टाइम निदेशक तथा श्रीमती अनिता अग्निहोत्री, पार्ट टाइम निदेशक वार्षिक आम सभा में सेवा निवृत्त होकर इसके लिए पात्र हो जाने पर स्वयं को पुनः नियुक्त किए जाने के लिए प्रस्तुत करते हैं।

अभिपुष्टि

आपके निदेशक सभी शेयरहोल्डरों/स्टेकहोल्डरों, वाण्ज्यि विभाग, सभी सरकारी एजेन्सी, आरबीआई तथा अन्य बैंक, रेलवे, कस्टम्स, पोर्ट, एनएमडीसी, ग्राहक, आपूर्तिकर्ता तथा अन्य व्यापारिक भागीदारी दवारा वर्ष के दौरान दी गई महत्वपूर्ण सहायता तथा सहयोग के लिए इनकी प्रशंसा की पुष्टि करते हैं। आपके निदेशक कम्पनी के सभी कर्मचारियों के प्रयास तथा परिश्रम का संज्ञान लेते हैं तथा कम्पनी की प्रगति में उनके निरन्तर सहयोग की प्रशंसा करते हैं।

निदेशक मण्डल के आदेश से

ह0/–
(डी एस ढेसी)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दिनांक : 14.08.2013

प्रबंधन परिचर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट 2012–13

वैश्विक व्यापार एवं घटनाक्रम पर एक नजर

वर्ष 2011 के अंत में आरंभ हुई वैश्विक आर्थिक मंदी 2012–13 में पूरे वर्ष जारी रही और चालू वर्ष 2013–14 में भी वही रूझान चल रहा है । पूरे विश्व में समग्र आर्थिक गतिविधियों में आगे और मंदी आई है । विकसित व विकासशील बाजारों की वृद्धि दर में गिरावट आई है क्योंकि वे दबावग्रस्त आर्थिक वातावरण से बाहर निकलने के लिए अभी भी संघर्षरत हैं, सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं नामतः यू एस ई, यू चीन, भारतवर्ष और जापान प्रभावित हैं ।

विश्व वस्तु व्यापार मूल्य दो वर्ष के अंतराल के बाद संकटपूर्व (2008) के स्तर, यू एस डालर 16 ट्रिलियम, को पार कर वर्ष 2011 में यू एस डालर 18.26 ट्रिलियन पहुंच गया । तथापि वर्ष 2012 में विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू टी ओ) के आंकड़ों के अनुसार विश्व व्यापार मात्रा में 2.8 प्रतिशत की तेज गिरावट आई । आई एम एफ के जनवरी 2013 के अनुमान के अनुसार, वर्ष 2013 में विश्व बाजार मात्रा में 3.8 प्रतिशत वृद्धि की संभावना है । जो अक्तूबर 2012 के अनुमान की तुलना में 0.7 प्रतिशत कम है । उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का आयात एवं निर्यात मात्रा वृद्धि दर को फिर भी विकसित अर्थव्यवस्थाओं से उपर आंका गया है।

वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता जिसमें यूरो क्षेत्र में संकट के अंतिम समाधान के विषय में संदेह, जापान में भूकंप के उपरांत पुनर्निर्माण में तेजी लाकर वृद्धि बनाये रखने की चुनौती और चीन के साथ व्यापारिक गतिरोध शामिल हैं। यद्यपि ये गुजरने की प्रकृति वाले हैं फिर भी उभरती व विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ई डी ई) जिसमें भारत भी शामिल है की व्यापारिक वृद्धि दर अपनी छाप छोड़ते आ रहे हैं । फिर भी वर्ष 2012 में वैश्विक वृद्धि और व्यापार में गिरावट और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा विश्व प्रगति में धीमी वृद्धि का अनुमान, विश्व व्यापार के लिए कमजोर और मंद गति से वृद्धि के संकेत करते हैं।

वर्ष 2012–13 के दौरान भारत में हुए घटनाक्रम पर नजर

गत वर्ष के दौरान भारत की वृद्धि दर भी घटकर 5प्र हो गई है और बढ़ता हुआ चालू खाता घाटा यू एस डालर की तुलना में भारतीय रूपये की ओर भी दबाव बना रहा है । एक डालर की तुलना में भारतीय रूपये का मूल्य 3 मई, 2013 को 53.74 था जो 3 जून, 2013 को गिरकर 56.45 हो गया और बाद में 6 अगस्त 2013 को अब तक के निम्नतम स्तर 61.81 पर पहुंच गया । इस तरह की तेज गिरावट से भारत के आयात पर बुरा प्रभाव पड़ने की प्रत्याशा

है। गिरते हुए विकास दर ने व्यापारिक क्षेत्र को बुरी तरह प्रभावित किया है जिससे पण्य वस्तुओं की मांग में कमी आई है और इस प्रकार व्यापरिक एवं निर्माता कंपनियों का कुल कारोबर तथा लाभ प्रभावित हुआ है।

भारतीय निर्यात जिसने वर्ष 2010–11 में 40.5 प्रतिशत कीर्तिमान वृद्धि के साथ एक वर्ष के अंदर ही संकट पूर्व स्तर को पार कर लिया तथा वर्ष 2011–12 में भी बढ़ता रहा परन्तु अंत में वैश्विक मंदी से प्रभावित होकर वर्ष 2012–13 में पहले 10 महीनों में ही 4.5 प्रतिशत से भी अधिक गिर गया। जबकि संकटपूर्ण वर्ष 2009–10 (पूर्ण वर्ष) में 3.5 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई ।

एमएमटीसी 2012–13 का सिंहावलोकन

वित्तीय समीक्षा

आपकी कंपनी ने गत वर्ष के 659, 291.1 मिलियन रूपये के कुल व्यारपारकी तुलना में वर्ष 2012–13 में 284, 156.2 मिलयन रूपये का व्यापार किया । जिसमें 29,795.4 मिलियन रूपये के निर्यात, 209, 544.1 मिलियन रूपये के आयात तथा 44,816.7 मिलियन रूपये का घरेलू व्यापार शामिल है। अन्य व्यापार संबंधित अंशदान 1837.9 मिलियन रूपये का है। आपकी कंपनी ने 2766.10 मिलियन रूपये की तुलना में इस वर्ष 2997.5 मिलियन रू0 का व्यापारिक लाभ अर्जित किया है। कंपनी द्वारा वर्ष 2011–12 में सामान्ये गतिविधियों से अर्जित कर पूर्व लाभ वर्ष 2011–12 के 1762.2 की तुलना मे 1165.3 मिलियन रूपये है फिर भी क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद और चेन्नै में सोना–चांदी व्यापार में 2293.2 मिलियन रूपये की असाधरण घटना होने के कारण वर्ष 2012–13 में कंपनी को 706.2 मिलियन रूपये की हानि उठानी पड़ी । अतः उपरोक्त असाधारण गतिविधि के उपरांत वित्तल वर्ष 2012–13 के लिए प्रत्येक 1/– रूपये अंकित मूल्य के शेयर पर लाभ नकारात्मक होकर 0.71 रूपये हो गया। कंपनी के वित्तीय संसाधनों के प्रबंधन से 601.8 मिलियन रूपये का सकल ब्याज अर्जित हुआ। वर्ष 2012–13 के दौरान कंपनी की कारपोरेट कर देयता 257.23 मिलियन रूपये थी। एमएमटीसी निरंतर जीरो दीर्घावधि ऋण वाली कंपनी बनी हुई है।

आपकी कंपनी के क्षेत्रीय कार्यालय चैन्ने के दिनांक 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के खातों में 1554 तथा क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद के बुलियन के लेन–देन संबंधी कार्यों के लिए खातों में 2288.2 मिलियन रूपये का प्रावधान किया है ।

निधियों के स्रोत तथा इनका उपयोग

दिनांक 31 मार्च 2013 को कंपनी की निधियों के स्रोत में, 13407.78 मिलियन रूपये का शेयर होल्डर फंड जिसमें 1000 मिलियन रूपये की इक्विटी शेयर पूंजी तथा नॉन करंट एवं करंट देयताएं क्रमशः 1893.12 मि. रूपये तथा 51.679.83 मिलियन रूपये शामिल है। इन निधियों का उपयोग अन्य के साथ–साथ दिनांक 31 मार्च 2013 को 8220.15 मिलियन रूपये की नॉन करंट परिसंपत्तियों तथा 58760. 58 मि. रूपये की करंट परिसंपत्तियों में किया गया है।

आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया

एमएमटीसी में दैनिक मामलों का प्रबंधन विभिन्न प्रबंधन स्तरों पर सुपरिभाषित शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार किया जाता है। निदेशक मंडल द्वारा गठित संबंधित निदेशक समितियाँ, जिनका विवरण संलग्न कारपोरेट गवर्नेंस की रिपोर्ट में दिया गया है, द्वारा प्रमुख मामलों पर सतर्कतापूर्ण निर्णय देने के लिए विचार विमर्श किया जाता है।

एमएमटीसी की एक सुव्यस्थित आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली तथा प्रक्रिया है जो इसकी विभिन्न गतिविधियों के अनुरूप है। निगम का एक प्रभावी आंतरिक लेखा परीक्षा प्रभाग है जो पूरे वर्ष लेखा परीक्षा के लिए बाहरी लेखा परीक्षा करने वाली फर्मो के साथ मिलकर काम करता है। बुलियन लेन देन की समवर्ती लेखा परीक्षा, पूर्व वर्षो के बुलियन लेन देन हेतु विशेष लेखा परीक्षा आरंभ करते हुए, आंतरिक लेखा परीक्षा को और अधिक सशक्त बनाने के लिए वर्ष के दौरान अनेक पहल की गई। आंतरिक लेखा परीक्षा को और सशक्त बनाने के लिए अतिरिक्त मानव शक्ति की तैनाती करने के साथ–साथ आंतरिक नियंत्रणों को सशक्त बनाने के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा संहिता (मैन्युएल) 2012 को अद्यतन करना भी आरंभ किया गया है।

वित्तीय रिपोर्टो पर कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों तथा आंतरिक लेखा परीक्षकों की चिंताओं एवं टिप्पणियों को सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से बैठकें आयोजित की जाती हैं। लेखा परीक्षा समिति के निदेशों का प्रबंध तंत्र द्वारा कड़ाई से कार्यान्वयन किया जाता है।

सहायक कंपनी

आपकी कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर (एमटीपीएल) को सिंगापुर कानून के तहत अक्टूबर, 1994 में 1 मिलियन अमेरिकी डालर की शेयर पूंजी के साथ निगमित किया गया था। वर्ष 2012–13 के दौरान एमटीपीएल ने 600 मिलियन अमेरिकी डालर का व्यापारिक कारोबार किया है। वर्ष 2012–13 के दौरान एमटीपीएल ने कर पश्चात 2.11 मिलियन अमेरिकी डालर का लाभ अर्जित किया है। 31 मार्च, 2013 को एमटीपीएल का नेटवर्थ 15.45 मिलियन अमेरिकी डालर था। आपकी कंपनी द्वारा पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी में निवेश की गई 1 मिलियन अमेरिकी डालर की पूंजी की तुलना में एमटीपीएल 15.04 मिलियन अमेरिकी डालर की राशि लाभांश के रूप में भुगतान कर चुकी है ।

वर्ष 2012–13 के लिए समूहवार बिजनेस समीक्षा

खनिज

लौह अयस्क के खनन तथा बेलारी हास्पेट कर्नाटक व गोवा सैक्टंर से निर्यात पर प्रतिबंध, पूर्वी क्षेत्र से निर्यात के विनियमन, निर्यात के

लिए रेल भाड़े में वृद्वि, जो अयस्क के घरेलू संचलन से वर्तमान में लगभग तीन गुना अधिक है, अयस्क की घरेलू मांग में वृद्वि तथा उच्चंतर कस्टम ड्यूटी आदि जैसे घटनाक्रम ने आस्ट्रेलिया एवं ब्राजील जैसे अंतर्राष्ट्रीय आपूर्तिकर्त्ताओं की तुलना में वर्ष 2012–13 के दौरान भारतीय लौह अयस्क के निर्यात को प्रभावित किया है। इसके बावजूद राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़ी प्रतियोगिता होते हुए भी आपकी कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान खनिजों के प्रमुख निर्यातक का दर्जा बनाए रखा । घरेलू स्टील उत्पादन क्षमता में वृद्वि के कारण निर्यात के लिए क्रोम तथा मैगनीज अयस्क की उपलब्धता में कमी आई है। क्रोम अयस्क/कंसंट्रेट पर निर्यात शुल्क में 30 प्रतिशत एड वैलोरम आधार पर की गई हाल ही में वृद्वि ने निर्यात के लिए इन अयस्कों की उपलब्धता को वित्त वर्ष 2012–13 में और भी कम कर दिया है।

उपरोक्त बाधाओं के बावजूद आपकी कंपनी के अयस्क समूह ने वर्ष 2012–13 के दौरान 15,652.7 मिलियन रूपये के कुल व्यापार का अंशदान किया है जिसमें 13891.4 मिलियन रूपये के निर्यात, 26.8 मिलियन रूपये का आयात तथा 1734.5 मिलियन रूपये का घरेलू व्यापार शामिल है। इस समूह द्वारा किए गए निर्यात में 9885.3 मिलियन रूपये मूल्य के लौह अयस्क, 3780.9 मिलियन रूपये के क्रोम अयस्क/कंसंट्रेट तथा 225.1 मिलियन रूपये के मैगनीज अयस्क शामिल है। समूह ने 21.4 मिलियन रूपये के मैगनीज अयस्क तथा 5.4 मिलियन रूपये के क्रोम कंसंट्रेट का आयात किया है। इस समूह के घरेलू व्यापार में 1635.7 मिलियन रूपये का लौह अयस्क तथा 69.4 मिलियन रूपये के डोलोमाईट, तथा 29.4 मिलियन रू0 का लाइमस्टोरन शामिल हैं।

वित्त वर्ष 2012–13 से शुरू होकर वित्त वर्ष 2014–15 तक तीन वर्षो के लिए जापान स्टील मिल्स तथा पोहांग आयरन एण्ड स्टील कंपनी दक्षिण कोरिया के साथ लौह अयस्क की आपूर्ति के लिए करार हो गया है और दीर्घावधि संविदा के अंतर्गत 1 जुलाई, 2012 से आपूर्ति शुरू हो गई है ।

बहुमूल्य धातुएं रत्न व आभूषण

भारतीय बुलियन व्यापार में आपकी कंपनी की स्थिति बाजार में अग्रणी है जो देश भर में फैले अपने विभिन्न केन्द्रों से कार्यकलाप में संलग्न है। इसके साथ–साथ अपने स्थायी संबंध बनाए रखते हुए यह टिकाऊ उत्पाद सेवाएं देती है। बुलियन के मूल्यों के साथ–साथ भारतीय रूपये अमरीकी डालर विनिमय दरों में तीव्र उतार चढ़ावों के बावजूद वर्ष 2012–13 के दौरान आपकी कंपनी के बहुमूल्य धातु समूह का कुल व्यापार 136,751.6 मिलियन रूपये का हुआ। समूह ने यह कारोबार अपने कार्यकलापों में विविधीकरण लाकर प्राप्त किया जिसमें 131372.8 मिलियन रूपये के सोने तथा चांदी का आयात शामिल है।

आपकी कंपनी का बहुमूल्य धातु समूह ग्राहक सेवा में निरंतर सुधार के लिए प्रयासरत है तथा वर्ष 2012–13 के दौरान भारत के स्वर्ण व्यापार में इसकी हिस्सेदारी 6.71 प्रतिशत है। बहुमूल्य धातु समूह मूल्यसंवर्धित उत्पांदों जैसे आभूषण, मेडालियंस तथा सिल्वरवेयर की बिक्री में सुधार करने पर विशेष ध्यान दे रहा है। कंपनी के संयुक्त उद्यम एमपीआईपीएल ने उत्पादन शुरू कर दिया है और 125950 मिलियन रूपये मूल्य का स्वर्ण तथा 2330 मिलियन रू0 मूल्य की चांदी की बिक्री की है ।आपकी कंपनी ने भारत सरकार की सीएडी चिंताओं के कारण जानबूझकर कम मात्रा में सोने का आयात किया है ।एक बार जब एमपीआईपीएल का पूर्ण उत्पादन शुरू हो जाता है तो आपकी कंपनी को लाभ मिलना शुरू हो जाएगा और एमपीआईपीएल का बड़ी मात्रा में घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार का विपणन शुरू किया जाएगा ।

वर्तमान वित्त वर्ष में आपकी कंपनी ने एमपीआईपीएल के उत्पातदन का जोरशोर से विपणन शुरू कर दिया है। आपकी कंपनी ने दिल्ली , अहमदाबाद, कोलकाता और जयपुर में असेयिंग व हालमार्किंग केन्द्र भी संचालित किए हैं ।यद्यपि वर्ष 2013–14 के दौरान सोने व चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव, विनिमय दर, विभिन्न उपायों से सोना आयात घटाने की सरकारी नीति तथा यूरो क्षेत्र में जारी आर्थिक संकट के कारण बुलियन की मांग में कमी की संभावना है बुलियन क्षेत्र में मूल्यवर्धित उत्पादित सेवाओं की बिक्री द्वारा कंपनी में नयापन लाना है ।

एमपीआईपीएल द्वारा उत्पादित बुलियन के विपणन पर ध्यान केन्द्रित करने से एमएमटीसी के बुलियन आयात की समस्या कम हो जाएगी और बड़ी राशि के कारोबार में योगदान मिलेगा ।

धातुएं तथा औद्योगिक कच्चा माल

वर्ष 2012–13 के दौरान एमएमटीसी के कुल व्याापार में धातु समूह का 14840.4 मिलियन रूपये का योगदान रहा। इस समूह के योगदान में एनआईएनएल, एमएमटीसी द्वारा प्रोन्नात लौह व इस्पात संयंत्र द्वारा उत्पादित 2893.4 मिलियन रूपये के पिग आयरन का निर्यात, 1976.0 मिलियन रूपये की अलौह धातुओं एवं 166.3 मिलियन रूपये के औद्योगिक कच्चे माल के आयात तथा 9804.7 मिलियन रूपये के एनआईएनएल द्वारा उत्पादित पिग आयरन व स्लैग सहित 9106.6 मिलियन रूपये की घरेलू बिक्री शामिल हैं।

जहां तांबा, जिंक, एल्यूमिनियम आदि के घरेलू बाजार में देसी उत्पादकों का प्रभुत्व है वहीं एनएफएम का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भूमंडलीय अर्थव्यवस्था में अस्थिरता के कारण मांग में कमी खासकर यूरोपियन यूनियन ऋण संकट तथा विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में मंदी से बुरी तरह प्रभावित हो रहा है ।

अन्य तथ्य, जिन्होंने वर्ष 2012–13 के दौरान अलौह धातु व्यापार को बुरी तरह प्रभावित किया, उनमें एमएमटीसी की कठोर सुरक्षा नीति जैसे लाईबोर आधारित सुरक्षित क्रेडिट देते समय आवश्यक फारवर्ड कवर लेना करना और के वाई सी नियमों के लिए विस्तृत

दस्तावेजों की मांग करना जिसे अधिकांश ग्राहक देना नहीं चाहते हैं शामिल हैं। नियमित ग्रहकों की मांग की पूर्ति के अलावा, जो स्पॉट बेसिस पर खरीदते हैं जहां भी संभव है यह प्रयास किये जा रहे हैं कि तुलनात्मक रूप से बड़े ग्राहकों की दीर्घकालीन एन एफ एम मांग की पूर्ति के लिए एम ओ यू का सहारा लिया जाये । इस समूह की प्रतियोगी बढ़त प्राप्त है अतः ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं कि आपूर्तिकर्ताओ/उत्पादकों से दीर्घावधि आपूर्ति के लिए गठजोड़ किया जाये और यह भी संभावना तलाशी जाये कि एन एफ एम मदों की एफ टी डब्यू एस द्वारा बिक्री करके आफ दि शेल्फ माल को उपलब्ध करवाया जाये।

कृषि उत्पाद

वर्ष 2012–13 के दौरान कंपनी के कृषि उत्पाद समूह ने 41,296.4 मिलियन रूपये का रिकार्ड व्या2पार किया जिसमें 11,478.1 मिलियन रूपये मूल्य का गेहूं निर्यात 13656.3 मिलियन रूपये के खाद्य तेलों के आयात के साथ–साथ 16041.1 मिलियन रूपये मूल्य का स्पॉट कमोडिटी एक्सचेंज पर कृषि उत्पादों की घरेलू ट्रेडिंग भी शामिल है।

वर्ष के दौरान एमएमटीसी ने दक्षिण कोरिया, बंगलादेश, फिलीपीन्स अफ्रीका आदि के खरीदारों को सफलतापूर्वक गेहूं का निर्यात किया । पी डी एस के माध्यम से वितरण हेतु प्रान्त के अनुरोध पर खाद्य तेलों की आपूर्ति भी की गई ।

कृषि उत्पादों का व्यापार प्राथमिकता सरकारी नीतियों और मानसून के रूख पर निर्भर रहता है । उस समय देश में कृषि उत्पाद आवश्यकता से अधिक उपलब्ध होते हैं तो निर्यात के अवसर रहते हैं परन्तु अभाव के समय घरेलू बाजार में मूल्य की स्थिरता बनाये रखने के लिए कृषि उत्पादों के आयात की आवश्यकता होती है । खाद्य सुरक्षा बिल आरंभ होते ही, सरकार ज्यों ही आदेश करती है तो एमएमटीसी खाद्य वस्तुओं के आयात हेतु अपना कर्तव्य निभाने के लिए पूर्णतः तैयार है । कंपनी के कृषि उत्पाद समूह ने कृषि उत्पादों की चुनौतियों का सामना करने के लिए भी योजनाओं व रणनीतियों को तैयार कर रखा है । समूह, सरकार के निर्देशों के अनुसार अपनी जिम्मेदारियां निभाने के साथ साथ कंपनी की लाभप्रदता में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है।

उर्वरक तथा रसायन

कंपनी के उर्वरक एवं रसायन समूह ने 19147.9 मिलियन रूपये का कारोबार किया है। वर्ष 2012–13 में इस समूह के निष्पादन में विकासशील देशों के साथ व्यापार के अंतर्गत 1532.5 मिलियन रूपये के यूरिया, डी ए पी और एम ओ पी का व्यापार, 11438.1 मिलियन रूपये की यूरिया, 5599.5 मिलियन रूपये के म्यू रेट आफ पोटाश, 233.5 मिलियन रूपये की गंधक तथा 266.2 मिलियन रूपये मूल्य का टैक्नीकल ग्रेड यूरिया के अतिरिक्त एनआईएनएल–एमएमटीसी द्वारा प्रोन्नत लौह व इस्पात संयंत्र द्वारा उत्पादित 78.1 मिलियन रूपये मूल्य का अमोनियम सल्फेट भी शामिल है।

परिवीक्षाधीन वर्ष के दौरान सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा में यूरिया की बड़ी मात्रा में आयात किए जाने पर आपकी कंपनी की प्रशंसा की गई। बल्कस हैंडलिंग क्षेत्र में बृहद ज्ञान, अनुभव, लाजिस्टिक प्रबंधन में विशेषज्ञता तथा उर्वरक के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आने वाले भावी रूझानों का अनुमान लगाने की कुशलता के साथ–साथ विश्व के आपूर्तिकर्त्ताओं एवं ग्राहकों के साथ उत्कृष्ट संबंध तथा संपर्क(नेटवर्किंग) बनाने एवं सभी स्टेक होल्डरर्स को सेवाएं प्रदान करने की एमएमटीसी की सुविज्ञता का विवेकपूर्ण प्रयोग तथा समूहीकरण द्वारा यह समूह प्रशंसा का पात्र बन सका ।

खाद्यानों में आत्मानिर्भरता प्राप्त करने के लिए घरेलू उर्वरकों के उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत सरकार के निरंतर प्रयासों के बावजूद भारत फिनिश्ड तथा कच्चे उर्वरक की बड़ी मात्रा आयात कर रहा है । ऐसा इस तथ्य के बावजूद है जबकि घरेलू यूरिया के उत्पादन में भी सुधार हुआ है

देश में कई उर्वरकों का उत्पादन अमोनिया, राक फास्फेट, फास्फोरिक एसिड इत्यादि जैसे कच्चे माल की लागत व उपलब्धता पर निर्भर है। इसके अतिरिक्त भारत एमओपी की आवश्यकता के लिए संपूर्ण रूप से विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भर है।

उर्वरक मंत्रालय अनुदान योजना के अधीन अधिक सम्मिश्रित उर्वरक ताकि मिट्टी अधिक उपजाऊ हो सके इस उद्देश्य से पोषक आधारित अनुदान नीति की घोषणा की थी । सम्मिश्रित उर्वरकों का उपयोग कंपनी को अधिक अवसर प्रदान करता है। फिर भी, उर्वरक क्षेत्र अब भी सामान्यतः सरकारी नीति पर निर्भर है, जबकि कृषि अब भी अधिकांशतः मानसून पर निर्भर है।

कोयला एवं हाइड्रोकार्बन

आपकी कंपनी द्वारा इस वर्ष अर्जित कुल व्यापार में कोल एंड हाइड्रोकार्बन समूह ने 56,368.2 मिलियन रूपये का योगदान किया। समूह द्वारा किये गए इस योगदान में 36,665.4 मिलियन रूपये का स्टीम कोल, 8022.6 मिलियन रूपये मूल्य का कोकिंग कोल तथा 2613.1 मिलियन रूपये मूल्य के लैम कोक, 8233.6 मिलियन रूपये मूल्य का स्टीम कोल तथा 808.6 मिलियन रूपये मूल्यो का क्रूड टार एवं 21.7 मिलियन रूपये का सोलर आयल का घरेलू व्यापार शामिल है। वर्ष 2013–14 के दौरान, कंपनी नए बाजारों/उत्पादों में कंपनी के लिए अतिरिक्त राजस्व पैदा करने के लिए उभरते अवसरों का लाभ उठाने का प्रयास जारी रखेगी । समूह स्रोत नेटवर्क के विस्तार द्वारा, लागत प्रभावी शिपिंग और भारत में प्रमुख उर्जा उपयोगिताओं जिसमें एन टी पी सी, डी वी सी, टी ए एन जी ई डी सी ओ, एम ए एच ए, जी ई एन सी ओ, ए पी जी ई एन सी ओ एन एस पी सी, एल ए पी सी एल शामिल हैं, को उचित डिलीवरी स्ट्रक्चर द्वारा कोल व्यापार में सुधार लाना जारी रखा है । एमएमटीसी आयातित कोयला खासकर इंडोनेशिया और

कुछ हद तक दक्षिण अफ्रीका और आस्ट्रेलिया से मंगाकर भारतवर्ष में विभिन्नय केन्द्रीय व प्रदेशीय उपयोगिताओं तथा निजी उद्यमों की आवश्यकताओं को पूरा किया है । एमएमटीसी ने भारतवर्ष में विभिन्न उभरते हुए बंदरगाहों से कोल का व्यापार शुरू किया है ताकि संभारतंत्र की मान्यता का पता चल सके और वर्ष के दौरान कम लागत पर आपूर्तिकर्ता बन सकें । इसके परिणामस्वरूप एमएमटीसी ने कोयला क्षेत्र में पूरे देश में प्रचुर उपस्थिति में वृद्धि दर्ज की है । उर्जा क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत बनाने के बाद, एमएमटीसी सीमेंट व स्पोंज आयरन इकाइयों में बड़े पैमाने पर प्रवेश कर उभरते अवसरों का लाभ उठाने के लिए तत्पर है ।

घरेलू उत्पाादन से उर्जा क्षेत्र, इस्पात, उर्वरक तथा अन्य भारी उद्योगों के लिए नॉन कोकिंग कोल की बढ़ती मांग तथा आपूर्ति के भारी अंतर को पूरा करने के लिए देश को बड़े स्तर पर आयात का सहारा लेना पड़ता है। इसके अलावा निर्माणाधीन कोल फायर्ड जेनेरेशन संयंत्रों के कारण भविष्य में स्टीम कोल की मांग में अत्यधिक वृद्वि हो सकती है। जिसके कारण आपकी कंपनी के इस समूह के लिए व्यवसाय के नये अवसर प्राप्त होंगे। आपकी कंपनी का कोल एंड हाइड्रोकार्बन समूह भविष्य में उर्जा, इस्पात, उर्वरक, रसायन, सीमेंट तथा स्पॉवज आयरन यूनिटों की कोल व कोक की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए इन उभरते हुए अवसरों का लाभ उठाते हुए आयात करेगा । समूह की योजना और अधिक कोकिंग कोल के आबंटन हेतु आपूर्तिकर्ताओं के साथ गहन अनुवर्ती कार्यवाही करने के साथ–साथ विस्तृत आपूर्ति आधार हेतु एलटीए आपूर्तिकर्ताओं को जोड़ने की भी है।

माइका

जैसा कि गत वर्षो की रिपोर्टो में पहले सूचित किया जा चुका है, विश्व स्रोत पर परिवर्तित बाजार आवश्यकता तथा माइका प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी में हुए तकनीकी विकास के कारण माइका प्रभाग के कार्यकलाप वर्ष 2002–03 से बंद है। अभ्रक नगर जिला कोडरमा, झारखंड स्थित माहका प्रभाग द्वारा स्थापित का कार्यशील संयंत्र व मशीनरी को निपटाने हेतु उपाय किये जा रहे हैं ।

अन्य

कंपनी के कुल व्यापार में अन्य उत्पादों का योगदान 99.0 मिलियन रूपये का है जिसमें 99.0 मिलियन रूपये का घरेलू व्यापार शामिल है इसमें कर्नाटक में मार्च 2007 में स्थापित किये गए 15 मैगावाट के विंड पावर फार्म में उत्पादित 94 मिलियन रूपये की उर्जा की बिक्री भी शामिल है।

सचेतक वक्तव्य

प्रबंधतंत्र की चर्चा में वक्तव्य तथा विश्लेषण कंपनी के अनुमान, आशाएं, लागू नियमों एवं विनियमों के अंतर्गत फारवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट हो सकती है। वास्तविक परिणाम भौतिक रूप से अभिव्यक्त अथवा उपलक्षित किए गए परिणामों से भिन्न हो सकते हैं। निगम के कार्यकलापों में अंतर लाने वाले महत्वपूर्ण कारकों में मांग/आपूर्ति को प्रभावित करने वाली आर्थिक परिस्थितियां तथा निगम के व्यापार क्षेत्र में घरेलू एवं विदेशी बाजारों में मूल्य , सरकारी विनियमों, कर कानूनों, अन्य सांविधिक तथा अन्य प्रासंगिक कारकों में परिवर्तन आदि शामिल है।

रिपोर्ट
कारपोरेट गवर्नेन्स

एमएमटीसी में कारपोरेट गवर्नेन्स

एमएमटीसी पारदर्शिता के सर्वोच्च स्तर, विश्वास, सत्यता, निष्पादन अभिमुखता, जिम्मेदारी और जवाबदेही, व्यवसायिकता, सामाजिक दायित्व, नैतिक व्यापार आचरण और स्व–अनुशासन संहिता के प्रति संगठन की प्रतिबद्धता के अनुपालन के माध्यम से स्वस्थ कारपोरेट गवर्नेन्स नियमों के सिद्धान्त को प्रोन्नत तथा सशक्त करने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध हैं ताकि स्टेक होल्डरों जिसमें निवेशकों, निदेशकों, कर्मचारियों, आपूर्तिकर्ताओं, ग्राहकों अथवा सामान्य समुदाय सबका निरंतर मूल्यवर्धन होता रहे।

निदेशक मंडल

एमएमटीसी के निदेशक मंडल में कार्यकारी व गैर–कार्यकारी निदेशक शामिल है। इस रिपोर्ट को जारी किए जाने की तिथि को वर्तमान निदेशक मडंल में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अपर सचिव जो अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार देख रही हैं, तीन पूर्णकालिक निदेशक(विपणन), एक पूर्णकालिक निदेशक(कार्मिक), एक पूर्णकालिक निदेशक (वित्त) वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नामित दो अशंकालिक निदेशक तथा आठ गैर–सरकारी अशंकालिक (स्वतंत्र) निदेशक है। एमएमटीसी के समस्त निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक को छोड़कर शेष सभी निदेशक क्रमवार सेवानिवृत्त होते रहते हैं और प्रतिवर्ष कम से कम एक तिहाई सेवानिवृत्त होते हैं और यदि पात्र हों तो पुनः नियुक्ति पा सकते हैं।

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक तथा कार्यकारी निदेशकों के मामले में निदेशक मंडल के सदस्य, निदेशक के पारिश्रमिक प्राप्त करने के अतिरिक्त कंपनी के साथ अथवा इसके प्रोमोटर्स व इसकी सहायक कंपनियों के साथ ऐसा कोई विशेष आर्थिक संबंध अथवा लेन–देन नहीं रखते हैं जो निदेशक मंडल के विचार से निदेशकों के निर्णय की स्वायत्तता को प्रभावित कर सके।

वर्ष 2012 –13 के दौरान निदेशक मंडल की संरचना निम्नानुसार थी:–

क्रम सं०	निदेशक का नाम	कार्यकारी / गैर कार्यकारी	पद	31.03.2012 को अन्य निदेशक मंडलों में डायरेक्टरशिप की संख्या	बोर्ड / समितियों की संख्या जिसके सदस्य / अध्यक्ष है।
1.	श्री डी एस ढेसी (08.10.2012 से)	कार्यकारी	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष – 2 निदेशक – 1	सदस्य – 1
2.	श्रीमती विजयलक्ष्मी जोशी (05.10.2012 तक)	कार्यकारी	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष – 3	सदस्य – 1
3.	श्री सुनीर खुराना (18.09.2012 तक)	कार्यकारी	निदेशक(विपणन)	अध्यक्ष – 1 निदेशक–4	–
4.	श्री वेदप्रकाश	कार्यकारी	निदेशक(विपणन)	अध्यक्ष – 1 निदेशक–4	
5.	श्री राजीव जयदेव	कार्यकारी	निदेशक(कार्मिक)	निदेशक–1	–
6.	श्री एम.जी. गुप्ता	कार्यकारी	निदेशक(वित्त)	निदेशक–4	सदस्य–1
7.	श्री आनन्द त्रिवेदी (03.07.2012)	गैर–कार्यकारी	निदेशक (विपणन)	निदेशक –4	–
8.	डॉ. राजन कटोच (22.05.2012 तक)	गैर–कार्यकारी	सरकार द्वारा नामित निदेशक	निदेशक– 2	अध्यक्ष –1 सदस्य– 1
9.	श्री मधुसूदन प्रसाद	गैर–कार्यकारी	सरकार द्वारा नामित निदेशक		सदस्य–1
10.	सुश्री अनीता अग्निहोत्री (22.05.2012 से)	गैर–कार्यकारी	सरकार द्वारा नामित निदेशक	निदेशक– 2	अध्यक्ष –1 सदस्य– 2
11.	श्री अनिल बैजल (11.06.2012 तक)	गैर–कार्यकारी	नॉन आफिशियल (स्वतंत्र) निदेशक	निदेशक–7	अध्यक्ष –2 सदस्य– 2
12.	सुश्री अरूणा माखन (14.06.2012 तक)	गैर–कार्यकारी	नॉन आफिशियल (स्वतंत्र) निदेशक	निदेशक–1	सदस्य–4
13.	श्री एच.एल. जुत्शी (11.06.2012 तक)	गैर–कार्यकारी	नॉन आफिशियल (स्वतंत्र) निदेशक	निदेशक–5	अध्यक्ष–1 सदस्य–7
14.	श्री अनिल राजदान (13.7.2011 से)	गैर–कार्यकारी	नॉन आफिशियल (स्वतंत्र) निदेशक	निदेशक–3	अध्यक्ष–2
15.	श्री अरूण बालाकृष्णन	गैर–कार्यकारी	नॉन आफिशियल (स्वतंत्र) निदेशक	निदेशक–8	अध्यक्ष–7
16.	श्री जी.एस.वेदी	गैर–कार्यकारी	नॉन आफिशियल (स्वतंत्र) निदेशक	निदेशक–2	अध्यक्ष–3 सदस्य–2

केवल लेखा परीक्षा समिति, पारिश्रमिक समिति और सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी की शेयरहोल्डर शिकायत समिति पर विचार किया गया।

निदेशक मंडल में परिवर्तन

दिनांक 1 अप्रैल,2012 को आपकी कम्पनी के निदेशक मंडल में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए हैं :–

- श्री डी एस ढेसी, अपर सचिव वाणिज्य व उद्योग विभाग ने 08 अक्तूबर, 2012 से अध्यक्ष व प्रबंध निदेश का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया ।
- श्रीमती विजयलक्ष्मी जोशी,अपर सचिव, वाणिज्य व उद्योग विभाग ने पर 05 अक्तूबर, 2012 से अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार से त्याग पत्र किया!
- डा0 राजन कटोच, ए एस एण्ड एफ ए, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय ने दिनांक 22 मई 2012 से एमएमटीसी के निदेशक मण्डल से अशंकालिक निदेशक के पदभार का त्याग किया।
- श्रीमती अनिता अग्निहोत्री एएसएंड एफ ए वाणिज्य विभाग, वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय ने एमएमटीसी के निदेशक मण्डल में डॉ. राजन कटोच के स्थान पर 22 मई, 2012 से पदभार ग्रहण किया।
- दिनांक 11 जून, 2012 से श्री अनिल बैजल अंशकालिक गैर–सरकारी(स्वतंत्र) निदेशक के पद का त्याग किया।
- दिनांक 14 जून, 2012 से श्रीमती अरूणा माखन अंशकालिक गैर–सरकारी(स्वतंत्र) निदेशक ने पद का त्याग किया।
- श्री एच एल जुत्शी, ने दिनांक 11 जून, 2012 अंशकालिक गैर–सरकारी(स्वतंत्र) निदेशक पद का त्याग किया।
- श्री आनन्द त्रिवेदी, निदेशक (विपणन) ने एमएमटीसी के निदेशक मंडल में 3 जुलाई, 2012 से कार्यभार ग्रहण किया।
- श्री सुनीर खुराना, निदेशक (विपणन) ने 18 सितंबर, 2012 से प्रभार त्याग दिया
- श्री अरविन्द कालरा, ने एमएमटीसी निदेशक मंडल में

अंशकालिक गैर–सरकारी(स्वतंत्र) निदेशक का प्रभार 1अप्रैल, 2013 से ग्रहण किया ।

- श्री राणा सोम ने एमएमटीसी निदेशक मंडल में अंशकालिक गैर–सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक का प्रभार 17 अप्रैल, 2013 से ग्रहण किया ।
- श्री एन बाल भास्कर ने एमएमटीसी निदेशक मण्डल में अंशकालिक गैर–सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक का प्रभार 22 अप्रैल 2013 से ग्रहण किया।
- डॉ0 सुबास पानी ने एमएमटीसी निदेशक मंडल में अंशकालिक गैर–सरकारी(स्वतंत्र) निदेशक का प्रभार 7 मई, 2013 से ग्रहण किया ।
- श्री पी के जैन ने एमएमटीसी के निदेशक मंडल में निदेशक (विपणन) का प्रभार 15 मई, 2013 से ग्रहण किया
- श्री स्कंद रंजन तायल ने एमएमटीसी निदेशक मंडल में अंशकालिक गैर–सरकारी(स्वतंत्र) निदेशक का प्रभार 07 जुलाई, 2013 से ग्रहण किया।

निदेशकों का पारिश्रमिक

एमएमटीसी भारत सरकार का एक उपक्रम है जिसके निदेशक मंडल के सभी सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा उनके प्रशासनिक मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से की जाती है जो अन्य बातों के साथ–साथ इन पूर्णकालिक निदेशकों के पारिश्रमिक, संबंधित नियुक्ति आदेश/वेतन निर्धारण आदेशों के अनुरूप निर्धारित किए जाते हैं। एमएमटीसी के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक तथा पूर्णकालिक निदेशक भारत के राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष के सेवाकाल या अधिवर्षिता आयु पूरी करने की तिथि तक अथवा सरकार के अगले आदेशों तक जो भी पहले हो, नियुक्त किये जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस प्रकार नियुक्त निदेशक किसी भी प्रकार की नोटिस अवधि/सेवरेंस फीस के पात्र नहीं होते हैं। निदेशक मंडल के कार्यशील सदस्य लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार परफार्मेंस रिलेटिड वेतन पाने के पात्र हैं। नॉन आफिशियल अंशकालिक स्वतंत्र निदेशक, निदेशक मण्डल द्वारा नियुक्त समितियों की प्रत्येक बैठक में उपस्थित रहने के लिए वर्तमान में रु015,000/– की दर से सिटिंग फीस का भुगतान पाने के पात्र है। किसी भी गैर–कार्यकारी निदेशक का कंपनी के साथ किसी प्रकार का आर्थिक संबंध अथवा लेन–देन नहीं है।

वर्ष 2012–13 के दौरान प्रत्येक निदेशक को भुगतान किये गये/देय पारिश्रमिक का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है :–

निदेशक का नाम	वेतन तथा लाभ (रु/ लाख)	वर्ष 2011–12 के दौरान कार्य–निष्पादन से जुड़ा प्रोत्साहन(प्रावधान) (रु/लाख)	बोनस, स्टॉक विकल्प, पेंशन, सेवरेंस फीस	31.3.2012 को एमएमटीसी के धारित शेयरों की संख्या
कार्यकारी निदेशक				
श्री डी एस ढेसी (08.10.2012 से)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
श्रीमती विजयलक्ष्मी जोशी, (05.10.2012 तक)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री सुनीर खुराना (18.09.2012 तक)	12.43	शून्य	शून्य	शून्य
श्री वेद प्रकाश	25.61	शून्य	शून्य	शून्य
श्री राजीव जयदेव	26.10	शून्य	शून्य	शून्य
श्री एम.जी. गुप्ता	25.76	शून्य	शून्य	
श्री आनन्द त्रिवेदी (03.07.2012 से)	24.70	शून्य	शून्य	शून्य
गैर–कार्यकारी पदेन निदेशक				
डा. राजन कटोच (22.05.12 तक)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
श्रीमति अनिता अग्निहोत्री (22.05.12 से)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
श्री मधूसूदन प्रसाद	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
नॉन–आफिशिएल निदेशक(स्वतंत्र)				
श्री अनिल बैजल (11.06.12 तक)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
श्रीमती अरूणा माखन (14.06.12 तक)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
श्री एच.एल. जुत्शी (11.06.12 तक)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
श्री अनिल राजदान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
श्री जी.एस. वेदी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
श्री अरूण बालकृष्णन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

निदेशक मंडल की बैठकें

निदेशक मंडल की बैठकें सामान्यतः निगम के पंजीकृत कार्यालय में ही आयोजित की जाती हैं तथा उनके आयोजन की तिथि का निर्णय पर्याप्त समय रहते लिया जाता है। एमएमटीसी के निदेशक मंडल की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवश्य आयोजित की जाती है। बोर्ड की बैठकों का संचालन निर्धारित कार्य–सूची के अनुसार होता है तथा बोर्ड का कोई भी सदस्य किसी भी मामले को विचारार्थ प्रस्तुत कर सकता है। सभी मुख्य मुद्‌दों से संबंधित, अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणियों सहित विस्तृत कार्य–सूची दस्तावेज सदस्यों को पहले ही परिचालित कर दिए जाते हैं ताकि बोर्ड सूचनापरक तथा स्वतंत्र निर्णय ले सके।

वर्ष के दौरान, निदेशक मंडल की आठ बैठकें हुई, जो 15.02.2012, 08.08.2012, 14.08.2012, 28.08.2012, 08.11.2012 13.12.2012 तथा 13.02.20123 को आयोजित की गईं। निदेशक मंडल की इन बैठकों तथा 28 सितम्बर 2012 को आयोजित गत वर्ष की वार्षिक आम बैठक से संबंधित निदेशकों की उपस्थिति का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

निदेशक मंडल की बैठकों तथा गत वर्ष की वार्षिक आम बैठक में प्रत्येक निदेशक की उपस्थिति:

	निदेशक का नाम	उस अवधि में हुई बोर्ड की बैठकों की संख्या जिसके दौरान बोर्ड के निदेशक थे	बोर्ड की बैठकों की संख्या, जिनमें उपस्थित रहे	दिनांक 30.09.2011 को आयोजित गत वार्षिक आम सभा में उपस्थिति
(क)	कार्यकारी निदेशक			
	श्री डी एस ढेसी (08.10.2012 से)	3	3	एनआर
	श्रीमती विजयलक्ष्मी जोशी (05.10.2012 तक)	4	4	हां
	श्री सुनीर खुराना (18.09.2012 तक)	4	4	एनआर
	श्री वेद प्रकाश	7	7	हां
	श्री राजीव जयदेव	7	7	हां
	श्री एम.जी. गुप्ता	7	7	हां
	श्री आनन्द त्रिवेदी (03.07.2012 से)	6	6	हां
(ख)	अंशकालिक पदेन निदेशक (सरकार द्वारा नामित)			
	डा. राजन कटोच (22–5–2012 तक)	1	..	एन आर
	श्रीमती अनिता अग्निहोत्री (22–5–2012 तक)	6	3	नही
	श्री मधूसूदन प्रसाद	7	5	हां
(ग)	गैर सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशक			
	श्री अनिल बैजल (11–06–2012 तक)	1	1	एनआर
	श्रीमती अरूणा माखन (14–06–2012 तक)	1	1	एनआर
	श्री एच.एल. जुत्शी (11–06–2012 तक)	1	1	एनआर
	श्री अनिल राजदान	7	7	हां
	श्री जी.एस. वेदी	7	7	हां
	श्री अरूण बालकृष्णन	7	5	हां

एन आर – आवश्यकता नहीं –क्योंकि संबंधित निदेशक एजीएम की तारीख को एमएमटीसी के निदेशक मंडल में शामिल नहीं थे।

बोर्ड की समितियां

निगम के मामलों पर अधिक ध्यान केन्द्रित करने, अतिशीघ्र आधार पर विचार–विमर्श करने तथा निर्णय लेने के लिए निदेशक मंडल ने विभिन्न भूमिकाओं, दायित्वों तथा प्राधिकारों के साथ निम्नलिखित समितियों का गठन किया है :

क) निदेशकों की लेखा परीक्षा समिति

ख) शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायत समिति

ग) निदेशकों की पारिश्रमिक समिति

घ) कार्मिक नीतियों पर निदेशकों की समिति

च) सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और एसोसिएट कंपनियों पर निदेशकों की समिति

छ) निदेशकों की कार्यकारी प्रबंधन समिति

ज) सतत विकास पर निदेशकों की समिति

निदेशकों की लेखा–परीक्षा समिति

निदेशक मंडल द्वारा गठित वर्तमान लेखा परीक्षा समिति में तीन गैर–सरकारी (स्वतंत्र) अंशकालिक निदेशक तथा (सरकार द्वारा नामित) एक अंशकालिक निदेशक हैं। वर्ष के दौरान आयोजित समिति की सभी बैठकों की अध्यक्षता गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक द्वारा की गई। कंपनी सचिव इस समिति के सचिव बने रहे। लेखा–परीक्षा कार्यों का निरीक्षण, अति महत्वपूर्ण जॉच की पुनरीक्षा, लेखा मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करना तथा निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व वित्तीय विवरणों को स्वीकृति प्रदान करना इस समिति के प्रमुख कार्य हैं। लेखा परीक्षा समिति की भूमिका, कार्यक्षेत्र तथा प्राधिकारों में कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत अपेक्षित प्रावधानों का अनुपालन तथा स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीकरण अनुबंध की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना भी शामिल है।

वर्ष 2012–13 में समिति की आठ बैठकें आयोजित हुईं, जिनका विवरण नीचे दिया जा रहा है :

कमांक	बैठक की तिथि	उपस्थित सदस्य	अध्यक्ष
1.	15.05.2012	श्री अनिल बैजल श्रीमती अरुणा माखन श्री अनिल राजदान श्री जी. एस. वेदी	श्री अनिल बैजल ,
2.	09.08.2012	श्री अनिल राजदान श्री जी एस वेदी श्री अरून बालाकृष्णन श्रीमती अनिता अग्निहोत्री	श्री अनिल राजदान ,
3.	14.08.2012	श्री अनिल राजदान श्री जी एस वेदी श्री अरून बालाकृष्णन	श्री अनिल राजदान ,
4	28.08.2012	श्री अनिल राजदान श्री जी एस वेदी श्री अरून बालाकृष्णन	श्री अनिल राजदान
5.	26.10.2012	श्री अनिल राजदान श्री जी एस वेदी श्रीमती अनिता अग्निहोत्री	श्री अनिल राजदान
6.	08.11.2012	श्री अनिल राजदान श्री जी एस वेदी श्री अरून बालाकृष्णन श्रीमती अनिता अग्निहोत्री	श्री अनिल राजदान
7.	13.12.2012	श्री अनिल राजदान श्री जी एस वेदी श्री अरून बालाकृष्णन श्रीमती अनिता अग्निहोत्री	श्री अनिल राजदान
8.	13.02.2013	श्री अनिल राजदान श्री जी एस वेदी श्री अरून बालाकृष्णन श्रीमती अनिता अग्निहोत्री	श्री अनिल राजदान

समिति के विचार विमर्श में सहायता हेतु निगम के अन्य कार्यरत निदेशक तथा सांविधिक लेखा परीक्षक भी उपरोक्त बैठकों में उपस्थित रहे। उपरोक्त बैठकों के कार्यवृत्त बोर्ड के समक्ष नियमित रूप से सूचनार्थ प्रस्तुत किए गए।

शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायत समिति

निदेशक मंडल द्वारा गठित शेयरधारकों/निवेशकों की वर्तमान समिति में सरकार द्वारा नामित गैर कार्यकारी निदेशक (अपर सचिव तथा वित्त परामर्शदाता, वाणिज्य विभाग, भारत सरकार) को अध्यक्ष तथा एमएमटीसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा एमएमटीसी के निदेशक (वित्त) को सदस्यों के रूप में शामिल किया गया है। कंपनी सचिव समिति के सचिव बने रहे। समिति शेयर अंतरण,रिमैटेरियलाइजेशन व डिमैटेरियलाइजेशन आदि के निवेश पर शीघ्रतापूर्वक विचार एवं स्वीकृति प्रदान करता है तथा शेयरहोल्डरों/अन्य निवेशकों की शिकायतों पर निर्णय की निगरानी करती है।

वर्ष 2012–13 के दौरान परिपा के माध्यम से संकल्प पास करने के अलावा निवेशकों की शेयरहोल्डर/निवेशक शिकायत समिति की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक का कार्यवृत्त सूचनार्थ निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

निदेशकों की पारिश्रमिक समिति

निदेशक मण्डल द्वारा गठित निदेशकों की वर्तमान पारिश्रमिक समिति में श्री जी.एस. बेदी, अंशकालिक नान आर्फिशियल(स्वतत्र) निदेशक को अध्यक्ष, श्री अरूणा बालाकृष्णनन, अंशकालिक नॉन आफिशियल निदेशक तथा भारत सरकार द्वारा नामित गैर–कार्यकारी दोनों निदेशकों को सदस्य के रूप में शामिल किया गया हैं। स्टाक एक्सचेजों के साथ हस्ताक्षरित सूचीकरण करार की धारा 49 तथा दिनांक 26 नवम्बर 2008 को जारी डी पी ई के दिशा निर्देशों में वर्णित सभी कार्यों तथा दायित्वों का निर्वाह करने के साथ–साथ ये अधिकारी इनमें वर्णित उक्त सभी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। कंपनी सचिव इस समिति के सचिव हैं।

कार्यशील प्रबंधन निदेशकों की समिति

निदेशक मंडल द्वारा गठित 'कार्यशील प्रबंधन निदेशकों की समिति' का वर्तमान संगठन जिसमें एमएमटीसी के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक समिति के अध्यक्ष, सभी कार्यरत निदेशक समिति के सदस्य तथा कंपनी सचिव समिति के सचिव है। कम्पनी अधिनियम, 1956/अन्य विधिक मामलों के अधीन विनिर्दिष्ट, निदेशक मंडल की बैठक में विचार एवं निर्णय लिए जाने वाले मामलों और/अथवा शेयरधारकों तथा अन्य विनिर्दिष्ट मामलों और बोर्ड द्वारा निर्णय अथवा विचारार्थ आरक्षित मामलों और एमएमटीसी के आर्टिकल आफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 99 के अधीन निदेशक मंडल द्वारा गठित किसी अन्य समिति द्वारा लिए जाने वाले निर्णय को छोड़कर समय–समय पर निदेशक मंडल द्वारा अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक को प्रदत्त शक्तियों के उपर सभी मामलों में निर्णय लेने के लिए शक्तियां प्रदान की गई हैं। वर्ष 2012–13 के दौरान समिति की 56 बैठकें आयोजित की गईं। इन बैठकों का कार्यवृत्त निदेशक मंडल के सूचनार्थ प्रस्तुत किए गये।

कार्मिक नीतियों पर निदेशकों की समिति

सेवा नियमों तथा अन्य कार्मिक नीतियों में संशोधन/सूत्रीकरण पर विचार करने तथा अनुमोदन करने के लिए निदेशक मंडल ने कार्मिक नीतियों पर निदेशकों की समिति का गठन किया है जिसमें वर्तमान में श्री जी.एस. वेदी अंशकालिक नॉन आफिशियल(स्वतंत्र) निदेशक इसके अध्यक्ष हैं तथा श्री अनिल राजदान, सरकार द्वारा नामित अंशकालिक (स्वतंत्र निदेशक) तथा सरकार द्वारा नामित अंशकालिक निदेशक (अपर सचिव वाणिज्य विभाग) इसके सदस्य हैं। कंपनी सचिव इस समिति के सचिव हैं इसके साथ ही यह समिति समय–समय पर संशोधित एमएमटीसी कर्मचारी आचार, अनुशासन एवं अपील नियम, 1975 के अंतर्गत 'अपिलेंट अथारिटी' का काम भी करती है। वर्ष 2012–13 के दौरान इस समिति की एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक के कार्यवृत्त बोर्ड के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत किये गये।

सहायक कंपनियों,संयुक्त उद्यमों तथा एसोसिएट कंपनियों पर निदेशकों की समिति

निवेशों/विनिवेशों पर विचार करने तथा स्वीकृति का अनुपालन करने, मौलिक मानदंडों/चार्टर/समझौतों और उनमें निदेशक मंडल द्वारा किसी परिवर्तन की स्वीकृति और कार्यशील प्रबंधन के साथ पुनरीक्षा करने तथा एमएमटीसी के निवेश के संबंध में रणनीतिक मामलों पर सलाह करने और परियोजनाओं के कार्यनिष्पादन/संयुक्त उद्यमों/एसोसिएट कंपनियों/विदेशी कार्यालयों/एमएमटीसी की सहायक कंपनियों के लिए निदेशक मंडल ने एक ''सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और एशोसिएट कंपनियों'' पर निदेशकों की समिति का गठन किया है।

वर्तमान में समिति में श्री अरूण बालाकृष्णन, अंशकालिक नान आफिशियल (स्वतंत्र) निदेशक समिति के अध्यक्ष, श्री अनिल राजदान अंशकालिक नान–आफिशियल(स्वतंत्र) निदेशक सदस्य हैं। कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में शामिल हैं। वर्ष 2012–13 के दौरान समिति की निम्नलिखित एक बैठक आयोजित की गईं। इस बैठक के कार्यवृत्त निदेशक मंडल के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत किए गए।

सतत विकास पर निदेशकों की समिति

निदेशक मंडन ने ''सतत विकास पर निदेशकों की समिति'' का गठन किया है। यह समिति डीपीई के दिशा–निर्देशों पर आधारित सतत विकास पर एमएमटीसी नीति पर विचार करके अनुमोदन करती है तथा सतत विकास निष्पादन और इसके प्रभाव का विश्लेषण करती है।

अभी इस समिति में श्री अरूण बालाकृष्णन, अंशकालिक पदेन (स्वतंत्रा) निदेशक समिति के अध्यक्ष हैं तथा श्री वेदप्रकाश, श्री आनंद त्रिवेदी, निदेशक (विपणन) इसके सदस्य हैं। कंपनी सचिव इस समिति के सचिव हैं। वर्ष 2012–13 के दौरान इस समिति की एक बैठक हुई जिसके कार्यवृत्त निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किए गए।

आम सभा बैठकें

निगम की आम सभा, निगम के पंजीकृत कार्यालय के परिसर में आयोजित की जाती हैं। विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान आयोजित ऐसी आम सभाओं के विवरण नीचे दिये गए हैं :–

बैठक की प्रकृति	दिनांक तथा समय	पारित विशेष संकल्प
47वीं वार्षिक आम सभा	21.09.2010 को 1130 बजे	–
48 वार्षिक आम सभा	30.09.2011 को 1200 बजे	–
49वीं वार्षिक आम सभा	28.09.2012 को 12.00 बजे	–

आगामी वार्षिक आम सभा तक डाकमतों द्वारा किसी विशेष संकल्प का प्रस्ताव नहीं है।

प्रस्तुतीकरण

क) निदेशक मण्डल के किसी भी सदस्य का कंपनी के साथ कोई आर्थिक संबंध अथवा लेन–देन नही है।

ख) विशेष रूप से संबंधित पक्षकारों के बीच कोई लेन देन नहीं हुआ है अर्थात कंपनी का अपने प्रोमोटर्स, निदेशकों, अथवा प्रबंधन, सहायक कंपनियों अथवा संबंधियों इत्यादि के साथ ऐसी कोई महत्वपूर्ण प्रकृति का लेन–देन नहीं हुआ है जिससे कंपनी के हित प्रभावित होने की शंका हो। ''संबंधित पक्ष लेन–देन'' के अन्य वितरण वार्षिक रिपोर्ट में लेखों के अंश के नोट में प्रकट किये गये हैं।

ग) लिस्टिंग एग्रीमेंट की धारा 41 के अधीन अपेक्षित विनिर्दिष्ट मामलों को कंपनी के सीईओ/सीएफओ ने बोर्ड के समक्ष सत्यापित कर दिया है।

घ) कंपनी ने इम्पलाइज स्टाक आप्शन स्कीम नहीं अपनाया है।

ड) कंपनी ने ''व्हिसल ब्लोअर पालिसी'' तैयार की है जिसे एमएमटीसी के वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है।

च) कंपनी के विरूद्ध पिछले तीन वर्षों के दौरान उल्लंघन का कोई मामला दर्ज नहीं हुआ तथा विगत तीन वर्षों में पूंजी बाजार से संबंधित किसी भी मामले में स्टॉक एक्सचेंज अथवा सेबी अथवा किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी पर किसी प्रकार का अर्थ दण्ड नहीं लगाया गया।

सूचना के साधन

कंपनी के तिमाही, अर्ध–वार्षिक अनअंकेक्षित परिणामों को संबंधित अवधि की समाप्ति के 45 दिनों के भीतर और कम्पनी के वार्षिक अंकेक्षित परिणामों को 60 दिनों में घोषित किया जाता है जिन्हें सामान्यतः प्रमुख राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है तथा इन्हें कंपनी की वेबसाइट www.mmtclimited.com पर उपलब्ध कराया जाता

शेयर धारकों की सूचना

(क) वार्षिक आम बैठक :

कंपनी की 50 वीं वार्षिक आम बैठक दिनांक 30 सितम्बर, 2013 को 1130 बजे स्कोप काम्पलेक्स, 7, इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोदी रोड, नई दिल्ली– 110003 में आयोजित की जायेगी।

(ख) वर्ष 2013–14 के लिए वित्तीय कैलेंडर

प्रथम तिमाही परिणाम (अनअंकेक्षित) 14.08.2013 को अथवा इससे पहले घोषित किए गए।

द्वितीय तिमाही परिणाम (अनअंकेक्षित) 14.11.2013 को अथवा इससे पहले घोषित किए जाएंगे।

तृतीय तिमाही परिणाम (अनअंकेक्षित) 14.02.2014 को अथवा इससे पहले घोषित किए जाएंगे।

चतुर्थ तिमाही परिणाम (अनअंकेक्षित) 30.05.2014 को अथवा इससे पहले घोषित किए जाएंगे।

वर्ष 2013–**14** के वार्षिक अंकेक्षित परिणाम दिनांक 30.05.2014 को या इससे पूर्व लिस्टिंग एग्रीमेंट के वर्तमान लागू प्रावधानों के अनुसार घोषित किए जाएंगे।

(ग) बुक क्लोजर की तिथियॉं :

वार्षिक आम बैठक तथा अंतिम लाभांश की घोषणा के प्रयोजन हेतु दिनांक 07.09.2013 से 30.09.2013 (दोनों दिन शामिल हैं) तक शेयर अन्तरण पुस्तिकाओं तथा सदस्यों के रजिस्टर को बंद रखा गया।

(घ) लाभांश भुगतान

विगत तीन वर्षों के दौरान प्रदत्त लाभांश का विवरण इस प्रकार है

वर्ष	2009-10	2010-11	2011-12
दर	45%**	25%	25%
तिथि	15.10.2010	27.10.2011	25.10.2012

टिप्पणियॉं :– **बढ़े हुए बोनस उपरांत इक्विटी पूंजी पर

(ड.) स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्धता

कंपनी के शेयर दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता और चेन्नई के स्टॉक एक्सचेजों में सूचीबद्ध हैं। अब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर भी कंपनी के इक्विटी शेयर लिस्ट हो चुके हैं।

(च) बाजार–मूल्य विवरण(डाटा):

वर्ष 2012–13 के दौरान मुंबई स्टाक एक्सचेन्ज पर उद्धृत/व्यापार किए गए एमएमटीसी के स्क्रिप का माहवार बाजार भाव आंकड़ा नीचे दिया जा रहा है:

माह	उच्च	निम्न	माह	उच्च	निम्न
अप्रैल 2012	815.90	671.00	अक्तूबर 2012	773.10	705.50
मई 2012	843.90	701.55	नवम्बर 2012	776.75	655.00
जून 2012	778.45	671.10	दिसम्बर 2012	699.00	571.00
जुलाई 2012	890.90	686.00	जनवरी 2013	656.00	556.05
अगस्त 2012	833.00	696.00	फरवरी 2013	649.00	422.65
सितम्बर 2012	816.75	735.00	मार्च 2013	435.55	196.65

(छ) रजिस्ट्रार तथा ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) :

डिमैटिरियलाइज्ड तथा फिजिकल दोनों प्रकार के शेयरों के लिए कंपनी ने मैसर्स एमसीएस लिमिटेड, एफ 65 ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेस–1, नई दिल्ली–110020 को अपना रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेन्ट नियुक्त किया है।

(ज) शेयरों का डिमैटिरियलाइजेशन :

सीडीएसएल तथा एनएसडीएल द्वारा आईएसआईएन संख्या आईएनई123एफ01029 के साथ, एमएमटीसी लिमिटेड के शेयर डिमैटिरियलाइज्ड रूप में व्यापार करने हेतु स्वीकृत प्रतिभूति के रूप में स्वीकार किए गए।

31 मार्च, 2013 को एमएमटीसी लिमिटेड के 100 करोड़, प्रत्येक 1 रुपये फेस वैल्यू वाले, इक्विटी शेयरों में से 99,33,12,000 शेयर भारत के राष्ट्रपति के नाम पर हैं और 66,86,795 डिमैटीरियलाइज्ड रूप में अन्य के पास हैं, और केवल 1205 शेयर फिजिकल रूप में रह गये हैं।

(झ) शेयर अंतरण पद्धति :

कंपनी के शेयरों को इनके प्रस्तुत किए जाने के अधिकतम 30 दिन की अवधि के अन्दर अन्तरित कर दिया जाता है। डिमैटिरियलाइज्ड रूप में उपलब्ध शेयरों का अन्तरण डिपाजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से एनएसडीएल/सीडीएसएल द्वारा इलेक्ट्रोनिक फार्म में प्रोसेस तथा अनुमोदित किया जाता है। दिनांक 31.03.2013 को शेयर अन्तरण का कोई भी मामला लम्बित नहीं था। शेयर अंतरण तथा निवेश संबंधी सभी मामले आरटीए कार्यालय अर्थात एमसीएस लिमिटेड द्वारा देखे तथा प्रोसेस किए जाते हैं। शेयरधारक अंतरण डीड तथा कोई अन्य दस्तावेजों को एमएमटीसी लिमिटेड के आरटीए कार्यालय में उपरोक्त पते पर जमा करा सकते हैं ।

(ञ) 31.03.2013 को शेयर होल्डिंग का वितरणः स्टॉक एक्सचेंज के साथ हुए सूचीकरण अनुबंध के खंड 35 के अनुसरण में दिनांक 31.3.2013 का शेयरहोल्डिंग के वितरण का विवरण नीचे दिया गया हैः–

शेयरधारक की श्रेणी	शेयरहोल्डर्स की संख्या	धारित शेयरों की संख्या	कुल शेयरों की तुलना में शेयरहोल्डिंग का प्रतिशत
प्रवर्तक की शेयरहोल्डिंग एवं प्रवर्तक समूह			
केन्द्र सरकार	1	993312000	99.3312
सार्वजनिक शेयरहोल्डिंग			
म्युचल फंड/यूटीआई	2	30,92,126	0.3092
वित्तीय संस्थाएं/बैंक	5	30230	0.0030
विदेशी संस्थागत निवेशक	2	201	0.0000
गैर संस्थागत			
कारपोरेट संगठन	1185	10,42,311	0.1042
1 लाख रुपये तक शेयर कैपिटल रखने वाले व्यक्ति	47624	24,72,938	0.2473
ट्रस्ट व फाउंडेशन	1	67	0.0000
गैर आवासीय व्यक्ति	440	48,229	0.0048
योग	49260	100,00,00,000	100

टिप्पणी : कोई भी जीडीआर/एडीआर/वॉरन्ट/ परिवर्तनीय दस्तावेज बकाया नहीं है।

(ट) शेयरधारकों/अन्य निवेशकों की समस्याएं :–

शेयरधारक/अन्य निवेशक अपनी समस्याएं श्री जी आनन्द नारायण, सहायक कम्पनी सचिव को ई मेल आईडी ganarayanan@mmtclimited.com पर भेज सकते हैं।

(ठ) पत्राचार का पता :

बोर्ड सचिवालय
एमएमटीसी लिमिटेड, कोर –1, स्कोप कॉम्पलैक्स,
7, इंस्टीट्यूश्नल एरिया, लोदी रोड, नई दिल्ली –110003
फोन संख्या : 011– 24361889 / फैक्स संख्या : 011–24360724
ई मेलः ganarayanan@mmtclimited.com

एमएमटीसी व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट वित्त वर्ष 2012–13

हमारे बारे में

यह कंपनी भारत में निगमित और स्थापित हुई तथा यह मिनी रत्न सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के नियंत्रण में कार्य करती है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय कोर –1 स्कोप काम्पलेक्स, इंस्ट्टीट्यूश्नल एरिया लोदी रोड नई दिल्ली –110003 भारत है। कंपनी के भारत में विभिन्न स्थानों में 13 क्षेत्रीय कार्यालय हैं और पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी एमएमटीसी ट्रांसनेशनल प्राइवेट लिमिटेड (एमटीपीए सिंगापुर) है।

कंपनी के प्रमुख कार्यकलाप में खनिजों का निर्यात और कीमती धातु, अलौह धातु, कृषि उत्पाद, उर्वरक, कोल व हाइड्रोकार्बन का आयात शामिल हैं।

कंपनी के व्यापारिक कार्यकलाप एशिया, यूरोप, अफ्रीका, मिडल ईस्ट, लैटिन अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के देशों में फैले हुए हैं।

यह भारत सरकार का पहला सार्वजनिक उपक्रम है जिसे निर्यात में अपने लम्बे योगदान के लिए ''फाईव स्टार एक्सपोर्ट हाउस'' का दर्जा दिया गया है।

एमएमटीसी ने मुक्त वातावरण में उभरते हुए नए अवसरों का लाभ उठाने के लिए/प्राइवेट पार्टनरशिप रूट को अपनाते हुए विभिन्न संयुक्त उपक्रम प्रोन्नत किए हैं।

कारपोरेट मिशन

भारत की सबसे बड़ी व्यापारिक कंपनी के रूप में एमएमटीसी अपनी स्थिति को मजबूत करते हुए सतत और व्यवहार्य वृद्धि दर को प्राप्त करने के लिए शेयरहोलडरों, ग्राहकों, आपूर्तिकारों, कर्मचारी और समाज के संपूर्ण संतोष के माध्यम से तथा अपने सभी कार्यकलापों में श्रेष्ठता के माध्यम से अधिकतम लाभ अर्जित करने के लिए प्रयासरत् रहती है।

कारपोरेट उद्देश्य

- प्रतिस्पर्धी वैश्विक व्यापारिक वातावरण में प्रमुख सक्षम कंपनी के रूप में 'बल्क' और नियोजित पूंजी पर लाभ को बढ़ाने के लिए भारत में अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी के रूप में स्थापित करना।
- खनिज, धातु व कीमती धातु जैसे उत्पादों के लिए अकेली सबसे बड़ी व्यापारिक कंपनी की स्थिति बनाए रखना।
- व्यापार संबंधी संरचना के विकास को प्रोन्नत करना।
- मध्यम व छोटे स्तर के उद्योगों को सहायक सेवा उपलब्ध कराना।
- सभी श्रेणी के ग्राहकों को व्यावसायिकता व सक्षमता के साथ उच्च गुणवत्ता की सेवाएं देना।
- वाणिज्यिक विवादों के निपटान के लिए कंपनी के भीतर सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करना।
- उच्च उत्पादकता हासिल करने के लिए कर्मचारियों की कुशलता को बढ़ाना।

व्यापार दायित्व रिपोर्ट वित्त वर्ष 2012–13

हाल में लाए गए लिस्टिंग एग्रीमेंट ऑफ दि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) के खंड 55 के अनुसार बाजार पूंजीकरण के संदर्भ में सबसे बड़ी सूचीयन कंपनियों के लिए वार्षिक व्यापार दायित्व रिपोर्ट (बीआरआर) अनिवार्य कर दी गई है। यह वित्त वर्ष 2012–13 के निष्पादन के लिए हमारी पहली बीआरआर है।

खण्ड क : कंपनी के बारे में सामान्य सूचना

1. कंपनी का कारपोरेट आईडेंटिटी नम्बर (सीआईएन)
   L51909DL1963GOI004033
2. कंपनी का नाम
   एमएमटीसी लिमिटेड
3. पंजीकृत पता
   कोर–1 स्कोप काम्पलेक्स 7, इंस्ट्टीट्यूश्नल एरिया लोदी रोड, नई दिल्ली–110003
4. वेबसाइट
   www.mmtclimited.com
5. ई मेल आईडी
   mmtc@mmtclimited.com
6. रिपोर्ट किया गया वित्त वर्ष
   2012–13
7. क्षेत्र जिसमें कंपनी कार्यरत है (औद्योगिक कार्यकलाप कोड–वार)
   ट्रेडिंग

8. 3 प्रमुख उत्पादकों/सेवाओं की सूची जिसमें कंपनी निर्माण करती है या उपलब्ध्र कराती है। (जैसा तुलन पत्र में है)

(क) कीमती धातु

(ख) कृषि उत्पाद

(ग) कोयला एवं हाइड्राकार्बन

9. ऐसे स्थानों की कुल संख्या जहां कंपनी द्वारा व्यापारिक गतिविधियां चलाई जाती हैं

i. अंतर्राष्ट्रीय स्थान प्रमुख 5 का विवरण दें।

सिंगापुर में एक सहायक कंपनी

ii. देश में कार्यालय

भारत में 13 क्षेत्रीय कार्यालय

10. कम्पनी द्वारा मार्केट जहाँ सेवाएं दी जाती हैं

स्थानीय/राज्य/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय

एशिया, यूरोप, अफीका,मध्य–पूर्व, लेटिन अमेरिका तथा उत्तरी अमेरिका

खण्ड ब: कम्पनी का वित्तीय विवरण

1.	प्रदत्त पूंजी (रुपयों में)	1000 मिलियन
2.	कुल कारोबार (रुपयों में)	2,84,156 मिलियन
3.	करोपंरात कुल लाभ –(भारतीय रुपयों में)	(706) मिलियन सकल हानि
4.	कारपोरेट समाजिक दायित्व के लिए कुल बजटीय खर्च करोपंरात लाभ के प्रतिशत के रूप में	पैट का 3 प्रतिशत (2011–12)
5.	गतिविधियों की सूची जिन पर कॉलम 4 में दर्शाया गया खर्च किया गया है	–शैक्षिक मूलभूत ढांचे –प्राथमिक स्वास्थ्य लाभ –शिक्षा –साक्षरता –उत्थान/ कार्यकुशलता विकास –खेल–कूद कला तथा संस्कृति का उत्थान –सीएसआर के पक्ष में

खण्ड स: अन्य विवरण

1. क्या कम्पनी की कोई सहायक कम्पनी/कम्पनियां है ?

जी हां। एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड सिंगापुर (विदेश में सहायक कम्पनी)

2. क्या सहायक कम्पनी/कम्पनियां पेरेंट कम्पनी के बीआर पहल में भागीदारी करती हैं ? यदि हां, तो ऐसी सहायक कम्पनियों की संख्या बताइए

नहीं

3. क्या कम्पनी के व्यापार में अन्य एन्टीटी उदाहरण के लिए आपूर्ति का वितरक इत्यादि के साथ कम्पनी के बीआर पहल में भागीदारी करते हैं ? यदि हां, तो एन्टीटी का प्रतिशत बताइए (30 प्रतिशत, 30–60 प्रतिशत और 60 प्रतिशत से अधिक)

नहीं

खण्ड घ : बीआर सूचना

1. बीआर के लिए जिम्मेदार/निदेशक/निदेशकों का विवरण

क. बीआर नीति/नीतियां के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार निदेशक/निदेशकों का विवरण

– डीआईएन नम्बर – **03368001**

– नाम – **श्री राजीव जयदेव**

– पदनाम – **निदेशक (कार्मिक)**

ख. बीआर प्रमुख का विवरण

क्र.सं.	विवरण	ब्यौरा
1.	डीआईएन नम्बर (यदि लागू है)	
2	नाम	वी.पी. मेहता
3	पदनाम	महाप्रबन्धक (कार्मिक)
4.	टेलीफोन संख्या	011–24381279
5.	ई–मेल	vpmehta@mmtclimited.com

2. प्रिन्सिपल–वार (एनवीजी) के बी आर नीति /नीतियां (हाँ या नहीं में उत्तर)

कम	प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
1.	क्या आपके पास ..... के लिए कोई योजना / योजनाएं हैं	हां	नहीं	हां	हां	हां	नहीं	नहीं	हां	नहीं
2.	क्या नीति संबंधित स्टेक होल्डरों से परामर्श करके बनाई गई	हां		हां	हां	हां			हां	
3.	क्या नीति किसी राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार हैं? यदि हां तो स्पष्ट करें (50 शब्दों में)	नहीं		नहीं	हां	हां			हां	
4.	क्या नीति बोर्ड द्वारा अनुमोदित की गई है? यदि हां तो क्या यह एमडी/मालिक/सीईओ/उपायुक्त निदेशक बोर्ड द्वारा हस्ताक्षर की गई है?	हां		हां	हां	हां			हां	
5.	क्या कंपनी में कोई/निदेशक/नीति पर नजर रखनेवाले कर्मचारियों की निर्धारित समिति है?	हां		हां	हां	हां			हां	
6.	नीति को ऑनलाइन देखने के लिए क्या लिंक है ?	**www.mmtc limited.com**		**www.mmtc limited.com**						
7.	क्या नीति आंतरिक व वाहय सभी स्टेक होल्डरों को विधिवत बताई गई हैं?	हां		हां	हां	हां			हां	
8.	क्या कंपनी में नीति/नीतियों को लागू करने के लिए इन–हाउस स्ट्रक्चर हैं?	हां		हां	हां	हां			हां	
9.	क्या कंपनी में स्टेक होल्डरों की नीति/नीतियों से संबंधित शिकायत को दूर करने के लिए कोई शिकायत दूर करने का मैकेनिज्म है?	हां		हां	हां	हां			हां	
10.	क्या कंपनी ने इस नीति को सुचारू रूप से काम करने के लिए किसी आंतरिक अथवा स्वतंत्र एजेंसी द्वारा आडिट/मूल्यांकन करवाया है ?	नहीं		नहीं		हां				

2ए. यदि क.सं. 1 के लिए किसी भी प्रिंसिपल का उत्तर नहीं है तो कृपया उल्लेख करें कि उत्तर क्यों नहीं है दो विकल्पों तक टिक करें।

क्र.सं	प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
1	कंपनी ने प्रिंसिपल को नहीं समझा है।									
2	कंपनी ऐसी स्थिति में नहीं है जहां वह निर्धारित प्रिंसिपल पर बनाई गई नीतियों को बनाकर लागू कर सकें।		✓				✓	✓		✓
3	कंपनी के पास इस काम के लिए वित्तीय अथवा श्रम शक्ति के स्रोत उपलब्ध नहीं है।									
4	ऐसा अगले छः महीनों में कर लेने की योजना है।									
5	ऐसा अगले एक वर्ष में कर लेने की योजना है।									
6	अन्य कोई कारण (कृपया उल्लेख करें)									

3. बी आर से संबंधित गवरनेंस

- कृपया यह बताएं कि निदेशक मंडल, निदेशक समिति या मुख्य कार्यकारी अधिकारी किस अंतराल पर कंपनी की बी आर परफारमेंश का जायजा लेती है। 3 मास की अवधि में, 3–6 मास की अवधि में, वार्षिक रूप से, 1 वर्ष से अधिक की अवधि में।

  एमएमटीसी का बोर्ड नियमित रूप से प्रत्येक तिमाही को बैठक करता है। बोर्ड की बैठकों में स्ट्रक्चर एजेंडा पर चर्चा होती है। सभी बड़े मामलों के लिए अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणियों के साथ एजेंडा का विस्तार से उल्लेख करते हुए कागजात पहले से ही जारी कर दिए जाते हैं जिससे कि बोर्ड मामले पर समुचित तथा स्वतंत्र निर्णय ले सकें। अन्य मामलों के साथ संगठन के एसडी प्लान पर भी चर्चा की जाती है।

  कंपनी के मामलों पर शीघ्र विचारार्थ तथा सही दिशा में निर्णय लेने के लिए बोर्ड ने विशेष भूमिका, दायित्व तथा शक्तियों से निहित विभिन्न समितियों का गठन किया है। शीर्ष प्रबंधन प्रत्येक तिमाही में होने वाली बैठक में संगठन परफारमेंस की व्याख्या करता है। वर्ष 2012–13 के दौरान एमएमटीसी के प्रबंधतंत्र ने निम्नलिखित पर विचार विमर्श तथा पुनरीक्षा की है :–

❖ कारपोरेट योजना
❖ एच आर से संबंधित मामले
❖ संयुक्त उद्यमों में निवेश
❖ बजट
❖ शेयरधारक/निवेशकर्त्ताओं की शिकायतें
❖ निवेश की स्थिति
❖ वित्तीय विवरणों/परिणामों को मंजूरी
❖ सीएसआर/एसडी गतिविधियों के कार्यान्वयन की स्थिति
❖ ड्राफ्ट एम ओ यू
❖ देनदारों की पुनरीक्षा आदि

- **क्या कंपनी एक बी आर पर एक सस्टेनेबलटी रिपोर्ट प्रकाशित करती है? इस रिपोर्ट का अवलोकन करने के लिए कौन सा हाइपर लिंक उपलब्ध है। यह रिपोर्ट कितने अंतराल पर प्रकाशित की जाती है।**

  एमएमटीसी ने वर्ष 2012–13 के लिए अपनी पहली बीआरआर रिपोर्ट तैयार की है। यह वर्ष 2012–13 की वार्षिक रिपोर्ट का भाग होगी तथा इसे www.mmtc.limited.com पर देखा जा सकता है। सेबी के मैन्डेट के अनुसार मार्किट पूंजी के आधार पर 100 बड़ी कंपनियों की बीआरआर तैयार करनी है। अतः हम वर्ष 2013 से प्रत्येक वर्ष अपना बीआरआर वार्षिक रिपोर्ट के भाग के रूप में प्रकाशित करने का इरादा रखते हैं।

  संगठन यूनाइटेड नेशनल ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क का सदस्य है तथा नियमित रूप से कम्यूनिकेशन आन प्रोग्रेस (सीओपी) जारी करता है। यह हमारी वेबसाइट पर सभी स्टेक होल्डरों को उपलब्ध है।

खण्ड ई– प्रिंसिपल वाइज परफॉरमेंस

प्रिंसिपल1– व्यापार नैतिकता, पारदर्शिता तथा जवाबदेही

की नीतियों पर आधारित हो।

1. **क्या नैतिकता, रिश्वत तथा भ्रष्टाचार से संबंधी नीति केवल कंपनी पर ही लागू रहती है?**

   जी हां। कंपनी का नैतिक आचरण कई नीतिगत अगुवाई में परिलक्षित होता है जो सभी स्तरों पर कर्मचारी आचरण, अनुशासन व अपील नियम के रूप में केवल कर्मचारियों के आचरण को समाहित नहीं करती बल्कि वरिष्ठ प्रबंधन के आचरण के लिए भी अलग से दिशा निर्देश प्रदान करती है। (इसमें बोर्ड स्तर के कार्यकारी भी शामिल है) ये दिशा निर्देश एमएमटीसी लि0 के बोर्ड के सदस्य तथा वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यापार आचरण तथा नैतिकता के कोड के रूप में है। इसके अतिरिक्त नीतिगत व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इंटिग्रिटी पैक्ट, विसलब्लोअर नीति तथा सिटीजन चार्टर जैसी नीतियां भी है।

   क्या यह समूह/संयुक्त उद्यम/सप्लायरों/ ठेकेदारों/ एनजीओ/अन्य पर भी लागू होता है?

   जी हां, इंटिग्रेटी पैक्ट, सिटीजन चार्टर, सप्लायरों, ठेकेदारों आदि पर भी लागू होता है जबकि कोड ऑफ कंडक्ट तथा विसल–ब्लोअर नीतियां केवल कंपनी के कर्मचारियों के लिए है।

2. **पिछले वित वर्ष में स्टेक होल्डरों की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई तथा उनका कितने संतोषजनक रूप से निपटान प्रबंधतंत्र द्वारा किया गया? यदि कुछ है तो उसका 50 शब्दों में ब्यौरा दें।**

   जी हॉं, पिछले वित्तीय वर्ष में स्टेक होल्डरों से एक शिकायत प्राप्त हुई थी जो कि डिस्ट्रिक्ट कन्ज्यूमर डिस्प्यूटस रिड्रैसल फोरम, हावड़ा के विचाराधीन है।

प्रिंसिपल 2 – व्यापार ऐसे माल तथा सेवाएं प्रदान करें जो कि सुरक्षित तथा अपने जीवन चक्र में टिकाऊ हो।

लागू नहीं। एमएमटीसी केवल व्यापारिक कारोबार में है तथा उत्पादन में सीधे रूप से सक्रिय नहीं है। तथापि एमएमटीसी अपने व्यापारिक उत्पादों की श्रेष्ठ गुणवत्ता सुनिश्चित करती है।

प्रिंसिपल 3 –व्यापार कर्मचारियों के कल्याण को उन्नत करने वाला हो।

1. **कृपया कुल कर्मचारियों की संख्या बताएं**

   दिनांक 31.3.2013 को कुल कर्मचारी संख्या 1605 है।

2. **कृपया अस्थाई/ठेके पर/कैजुअल आधार पर रखे गए कर्मचारियों की संख्या बताएं।**

   विभिन्न एजेंसियों/सोसाइटियों से कुल 308 कर्मचारी ठेके पर रखे गए हैं।

3. **कृपया स्थाई महिला कर्मचारियों की संख्या बताएं**

   दिनांक 31.03.2013 को कुल स्थाई महिला कर्मचारियों की संख्या 305 है।

4. **कृपया विकलांग स्थाई कर्मचारियों की संख्या बताएं।**

   विकलांग स्थाई कर्मचारियों की दिनांक 31.03.2013 को संख्या 34 है।

5. **क्या आपके संगठन में प्रबंध तंत्र द्वारा मान्यता प्राप्त कोई कर्मचारी संघ है। जी हां।**

6. **इस मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ में स्थाई कर्मचारियों की सदस्यता का क्या प्रतिशत है।**

   100प्र

7. **कृपया बाल मजदूरी, जबरन मजदूरी, अनैएच्छिक मजदूरी, यौन उत्पीड़न से जुड़े पिछले वित वर्ष में प्राप्त शिकायतें तथा इस वित वर्ष में लम्बित शिकायतों की संख्या का उल्लेख करें।**

क्रम संख्या	श्रेणी	वितीय वर्ष में प्राप्त शिकायतों की संख्या	वित्तीय वर्ष के अंत में लम्बित शिकायतों की संख्या
1.	बाल मजदूरी/ जबरन मजदूरी/ अनैच्छिक मजदूरी	0	0
2.	यौन उत्पीड़न	0	0
3.	पक्षपाती रोजगार	0	0

8. **पिछले वर्ष में आपके निम्नलिखित कर्मचारियों के कितने प्रतिशत कर्मचारियों को सुरक्षा व कार्यकुशलता को बढ़ाने का प्रशिक्षण दिया गया।**

- **स्थाई कर्मचारी** 979/1605 अर्थात 60.99प्र
- **स्थाई महिला कर्मचारी** – 149/305 अर्थात 48.85प्र
- **विकलांग कर्मचारी** – 9/34 अर्थात 26.5प्र

प्रिंसिपल 4 – व्यापार में सभी स्टेकहोल्डर्स के हितों का, विशेषकर उनका जो कि जोखिम संभाव्य है, जोखिम में तथा हाशिए पर हैं, सम्मान करते हुए जवाबदेह होना चाहिए।

1. **क्या कंपनी ने अपने आंतरिक तथा बाह्य स्टेकहोल्डरों का मैप कर लिया है?**

   जी हां, अपनी विद्यमानता के वर्षों में संगठन ने स्टेकहोल्डरों के विभिन्न ग्रुपों की पहचान की है तथा संपर्क बनाया है – इसमें आंतरिक स्टेकहोल्डरों में कर्मचारी शामिल हैं तथा बाहय स्टेकहोल्डरों में ग्राहक, समुदाय शामिल हैं।

2. **उपरोक्त में से क्या कंपनी ने जोखिम संभाव्य, जोखिम में तथा हाशिए पर आने वाले स्टेकहोल्डरों की पहचान की है?**

जी हां। संगठन ने समुदाय के जोखिम में तथा हाशिए पर रहने वाले स्टेकहोल्डरों की पहचान की है तथा सीएसआर गतिविधियों द्वारा इनसे संपर्क बनाया है।

3. **क्या कंपनी द्वारा जोखिम संभाव्य, जोखिम में तथा हाशिए पर आने वाले स्टेकहोल्डरों के साथ संपर्क बनाने के लिए कोई विशेष कदम उठाए हैं? यदि हां तो इसका पचास या अधिक शब्दों में ब्यौरा दें।**

अपनी गतिविधियों से संबंधित समुदायों के कल्याण के लिए कार्य करना एमएमटीसी की गतिविधियों का प्राकृतिक तत्व है। डिसएडवार्टेजिएस, जोखिम में आने वाले तथा हाशिए पर आने वाले स्टेकहोल्डरों के कल्याण के लिए एमएमटीसी ने शैक्षिक मूलभूत ढांचा, पेय जल, सफाई की सुविधाएं तथा कार्यकुशलता विकास के लिए मुख्यतः उड़ीसा तथा तमिलनाडु में कार्य किया है। एमएमटीसी बेल्लारी तथा उड़ीसा के माइनिंग क्षेत्रों में पुनः वृक्षारोपण करके, जाजपुर, उड़ीसा में चैक–डैम बनाकर, दिल्ली, एनसीआर में जलाशयों को पुनःजीवित करके, गोवा में रेनवाटर–हारवेस्टिंग करके स्वच्छ पर्यावरण के लिए अपने अथक प्रयासों को जारी रखे हुए है।

प्रिसिंपल 5. व्यापार में मानव अधिकारों का सम्मान तथा उत्थान किया जाना चाहिए।

1. **क्या कंपनी की मानव अधिकार नीति केवल कंपनी तक ही सीमित है या इसमें ग्रुप/संयुक्त उद्यम/आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार/एनजीओ/अन्य भी शामिल हैं?**

एक सरकारी कंपनी होते हुए एमएमटीसी भारत के संविधान के प्रति उत्तरदायी है जिसमें सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता तथा भाईचारे का संकल्प है तथा जिसमें विश्वव्यापी मूल मानवाधिकार घोषणा में निदेशित मानव अधिकार महत्ता भी शामिल है। एमएमटीसी अपने कार्यस्थलों पर अंर्तष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मानव अधिकारों का सम्मान कर उनकी सुरक्षा के सहयोग के लिए प्रतिबद्ध है। तथापि कंपनी के कार्मिक प्रबंधन के मैनुअल में मानव अधिकारों की नीति में ऐसा कुछ विशेष प्रावधान नहीं है। मैनुअल के अनुसार कंपनी के सभी कर्मचारियों के मूल मानव अधिकार सुनिश्चित किए गए हैं। एमएमटीसी में ''सहायता'' के नाम से तीन स्तरीय शिकायत निवारण व्यवस्था है जिसमे कर्मचारियों की शिकायतें सुनी जाती हैं। एमएमटीसी की प्रबंधन व्यवस्था में स्वास्थ्य, सुरक्षा, निवास तथा शिक्षा के लिए प्रावधान है। इन सभी को सर्वागीण रूप से सुनिश्चित करने के लिए एमएमटीसी में पूरी व्यवस्था है।

2. **पिछले वित्त वर्ष में कितने स्टेकहोल्डरों से शिकायत प्राप्त हुई तथा इनमेंसे प्रबंधन द्वारा कितने प्रतिशत का निवारण किया गया?**

वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान स्टेकहोल्डरों से चार शिकायतें प्राप्त हुई थीं जिसमें तीन का निवारण उसी अवधि में संतोषजनक रूप से कर दिया गया था।

प्रिंसिपल 6: व्यापार में पर्यावरण का सम्मान, संरक्षण तथा इसके पुनः स्थापित किए जाने के प्रयास किए जाने चाहिए।

क्योंकि संगठन में मैन्युफैक्चरिंग संबंधी गतिविधियां नहीं हैं अतः यह प्रिंसिपल लागू नहीं होता।

1. **क्या नियम 6 से संबंधित नीति केवल कंपनी में ही लागू होती है या फिर यह ग्रुप/संयुक्त उद्यम/आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार / एनजीओज/अन्य पर भी लागू है?**

संगठन में पर्यावरण पर कोई लिखित नीति नहीं है। तथापि यूएन ग्लोबल काम्पैक्ट का सदस्य होने के नाते हम पर्यावरण रूपसे उत्तरदायी फैशन में काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

2. **क्या कंपनी में जलवायु, बदलाव तथा ग्लोबल वार्मिंग जैसी पर्यावरण की समस्याओं से निपटने के लिए कोई नीति/उपाय शुरू किए गए हैं? हां?/नहीं। यदि उत्तर हां है तो कृपया वैब–पेज का हाइपरलिंक बताएं।**

एमएमटीसी माइनिंग क्षेत्र में वृक्षारोपण द्वारा, जनजाति क्षेत्रा से विकास करके तथा बंदरगाह सुविधाओं के लिए मूलभूत ढांचे में विकास करके पर्यावरण को बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। संगठन कम्युनिकेशन ऑन प्रोग्रेस (सीओपी) के माध्यम से इस दिशा में किए गए विभिन्न प्रमाणों की यूएन ग्लोबल एक्ट के लिए नियमित रिपोर्ट देता है।

3. **क्या कंपनी संभावी पर्यावरण जोखिमों को पहचान कर उनका मूल्यांकन करती है? हां/नहीं ।**

जबकि संगठन सीधे ही किसी उत्पादन के नहीं जुडा है, उसके लिए यह आवश्यक है कि वह पर्यावरण के प्रति उत्तरदायी माहौल में काम करे। एमएमटीसी ने डीपीई, भारत सरकार के अनुरूप स्थयी विकास नीति बनाई है। एमएमटीसी ने एक एसडी प्लान भी विनिर्मित किया है जिसके अनुसार पर्यावरण से संबंधित प्रोजेक्टस को पहचान करके लागू किया गया है।

4. **क्या कंपनी में क्लीन डेवलपमेंट मेकेनिज्म से संबंधित कोई प्रोजेक्ट है। यदि हां तो पचास या अधिक शब्दों में उसका विवरण दें? यदि उत्तर हां है तो यह भी बताएं कि क्या कोई पर्यावरण अनुपालन रिपोर्ट फाइल की गई है?**

जी नहीं ।

5. **क्या कंपनी ने स्वच्छ तकनीकी ऊर्जा एफीशेंसी, रिन्यूऐबल ऊर्जा आदि पर कोई कदम उठाया है? हां/नहीं। यदि हां तो वेब–पेज आदि का हाइपरलिंक बताएं।**

जी नहीं।

6. **क्या कंपनी द्वारा रिपोर्ट के इस वित्तीय वर्ष में उत्पन्न उत्सर्जन/वेस्ट सीपीसीबी/एसपीसीबी द्वारा दी गई निर्धारित सीमाओं के भीतर रहे हैं?**

   लागू नहीं।

7. **वित्तीय वर्ष के अंत में सीपीसीबी/एसपीसीबी से प्राप्त ऐसे कारण बताओ/वैधानिक नोटिसों की संख्या जो लंबित है (संतोषजनक उत्तर नहीं दिए गए)**

   लागू नहीं।

प्रिसिंपल 7: व्यापार, जब भी सार्वजनिक तथा रेगुलेटरी नीति के प्रभाव के साथ किया जाता है तो उसे जिम्मेदारी के साथ किया जाना चाहिए।

1. **क्या आपकी कंपनी किसी व्यापार तथा चैम्बर संघ की सदस्य है? यदि हां तो कृपया उन मुख्य संघों का उल्लेख करें जिनसे आपके व्यापार का संबंध है?**

   क. सीआईआई

   ख. एफआईईओ

   ग. एफआईसीसीआई

   घ. एसीसीओसीएचएएम

2. **क्या आपने जन–कल्याण को विकसित दर पर प्रोत्साहित करने के लिए उपरोक्त संघों के माध्यम से वकालत/प्रचार किया है? हां/नहीं। यदि हां तो मुख्य क्षेत्रों का उल्लेख करें (ड्राप बॉक्सः शासन व प्रशासन, आर्थिक सुधार, विस्तृत विकास नीतियां, ऊर्जा सुरक्षा,जल, खाद्य सुरक्षा दीर्घकालिक व्यापार नीति, अन्य)**

   संगठन ने उपरोक्त संघों के माध्यम से जन–कल्याण से संबंधित मानक के लिए वकालत/प्रचार नहीं किया हैं ।

प्रिसिंपल 8: व्यापार में विस्तृत वृद्धि तथा यथार्थ बढावा दिया जाना चाहिए ।

1. **क्या कंपनी के प्रिसिंपल 8 से संबंधित नीतियों के अनुसरण में कार्यकमों/पहल/प्रोजेक्ट का उल्लेख किया है? यदि हां तो उसका विवरण ।**

   संगठन वस्तु उत्पादन का कार्य नहीं करता ! अतः वह पर्यावरण तथा समाज पर कोई सीधा नकारात्मक प्रभाव नहीं डालता तथापि संगठन में सीएसआर नीति लागू है। एमएमटीसी ने सार्वजनिक उपक्रम विभग, भारी उद्योग तथा सार्वजनिक उपक्रम मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा–निर्देशों को अपनाया है। एमएमटीसी में अपनी कमाई के एक भाग को समाज के उत्थान के लिए सीएसआर गतिविधियों पर खर्च करने की एक संरक्षित प्रकिया उपलब्ध है। वर्ष 2012–13 के दौरान एमएमटीसी ने शैक्षिक मूलभूत ढांचे के निर्माण, प्राथमिक स्वास्थ्य, साक्षरता वृद्धि/योग्यता विकास, खेलकूद को प्रोत्साहन, कला व संस्कृति, सीएसआर प्रचार आदि पर 1. 97 करोड रुपये सीएसआर गतिविधियों पर खर्च किए।

2. **क्या कार्यक्रम/प्रोजेक्टस/ इन–हाउस टीम/अपनी संस्था/बाहरी एनजीओ/सरकारी विन्यास/अन्य किसी संगठन द्वारा चलाए जाते हैं?**

   एमएमटीसी में सीएसआर तथा एसडी के लिए कार्यान्वयन समिति है जिसमें स्वतंत्र निदेशक तथा कार्यकारी निदेशक व मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक स्तर के कार्यकारी सदस्य सचिव हैं। सीएसआर प्रभाग सीएसआर प्रस्तावों की पूरी जांच करता है तथा फिर ऐसे प्रस्तावों को जो सीएसआर के वार्षिक एमओयू में निर्धारित प्रावधानों में तथा एमएमटीसी से सीएसआर/एसडी नीतियों में आते हों, अपनी टिप्पणी के साथ कार्यान्वयन समिति को भेज देता है। इस प्रकार भेजे गए प्रस्तावों पर कार्यान्वयन समिति विचार करके स्वीकृत प्रस्तावों को कारपोरेशन के सीएमडी के पास अनुमोदन के लिए भेज देती है जो कि इनके लिए अंतिम निर्णय लेने वाले अधिकारी हैं। इस प्रकार अनुमोदित किए गए प्रस्तावों पर कार्य किया जाता है। प्रस्ताव के कार्यान्वयन के भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर, संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को सीधे अथवा किसी निजी/सार्वजनिक भागीदार के साथ मिलकर प्रोजेक्ट पर नजर रखते हुए काम करने का निर्देश दिया जाता है। प्रत्येक प्रोजेक्ट के लिए एक नोडल अधिकारी को नियुक्त किया जाता है जिसका कार्य यह होता है कि वह प्रोजेक्ट के समय पर पूरा होने के लिए निगरानी रखे तथा प्रोजेक्ट के पूरा होने के बारे में कारपोरेट कार्यालय को रिपोर्ट करें। पूरा हो जाने के पश्चात एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा प्रोजेक्ट का मूल्यांकन किया जाता है।

3. **क्या अपनी पहल द्वारा की गई पहल का कोई प्रभाव मूल्यांकन किया है?**

   प्रभाव मूल्यांकन/सामाजिक लेखा परीक्षा एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा किया जाता है जिससे कि एमएमटीसी द्वारा चलाई जा रही सीएसआर गतिविधियों का ‘‘सामाजिक–मूल्यांकन’’ किया जा सके।

4. **सामुदायिक विकास संयंत्रों के लिए आपकी कंपनी का क्या प्रत्यक्ष योगदान है – भारतीय रुपयों में राशि तथा लगाए गए संयंत्र ?**

   एमएमटीसी सामुदायिक विकास के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है तथा इसने वर्ष 2011–12 में अपने लाभ का 3 प्रतिशत भाग वर्ष 2012–13 में शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकूद आदि क्षेत्रों में लगे विभिन्न प्रोजेक्टों पर खर्च किया है। इन विभिन्न प्रोजेक्टों का विवरण इस प्रकार हैः–

- जोडा–बडबिल में 5 सरकारी विद्यालयों में पेयजल तथा जन सुविधाओं को उपलब्ध करना
- पैददापाई–चेन्नै के सरकारी विद्यालय में वॉशरूम सुविधा उपलब्ध कराना।
- चंदनभाटी उडीसा में सरस्वती शिशु मंदिर में क्लासरूम का निर्माण।
- गोबरघाटी जिला जाजपुर, उडीसा में कब्रिस्तान का विकास
- दिल्ली / एनसीआर में सरकार की मिड–डे मील योजना के उत्थान के लिए इस्कॉन (iscon) को साज–सामान देना।
- चिकालिम, गोवा के रेगिनामुंडी हाईस्कूल में रेनवाटर–हारवेस्टिंग सिस्टम का लगाना।
- एएलआईएमसीओ– कैम्पस कोलकाता में शारीरिक रूप से अक्षम, शारीरिक रूप से अयोग्य व्यक्तियों को सहायक–साधनों का वितरण।
- इंडियन कैंसर सोसाइटी – आर्थिक तथा सामाजिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि की महिलाओं के लिए कैंसर स्क्रीनिंग / मैमोग्राफी सुविधाएं।
- हैल्पेज इंडिया– राजस्थान के दूरस्थ क्षेत्रों के लिए मोबाइल हैल्थ यूनिटों का प्रावधान।
- आईकेयर फाउंडेशन – निःशुल्क ओपीडी चलाने में सुविधा के लिए केराटोमीटर तथा स्लिट लैम्प की खरीद ।
- जिला रेडक्रास सोसायटी– शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों में वितरण के लिए सहायक साधन बनाने के लिए कच्चे माल की खरीद ।
- ट्रामा पीडितों की सहायता के लिए सैंट जोन एम्बुलैंस ब्रिगेड, उडीसा के लिए एम्बुलैंस ।
- राजधानी धर्मार्थ आई केयर एवं मैडिकल सेंटर को निःशुल्क नेत्र चिकित्सा प्रदान करने हेतु साधन उपलबध कराना।
- समाज के कमजोर तथा आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए रामकृष्ण–मिशन, पुरूलिया को चिकित्सा साज–सामान मुहैया कराना।
- मूक–बधिर सोसाइटी के अहमदाबाद स्थित विद्यालय के लिए फिजिओथेरेपी साज–सामान उपलब्ध कराना।
- चिन्ह–सिलाई, फोटोग्राफी, कम्प्यूटर तथा मल्टीमीडिया में समाज के आर्थिक रूप से पिछडे क्षेत्र से आने वाली महिलाओं की कार्यकुशलता के विकास के लिए दिए जाने वाले प्रशिक्षण में काम आने वाले साम–सामान की खरीद ।
- उडीसा के सारंगपुर तथा गोबरघाटी क्षेत्रों में स्वंय रोजगार / रोजगार योगयता के अवसर बनाना ।
- विकास गृह – अहमदाबाद में कम्पयूटर टेबल तथा अलमारियां मुहैया करना।
- लिप्रोसी मिशन ट्रस्ट –कार्यकुशलता विकास के लिए साज–सामान
- पीएचएफआई–ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए विद्यार्थियों को प्रायोजित करना।
- संगीत वंदना– के तत्वाधान में आयोजित 'सुरों के उस्ताद–2'' नाम से विभिन्न रूप से अक्षम बच्चों के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन ।
- खुर्दा जिला लोक उत्सव–12 का, ग्रामीण युयवाओं में खेलकूद को बढावा देने के लिए आयोजन
- शाहबाद हाकी सेंटर– के लिए हाकी को बढावा देने के लिए हाकी का सामान खरीदना।
- अल्पना के तत्वाधान में, शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए संभव 2012 नामक कार्यक्रम का आयोजन
- सूर्यपर्व – मेगा साइकिलिंग मैराथन – टीशर्ट,टोपी तथा होर्डिंग का प्रायोजन ।
- एसडीआरएस – मैनेजमेंट इन एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग डिसेबल्टी पर राष्ट्रीय संगोष्ठी
- जन आकांक्षा – नारी शक्ति तथा अधिकार सुरक्षा पर कार्यशाला

5. **क्या आपने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि इस सामुदायिक विकास की पहल को समुदाय द्वारा सफलतापूर्वक स्वीकार किया गया है? कृपया पचास या अधिक शब्दों में उल्लेख करें।**

   एमएमटीसी द्वारा चलाए गए प्रोजेक्टों को पेशेवर एनजीओ के असेसमेंट सर्वे द्वारा चुना जाता है।

प्रिसिंपल 9– व्यापार में ग्राहकों तथा आपूर्तिकर्ताओं से संपर्क तथा महत्व को जिम्मेवारी के साथ समझना चाहिए।

1. **वित्तीय वर्ष के अंत तक ग्राहकों / उपभोगताओं की कितनी प्रतिशत शिकायतें लम्बित हैं।**

   रिपोर्ट की अवधि के लिए ऐसी कोई भी शिकायतें लम्बित नहीं है।

2. **स्थानीय कानूनों के अनुसार दी जाने वाली वैधानिक सूचना के अतिरिक्त भी क्या कंपनी अपने उत्पाद के लेबल पर उत्पाद से संबंधी सूचना छापती है? हां / नहीं / लागू नहीं**

   लागू नहीं। संगठन उत्पादन कार्य नहीं करता और इसकी गतिविधियां केवल व्यापारिक हैं।

3. क्या कंपनी के विरूद्ध किसी स्टेकहोल्डर ने अनुचित व्यापारिक गतिविधि, गैर–जिम्मेदाराना विज्ञापन तथा/अथवा गैर प्रतिस्पर्धा व्यवहार के लिए पिछले पांच वर्षों में कोई शिकायत की है तथा जो इस वर्ष में लम्बित है? यदि हां तो पचास या अधिक शब्दों में उत्तर दें।

एमएमटीसी से खरीदी गई स्वर्ण मुद्राओं से संबंधित एक मामला जिला उपभोक्ता विवाद निपटान फार्म के समक्ष फाइल किया हुआ है। मामले का निपटान किया जाना बाकी है।

4. क्या आपकी कम्पनी द्वारा कोई उपभोक्ता सर्वे/उपभोक्ता संतुष्टि रूझान किया जाता है?

एमएमएटीसी ने निम्नलिखित सर्वे किए हैं:–

(i) एमएमटीसी द्वारा सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सेवाओं की योग्यता पर अध्ययन रिपोर्ट ।

(ii) एमएमटीसी के सांची सिल्वरवेयर तथा प्रतिस्पर्धियों के बीच गुणवत्ता का सर्वे ।

(iii) एमएमटीसी ब्रांड की आभूषणों की मार्केटिंग की व्यवहारिकता रिपोर्ट।

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक – 1

ऊर्जा संरक्षण: ऊर्जा तथा ईंधन की खपत

कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 217(1) (ई) के अंतर्गत कंपनी नियम 1988 (निदेशक मंडल की रिपोर्ट में विवरणों का प्रस्तुतीकरण) के अनुसरण में दिनांक 31.03.2013 को समाप्त वर्ष के लिए ऊर्जा संरक्षण के संबंध में विवरण इस प्रकार हैं:–

कम संख्या			चालू वर्ष 2011–12	पिछला वर्ष 2010–11
1.	बिजली	खरीद (किलोवाट आवर) (वार्षिक न्यूनतम गारंटी पर)	3,09,012	3,09,012
		कुल लागत(लाख रुपये में)	12.38	12.38
		औसत दर (रुपये/किलोवाट आवर)	4.01	4.01
2.	कोयला	मात्रा (मी टन)	–	–
		कुल लागत(लाख रुपए में)	–	–
		औसतन दर(रुपए प्रति मी टन)	–	–
3.	डीजल तेल	खरीद (लीटर)	–	–
		कुल लागत (लाख रुपए में)	–	–
		औसत दर(रुपए प्रति लीटर)	–	–
4.	एलडीओ	खरीद (लीटर)	–	–
		कुल लागत (लाख रुपए में)	–	–
		औसत दर(रुपए प्रति लीटर)	–	–

जैन कपिला एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउटेंट्स

कारपोरेट गवर्नेंस का अनुपालन प्रमाण पत्र

सेवा में
एमएमटीसी लिमिटेड के सदस्यगण,

हमने 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए एमएमटीसी लिमिटेड द्वारा स्टॉक एक्सचेंज के साथ हुए सूचीकरण अनुबंध के खंड 49 में कारपोरेट नियमन से संबंधित शर्तो के अनुपालन संबंधी जांच की है।

कारपोरेट नियमन की शर्तो का अनुपालन करना प्रबंधतंत्र की जिम्मेदारी है। हमारी जांच कारपोरेट नियमन की शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं तथा उनके कार्यान्वयन तक सीमित थी। हमारी जांच न तो कंपनी के वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण है और न ही किसी मत की अभिव्यक्ति है।

हमारे मत व जानकारी तथा हमें उपलब्ध कराए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार हम प्रमाणित करते है कि निम्नलिखित शर्तो के अतिरिक्त कंपनी ने उपर्युक्त सूचीयन करार के अनुसार कारपोरेट नियमन की शर्तो का अनुपालन किया है

(1) स्वतंत्र निदेशकों की संख्या जहां निदेशक मंडल के अध्यक्ष कार्यकारी निदेशक हैं निदेशक मंडल की कुल संख्या से न्यूनतम आधी होने के संबंध में उक्त सूचीयन करार की धारा 49 के पैरा 1 के उप पैरा (2) का अनुपालन नहीं किया गया।

तथापि जुलाई अप्रैल, 2013 से जुलाई, 2013 के दौरान एमएमटीसी के निदेशक मंडल में चार और स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति से निगम में उक्त शर्त का अनुपालन कर दिया है।

(2) वार्षिक आधार पर कोड के साथ वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों तथा निदेशक मंडल के सभी सदस्यों द्वारा अनुपालन की अभिपुष्टि के संबंध में उक्त सूचीपत्र करार की धारा 49 के पैरा 1 की उप धारा डी (2)) का अनुपालन नहीं किया गया। उक्त अभिपुष्टि उस अधिकारी(महाप्रबंधक) द्वारा नही की गई है जो अभी सेवा से निलंबित है।

(3) निदेशक मंडल द्वारा जोखिम निर्धारण तथा इसे कम करने के प्रकटन के संबंध में उक्त सूचीयन करार की धारा 49 के पैरा 4 की उप धारा सी की शर्त का अनुपालन नहीं किया गया। तथापि निदेशकों की लेखा परीक्षा समिति को इसका प्रकटन किया गया था।

हम यह भी व्यक्त करते हैं कि उक्त अनुपालन न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता के रूप में आश्वासन है और न ही कंपनी द्वारा अपने कार्य संचालन में अपनाई गई कुशलता अथवा गतिशीलता का प्रमाण है।

दिनांक : 13 अगस्त 2013
स्थानः नई दिल्ली

कृते **जैन कपिला एसोसिएट्स**
चार्टर्ड एकाउंटेंटस
फर्म पंजीयन संख्या 000287 एन

हस्ताक्षर
डी के कपिला
वरिष्ठ भागीदार
एम न. 016905

सी–4, प्रथम तल, जंगपुरा एक्सटेंशन, नई दिल्ली – 110 014
फोनः 24313432, 24313422, 23587443 टेलीफैक्सः 24313432
EMAIL: dkkapila@gmail.com WEBSITE: www.jainkapilaassociates.com

संख्या / No. PDCA-I/ND/CHC/29-3/2013-14/246

गोपनीय

भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग,
कार्यालय प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा
एवं पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड–1
INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT,
OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF COMMERCIAL
AUDIT & EX-OFFICIO MEMBER, AUDIT BOARD-1

दिनांक/Dated 30/7/2013

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक,
एम एम टी सी लिमिटेड,
नई दिल्ली

विषयः-कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के अधीन एम एम टी सी लिमिटेड के 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां ।

महोदय,

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के अधीन 31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए **एम एम टी सी लिमिटेड** के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की **टिप्पणियाँ** अग्रेषित की जाती हैं । इन **टिप्पणियों** को कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट में प्रकाशित किया जाए और कम्पनी की महासभा में उसी समय व उसी प्रकार रखा जाए जिस प्रकार सांविधिक लेखा परीक्षकों की लेखा परीक्षा रिपोर्ट रखी जाती है ।

भवदीय,

(विमलेन्द्र पटवर्धन)
प्रधान निदेशक

संलग्नः टिप्पणियाँ

तृतीय तल, ए–स्कन्ध, इन्द्रप्रस्थ भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली–110002
3rd Floor, A-Wing, Indraprastha Bhawan, New Delhi-110002.
दूरभाष/Tele. : 011-23378473, फैक्स/Fax : 011-23378432
e-mail : mabNewdelhi1@cag.gov.in

MMTC

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए एमएमटीसी लिमिटेड के लेखों पर कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत महालेखा नियंत्रक व लेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत निर्धारित रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए एमएमटीसी वित्तीय विवरण को तैयार करना कंपनी के प्रबंधतंत्र का दायित्व है । कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(2) के अंतर्गत महा नियंत्रक व लेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक कंपनी अधिनियम की धारा 227 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर अपना मत देने का दायित्व है । ये मत उनके व्यवसायिक निकाय, इस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट आफ इंडिया द्वारा निर्धारित लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा पर आधारित होते हैं। यह बात उनकी आडिट रिपोर्ट 30 मई 2013 के माध्यम से किया गया दर्शाई गई है।

मैंने महानियंत्रक व लेखापरीक्षक की ओर से कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(3) के अंतर्गत 31 मार्च, 2013 समाप्त वर्ष के लिए एमएमटीसी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखा परीक्षा स्वतंत्र रूप से सांविधिक लेखा परीक्षकों के चालू दस्तावेजों की सहायता लिए बिना की गई है और यह सांविधिक लेखा परीक्षकों की जांच तथा कंपनी कार्मिक और कुछ लेखा रिकार्डों की चयनित लेखापरीक्षा तक मुख्यतः सीमित है। मेरी अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर मैं निम्नलिखित महत्वपूर्ण बातों को कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत हाईलाईट करना चाहता हूं जो मेरे ध्यान में आई है और मेरे विचार से वित्तीय विवरणों और संबद्ध लेखा परीक्षा रिपार्ट की बेहतर समझ के लिए आवश्यक है।

<u>वित्तीय स्थिति पर टिप्पणी</u>

तुलन–पत्र

परिसम्पत्तियां

गैर चालू परिसम्पत्तियां

गैर चालू निवेश (टिप्पणी सं0 6.2) – 469.74 करोड़ का

उपरोक्त शीर्ष में इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लि0 (आईसीईएक्स) में किये गए 26 करोड़ रुपये का निवेश भी शामिल है जो कि अपने आरंभ से ही घाटा में चलते हुए वर्ष 2012–13 तक शेयर पूंजी का 74प्र क्षय कर चुकी है। प्रबंधन के अपने अनुमान के अनुसार इसमें अगले 7–8 वर्ष तक भी ब्रेकइवन की संभावना नहीं है। इन्स्टीटृयूट ऑफ चारटर्ड अकाउण्टेण्टस आफ इण्डिया दवारा जारी एएस–13– (अकाउटिंग फॉर इन्वस्टेमेंट) के अनुसार निवेश के मूल्य के लिए स्थाई ह्रास का प्रावधान प्रबंन्धन दवारा नहीं किया गया है ।

भारतीय महानियंत्रक व लेखापरीक्षक

की ओर से

30/7/2013

(विमलेन्द्र पटवर्धन)

स्थान : नई दिल्ली — **प्रमुख वाणिज्यिक लेखापरीक्षा निदेशक**

दिनांक : 30.07.2013 — **और पदेन सदस्य, आडिट बोर्ड–1, नई दिल्ली**

वित्त वर्ष 2012–13 के लिए कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के अतंर्गत खातों पर सी एण्ड एजी की टिप्पणियाँ तथा उन पर प्रबंध के उत्तर

	सी एण्ड एजी की टिप्पणियां	प्रबंधतंत्र का उत्तर
	बैलेंस शीट **असैट** **नॉन–करैंट असैट** **नॉन–करैंट इंवेस्टमेंट** **(नोट न0 6.2) रुपये 469.74 करोड़** उपरोक्त शीर्ष में इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लि0 (आईसीईएक्स) में किये गए 26 करोड़ रुपये का निवेश भी शामिल है। जो कि अपने आरंभ से ही घाटा में चलते हुए वर्ष 2012–13 तथा शेयर पूंजी का 74प्र क्षय कर चुकी है। प्रबंधन के अपने अनुमान के अनुसार इसमें अगले 7–8 वर्ष तक भी ब्रेक इवन की संभावना नहीं है । इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउटेंटस आफ इण्डिया द्वारा जारी एएस–13– अकाउटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट– के अनुसार निवेश के मूल्य के लिए स्थाई ह्रास का प्रावधान प्रबंधन द्वारा नहीं किया गया है ।	इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड (आईसीईएक्स) एक संयुक्त उद्यम है जिसमें एमएमटीसी का 26प्र शेयर है। यह एक दीर्घ अवधि निवेश है। आरंभिक वर्षो में विभिन्न प्रोमोश्नल खर्चो के चलते कुछ संचित हानि रही है। आईसीईएक्स ने महत्वपूर्ण पार्टनर जोड़कर, प्रबंधकीय कर्मियों को रिवैम्प करके दूसरी एक्सचेंज के साथ मिलाने की संभावना खोजकर इस दिशा में कई कदम उठाए हैं। हाल ही में इसमें और अधिक पूंजी निवेश के उपाय खोजे हैं। ये सभी उपाय भारतीय अर्थव्यवस्था के भावी विकास में सकारात्मक परिणामदायक सिद्ध होंगे। अतः शेयर पूंजी में वर्तमान गिरावट को प्रबंध तंत्र निवेश मूल्य में स्थाई हानि के रूप में नहीं मानता और तदनुसार इसके लिए किसी प्रकार के प्रावधान को रखने की आवश्यकता नहीं समझता।

एमएमटीसी
लिमिटेड
MMTC
LIMITED
भारत सरकार का उपक्रम
A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE
touching lives, adding value

खाद्य सुरक्षित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर

•खाद्यान्न, खाद्य तेल और दालों के आयातक

हम कृषि व्यवसाय में बड़े आयात के लिए आवश्यक वृहत ढांचागत विशेषज्ञता के साथ हम एक वैश्विक कंपनी हैं। हम खाद्यान्नों की खरीद, गुणवत्ता, नियन्त्रण, समयबद्ध रूप से डिलीवरी के हेतु अपने क्षेत्रीय व पोर्ट कार्यालयों और विदेश में संपर्कों के जरिये सम्पूर्ण संभार तंत्र प्रदान करते हैं।

गौरवपूर्ण 50 वर्ष
1963-2013
CELEBRATING 50 GLORIOUS YEARS

50 वर्षों के उत्सव के अवसर पर
हम स्वयं को स्वस्थ भारत के प्रति समर्पित करते हैं।

कॉरपोरेट ऑफिसः कोर-1, स्कोप कॉम्प्लैक्स, 7 इंस्टिट्यूशनल एरिया, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003
ईमेल : mmtc@mmtclimited.com वेबसाइट : www.mmtclimited.com

कारपोरेट कार्यालय
नई दिल्ली

एमएमटीसी लिमिटेड की ओर से
एम. जी. गुप्ता, निदेशक (वित्त)
द्वारा प्रकाशित

कारपोरेट कम्युनिकेशन्स प्रभाग
द्वारा निर्मित एवं मुद्रित

एमएमटीसी लिमिटेड MMTC LIMITED
भारत सरकार का उपक्रम
A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE
touching lives, adding value

Corporate Office
New Delhi

Published by
M. G. Gupta, Director (Finance)
on behalf of MMTC Limited.

Produced & Printed by
Corporate Communications Division

www.censer.in (M) 9810213218, 9810118199